राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा का सप्तम सत्र का 18वां दिवस [संख्या 16

गुरुवार,

दिनांक 26 मार्च, 1970

विधान सभा की बैठक म०पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, जनस्वास्थ्य, पशुपालन, सामान्य प्रशासन, सहकारिता, कृषि, गृह, स्वायत्त शासन, उपनिवेशन विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न । श्री महेन्द्र कुमार।

डूंगरपुर जिले के आयुर्वेदिक औषधालय

286. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा सु०): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में कहां कहां पर औषधालय हैं और उनका वार्षिक औषधि का बजट क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि डूंगरपुर जिले में आयुर्वेद औषधालयों के माध्यम से ही अधिकतर ग्रामीण जनता उपचार कराती है ? यदि हां, तो सरकार वहां औषधियों की मात्रा में वृद्धि करने पर क्या विचार रखती है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक औषधालय में 1968-69 तथा 1969-70 में कितने कितने मरीज इलाज के लिये आये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) डूंगरपुर जिले में कुल 60 औषधालय हैं । वार्षिक बजट प्रत्येक श्रेणी के औषधालय का अलग-अलग हैं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) आयुर्वेद चिकित्सा से पर्याप्त मात्रा में रोगी लाभ उठाते हैं । औषधि में वृद्धि आवश्यकतानुसार कर दी जाती है । रोगियों की संख्या की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री महेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिले में जितने भी औषधालय हैं उनमें दवाइयों की भारी कमी है । एक दवाई और दूसरी दवाई को छोड़कर तीसरी दवाई वहां नहीं होती है । कई रोगी वहां आकर बैठे रहते हैं और उस बीमार को दवाई नहीं मिलती है और वैद्यजी स्वयं उस रोगी को अस्पताल में ले जाते हैं । इस तरह दवाइयों

(श्री महेन्द्र कुमार)

की बड़ी मुश्किल है और वहां के औषधालयों में दवाइयों की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा: दवाइयों के लिये औषधालयों का ए-बी-सी का पैटर्न है और कोई भी बीमार वहां जाता है, उसको दवाइयां वहां बराबर दी जाती हैं।

इसके लिए भविष्य में व्यवस्था करने के लिए और ताकीद कर दी जायेगी।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): क्या साधारण रोगियों को भी अस्पताल ले जाया जाता है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: जी नहीं।

श्री महेन्द्रकुमार शर्मा: वहां की स्थिति तो यह है कि वहां के औषधालयों में दवाई नहीं है, और उनको अस्पताल ले जाया जाता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा: जो बीमार होते हैं वे अच्छी से अच्छी चिकित्सा कराने का प्रयत्न करते हैं। हो सकता है कि वैद्य से चिकित्सा में लाभ न होने की उम्मीद में वे अस्पताल जाते हों।

श्री रोशनलाल शर्मा: वैद्यराज जी स्वयं लेकर जाते हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, क्या यह सही है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: पर्सनली किसी को ले जाते हैं, यह अलग बात है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केदारनाथ !

बागात कर्मचारियों के फिक्सेशन

290. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर में बागात कर्मचारियों में से अब तक किन किन के फिक्सेशन नहीं हुए हैं ? इस विलम्ब का जिम्मेदार कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह): 10 कर्मचारियों के फिक्सेशन अभी नहीं हुए हैं, उनकी सूची संलग्न है। फिक्सेशन की कार्यवाही चल रही है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री केदारनाथ: मौजूदा सर्विस रूल्स में बागात कर्मचारियों में क्या फोर्थ क्लास सर्वेन्ट भी होते हैं ?

श्री माधोसिंह: बागात में तरह तरह के कर्मचारी हैं, इन्सपैक्टर्स भी होते हैं और दूसरे भी होते हैं। कुछ क्लास फोर भी होते हैं। इस तरह से अलग अलग हैं।

श्री केदारनाथ: फिक्सेशन में देरी का क्या कारण है ?

श्री माधोसिंह: पहला तो यह है कि बहुतसों की सर्विस बुक्स तैयार नहीं थी और बहुत सों ने ऑप्शन नहीं दिया था और बहुत सों के रिफण्ड के केसेज थे और कुछ केसेज ऐसे थे जिनके अन्दर अमेन्डेड पे स्केल में फिक्सेशन गलती हो गया है, उसको रेग्युलेराइज करना है। उनके साथ ज्यादाती नहीं की जा रही है। हम भी प्रयत्नशील हैं कि यह जल्दी से हो जाय।

Page No 3

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री नथमल चोहला ।

फतेहपुर में पाइप लाइन बिछने का कार्य

291. **श्री नथमल चोहला** (लक्ष्मणगढ़ सु०): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के अन्तर्गत जल योजना फतेहपुर की पाइप लाइन बिछाने के कार्य में शीशा कम डाला गया ?

(2) क्या यह सही है कि फतेहपुर में पाइप लाइन के कार्य पर विभाग की तरफ के नियुक्त मिस्त्री ने अधिकारियों को लिख कर अवगत कराया था कि ठेकेदार शीशा कम डाल रहा है तथा पाईपों के लिये खुदाई कम की है ?

(3) क्या यह सही है कि यह शिकायत आने के बाद अधिकारियो ने शीशे की जांच की और वह कम पाया गया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि यह शिकायत आने के बाद भी ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया ?

(5) यदि हां, तो क्यों तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (1) ऐसी कोई विश्वस्त सूचना नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जांच के आदेश दिये गये हैं ।

(4) जी हां ।

(5) चूंकि कार्य प्रगति पर था, पाइप लाइन टेस्टिंग के लिये सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा 10 प्रतिशत रकम काटी गई है ।

श्री नथमल चोहला : उपाध्यक्षजी, पाइप लाइन में शीशा कम डालने की शिकायत थी और शिकायत होने पर भी ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया है और पेमेन्ट होने के बाद भी वहां पर काम बंद है, इसका क्या कारण है ?

श्री मथुरादास माथुर : उसका 10 प्रतिशत एक्स्ट्रा काट लिया गया है और जांच चल रही है ।

श्री नथमल चोहला : काम क्यों नहीं चल रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ हमें शिकायत मिली है उसकी जांच चल रही है और उसके बाद में फैसला लेंगे । जो उसके बिल्स हैं उसका 10% रोक लिया गया है ।

श्री नथमल चोहला : परन्तु बीच में काम बंद कर देने के क्या कारण हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : जांच चल रही है ।

श्री नथमल चोहला : उपाध्यक्षजी, बराबर जवाब नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। अगला प्रश्न।

श्री नथमल चोहला : यह इसी से संबन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पूरक प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। अगला प्रश्न ले लिया गया है। प्रश्न संख्या 292।

बाड़मेर जिले में पशु-चिकित्सा-सुविधा

292. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में बाड़मेर जिले में सबसे अधिक पशु धन होते हुए भी इस जिले में पशु-चिकित्सा संबंधी सब से कम सुविधा क्यों है ?

(2) राज्य सरकार ने इस कमी को पूरा करने के संबंध में वर्ष 1970-71 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-काल में क्या कार्यक्रम बनाया है ?

उप-मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) :-

(1) यह सही नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है।

श्रीमती मदनकौर : उपाध्यक्षजी, बाड़मेर जिले में सब से ज्यादा पशुधन है और पशुओं की चिकित्सा के ऊपर सारे राजस्थान में सब से कम खर्चा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। यह सत्य है। अगर असत्य है, तो आप साबित करें।

श्री हरीसिंह : आपने प्रश्न पूछा है कि ठीक व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर दूं कि बाड़मेर में पांच तहसीलें हैं, और पांचो तहसीलों के ऊपर वेटेरनरी हॉस्पिटल हैं। इसके अलावा 3 वेटेरनरी डिस्पेंसरीज हैं और इसके अलावा एक मोबाइल वेटेरनरी डिस्पेंसरी और एक बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स डिस्पेंसरी वहां पर मौजूद है। इतनी व्यवस्था होने पर कैसे कह सकती हैं कि यह उपयुक्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 293

श्री हरलालसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री आईदानसिंह।

जालोर जिले के जिला स्तर के विभाग

294. **श्री आईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जालोर जिले के कौन से जिला-स्तर के विभागों का संबंध दूसरे जिले में रखा गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विभागों का मुख्यालय किन किन जिला मुख्यालय पर है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जालोर जिले के जिला-स्तर विभागों का सम्बन्ध दूसरे जिले से रखा गया है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) उक्त विभागों का मुख्यालय जिन जिन जिलों में है सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित कर दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सूची मुझे मिली है, उनमें 22 जिला

(श्री आईदानसिंह)

मुख्यालय, हैडक्वार्टर्स बताये गये हैं किन्तु उनमें से सिर्फ 5 ही जालोर जिले में हैं। इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रशासनिक कारण और मित्तव्ययता की दृष्टि से ऐसा किया गया है।

श्री आईदानसिंह : प्रशासनिक कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि समाज-कल्याण विभाग का कार्यालय सिरोही में रखा गया है? इसकी जनसंख्या क्या सिरोही में ज्यादा है या जालोर में? क्या यह मंत्री महोदय वता सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं। मैं निवेदन कर दूं यह सिरोही और जालोर जिले का ही मामला नहीं है, और भी कई जगह ऐसी व्यवस्था है। डूंगरपुर, और बांसवाडा, टोंक और बूंदी में भी ऐसी ही व्यवस्था है। इसी प्रकार से कई जिलों में दो या दो से अधिक जिलों को मिलाकर एक ही जगह उनका हैडक्वार्टर रखा गया है।

श्री आईदानसिंह : इसके बाद आप देख लीजिये, सार्वजनिक निर्माण विभाग में कि क्या सिरोही में सड़कें ज्यादा हैं और जालोर में कम? इसका हेडक्वार्टर सिरोही रखा गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस बारे में जो पुरानी व्यवस्था चल रही है, सही है। जैसी मेरी जानकारी है, इस बारे में सरकार विचार कर रही है कि सिरोही के अलावा सड़कों की संख्या को देखते हुए जालोर में भी एक्स ई० एन० का एक और दफतर खोला जाये।

श्री आईदानसिंह : बात यह है कि जालोर सिरोही से बहुत दूर पड़ जाता है, और जालोर का बाड़मेर से लगा हुआ हिस्सा सड़क से कनेक्टेड नहीं है और हैड-क्वार्टर्स सिरोही में रखे हुए हैं। दूसरा जालोर के पिछड़ेपन का कारण यह है कि हैडक्वार्टर्स जितन भी हैं वे सिरोही या पाली या जोधपुर में रखे हुए हैं। विद्युत् का फालना में है, सिंचाई का पाली में और जन-सम्पर्क क सिरोही में है जिसकी वजह से जालोर में कोई न्यूज नही मिलती। तो जालोर का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण यह है कि जितने भी हैडक्वार्टर्स हैं वे दूसरी जगहों पर रखे हुए हैं। पशुपालन.....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सिरोही केपिटल है।

श्री आईदानसिंह : भेड़-ऊन भी सिरोही में रखा है, अगर आप जालोर का उत्थान करना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री आईदानसिंह : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन हैडक्वार्टर्स को अगर जालोर शिफ्ट करें तो जालोर का पिछड़ापन दूर हो सकता है।

वित्तमंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जालोर और सिरोही कई चीजों के अन्दर एक ही जिला माना गया है। जालोर और सिरोही के अन्दर जो जो हैडक्वार्टर्स मुकर्रर किये गये हैं वे वर्क लोड को देखकर किये गये हैं। अब खास तौर से सोशियल वेलफेयर के लिये माननीय सदस्य ने पूछा, तो क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है और काम भी ज्यादा है, इसलि सोशियल

(श्री मथुरादास माथुर)

वेलफेयर का हैडक्वार्टर जालोर में रखा जाये यह राज्य सरकार के विचाराधीन है। पी० डब्ल्यू डी० के बारे में माननीय उप-मंत्री ने बता दिया है और जहां तक जोधपुर का सवाल है, वहां पर जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर जिलों के जो डिवीजनल लेवल के कार्यालय है, वे जोधपुर में रखे गये हैं। जैसा हमारा एक्साइज का जोधपुर के अन्दर डिवीजनल लेवल का कार्यालय है....

श्री आईदानसिंह: एम्पलॉयमेंट एक्सचेंज भी नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर:– करीब 15 की लिस्ट है, उनमें से दो का डिस्प्यूट चल रहा है और वह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री उपाध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री आईदानसिंह:– मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। एक ही लाइन में। मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि आपने फर्माया कि जालोर और सिरोही क कर दिया है, लेकिन प्रशासनिक तरीके से और सुविधा के लिहाज से भी जालोर ठीक पड़ता है। जालोर में भी कुछ हैडक्वार्टर्स रखने चाहिये। उससे जालोर का भला होगा।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मनोहरसिंह मेहता ! (विराम) ! श्री मनोहरसिंह मेहता !!

मांडलगढ़ तहसील में आयुर्वेद चिकित्सा की व्यवस्था

295. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) माफ करना हुकम

क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के खठवाड़ा, मानपुरा, झझोला, सरतला और थल आदि ऐसे बड़े बड़े गांव हैं जहां किसी भी प्रकार की दवा का कोई साधन नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षा के मौसम में रास्ता बन्द हो जाने के कारण कई रोगी दवा के अभाव में यों ही मर जाते हैं?

(3) क्या सरकार ऐसे पिछड़े हुए हिस्से में आयुर्वेद दवाखाना खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या सरकार 1 अप्रेल 1970 से ही उक्त गांवों में दवाखाने प्रारम्भ कर देगी ?

उप-मंत्री, आयुर्वेद (श्री समर्थ लाल): (1) विभाग को जानकारी नहीं है। विभागीय औषधालय इन गांवों में नहीं है।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) विभाग की नीति यह रही है कि प्रायः जिला परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने पर औषधालय खोलने के औचित्य पर विचार किया जाता है। उपरोक्त किसी ग्राम के लिये जिला परिषद् का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया है कि ऐसे स्थान हैं जैसे सरतला और झझोला जहां पर कोई दवाखाना नहीं है, फिर भी नहीं सुनते। तो क्या बिना दवाई ही वहां पर मरते रहें ?

Page No 7

राज्य-मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा): यह बात आपकी गलत है। मांडलगढ़ तहसील में 12 औषधालय हैं, सात हजार की जनसंख्या पर एक औषधालय आता है और जो भी आपने गांव लिखे हैं उनमें से कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसके कि तीन मील के फासले के अन्दर दवाखाना नहीं हो। सिवाय एक गांव झझोला के और कोई भी गांव नहीं है, जहां पर कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह सही है कि आपने जो 12 की गिनती बताई, उनमें कई ऐसे स्थान हैं, जैसे चापटी और बिचोला, उधर की तरफ आधे आधे मील के फासले पर औषधालय हैं, और इधर झझोला और सरतला की तरफ आठ आठ मील में औषधालय हैं।

श्री जयकृष्णशर्मा : कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर आठ मील की दूरी पर औषधालय हो। एक केवल झझोला गांव है जहां पर कि पांच-छः मील की दूरी पर औषधालय है, उसके लिये आपने भी लिखा है और विभाग इस पर विचार कर रहा है कि झझोला के नजदीक भी कोई औषधालय होना चाहिये। बाकी अन्य सभी गांवों के तीन तीन मील की दूरी पर औषधालय हैं, कहीं पर ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी है और कहीं पर आयुर्वेद डिपार्टमेंट की डिस्पेन्सरी है तो आप जो कहते हैं वह असत्य है। केवल झझोला गांव ऐसा है जिससे कि औषधालय दूरी पर है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने फर्माया यह असत्य है। क्या यह सही नहीं है कि चापटी और बिचोला की तरफ आधे आधे मील के अन्दर औषधालय हैं? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि असत्य है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वहां पर ऐसी मांग हुई होगी और उस पर विचार किया जाकर ही औषधालय खोला गया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री मोहन लाल मोदी।

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। बैठे बैठे बातें न करें।

भूमि-बन्धक बैंक सीकर द्वारा ऋण

296. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूमि-बन्धक बैंक, सीकर द्वारा किसानों को ट्रेक्टर के लिये कर्ज दिया जाता है? यदि हां, तो अब तक किन किन किसानों को लोन दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि किसानों को जो कर्ज ट्रेक्टरों के लिये दिया जाता है वह सीधा किसान को न दिया जाकर किसी फर्म द्वारा दिया जाता है? यदि हां, तो किन-किन फर्मों द्वारा दिया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि शखावाटी मेशीनरी स्टोर, जयपुर द्वारा भी कई किसानों को कर्ज दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस किसान को? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 8

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (1) जी हां। बैंक द्वारा ट्रेक्टर हेतु दिये गये ऋण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) किसान को कर्जा नकद में न दिया जाकर उस फर्म को चुकारा किया जाता है जिससे ट्रेक्टर खरीदा जा रहा हो। फर्मों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। शेखावाटी मेशीनरी स्टोर, जयपुर द्वारा किसानों को कर्जा नहीं दिया गया है बल्कि इस नाम की सीकर स्थित फर्म द्वारा किसानों को मशीनरी उपलब्ध कराई गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल मोदी : यह आपने जो सूची में 43 नम्बर पर नाम दिया है उसके बारे में क्या यह सही है कि रतन राम के लड़कों ने कोई शिकायत की थी कि उनके बाप को मरे 12 साल हो चुके हैं और उनके नाम जो 20 हजार का ट्रेक्टर लोन दिखाया गया है, वह गलत है ?

श्री रामदेव सिंह : यह सही है कि रतन राम के लड़कों ने 20-12-69 को बैंक को लिखकर भेजा था कि उनके पिता का देहान्त हो चुका है।

श्री मोहनलाल मोदी : फिर उसकी आपने जांच करवाई ?

श्री रामदेव सिंह : उसकी जांच भी कर ली और केस भी पुलिस में दे दिया गया है। 7-2-70 को एफ० आई० आर० दिया गया है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपके विभाग ने क्या कार्यवाही की ? आपके विभाग ने क्या माना कि गलत दिया गया है या क्या?

श्री रामदेवसिंह : वह गलत था या नहीं इसकी दो जगह जांच हो रही है। एक तो लैंड मार्टगेज बैंक में और दूसरी पुलिस में।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, रतन राम दस-बारह साल पहले मर चुका है। उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं, और उनके लड़कों के नाम हस्तांतरण 1960 में हो चुका है, तो आखिर यह लोन कैसे दिया गया ? क्या आप के विभाग में इस बात की जांच नहीं होती कि किसको लोन दिया जाता है ?

श्री रामदेवसिंह : यह तो जब कोई बात सामने आती है, तब ही जांच की जाती है।

श्री मोहनलाल मोदी : लोन किस काम के लिये दिया जाता है, उसकी जांच नहीं होती ? वास्तव में उसी काम में लिया या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : यह तो जांच करके ही लोन दिया जाता है, लेकिन लोन इन्सपेक्टर या और कोई गड़बड़ करता है तो वह तो जब कोई चीज सामने आयेगी, तब जांच के दौरान ही मालूम पड़ेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : लोन दे देंगे तब तो जानकारी करेंगे कि ट्रेक्टर भी खरीदा या नहीं ? इसकी आपका विभाग कोई जानकारी करता है या नहीं ?

Page No 9

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जिस पर्पज के लिये लोन दिया जाता है, वास्तव में उसी पर्पज में लगाया या नहीं, उसका मिस्यूज तो नहीं किया, इसकी जांच होती है या नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : इसीलिये तो किसी फर्म को ही दिया जाता है और किसान को डाइरेक्ट नहीं दिया जाता है। जिस फर्म का एस्टीमेट होता है उसको डाइरेक्ट दिया जाता है ताकि उसका मिस्यूज नहीं हो।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप पहले जांच नहीं करवाते कि वास्तव में किस आदमी को लोन दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यकता होने पर जांच करते हैं, मंत्री महोदय ने कह दिया।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह सही है कि इस शेखावाटी मशीनरी स्टोर का सम्हालने वाला झालावास का सरपंच है ?

श्री रामदेवसिंह : जी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, वहां 48 कृषकों को लोन दिया गया है और उनमें से 43 कृषकों को शेखावाटी मशीनरी स्टोर से ही ट्रेक्टर दिलाया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री रामदेवसिंह : यह तो काश्तकारों ने उस फर्म से लेना चाहा, इसलिये उसी फर्म द्वारा दिया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : काश्तकार तो मौजूद है नहीं, काश्तकार की दरख्वास्त नहीं, और ट्रेक्टर उसके नाम कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

कृषकों को ऋण

297. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय किया है कि वह किन्हीं व्यापारिक बैंकों को किसान को सीधा ऋण देने पर राजकीय गारन्टी देगी ? यदि हां, तो किस किस व्यापारिक बैंक के लिये यह गारन्टी दी गई है ? और उस गारन्टी की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या इसी आधार पर राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने वाले व्यक्तियों के ऋण की गारन्टी, सहकारी संस्थाओं को देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां:—

1. बैंक ऑफ बड़ौदा।
2. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया।
3. पंजाब नेशनल बैंक।
4. दी राजस्थान बैंक लिमिटेड।
5. युनाइटेड कामर्शियल बैंक।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर।
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया।

इस सम्बन्ध में प्रसारित आदेश क्रमांक एफ० 5 (1) कृषि/प्रकोष्ठ 7/70, दिनांक 26-2-70 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 10

(श्री हरिसिंह)

(2) सहकारी संस्थाओं से ऋण लेने वाले व्यक्तियों की व्यक्तिगत गारन्टी देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यद्यपि अपेक्स वित्तीय सहकारी संस्थाओं को रिजर्व बैंक से वित्तीय व्यवस्था के लिये गारन्टी राज्य सरकार देती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है, कृषकों को ऋण दो प्रकार के माध्यम से दिये जाते हैं एक तो व्यापारिक बैंक और दूसरे सहकारी बैंक। व्यापारिक बैंकों से जो किसान अल्टीमेट ऋण लेते हैं, उसकी सीधी गारन्टी आप देते हैं और सहकारी बैंकों से जो किसान ऋण लेते हैं, उस ऋण की गारन्टी आप अपेक्स बैंक को देते हैं। जब किसानों को ऋण देने की गारन्टी सरकार देती है तो एक ही गारन्टी का सिस्टम क्यों नहीं रखते हैं, जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक्स जिन पर्पजेज के लिये किसानों को लोन देते हैं और उनकी गारन्टी सरकार देती है, उसी तरह से किसानों को जो सहकारी बैंकों से ऋण दिये जाते हैं उनके लिये भी सरकार उसी तरह डायरेक्ट गारन्टी क्यों नहीं देती जिस तरह कि व्यापारिक बैंकों को देती है? इसमें सरकार को क्या कठिनाई है?

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद मैं समझता हूं भूमि-बन्धक बैंकों से कर्जा लिया जाता है, उसकी तरफ इशारा किया है......

श्री नत्थीसिंह : दोनों तरफ। भूमि विकास बैंकों से, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से जो मध्यकालीन ऋण दिये जाते हैं, उनके लिये मैंने पूछा है।

श्री शोभाराम : जहां तक शॉर्ट टर्म लोन का प्रश्न है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक से और अपेक्स बैंक से किसान ऋण लेते हैं उसकी गारन्टी उनको सरकार देती है। यह गवर्नमेंट की तरफ से जो सर्क्यूलर जारी किया गया है, उसको आपने देखा होगा। मशीनरी, नये कूए बनाने, नहरें आदि बनाने के लिये जो लोन दिये जाते हैं वे ज्यादातर लॉंग टर्म क्रेडिट लोन्स की केटेगरी में आते हैं। उन्हीं की गारन्टी देने का प्रश्न था और पांच, सात कॉमर्शियल बैंक्स थे, उनको इन पर्पजेज के लिये दिये गये लोन्स की गारन्टी का प्रश्न है, वह 80 पर्सेन्ट लॉंग टर्म की केटेगरी में आता है।

जहां छोटे किसानों का प्रश्न किया तो उसमें डिबेन्चर्स में स्टेट के शेयर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें रिपेइंग केपेसिटी का प्रश्न आ जाता है। आप यह कहना चाहते हैं कि छोटे किसान, जिनकी रिपेइंग केपेसिटी नहीं है, एक तरह से भूमि विकास बैंकों से लोन लेने से वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिनकी रिपेइंग केपेसिटी है उनको ही इन बैंकों से लोन मिलता है। इसके लिए हमने कॉमर्शियल बैंकों से बात की है। यह चीज तय होनी बाकी है। रिपेइंग केपेसिटी के बारे में हमने कहा कि 10 हजार तक के लोन जिला परिषद् की सिफारिश पर और 5 हजार तक के लोन विकास अधिकारी के स्तर तक दिये जाने के लिए नॉर्म्स बनाये गये और उन्हीं के अनुसार कितना कर्जा मिल सकता है, यह तय किया गया। इसके लिए क्या फार्मूला आपके दिमाग में है? या तो जिला प्रमुख और

(श्री शोभाराम)

विकास अधिकारी स्टेन्डिंग कमेटीज को कॉन्फिडेन्स में लेकर जिनके लिये लोन देने को रिकमण्ड करें, उनको लोन दें। पर रिपेइंग केपेसिटी का झगड़ा चल रहा है, वह पहले तय करना चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : यह तो मैं सब समझता हूं, आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री शोभाराम : रिपेइंग केपेसिटी को आप रिलेक्स कराना चाहते हैं पर रिपेइंग केपेसिटी का अभी कॉमर्शियल बैंक्स से तय नहीं हुआ है। और जब तक यह तय नहीं हो जाता है तब तक ऋणों के लिए गारन्टी का प्रश्न नहीं है। रिपेइंग केपेसिटी का फार्मूला है, उसके संबंध में बात चीत हो रही है, इसके लिए जो फार्मूला तय होगा, उसके तय होने पर उस फार्मूले को इसमें भी फॉलो करने की कोशिश करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री महोदय ने जो बात बताई है, वह सबको मालूम है। मेरा तो सीधा सा प्रश्न यह था कि व्यापारिक बैंकों को गारन्टी देने का जो फार्मूला है, वही कोआपरेटिव बैंकों के लिए क्यों नहीं लागू किया जाता है, इसमें सरकार को क्या दिक्कत है? छोटे किसान हैं और जो कर्जा लेते हैं बोरोअर बैंकों से जो उनकी गारन्टी आप बोरोअर बैंकों को देते हैं उसी तरह से अपेक्स बैंक और सेंट्रल कोआपरेटिव बैंकों से छोटे किसानों को ऋण दिलाने के लिये आप गारन्टी क्यों नहीं देते हैं? छोटे किसानों की व्यापारिक बैंकों की ऋण की गारन्टी देते हैं, वैसी ही गारन्टी सहकारी बैंकों को भी देंगे या नहीं?

श्री शोभाराम : कॉमर्शियल बैंकों ने कहा कि तीन एकड़ से 5 एकड़ तक से नीचे वाले किसान हैं, उनको वे कर्जा नहीं देंगे, उन्होंने यह फैसला कर लिया है। जब कि दूसरे बैंकों ने नहीं किया है। कॉमर्शियल बैंकों ने जब यह फैसला किया इसलिये उनको गारन्टी देते हैं।

श्री नत्थीसिंह : तो क्या आप यह चाहते हैं कि हम भी यह फैसला करें तब आप गारन्टी देंगे?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : 3 एकड़ से नीचे की भूमि वाले किसानों को बैंक वाले भी ऋण नहीं देते हैं। उसकी कीमत क्या है, और जो कुआ खोदते हैं, उससे क्या इन्कम होगी इस आधार पर देते हैं। तो इसी फार्मूले को सहकारी बैंकों के लिये क्यों नहीं मानते?

श्री शोभाराम : अल्टीमेटली रिपेइंग केपेसिटी को कृषि से और तरह से बढ़ायें, यह रिपेइंग केपेसिटी का फार्मूला सहकारी बैंकों के अन्तर्गत लागू है। वहां यह लिबरल होगा तो इसको यहां भी एप्लाई करेंगे। रिजर्व बैंक कहीं बीच में आता है तो जो मार्जिनल रह जाता है, जिनको रिजर्व बैंक मंजूर नहीं करता है तो उस पर हम विचार करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिन जिन बैंकों को गारन्टी देने का आश्वासन दिया है, उसके सम्बन्ध में कितना अमाउन्ट सरकार ने तय किया है कि इतने अमाउन्ट तक की हम गारन्टी देंगे? एक प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा प्रश्न यह है कि अभी जो आप गारन्टी दे रहे हैं वह सामूहिक रूप में

(श्री भैरोंसिंह)

गारन्टी दे रहे हैं या एक एक एप्लीकेशन फार्म पर विकास अधिकारी जिसके लिये सिफारिश करेगा, उसकी गारन्टी देंगे ? इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दीजिये।

श्री शोभाराम : 6 बैंक हैं, जिनको गारन्टी देने का सरकार ने निर्णय किया है। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको एक करोड़ रुपये तक की गारन्टी देंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया को एक करोड़ की गारन्टी, पंजाब नेशनल बैंक को 1 करोड़ रुपये तक की गारन्टी, राजस्थान बैंक को एक करोड़ रुपये तक की गारन्टी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर together with State Bank of India up to two crores यह 30 जून, 70 तक ऑपरेट होगा इसके बाद इसको एक्सटेन्ड करने की कार्यवाही पर विचार किया जायगा।

दूसरा जो आपने प्रश्न पूछा है, उसके लिये यह है कि प्रत्येक दरख्वास्त पर बी० डी० ओ० स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से गारन्टी बॉन्ड को एग्जीक्यूट करेगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या इस गारन्टी का एग्रीमेंट होने से पहिले ही राज्य सरकार ने कुछ बैंकों से कुछ जिलों के किसानों को लोन दिलाया ?

श्री शोभाराम : कौनसे बैंक का पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जिन बैंकों से गारन्टी का एग्रीमेंट किया गया है, उनसे गारन्टी का एग्रीमेंट होने से पहले ही क्या राज्य सरकार ने कुछ जिलों के किसानों को लोन एडवान्स करवाये हैं ?

श्री शोभाराम : पहले भी कॉमर्शियल बैंक्स कर्जा तो देते थे....

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछ रहा हूं कि गारन्टी का एग्रीमेंट इन बैंकों के साथ करने से पहले ही क्या राज्य सरकार ने कुछ जिलों के किसानों को इन बैंकों से लोन्स एडवान्स करवाये हैं ?

श्री शोभाराम : आप कौनसे बैंक का कह रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कोई भी बैंक से राज्य सरकार ने गारन्टी का एग्रीमेंट होने से पहले ही कुछ जिलों के किसानों को लोन्स एडवान्स कराये हैं क्या ?

श्री शोभाराम : किस तरह कर्जा दिया जायगा, कौन कौन से बैंकों से दिलाया जायगा, कौन गारन्टी करेगा, यह सब गारन्टी के तहत बातें आ जाती हैं। आप कोई पर्टीक्यूलर बैंक का पूछिये कि किस बैंक ने किसको कितना कर्जा दिया।......

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, मेरे सवाल को आप समझ तो गये हैं, पर उसका आप अगर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो वह दूसरी बात है। इन 6 बैंकों के साथ राज्य सरकार का गारन्टी का एग्रीमेंट हुआ है कि अमुक बैंक से एक करोड़ तक के लोन्स एडवान्स किये जाते हैं तो राजस्थान गवर्नमेन्ट गारन्टी देगी। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार का समझौता होने से पूर्व ही क्या राजस्थान सरकार ने बैंकों से कुछ जिलों के किसानों को लोन्स एडवान्स कराये हैं, इसका आप जवाब दीजिये।

Page No 13

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात जो माननीय सदस्य ने कही ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कुछ जिलों के लिये गारन्टी देने के आश्वासन पर उन्होंने लोन दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कौनसे डिस्ट्रिक्ट में ?

श्री मथुरादास माथुर : पाली और उदयपुर... ... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर तो होगा ही।

श्री मथुरादास माथुर : डूंगरपुर, बांसवाड़ा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह फाइनेन्स का मामला है। गवर्नमेंट का इस प्रकार का कोई डिसिजन नहीं था, केबिनेट में कोई डिसिजन नहीं हुआ। जिस समय आपने पंजाब नेशनल बैंक से उदयपुर और बांसवाड़ा को लोन दिलाया उस समय केबिनेट मीटिंग में अप्रूवल नहीं हुआ। उस अप्रूवल के पहले किसके हुकुम से यह लोन एडवान्स कराया ?

श्री मथुरादास माथुर : इन डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे पहले ऑफर की थी कि हम गारन्टी देने को तैयार हैं और इन चार-पांच जिलों में वह तैयार था। इसके ऊपर यह मामला मेरे पास आया और सी० एम० के पास गया, तब हुआ है। रिजर्व बैंक आपत्ति कर रहा था कि गारन्टी नहीं देनी चाहिए, उस समय यह विचाराधीन था। हमने कहा रिजर्व बैंक आपत्ति न करे हमारे यहां छोटे काश्तकार हैं, इसका फैसला किया और फिर केबिनेट में फैसला करके सब बैंकों के लिये कर दिया। एग्रीमेन्ट इन्हीं टर्म्स पर एक्जीक्यूट हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट का डिसिजन फार्मल डिसिजन होने से पहले सरकार के किन्हीं मंत्रियों ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन एडवान्स कराया है ?

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट ने कराये हैं और उसमें उस वक्त केबिनेट में जाने की जरूरत नहीं थी। With the approval of Chief Minister and Finance Minister हुआ है—फिर उसको ओवर आल मंजूर कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट, क्या यह सही है कि 10 लाख के ऊपर गारन्टी कोई मंत्री व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह 10 लाख से कम गारन्टी वाले केस हैं।

श्री भैरोंसिंह : 10 लाख से अधिक की गारन्टी देने का उसमें इन्वॉल्व है। मिनिस्टर व्यक्तिगत हैसियत से नहीं दे सकता है। केबिनेट की आवश्यकता है।

श्री मथुरादास माथुर : 10 लाख से ऊपर भी आते हैं तो एफ० एम० और सी० एम० अप्रूवल देते हैं और फिर बाद में केबिनेट से अप्रूवल ले लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि केबिनेट का जो वर्किंग प्रोसीजर लेड डाउन किया है उसमें इस प्रकार के रिलेक्सेशन या एग्जम्प्शन की कोई गुंजाइश नहीं है ?

Page No 14

श्री मथुरादास माथुर : पूरी गुंजाइश है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार किसी को गारन्टी दे तो उसके लिये रिजर्व बैंक की परमिशन लेना आवश्यक है । क्या एडवान्स देने से पहले राज्य सरकार ने गारन्टी दी, इसके संबंध में रिजर्व बैंक से परमिशन ली ? और ली, तो कब ली ?

श्री मथुरादास माथुर : रिजर्व बैंक से परमिशन लेने को कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

पुलिस थाने में जमा कराये गये पन्ने के नग

298. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जुलाई सन् 1967 में पुलिस चौकी कस्बा थाना पुलिस देवगढ़ मदारिया, जिला उदयपुर द्वारा दो ग्रामीणों से 160 नग पन्ना अपनी तहवील में लिया जाकर उसका मौतबिरान के समक्ष पंचायत नामा बनाया गया ?

(ख) यदि हां, तो यह नग पुलिस किस मालखाने में कब जमा कराये गये और यदि इसमें विलम्ब हुआ तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि पुलिस के रेकार्ड में केवल 90 नग ही बताये गये यदि हां, तो शेष नगों का क्या हुआ ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना नहीं आई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया । अगला प्रश्न !

बाड़मेर जिले के गांवों में पानी की समस्या

299. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के रतेऊ शहर, रवींदसर, कोलू, कानोड़, पनाऊड़ा एवं आकऊड़ा गांवों में जल-कष्ट की भयंकर समस्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में राज्य सरकार ने गत साल ट्रकों द्वारा टंकियों से पानी पहुंचाया और इस साल भी पानी पहुंचा रही है ?

(3) उपरोक्त गांवों की जन-संख्या कितनी है और उन गांवों में कितना पानी प्रति सप्ताह पहुंचाया जा रहा था और अब कितना पहुंचाया जा रहा है और इस पर कितना व्यय आता था और अब कितना आता है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में पानी खारा, अपर्याप्त और पीने लायक नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त गांवों की पानी की समस्या को हल करने के लिए अड़ू बैंऊ से पाइप लाइन डालने की योजना बनाई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक कार्यान्वित किया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जन-स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(श्रीमती सुमित्रा)

(4) जी हां।

(5) योजना बनाई जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर अकाल राहत कार्य में मिल जाता है तब तो व्यवस्था की जायगी और नहीं मिलता है तो क्या व्यवस्था होगी ?

श्रीमती सुमित्रा : जब पैसा मिलेगा तब सारी व्यवस्था होगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पैसा कब मिलेगा और कब व्यवस्था होगी ?

श्री नरथीसिंह : यह तो फाइनेन्स मिनिस्टर जानें।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : वहां पानी उपलब्ध नहीं है और ट्यूब वैल के ऑपरेशन करके देख लिये हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : ट्यूब वैल्स तो सक्सेसफुल हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मजलिस खां।

सतवाड़ी नाली रोड पर पुल का निर्माण

300. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कामां पहाड़ी रोड पर ग्राम सतवाड़ी के निकट पूर्व में सतवाड़ी नाली रोड को क्रास करती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त नाले पर पुल के निर्माण के लिए सदन में 1962 से लगातार प्रश्न उठाया जाता रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माण मंत्री ने 68-69 में सदन के बीच यह वक्तव्य दिया था कि उक्त नाले पर पुल का निर्माण कार्य चालू करा दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आज तक कोई भी निर्माण कार्य चालू नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार यह पुल बनवाना उचित नहीं समझती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां, पिछले कुछ सालों से इस पुल निर्माण के लिये सदन में प्रश्न उठाया जाता रहा है।

(2) कॉजवे निर्माण का ठेका जून, 1968 में दिया जा चुका था मगर यहां की जनता द्वारा पुल बनाने की मांग की गई जिससे कॉजवे के कार्य को रोक दिया गया था।

(3) जी हां। इस नाले पर पुल बनाना उचित है। वित्तीय वर्ष 1970-71 में पुल निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री श्रवण लाल।

बाजना कलां कृषि सहकारी समिति लि०

301. **श्री श्रवण लाल** (हिन्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि बाजना कलां कृषि सहकारी समिति लि० के नाम से रजिस्टर हुई है ?

(2) यदि हां, तो कब बनी और कब रजिस्ट्रेशन हुआ है ? इसमें कितने सदस्य हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रवणलाल)

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सोसाइटी के लिए कोई जमीन अलॉट हुई है? यदि हां, तो कितनी ?

(4) उपरोक्त सोसाइटी का क्या विधान था? उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त जमीन पर सामूहिक खेती न करके उसे बांट बांट कर खेती की जाती रही है?

(6) क्या यह भी सच है कि इस जमीन को सोसाइटी का अध्यक्ष अपने नाम खातेदारी करा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब नहीं आया है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

अगला प्रश्न!

पशु मेलों पर व्यय।

302. **श्री राम सिंह कुड़ी** (जायल): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पशु मेला नागौर, परबतसर व मेड़ता में वर्ष 1967-68 में किस-किस मद में कितना-कितना व्यय हुआ एवं वर्ष 1966-67 में यह व्यय कितना था?

(2) क्या राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा भराये जाने वाले पशु मेला में जिस देवता के नाम से उक्त पशु मेला भरता है, उस देवता का पुजापा नीलाम किया जाता है? यदि हां, तो किस-किस पशु मेले में व उससे पिछले पांच वित्तीय वर्षों में यानि वर्ष 63-64, 64-65, 65-66, 66-67 एवं 67-68 में हुई आमदनी का ब्यौरा वर्षवार अलग-अलग मेलों का अलग-अलग बताने की कृपा करें।

उप-मंत्री, पशु पालन (श्री हरिसिंह): (1) पशु मेला नागौर, मेड़ता व परबतसर में 1966-67 तथा 1967-68 की मदवार व्यय की तालिका संलग्न है।

(2) केवल मात्र पशु मेला परबतसर में ही देवता के पुजापे का ठेका होता है जिसकी गत पांच वर्षों की आय की तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : यह आपने जो तालिका दी है उसमें जो व्यय किया गया बतलाया है विभिन्न मदों में उसमें दोनों वर्षों में जो भिन्नता है जैसे 66-67 में 3,400 रु० का व्यय जब कि 67-68 में 522। इसी तरह नागौर जिले में 66-67 में 3,723 और और 67-68 में 191। मेड़ता में जो खर्च है वह 66-67 में 897.70 और 67-68 में 180। यह जो विभिन्न प्रकार के मदों में हजारों रुपये का फर्क है इसके बारे में सरकार क्या जांच कराने को तैयार हैं?

श्री हरिसिंह : जांच किस बात की?

श्री रामसिंह कुड़ी : खर्च में अनियमितता की गई है। दूसरे वर्ष में 1,300 इसी तरह की जो हालत है परबतसर में 66-67 में 1,300, 67-68 में 3,000। नागौर में 66-67 में 2,200 और दूसरे साल में 1,400। इस तरह का जो फर्क है

(श्री रामसिंह कुड़ी)

और जिला परिषद्, नागौर ने प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को प्रेषित किया था कि मेले में जो व्यय होता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। इसकी जांच कराई जाय। वह दो साल से पैंडिंग प्रस्ताव है फिर भी जांच नहीं हुई है। क्या राज्य सरकार उचित समझती है कि जो वेरियेशन होते हैं उनके बारे में जांच करायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष: भाषण नहीं माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर दूं। नई साइट में हुआ था इसलिए ज्यादा खर्चा हुआ होगा। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें अनियमितता हुई हो। नई साइट जो बनती है उसको समतल करना पड़ता है। लेवलिंग वगैरह में खर्चा हुआ होगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं माननीय मंत्री महोदय को जानकारी दूं नई साइट तो 66-67 में हुई थी और 67-68 में पुरानी साइट पर ही मेला भराया गया था और नई साइट पर कभी आज तक मेला नहीं भराया गया। इसलिए आप यह बात अपने मंत्री महोदय से भी कह दें। वे इनाम बांटने गये थे। साइट का मामला नहीं है। गबन का मामला है।

श्री हरि सिंह : आप कह रहे हैं और कोई बात होगी तो जांच करा ली जायगी। वहां पर खर्चा किस प्रकार से हुआ इसकी जांच करा ली जायगी।

श्री रामसिंह कुड़ी : होगी क्या बात ? आंकड़ों को देखते हुए महसूस नहीं करते हैं कि जांच करायें ?

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जांच करा ली जायगी कि इसके अन्दर विशेष खर्चा क्यों हुआ ? साइट की बात आप जैसा कि कह रहे हैं कि नहीं बदली गई है तो उसकी जांच करा ली जायगी जहां तक मेरा खयाल है साइट बदली गई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह कुड़ी : इस परबतसर मेले की जो आमदनी है उसको तेजाजी के मन्दिर के लिए क्यों नहीं दिया जाता है ? क्या इस आमदनी को सरकार तेजाजी के मन्दिर बनाने में लगायेगी ?

श्री हरिसिंह : यह आमदनी भी उसी तरह की है जो दूसरे पशु मेलों में होती है। वहां पर पुजापे की आमदनी पर्याप्त नहीं होती है और वह मंदिर की व्यवस्था में खर्च कर दी जाती है। परबतसर का मेला लार्ज स्केल पर होता है और काफी बड़ा मेला होता है इसलिए इतनी बड़ी राशि को मंदिर पर खर्च करना उपयुक्त नहीं होगा इसलिए वह किया जाता है

श्री रामसिंह कुड़ी : मंदिर के अलावा आप सराय वगैरह बनवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! यह आपका प्रश्न किया हुआ नहीं है।

श्री रामसिंह कुड़ी : है साहब। दूसरी चीज यह है कि पारितोषिक बांटने का जो आपका तरीका है वह यह है कि पुराने मेले में तो 700 रु० और दूसरे मेले में 5,000 रु० तो इस अन्तर को आप मिटायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : यह पुजापे का पैसा जो तेजाजी के मन्दिर में

Page No 18

(श्री मथुरादास माथुर)

आता है उसका उपयोग मंदिर के जीर्णोद्धार व दीगर काम में आये इसका कुछ अंश अभी भी किया जाता है। इसलिए यह मामला राज्य सरकार के अभी विचाराधीन है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार यह विचार कर रही है कि पुजापे के पैसे को स्वयं खा जायं ?

उप-मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या आपने पशुओं के पीने के पानी के लिये एक भी पैसा लगाया है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न पूछ लिया गया।

उप-मंत्री, वन विभाग का दौरा

303. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : } क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 12-9-1969 को वन संबंधी दिल्ली में कोई कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें राज्य के उप-मंत्री ने भाग लिया था ?

(2) क्या यह सत्य है कि 13-9-1969 को देहरादून में कोई वन संबंधी कॉन्फ्रेन्स थी ? यदि नहीं, तो वन उप-मंत्री उस दिन देहरादून क्यों गये थे ?

(3) क्या यह सत्य है कि दिनांक 15-9-1969 को वन उप-मंत्री ऋषिकेश में थे ? यदि हां, तो वे वहां किस कारण से गये थे ?

(4) क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-9-1969 से 18-9-1969 तक वन उप-मंत्री का निवास हरिद्वार में ही रहा ? यदि हां, तो तीन दिन तक वह ठहरने का क्या कारण था ?

(5) क्या यह सत्य है कि दिनांक 19-9-1969 को दिल्ली होते हुये वापिस दिनांक 21-9-1969 को जयपुर लौटे थे ? यदि हां, तो क्या दिल्ली में कोई वन संबंधी कार्य था ?

(6) क्या यह सही है कि उप-वन मंत्री की यह यात्रा "राजकीय यात्रा" थी ? यदि हां, तो राजकीय क्या कार्य था जिससे इतने स्थानों पर उन्हें जाना पड़ा ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वन उप-मंत्री देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट को देखने व वन सम्बन्धी अन्य आवश्यक विकास कार्यों की जानकारी हेतु गये थे।

(3) जी हां। देहरादून से लौटते समय एक दिन के लिए ऋषिकेश में ठहरे थे।

(4) जी नहीं। देहरादून से लौटते समय एक दिन के लिए हरिद्वार में ठहरे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): हरिद्वार खुद गये थे या कोई ले गया था ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंत्री महोदय जानबूझकर लोगों की हंसी उड़वा रहे हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (4) जी नहीं । देहरादून से लौटते समय एक दिन के लिए हरिद्वार में ठहरे तथा 17-9-69 को ही जयपुर के लिए रवाना हो गये ।

(5) जी नहीं । दिनांक 17-9-1969 को ही दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना हो गये थे ।

(6) कार्य प्रश्न 2 के उत्तर के अनुसार था ।

श्री जुझारसिंह : आपने यह कहा कि 13 तारीख को फॉरेस्ट इन्स्टीटयूट, देहरादून को देखने गये और 17 को जयपुर आ गये तो 14, 15, 16 को क्या ऑफिशियल काम किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि....

श्री जुझारसिंह : देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में क्या ऑफिशियल पर्पज था ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : क्या यह सही है कि ये किसी राजकीय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या ये....

श्री उपाध्यक्ष : जो पहल पूरक प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर आने दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने आपसे निवेदन किया कि देहरादून से लौटते समय हरिद्वार, ऋषिकेश और सहारनपुर के आसपास के इलाके में घने वन हैं तो वहां पर हो रहे फॉरेस्ट के कार्य को देखने गये थे ।

श्री जुझारसिंह : 14, 15, 16 का डेफिनिट ऑफिशियल पर्पज बताइये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया है कि ऑफिशियल पर्पज वहां पर जो प्लान्टेशन वगैरह....

श्री जुझारसिंह : ऋषिकेश और हरिद्वार में ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऋषिकेश और हरिद्वार में प्लान्टेशन नये लगाये गये थे उनको देखने गये थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राज्य के बाहर....

श्री उपाध्यक्ष : पहला प्रश्न पूछा गया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य के बाहर जंगल में विचरना राजकीय यात्रा है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जंगल में विचरने नहीं गये थे बल्कि अध्ययन करने गये थे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उप-मंत्री महोदय ने इन तीन स्थानों का दौरा किया और जंगल देखे तो मैं समझता हूं कि उप-मंत्री महोदय ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दी होगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह सूचना मेरे पास नहीं है । अमूमन आम तौर पर यह होता है कि मंत्री या उप-मंत्री किसी खास मकसद

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

से यात्रा करके आते हैं तो अपने मंत्री और डिपार्टमेंट के अफसरान से जबानी डिसकशन करते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है और हमारे यहां किस तरह से किया जाना चाहिए। उसके ऊपर क्या कार्य हुआ उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : क्या उप-मंत्री महोदय रिसर्च इन्स्टीट्यूट को स्पेलिंग भी जानते हैं कि उसको देखने गये ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जरूर जानते होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बैठे हुए हैं पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री पढ़े-लिखे हों यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री महोदय ऋषिकेश और हरिद्वार केवल इसलिए गये थे कि दल बदलने के अपने पापों का विमोचन कर आयें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : किस राजकीय यात्रा पर गये थे....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्पेलिंग आये या न आये लेकिन इसके कारण जनता में भ्रम न हो और सही मायने में फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट को देखने गये थे तो माननीय उप-मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं वे जरा खड़े होकर बतायें कि—नहीं हैं क्या ?.....

श्री उपाध्यक्ष : वे नहीं हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): वे हरिद्वार गये थे तो क्या किसी की अस्थियां वहां विसर्जन करने के लिए गये थे ?

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : हरिद्वार में स्थान स्थान पर पंडे भरे पड़े हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पूरक प्रश्न हो तो पूछ लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या पूरक प्रश्न पूछें, उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में यह हंसी की बात है कि राजस्थान का एक उप-मंत्री देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पर चला जाय और जहां चाहे चला जाय राज्य सरकार का कोई मंत्री और कोई बात जस्टिफिकेशन करने की नहीं हो।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपके अपने विचार हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। जो कुछ फेक्ट था मैंने अर्ज कर दिया।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि बेकार के मंत्री बेकार दौरे किया करते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि उप-मंत्री महोदय किसी राजकीय कार्यक्रम की वजह से न जाकर उनके पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए गये थे ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बात गलत है ।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह दुख की बात है कि एक उप-मंत्री पहले तो....

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : क्या आप यह बता सकते हैं कि इनके पिताजी का इन्तकाल कब हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि माननीय सदस्य भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन करने गये थे। यह गलत बात है। वे देहरादून गये और वहां से सीधे हरिद्वार और ऋषि-केश होकर आये थे ।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : आप यह बतादें कि उनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी ?

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या यह सही है कि हरिद्वार के पण्डों की बहियों में उनका नाम दर्ज है ?

श्री विजयसिंह : यह बड़े दुख की बात है कि एक सदस्य पहले तो दल बदले और उसके बाद उप-मंत्री बनें और उप-मंत्री बनने के बाद नाजायज दौरा करें तो नाजायज दौरा करने का सवाल राजस्थान का ही नहीं है यह हिन्दुस्तान का सवाल है और हमारे पैसों का सवाल है। हमारे पैसों से उप-मंत्री महोदय, हरिद्वार, ऋषिकेश की सैर करते फिरें........

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

(शोरगुल: व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह ज्यादा वाद-विवाद का विषय नहीं बने इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि आप राज्य सरकार को हिदायत दें कि हरिद्वार के पण्डों की बहियों की जांच करा लें कि वे अपने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करने गये थे या वनों को देखने के लिये ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न श्री देवीदत्त गाड़िया ।

श्री परसराम गंगाराम : पंडों की बहियों में इनका नाम लिखा गया है, क्या यह सही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। दूसरा प्रश्न ले लिया गया है, माननीय सदस्य ।

भाषा विभाग के अधिकारी के विरुद्ध जांच

304. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भाषा विभाग के तत्कालीन अधिकारी, श्री मनोहर प्रभाकर या मनोहरलाल गुप्ता के विरुद्ध घोटाले से संबंधित शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में हुई थीं ?

(2) यदि हां, तो क्या-क्या शिकायतें थीं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी ने सिर्फ मैट्रिक की परीक्षा पास करने के चार वर्ष में ही पूना से एम० ए० की डिग्री रहस्यपूर्ण ढंग से प्राप्त करली जिसकी जानकारी भी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी हां।

(2) शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच जारी है।

(3) इस विषय पर जांच पूर्ण नहीं हुई है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि श्री मनोहरलाल ने हिन्दी विषय में एम० ए० आगरा विश्वविद्यालय से सन् 1954 में पास की है। पूना से एम० ए० परीक्षा पास करना नहीं पाया जाता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह जो आपको 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें एक तो यह है कि आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने एम० ए० की उपाधि प्राप्त की है तो क्या यह सही है कि इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से रेग्युलर छात्र के रूप में यह उपाधि प्राप्त की है जबकि यह जिला जन-सम्पर्क अधिकारी उस समय थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं। जिस समय इन्होंने एम० ए० की परीक्षा दी उस समय ये राज्य सरकार की सर्विस में नहीं थे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इन्होंने मैट्रिक कब पास की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इन्होंने सन् 50 में मैट्रिक पास की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब 50 में इन्होंने मैट्रिक पास की और 54 के अन्दर एम० ए० पास कर लिया तो किस आधार पर कर लिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया है कि जांच जारी है लेकिन जो कुछ फैक्ट्स हैं वे इस प्रकार हैं कि इन्होंने मैट्रिक करने के पश्चात् विशारद पास की और उसके बाद साहित्यरत्न पास किया और उसके बाद नियमानुसार इन्टरमीजियेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं तो इन्टरमीजियेट की परीक्षा पास की और क्योंकि ये साहित्यरत्न थे तो बी० ए० में केवल इंगलिश में एपियर होकर बैठ सकते थे, 52 में इन्होंने बी० ए० पास किया और 54 में एम० ए० पास किया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो इन के विरुद्ध 15 आरोप हैं तो इन आरोपों की शिकायत आपके पास कब आई थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सन् 65 में आई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, क्या कारण है?

श्री हीरालाल देवपुरा : 65 में यह शिकायत आई। जो इन्क्वायरी इनसे की जा

Page No 23

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सकती थी वह की गयी लेकिन कुछ कागजात संबंधित विभाग से प्राप्त करने थे उसके लिए लिखा है और वह कागजात डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में, कमिश्नर, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के पास हैं वह उपलब्ध नहीं हो पाये हैं इसलिये वह जांच अधूरी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार ने जो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी कराई उसमें आरोप सिद्ध हुआ है, राज्य सरकार को 7,200 रुपये का नुकसान पहुंचा या फर्जी बिल बनाकर, इस संबंध में सरकार ने जो इनकी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की, उसमें आरोप सिद्ध हुआ है तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया कि जांच शुरू नहीं हुई है और जांच होने के बाद ही कहा जा सकता है। मैं आज इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की उसके अंदर साबित हुआ है तो फिर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अन्तर्गत इन्क्वायरी चल रही है और वह पेंडिंग है। विभागीय कार्यवाही क्या हो रही है वह तो संबंधित विभाग ही बता सकता है। मेरे यहां पर जो कार्यवाही हुई है उसके बारे में निवेदन किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं यही पूछना चाहता हूं कि जो विभागीय जांच थी उसके अंदर इनके खिलाफ आरोप सिद्ध हुआ है और जब प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी के अंदर आरोप सिद्ध हुआ तो अभी तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो विभागीय जांच चल रही है उससे हमारा संबंध नहीं है उसका संबंध संबंधित विभाग से ही है और क्या कार्यवाही हो रही है उसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जांच होकर केस कब तक आ जायेगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिमाइन्डर दिया है। कागजात उपलब्ध होने पर और पी० डब्ल्यू० डी० से असेसमेंट करवाया है उसके बाद ही जांच की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कोई केस रजिस्टर हुआ है या यों ही इन्क्वायरी की जा रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अभी केस रजिस्टर नहीं हुआ है। इन्क्वायरी चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि विभाग की तरफ से जो रिपोर्ट गयी उसके पढ़ने से कॉग्नीजेबल आफेन्स बनता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पहले प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी सम्पन्न होती है और उसमें कोई केस साबित होता है तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में केस रजिस्टर होता है।

श्री भैरोंसिंह : जो आपके पास विभाग की तरफ से रिपोर्ट आई है क्या उसके पढ़ने से कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है ?

Page No 24

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य को भ्रम है कि विभाग की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है। यह दूसरे लोगों की एक गुमनाम एप्लीकेशन है और दूसरे व्यक्ति विशेष हैं जिन्होंने शिकायत की है। विभाग की तरफ से कोई शिकायत नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या उस रिपोर्ट के आधार पर काग्नीजेबल केस बनता है? यदि हां, तो आपने उसको रजिस्टर क्यों नहीं कराया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल रिपोर्ट के आधार पर ही केस रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इसमें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करनी होती है और उसमें प्राईमा फेसी केस साबित होता है तो केस रजिस्टर करके पूरा इनवेस्टीगेशन किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो कहा है क्या गृह मंत्रीजी भी उसकी ताईद करते हैं कि किसी रिपोर्ट पर कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है तो वह केस रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिये ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट में कॉग्नीजेबल ऑफेन्स बनता है तो केस रजिस्टर होता है। मगर ऐन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने यह प्रोसीजर रखा है कि प्रिलिमिनरी केस बनता है और उसमें प्राईमा फेसी साबित हो जाता है तो केस रजिस्टर होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार की तरफ से केस रजिस्टर कराने के संबंध में इस प्रकार की कोई हिदायत नहीं दी गयी? क्या यह भी सही है कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने इस प्रकार के रूल्स नहीं बनाये हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट कायम हुआ उसी समय यह प्रौसीजर था कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की जायेगी और रजिस्टर ऑफ केस के लिए हिदायतें उसी में मौजूद हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 5 साल से पड़ा है और क्या कारण है कि जांच नहीं कर सके ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने जवाब दिया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जांच कर के कब तक दे देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जल्दी से जल्दी कार्यवाही होगी। दूसरे विभाग से कागजात आयेंगे, तभी तो होगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 5 साल से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास है और इन्क्वायरी के लिए पड़ा है और 5 साल तक आपने कार्यवाही नहीं की और अब आप कहते हैं कि जल्दी से जल्दी होगा। आप बतायें कि क्या तीन महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देंगे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति के खिलाफ 15 गम्भीर आरोप हों 7,200 रुपये के दुरुपयोग का मामला हो, सन् 50 में मैट्रिक किया और उसके चार साल के बाद जिसने एम० ए० किया हो तो इससे ज्यादा गम्भीर आरोप क्या हो सकते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। वह तथ्य सदन के सामने आ चुके हैं। मंत्री

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय यह कह रहे हैं कि इसकी जांच तुरन्त समाप्त करवा दी जायेगी।

श्री दवीदत्त गाड़िया : 5 साल से उनके पास है क्या कारण है जो अभी तक रिपोर्ट नहीं आई? आपने रिमाइन्डर क्य नहीं भेजा?

श्री हीरालाल देवपुरा : 3 महीने के अंदर इसकी जांच पूरी करा ली जायेगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि आप खुद महसूस करते हैं कि एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट में यह मामला बहुत डिले हुआ है? और वह विभाग बहुत डिले करता है?

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट जान बूझ कर कभी डिले नहीं करता है। कारण विशेष से ही केस में डिले हो सकती है और वह केस के वाकयात पर ही निर्भर करता है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप जनरल प्रश्न पूछ रहे हैं। इससे संबंधित नहीं है।

श्री मदनसिंह : आपके खुद के दिये हुए केसेज हैं फिर क्यों नहीं होते हैं? उनके पास साधन नहीं है या आदमी नहीं हैं या ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से वह नहीं करते?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया है। स्थगित प्रश्न ....

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

तहसील लाडपुरा एवं दीगोद के कमाण्ड क्षेत्र के गांव

49. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा एवं दीगोद के कई एक गांव लिफ्ट इरिगेशन के तहत कमाण्ड क्षेत्र में घोषित कर रखे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों को कमाण्ड में घोषित करने से इनके साथ कोलोनाइजेशन एक्ट लागू कर रखा है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन ग्रामों में अकाल होते हुए भी सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (1) जी हां, कोटा में तहसील लाडपुरा में 5 एवं तहसील दीगोद में 17, कुल 22 ग्राम लिफ्ट सिंचाई योजना के अन्तर्गत कमाण्ड में घोषित किये गये हैं।

(2) जी हां।

(3) इसका संबंध उपनिवेशन विभाग से नहीं है।

Page No 26

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

स्थगित प्रश्न

(14-3-70)

छात्रावास की भूमि के क्रय का मामला

133. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के छात्रावास की भूमि के क्रय के मामले को लेकर कॉलेज के आचार्य का अदालत में चालान किया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि अदालत ने श्री आचार्य को बरी कर दिया और इस मामले की अपील नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि न्यायालय के निर्णय में श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं श्री जगन्नाथ सिंह मेहता क्रमशः तत्कालीन शिक्षा सचिव एवं संचालक द्वारा उठाये गये मामले को सही नहीं माना है ? यदि हां, तो इन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) न्यायालय ने अपने निर्णय में श्री सुजानसिंह के खिलाफ आरोपों को सिद्ध नहीं माना है। स्वर्गीय श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा श्री जगन्नाथ सिंह मेहता ने यह मामला नहीं उठाया था। न उनके विरुद्ध ऐसी कोई अभिव्यक्ति ही है अतः उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय; मंत्री महोदय इसको दबाना चाहते हैं और शर्मा साहब क्योंकि गुजर चुके हैं इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन वह जिन्दा होते तो मैं आपको सारी बात बताता। इसलिये मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : मेरा स्थगित प्रश्न 134 रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रीजी।

स्थगित प्रश्न

(14-3-70)

कृषि स्नातक

134. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि महाविद्यालय, उदयपुर से कितने व्यक्ति स्नातक बनकर अब तक निकले हैं ?

(2) क्या उत्तीर्ण सभी स्नातकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है ? अथवा अन्य किन्हीं कार्यों में लगाया जा चुका है ?

(3) भविष्य में उत्तीर्ण कृषि स्नातकों को रोजगार दिलाने की सरकार की क्या योजना है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) अब तक कुल 768 व्यक्ति स्नातक बनकर निकले हैं ?

(श्री हरिसिंह)

(2) जी नहीं। पिछले दो वर्षों में 267 कृषि स्नातकों को कृषि विभाग में नौकरी दी जा चुकी है।

(3) 277 उत्तीर्ण कृषि स्नातकों को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में सरकारी नौकरी उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

श्री गंगासहाय : मैं पूछना चाहता हूं कि वे छात्र जो स्नातक हैं और जो आगे निकलेंगे उनको रोजगार देने की क्या योजना है सरकार के पास ?

एक माननीय सदस्य : काश्त करें।

श्री गंगासहाय : जो स्नातक हो चुके हैं ?

(12 मध्यान्ह)

श्री हरिसिंह : राजस्थान परियोजना के अन्दर पन्द्रह हजार एकड़ जमीन आरक्षित की गई है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए पचास मुरब्बा जमीन के लिए इमिजियेटली देने के ऑर्डर्स कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जो फर्टिलाइजर प्लान्ट हैं और दूसरे एम्प्लायमेंट एवेन्यूज हैं उनमें वह काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक्स के अन्दर एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट की जरूरत होती है उसमें वह काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ रिस्क लेनी पड़ेगी प्राइवेट इन्टरप्रेन्योर के लिये।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की योजना बनाई है कि सरकारी डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर, बैंक्स में या जमीन देकर इतने बेरोजगार व्यक्तियों में से इतनों को रोजगार पर लगा देंगे ? क्या इस प्रकार की कोई योजना है ?

श्री हरिसिंह : जितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है उतनों को देंगे। मैंने आपको बताया कि 277 स्नातकों को लगाया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह : प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पास किये हुए जितने ग्रेजुएट्स हैं जो आज बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की आपने कोई योजना बनाई है ? इस सरकार का एजूकेशन का ढांचा खराब है, आप कहते हैं कि यह उनकी तकदीर पर है कि वह काम पर लग जायं। आपका विभाग क्या करता है ?

श्री हरिसिंह : मैं निवेदन कर दूं कि एजूकेशन का मतलब जोब ओरियेंटेड एजूकेशन नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : नहीं है तो क्या राज्य सरकार बेरोजगारी बढ़ाती जायगी ?

श्री हरिसिंह : हम माइंण्ड को ट्रेनिंग देते हैं, एजूकेशन का मतलब ट्रेनिंग ऑफ दी माइन्ड है, न कि जोब ओरियेंटेड एजूकेशन है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (किशनपोल, जयपुर) : क्या आप बतायेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने कृषि स्नातकों को रोजगार देने की व्यवस्था की है ?

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन किया 277।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 277। तो फोर्थ फाइव ईअर प्लान के अन्दर आप 277

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को नौकरी देंगे–यह आपने उसमें व्यवस्था की है। तो क्या राज्य सरकार का अनुमान है कि इस फोर्थ फाइव ईअर प्लान के दौरान कितने और ग्रेजुएट्स विश्वविद्यालय से निकल जायेंगे ? और उनको रोजगार देने का पंचम् पंचवर्षीय योजना में प्रावधान रखा जायगा या इस फोर्थ फाइव ईअर प्लान में ही दे देंगे ?

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : एक प्रश्न आप और सुन लें अब तक कितने स्नातकों को आपने जमीन उपलब्ध करादी है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतरामजी, आप कुछ पूछना चाहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैं पूछ रहा था, क्या राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि जो कृषि स्नातक निकलते हैं उनको रोजगार मुहैय्या करें ?

श्री हरिसिंह : इसके लिये पूरे प्रयत्न किये जाते हैं। इसके अलावा दूसरे एम्प्लायमेंट एवेन्यूज हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और गवर्नमेंट पूरा एफर्ट करती है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को डिपार्टमेन्ट्स में–कृषि विभाग में, अभियान्त्रिक विभाग में तथा अन्य विभागों में जो पोस्ट खाली हैं जो वेकेन्सी होती हैं उनमें उनको एबजोर्ब किया जा सके। इसके अलावा उनको प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज के अन्दर भी सर्विस करनी चाहिए। इसके अलावा बैंकों के अन्दर भी **एग्रीकल्चर एसिस्टेण्ट के** नाम से एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को रोजगार देने की अलग स्कीम बनी है। इसके अलावा ऋण की सुविधा भी है जिसको प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर बना कर ले सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार ने यह जानकारी करने का प्रयत्न किया है कि कृषि स्नातक, जो कृषि स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, वह अपना घरेलू काम, अपना घरेलू खेती का काम क्यों नहीं करते हैं ? इसकी जांच करवाई है क्या राज्य सरकार ने ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : यह तो शिक्षा पर निर्भर है।

श्री हरिसिंह : शिक्षा का जहां तक सवाल है, यह टैक्निकल शिक्षा का सवाल है, वैसे इसका उद्देश्य यही है कि जिनके पास साधन हैं उनको अवश्य उन साधनों का उपयोग करना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि कृषि स्नातक घरेलू खेती का काम नहीं करते हैं क्योंकि अधिकांश उनमें से नौकरी करने वाले परिवारों से संबंधित होते हैं, कृषि करने वाले परिवारों से संबंधित नहीं होते हैं। उनका एग्रीकल्चरल बैकग्राउन्ड नहीं है इसलिए खेती के काम में नहीं लगते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप डिस्करेज करते हैं।

श्री हरिसिंह : इसका सरकार से क्या संबंध है–यह मालूम नहीं हुआ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने का सवाल है यूनीवर्सिटी लेवल पर जो एजूकेशन आवश्यक है वह दी जाती है।

श्री दौलतराम सारण : आप जानकारी करायें कि क्यों खेती का काम नहीं करते हैं ?

श्री हरिसिंह : इसमें जानकारी का क्या प्रश्न है ।

श्री दौलतराम सारण : जिनको जोब नहीं देते हैं और जो बेरोजगार है.......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुढा द्वारा दिया गया ऋण

393. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुढा पंचायत समिति, श्रीमाधोपुर (सीकर) को बीज गोदाम के लिए पंचायत समिति द्वारा कितना लोन व सहायता स्वीकृत की गई ?

(2) उपरोक्त सहकारी समिति को गोदाम निर्माण के लिये कितने रुपयों का चैक किस-किस तारीख को दिया गया व बैंक से भुगतान किस तारीख को हुआ व सहकारी समिति की रोकड़ में रकम कब जमा हुई ?

(3) क्या यह सही है कि गोदाम का निर्माण नक्शे व सही मेटेरियल के मुताबिक नहीं हो रहा था व ओवरसियर की भी पहली किश्त की रिपोर्ट नहीं आई थी ? जिसके कारण प्रधान ने दूसरी किश्त को रोका था ? यदि हां, तो फिर भुगतान कैसे हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि दूसरी किश्त के भुगतान से पहले ही गोदाम का कुछ हिस्सा टूट गया था ? यदि हां, तो बाद में उसका क्या हुआ ? यदि हां, तो उसका जिम्मेदार कौन है व सरकार उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी कैश हैन्डिल करने वाले कर्मचारियों को भत्ता

356. **श्री वेणीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकारी कार्यालयों की घड़ियों में चाबी देने तथा उनकी देखभाल के लिए एक कर्मचारी को अधिकतम पन्द्रह रुपये प्रति माह की स्वीकृति दी जा सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकारी कैश हैन्डिल करने पर एक कर्मचारी को अधिक से अधिक 10) रु० प्रति माह भत्ता दिया जा सकता है ?

(3) क्या सरकार कैश हैन्डिल करने के काम की अपेक्षा घड़ियों की देखभाल के काम को अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण मानती है ?

(4) यदि नहीं, तो कैश हैन्डिल करने वाले कर्मचारी के भत्ते की दरें अपेक्षाकृत अधिक क्यों नहीं हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(श्री मुख्य मंत्री)

(4) रोकड़ संभालने वाले व्यक्ति को जो विशेष वेतन दिया जाता है वह जमानत देने के अनुसार है ऐसा कर्मचारी जिसे राजकीय रोकड़ या सामान संभालना पड़ता है उसे अनिवार्य रूप से जमानत देनी पड़ती है तथा इसके फलस्वरूप मिलने वाला विशेष वेतन जिसकी अधिकतम सीमा 10) रु० है, महंगाई भत्ता, किराया मकान भत्ता, पेंशन एवं उच्च पद पर वेतन निर्धारण इत्यादि की देय राशि में शुमार किया जाता है।

घड़ियों में चाभी देने के लिये अधिक से अधिक राशि 15 रु० देय है। यह राशि विशेष वेतन नहीं मानी जाती और न इनका प्रभाव राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाले वेतन व विविध प्रकार के भत्तों पर पड़ता है। अत: कैशियर को मिलने वाले विशेष वेतन व घड़ी में चाबी भरने के लिये दिये अलाउन्स में काफी भिन्नता है और उसका मिलान उत्तरदायित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता।

पुस्तक आदि लिखने के लिए पुरस्कार

357. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य कर्मचारियों को पुस्तक आदि लिखने के लिये पुरस्कार देने के नियम सन् 1960 में बने हैं ?

(2) यदि हां, तो इन नियमों के अन्तर्गत कितनी पुस्तकें कब-कब पेश हुई और उनमें से किस-किस पर किस किसको कितना-कितना पुरस्कार दिया गया ?

(3) क्या किसी पुस्तक के लेखक को कोई दण्ड भी दिया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रशासनिक सेवा में लगे कर्मचारियों के लिये **Rajasthan Award of Cash Prize to Govt. Servants Rules, 1960** बने हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं, इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

निलम्बित राजपत्रित अधिकारी

358. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस समय कितने राजपत्रित अधिकारी निलम्बित हैं ? उनमें से कितने मामले दो वर्ष से अधिक के हैं ? उनमें से कितनों को आरोप-पत्र दिये गये हैं और कितनों को नहीं और उनको अब तक क्यों नहीं दिये गये हैं ?

(2) उपरोक्त जिन-जिन राजपत्रित अधिकारियों को निलम्बित किया गया, उनमें से कितने के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दर्ज किये गये ? कितने मामलों में एक वर्ष से अधिक होने पर भी तफतीश पूरी नहीं हुई और क्यों तथा सरकार उनको जांच अधीन (पेंन्डिग इन्क्वायरी) पुन: स्थापित (रीइन्स्टेट) करें, तो क्या हानि है ?

(स्थगित किया गया)

Page No 31

थाना लाडनूं के थानेदारों के स्थानान्तरण

359. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस थाना लाडनूं, जिला नागौर में चालू वर्ष से लेकर गत तीन वर्षों में किस-किस थानेदार को कब-कब लगाया गया तथा किन-किन को कब-कब किन-किन कारणों से हटाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि इस प्रकार अनावश्यक स्थानान्तरण से प्रशासन में शिथिलता आती है तथा पावर का दुरुपयोग होता है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) उक्त स्थानान्तरण किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण करने आवश्यक होते हैं और यह स्थानान्तरण प्रशासन में गति लाने हेतु किये जाते हैं न कि कार्य में शिथिलता लाने हेतु। पावर का कोई दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(3) संलग्न सूची में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, ललासरी की जांच

360. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंत्री, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ललासरी, तहसील डीडवाना, जिला नागौर के खिलाफ सहकारी विभाग ने कोई केस पुलिस को सौंपा था ? यदि हां, तो कब तथा क्या मामला था और उसमें क्या कार्यवाही की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच के दौरान क्या क्या आरोप सिद्ध हुए ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सहकारी विभाग ने दिनांक 8-1-70 को मंत्री, ग्राम सेवा सहकारी समिति, ललासरी, तहसील डीडवाना के खिलाफ 2,000) रु० गबन की शिकायत पुलिस में की थी जिस पर मु० नं० 4, दिनांक 8-1-70, जेर दफा 408, ताजीरात हिन्द थाना बरडवा दर्ज कर तफतीश चालू की गई है। एफ० आई० आर० की प्रति संलग्न है।

(2) जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

बीकानेर-अनोपगढ़ सीमा सड़क का कार्य

361. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर से अनोपगढ़ सीमा सड़क का कार्य अपूर्ण पड़ा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

Page No 32

(श्री बालसिंह सोढा)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क पर कई ठेकेदारों को ठेके दे रखे हैं ? अगर हां, तो कितने ठेकेदार हैं, किस-किस ठेकेदार को कितने मील का ठेका दे रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण करने की निश्चित अवधि का समय खत्म हो चुका है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने अवधि के समय में कार्य नहीं किया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) अगर किसी ठेकेदार की अवधि के समय में वृद्धि की है तो किस आधार पर की है ? ऐसे ठेकेदारों की सूची मय कारण सदन की मेज पर रखें।

(5) इस सड़क का कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और कब खत्म हो जाना चाहिए था ? अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण ठेकेदारों के ठेके रद्द नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(6) क्या यह सही है कि एक श्री सुन्दरलाल अग्रवाल नाम के ठेकेदार को कार्य से अधिक का भुगतान कर दिया गया है और उसने केवल रेत का कार्य ही कर काम बन्द कर दिया है ? अगर हां, तो यह अधिक भुगतान क्यों किया गया जिससे राज्य सरकार को हजारों रुपयों का नुकसान हुआ और जमा सिक्यूरिटी से क्षति पूर्ति नहीं हो सकती है ? अगर हां, तो भुगतान करने वाले अधिकारी व ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? अब भविष्य में इस सड़क के निर्माण के बारे में सरकार क्या विचार रखती है ? कार्य कब पूर्ण किया जावेगा और किसके द्वारा निर्माण कार्य किया जावेगा ? विभाग द्वारा या ठेकेदारों द्वारा ?

उत्तर

(1) उपलब्ध धनराशि के अनुसार कार्य हो रहा है।

(2) जी हां 13 ठेकेदार हैं। सूची (अ) प्रस्तुत है।

(3) जी हां। लगभग सभी ठेकेदारों ने कार्य अवधि में समाप्त नहीं किया है। कुछ ठेकेदारों के समय में वृद्धि के मामले तय किये जा चुके हैं और कुछ मामले विचाराधीन हैं।

(4) देरी के कारणों को देखते हुए समय वृद्धि की गई है। सूची (ब) संलग्न है।

(5) कार्य वर्ष मार्च, 62 से आरम्भ हुआ है और ठेके की शर्त के अनुसार काम 26-5-69 तक होने को था किन्तु इस सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कार्य प्रगति धीमी रही। कार्य समाप्ति पर ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। साधारणतया देरी की वजह से ठेके रद्द नहीं किये जाते।

(6) श्री सुन्दरलाल अग्रवाल नाम का ठेकेदार इस सड़क पर कार्य नहीं कर रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

टूल्स एण्ड प्लान्ट्स की खरीद

362 श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 66-67, 67-68, 68-69, व 69-70 में अकाल राहत कार्यों के लिए कितने कितने मूल्य के किस किस प्रकार के टूल्स एण्ड प्लान्ट्स (फावड़ा, गेंती व परातें) आदि खरीदे गये ?

(2) 1 अप्रेल, सन् 1968 को कहां कहां पर कितने कितने टूल्स एण्ड प्लान्ट्स स्टाक में थे ?

(3) 1 अक्टूबर से अब तक किस किस माह में कहां कहां से किस किस प्रकार के किस किस दर से कितने मूल्य के टूल्स एण्ड प्लान्ट्स खरीदे गये और उनका जिलेवार वितरण किस प्रकार किया गया ?

(4) यह टूल्स एण्ड प्लांट्स खरीदने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया क्या है ? क्या इन दो वर्षों में इस प्रक्रिया में कोई संशोधन हुआ ? यदि हां, तो कब कब और क्या हुआ ?

(5) इन अकाल वर्षों 68-69 व 69-70 में किस किस खरीद में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है तथा किस किस के द्वारा ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए जो टूल्स एण्ड प्लान्ट्स सन् 66-67, 67-68, 68-69 व 69-70 में खरीद किये गये उनका ब्योरा संलग्न तालिका 'क' में प्रस्तुत है ।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न जिला स्तरीय खंडों में 1 अप्रेल, 1968 को अकाल राहत कार्यों के लिए जो टूल्स एन्ड प्लान्ट्स उपलब्ध थे उनकी सूची संलग्न तालिका 'ख' में प्रस्तुत है ।

(3) 1 अक्टूबर, सन् 1968 से अगस्त 69 तक विभिन्न जिलास्तरीय खंडों में अकाल राहत कार्यों के लिये जो टूल्स एण्ड प्लान्ट्स खरीद किये गये हैं उनका विवरण संलग्न तालिका ग—1 से ग—10 में प्रस्तुत है।

(4) अकाल राहत कार्यों के लिये टूल्स एण्ड प्लान्ट्स खरीदने में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (जनरल फाइनेन्शियल एण्ड अकाउन्ट्स रूल्स) में जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसके अनुसार ही क्रय किये गये हैं। जो टूल्स व प्लान्ट्स महानिदेशालय, सम्भरण और निपटाने के दर या माल संविदादाताओं के अनुसार प्रदाय आदेश (डी० जी० एस० एण्ड डी० रेट कन्ट्रेक्ट) पर उपलब्ध थे उनका क्रय उन संबंधित फर्मों से किया गया है तथा बाकी सामान नियमानुसार विभिन्न निविदा प्रसारित कर क्रय किया गया है। गत दो वर्षों में सामान्य निर्धारित प्रक्रिया के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

असिस्टेन्ट इन्जीनियर को रनिंग बिल पास करने का अधिकार

363. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर में क्या पी० डब्लू० डी० बी० एण्ड आर० के असिस्टेन्ट इन्जीनियर को

Page No 34

(श्री रामसिंह कुड़ी)

किस सीमा तक रनिंग बिल पास कर चुकारा करने का अधिकार था व है ? यदि हां, तो कितनी राशि तक का ?

(2) नागौर सर्कल में जब से श्री हरिकृष्ण कल्ला, अधिशासी अभियन्ता लगे हैं उसके बाद से असिस्टेन्ट इन्जीनियर्स ने अपनी पावर की सीमा तक के कितने रनिंग बिल स्वयं ने पास कर ठेकेदारों एवं सहकारी समितियों को चुकारा किये एवं कितने ऐसे बिल असिस्टेंट इन्जीनियर के लेवल पर पास न होकर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ही ता० 31-12-69 तक पास कर चुकरे किये या करवाये ? पाने वाले का नाम, रकम, वर्क का विवरण व तिथि सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाये ?

उत्तर

(1) जी हां पांच हजार रुपये चुकारा का अधिकार है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

नगरपालिका, केकड़ी द्वारा तुड़वाई गई सार्वजनिक टट्टियां एवं पेशाब घर

364. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, केकड़ी द्वारा दिनांक 30-5-66 से दिनांक 20-6-69 तक पालिका क्षेत्र में कितनी सार्वजनिक टट्टियां व पेशाब घर तुड़वाये गये ? उनके तुड़वाने से कितना नुकसान हुआ मय तुड़वाने के खर्च के सूची सदन में रखें ।

(2) क्या उपरोक्त सार्वजनिक टट्टियां व पेशाब घर तुड़वाने के आदेश देने से पूर्व कार्यालय से रिपोर्ट की गई थी ? अगर हां, तो उक्त रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या उक्त टट्टियां व पेशाब घर तुड़वाकर उन्हीं स्थानों पर बनवाई गई या अन्य स्थानों में भी तबदीली की गई? यदि की गई तो क्यों की गई और उस सार्वजनिक स्थानों को किस सार्वजनिक उपयोग में लिया गया ? यदि उक्त जमीन किसी को बेच दी या किराये पर दी हो, तो क्या उक्त जमीन को बेचने के लिये टट्टियां तुड़वाई गई थीं ?

(4) उक्त सार्वजनिक टट्टियां व पेशाब घर को नया निर्माण करने में कुल कितना खर्चा हुआ ? अलग अलग पेशाब घर व टट्टियों के खर्चे का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) 4 सार्वजनिक टट्टियां व 1 पेशाब घर तुड़वाया गया है । केवल गुवाडिया टट्टी के तुड़वाने में 35.06 पै० व्यय हुए हैं शेष कार्य पालिका कर्मचारियों द्वारा किया गया था ।

सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(2) गुवाडिया की टट्टी व तेली मोहल्ले के पेशाब घर को तुड़वाने के पूर्व कार्यालय की रिपोर्ट ले ली गई थी ?

Page No 35

(स्वायत्त शासन मंत्री)

शेष के लि चेयरमैन, नगरपालिका की टिप्पणी, जनता का प्रार्थना-पत्र व बोर्ड का प्रस्ताव हुए हैं ।

प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी गई हैं ।

(3) तेलियान पेशाब घर व अजमेरी गेट पाखाना उन्हीं स्थानों पर वापिस बनाये गये हैं । गुवाडिया, देवगांव तथा सरसडी गेट पाखानों को अन्य स्थान पर सफाई व स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्माण करा गये हैं ।

पाखाना तुड़वाने के समय इन जमीनों का किराये पर देने या बेचने का बोर्ड के समक्ष कोई प्रश्न नहीं था बाद में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर बोर्ड ने गुवाडिया तथा देवगांव गेट पाखानों की जमीन किरा पर दे दी व सरसडी गेट पाखाने की जमीन नीलाम द्वारा बेचान की गई है ।

अजमेरी गेट पाखाना व तेलियान पेशाब घर में विकास व वृद्धि कराई गई है । न स्थानों की जमीन किसी को बेचान या किराये पर देने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

(4) नई टट्टियां व पेशाबघर बनाने में निम्न प्रकार व्यय हुआ है :—

(1)	पाखाना, देवगांव गेट	935.35
(2)	पाखाना, अजमेरी गेट	552.70
(3)	पाखाना, सरसडी गेट	318.50
(4)	पाखाना, गुवाडिया	535.06
(5)	पेशाब घर, तेलीयान,	302.25
	कुल	2,644.06

विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

नगरपालिकाओं एवं परिषदों में कार्य कर रहे प्रशासक, जन प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध गबन के मामले

365. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की किन किन नगरपालिकाओं व नगरपरिषदों में कब कब से प्रशासक काम कर रहे हैं ? अलग अलग की तिथिवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) किन किन पालिकाओं व परिषदों में जन प्रतिनिधियों पर व कर्मचारियों पर गबन के केस किस स्तर पर चल रहे हैं ? नामवार सूचियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) किन किन चेयरमैनों व सदस्यों को सरकार द्वारा कब से मोअत्तिल कर रखा है या करने की कार्यवाही जारी है ? नामवार कारण सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) निम्न जन प्रतिनिधियों पर गबन इत्यादि के केस न्यायिक जांच में चल रहे हैं :—

	नाम	नाम नगरपालिका
(1)	श्री केशवदेव मिन्तर	नवलगढ
(2)	श्री कानमल कर्णावट	केकड़ी
(3)	श्री अकबरअली	छोटी सादड़ी
(4)	श्री भंवरमल	हनुमानगढ़
(5)	श्री गोरधन शर्मा	कुचामन
(6)	श्री चुन्नीलाल	पिन्डवाड़ा
(7)	श्री बदरीलाल	माउन्ट आबू

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगरपालिका के कर्मचारियों संबंधी सूचनाएं प्राप्त नहीं हैं, क्योंकि कर्मचारियों के विरुद्ध समस्त कार्यवाही संबंधित नगरपालिकाओं द्वारा ही की जाती हैं।

(3) चूंकि वर्तमान में समस्त नगरपालिकाओं में प्रशासक कार्य कर रहे हैं ऐसी दशा में किसी अध्यक्ष या सदस्य की मोअत्तिली का प्रश्न नहीं रह जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

नगरपालिका, लाडनूं को दान में दी गई जमीन एवं कुआ

366. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, लाडनूं, जिला नागौर को श्री मोतीलाल कन्दोई ने अपना कुआ व जमीन दान स्वरूप दी थी? यदि हां, तो कब और कितने मूल्य की?

(2) क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार से कोर्ट में केस करवा कर तथा बोर्ड की ओर से पैरवी नहीं करके उक्त जमीन व कुआ अपने रिश्तेदार के नाम करवा दिया? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 21-3-63 को। रजिस्ट्री में 1,000) कीमत अंकित की गई थी।

(2) कोर्ट में दावा श्री घनश्यामदास पुत्र श्री भालचन्द कन्दोई, निवासी लाडनूं ने किया था। यह तत्कालीन अध्यक्ष का रिश्तेदार था या नहीं यह जानकारी नगरपालिका में नहीं है।

दानदाता के पास सम्पत्ति की मिलकियत होने संबंधी सबूत न होने से बोर्ड द्वारा पैरवी नहीं की गई।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

नगर पालिका लाडनूं को पार्क के लिए अनुदान

367. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि नगरपालिका, लाडनूं को सरकार ने कभी चिल्ड्रन पार्क के लिए कोई अनुदान दिया था? यदि हां, तो कब किस को तथा कितने रुपये?

(2) उक्त रुपये नगरपालिका की कैशबुक में किस तारीख को जमा हुए?

(3) उक्त रुपयों का क्या उपयोग हुआ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र दिनांक 28-10-64 व ऋण दिनांक 31-3-65 को तत्कालीन अध्यक्ष को 10,000) की मुद्रा मिली थी।

(2) दिनांक 31-3-65 को।

(3) चिल्ड्रन पार्क के निर्माण में खर्च किया गया।

ग्राम चारली में औषधालय खोलने की मांग

368. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार वर्ष 1970-71 में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां कहां ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम चांदली पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक के निवासियों ने गत तीन वर्ष से औषधालय की मांग कर रखी है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, देवली, जिला टोंक द्वारा भी इस विषय का प्रस्ताव पास कर जिला परिषद् व विभाग को भेजा हुआ है ? यदि हां, तो कब भेजा और विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस ग्राम में और अन्य कोई चिकित्सा के साधन नहीं हैं और नजदीक चिकित्सा करीब 6 मील पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर यहां औषधालय स्थापित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, 35 नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का बजट में प्रावधान किया है। बजट स्वीकृत होने पर स्थान निर्धारित करना सम्भव होगा।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) जिला परिषद् द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) विभाग को जानकारी नहीं है।

सहकारी प्रशिक्षणी कार्यक्रम

369. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कब से चालू किया गया ? इसकी मूल योजना क्या थी और उसका क्या प्रयोजन था ?

(2) इस कार्यक्रम पर अब तक कुल कितना व्यय हो चुका है और इसके क्या परिणाम रहे ?

(3) क्या यह सही है कि आगामी 1 अप्रेल से यह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में काम करने वाले प्रशिक्षित कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया जायगा ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इससे कितने व्यक्तियों पर असर पड़ेगा और उनके जीवन यापन के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

उत्तर

(1) सहकारी प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस राज्य में सन् 1957-58 से राजस्थान राज्य सहकारी संघ एवम् जिला सहकारी संघों के माध्यम से चालू किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियों के सदस्यों, भावी सदस्यों, पदाधिकारियों व प्रबन्ध कारियों के सदस्यों आदि के लिये शिक्षा की व्यवस्था कि गई थी, ताकि वे सहकारिता के मुख्य सिद्धान्तों को समझ

Page No 38

(सहकारी मंत्री)

सकें तथा अपने कर्त्तव्य का पालन करें। स योजना की क्रियान्विति 60 परोपेटिक पार्टीज के द्वारा की जा रही है।

(2) इस कार्यक्रम पर अब तक कुल 35,01,219) रुपये 49 पैसे खर्चा हो चुका है, तथा इस योजना के तहत दिसम्बर, 1969 तक प्रशिक्षण की प्रगति हुई है, वह निम्न प्रकार है:—

(1)	सहकारी पदाधिकारी जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है	9,529
(2)	प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्य जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।	56,709
(3)	साधारण सदस्य जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं	3,02,252

(3) आगामी वर्ष इस योजना के तहत 1 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है, और इस योजना की क्रियान्विति सहकारी प्रशिक्षणालयों के माध्यम से किये जाने का मामला विचाराधीन है। अनुदान की इस कमी के फलस्वरूप संभवतः राज्य सहकारी संघ द्वारा इस में योजना लगे हुए अधिकतर कर्मचारियों की सेवायें समाप्त करनी पड़े।

(4) इस योजना म उपरोत्त परिवर्तन से लगभग 75 व्यक्तियों पर असर पड़ेगा जिनमें से कुछ व्यक्तियों को तो प्रशिक्षणालयों में नियुक्त किया जा सकेगा तथा शेष व्यक्तियों को अन्य सहकारी संस्थाओं में नियुक्त कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला झालावाड में काम करने वाले मनिलैन्डर्स

370. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में मनिलैण्डर्स का कार्य करने वालों की तादाद कुल कितनी है? कितने केस रजिस्टर किये गये हैं?

(2) इनमें कितने व्यक्तियों को लाईसेंस दिये जा चुके हैं? बाकी को लाईसेंस जारी न करने की वजह क्या है?

(3) तहसील झालरापाटन में ऐसे कितने कहां कहां के व किन किन व्यापारियों को अभी लाईसेंस नहीं दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

भूमि बन्धक बैंक बाड़मेर द्वारा दिया गया ऋण

371. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भूमि बन्धक बैंक, बाड़मेर ने आज तक किस किस को कितना कितना कब कब व किस कार्य के वास्ते लोन दिया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त बैंक में कितने मामले कब कब से लोन के लिये किस किस के पैंडिंग हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त बैंक में लोन के कितने कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने नहीं हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 39

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(4) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा कुछ कार्यों के लिये सीधा कृषक को भुगतान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो किस किस कार्य के लिये ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर जिले की कृषि उपज मण्डी

372. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कृषि उपज मंडी कुल कितनी व कहां कहां पर कायम हो गयी हैं ?

(2) क्या कृषि उपज मंडियों के चुनाव नियमानुसार करवा दिये हैं या करवाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) मौजूदा कृषि उपज मंडियों के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में बीकानेर तथा नोखा में कृषि उपज मंडी समितियां स्थापित की गई हैं।

(2 व 3) नोखा मंडी समिति के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं तथा परिणाम राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशन के लिये भेज दिये गये हैं। बीकानेर में चुनावों के लिये जिलाधीश बीकानेर के कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। बीकानेर तथा नोखा मंडी समितियों के वर्तमान सदस्यों के नामों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

ऋणों की बकाया धनराशि

373. श्री गंगासहाय (कूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान में सहकारी समितियों की ओर ऋण की कितनी धनराशि कब से बकाया है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान में सहकारी समितियों की और सरकारी ऋण की 9.38 लाख रुपयों की राशि बकाया है। जिलेवार सूची परिशिष्ट (क) सलंग्न है। यह धनराशि जिलों की सहकारी समितियों में भिन्न भिन्न वर्षों से बकाया है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

शंकर बीज

374. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार शंकर किस्म के बीजों का प्रचार कर रही है तथा इन शंकर बीजों का उत्पादन अधिक है? यदि हां, तो क्या कारण है कि पंचायत समिति छीपाबड़ौद के (बी०डी०ओ०) ने काश्तकारों की मांग के बावजूद भी शंकर ज्वार का बीज काश्तकारों को उपलब्ध नहीं कराया ?

(2) क्या सरकार इस प्रकार के अधिकारी के खिलाफ जो सरकार की पॉलिसी के विपरीत काम करता हो कुछ ऐक्शन लेना उचित समझती है ? यदि हां, तो कब तक एक्शन लिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

Page No 40

(श्री प्रमसिंह सिंघवी)

(3) क्या पंचायत समिति, छीपाबड़ौद राजकीय आदेशों के खिलाफ रसायनिक खाद उधार वितरण कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि केवल अकालग्रस्त क्षेत्र में उधारी के रूप में वितरण करने के आदेश हैं ? यदि हां, तो उधार खाद वितरण करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पंचायत समिति, छीपाबड़ौद में किसी काश्तकार को मांग के बावजूद भी ज्वार का बीज उपलब्ध नहीं हुआ है।

(2) चूंकि सरकार के पास नियम विरुद्ध कार्य करने संबंधी कोई शिकायत नहीं है इसलिये संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां ।

कृषि विकास योजना समन्वय समिति

375. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर की कृषि पुनःवित निगम द्वारा स्वीकृत कृषि विकास योजना को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर कोई समन्वय समिति बनी हुई है ? यदि हां, तो इस समन्वय समिति के कौन कौन सदस्य हैं और इस समिति का संयोजक कौन है ?

(2) क्या इसी प्रकार की कोई समन्वय समिति जिला स्तर पर भी बनी हुई है ? यदि हां, तो इसके कौन कौन सदस्य हैं ? दोनों समन्वय समितियों के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) पंचायत समिति क्षेत्र कठूमर की कृषि पुनः वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत विकास योजना (लघु सिंचाई योजना) को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने हेतु पंचायत समिति स्तर पर समबन्ध समिति बनी हुई है जिसके सदस्य निम्नलिखित हैं :—

(1)	प्रधान, पंचायत समिति, कठूमर	अध्यक्ष
(2)	जिला कृषि अधिकारी, अलवर	सदस्य
(3)	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, (उस क्षेत्र से सम्बन्धित)	सदस्य
(4)	सहायक अभियंता, सामुदायिक विकास, अलवर	सदस्य
(5)	सहायक अभियंता (राज० विद्युत मंडल), अलवर	सदस्य
(6)	सहायक अभियंता (राजस्व जल मंडल), अलवर	सदस्य
(7)	तहसीलदार उस क्षेत्र से संबंधित	सदस्य
(8)	विकास अधिकारी, कठूमर	सदस्य
(9)	जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य

संयोजक नामांकन सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जिला स्तर पर समन्वय समिति का निर्माण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

Page No 41

उत्तम नस्ल की विदेशी गायें

376. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में उत्तम नस्ल के विदेशी कितनी गायें और सांड़ हैं ? सरकारी और निजी क्षेत्र के अलग अलग आंकड़े दें। प्रत्येक नस्ल के भी आंकड़े अलग अलग दें।

(2) क्या राज्य सरकार ने विदेशी उत्तम नस्ल की सहायता से कोई उत्तम संकर नस्ल तैयार की है ?

(3) इस सम्बन्ध में 1970-71 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसंधान कार्यक्रम का ब्यौरा दें।

उत्तर

(1) सरकार क्षेत्र में कुल 16 सांड हैं। निजी क्षेत्र की जानकारी नहीं है। नस्लवार तालिका संलग्न है।

(2) हूल और क्रौस ब्रीडिंग के परिणाम उत्साहवर्धक हैं।

(3) कृत्रिम गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान आवश्यकतानुसार किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

अकाल ग्रस्त क्षेत्र के कर्मचारी

377. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग, राजस्थान ने कुछ जिला भेड़ व ऊन अधिकारियों को यह कह कर निदेशालय में नियुक्त कर दिया था कि वहां पर अकाल के करण कोई कार्य नहीं है इसलिये मुख्यालय जयपुर में रहे ? यदि हां, तो कब कब किस किस जिला अधिकारी को और उनको यहां जयपुर में क्या क्या कार्य सौंपा था ?

(2) क्या जिला अधिकारियों के अलावा सारा अमला वहीं पर जिलों में ही अपने अपने स्थान पर रहा ? यदि हां, तो उनसे क्या कार्य लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, जिन अधिकारियों को मुख्यालय जयपुर में रखा गया उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां, सारा अमला वहीं पर जिलों में ही रहा तथा उन्होंने अपने अपने पद का निर्धारित कार्य किया।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

जन-सम्पर्क विभाग का मुख्य उद्देश्य

378. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किन किन जिलों में जन-सम्पर्क विभाग की शाखायें हैं और जन-सम्पर्क का मुख्य क्या उद्देश्य है ? राज्य में जन-सम्पर्क विभाग कब से चालू है ?

(2) जन-सम्पर्क विभाग से आम जनता को क्या लाभ है और सरकार को क्या लाभ है ?

Page No 42

(श्री हंसराज आर्य)

(3) क्या जन-सम्पर्क विभाग ने राजस्थान की किसी भी एक मूल समस्या का पूरा अध्ययन करके उसे जनता और सरकार के सम्मुख रखा है ? यदि हां, तो वह कौन सी समस्या है और उसका क्या प्रचार तथा प्रसार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या राजस्थान में मूल समस्यायें नहीं हैं ?

(4) जन-सम्पर्क विभाग ने अपने जन्म काल से आज तक किस किस विषय पर लेख लिखे हैं ? यदि हां, तो उन लेखों की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जावें।

(5) जन-सम्पर्क विभाग की ओर से क्या कोई साप्ताहिक या मासिक या त्रिमासिक पत्र पत्रिका निकाली जाती है ?

(6) जन-सम्पर्क विभाग ने पिछले एक वर्ष में किस किस दनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रिमासिक पत्रों को कितनी कितनी आर्थिक सहायता दी है ?

(7) आर्थिक सहायता किस श्रेणी के पत्र को कितनी कितनी दी जाती है तथा इसके क्या नियम हैं ? पूरी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

(1) जन-सम्पर्क निदेशालय के जिलों में दो तरह के दफ्तर हैं। निम्न जिलों में जन-सम्पर्क अधिकारी कार्य करते हैं:—

1. जयपुर	3. अलवर
2. अजमेर	4. भरतपुर
5. सवाईमाधोपुर	14. जैसलमेर
6. झुन्झुनू	15. बाड़मेर
7. कोटा	16. नागौर
8. झालावाड़	17. सिरोही
9. उदयपुर	18. पाली
10. डूंगरपुर	19. बीकानेर
11. भीलवाड़ा	20. गंगानगर
12. चित्तौड़ग	21. चूरू
13. जोधपुर	

निम्न जिलों में सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी कार्य करते हैं:—

1. सीकर 2. बांसवाड़ा

इसके अतिरिक्त निम्न स्थानों में जन-सम्पर्क कार्यालय द्वारा संचालित सूचना केन्द्र हैं:—

1. जयपुर 2. अजमेर 3. जोधपुर 4. उदयपुर 5. बीकानेर 6. अलवर 7. कोटा 8. दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में भी सूचना केन्द्र खोले जा रहे हैं। जयपुर में पृथक से रंगमंच और स्थाई प्रदर्शनी केन्द्र हैं तथा अजमेर में भी रंगमंच कार्य कर रहा है। जहां रंगमच हैं वहां नित्य प्रति फिल्म-प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाती है। फिल्में साधारणतः भारत सरकार द्वारा प्रसारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है।

जन-सम्पर्क का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों की जानकारी विभिन्न दृश्य-श्रव्य माध्यमों द्वारा सर्वसाधारण तक पहुंचाना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक प्रश्नों पर जो जन-प्रतिक्रिया होती रहती है, उससे भी समय समय पर सरकार को सूचित किया जाता है।

(जन-सम्पर्क मंत्री)

अप्रेल, 1949 में राजस्थान राज्य के निर्माण के बाद के समय से ही जन-सम्पर्क विभाग कार्य कर रहा है।

(2) सरकार की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों से सर्वसाधारण का सीधा संबंध है और उनकी जानकारी बराबर मिलती रहने से उनकी क्रियान्विति में जन-साधारण का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार विभिन्न समस्याओं पर जो जन-प्रतिक्रिया होती है उनसे अवगत होते रहने से सरकार अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाने में सहायता प्राप्त करती है। इस कार्य को करके जन-सम्पर्क विभाग जनता और शासन दोनों की सहायता करता है।

(3) समस्याओं का विस्तृत अध्ययन जन-सम्पर्क विभाग कार्य-क्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी जिन समस्याओं अथवा नीतियों के संबंध में जानकारी जन-साधारण तक पहुंचानी होती है उनके संबंध में तात्कालिक अध्ययन करना ही पड़ता है और यह अध्ययन हर ऐसे विषय पर होता रहता है जिसकी जानकारी जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जन-साधारण तक पहुंचाई जाती है। ऐसी स्थिति में किसी एक विशेष समस्या के अध्यन का उल्लेख समुचित नहीं होगा।

(4) जन-सम्पर्क विभाग से विशेष लेख आदि हर महीने निकलते रहते हैं। कभी अवसरों के अनुरूप इनकी संख्या अधिक हो जाती है, कभी कम। पिछले 21 वर्षों में विभिन्न विषयों पर लिखे लेखों की संख्या बहुत अधिक है, और इन सबकी प्रतियां भी अब सहज ही उपलब्ध नहीं हैं। शासकीय विषयों के अतिरिक्त ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक आदि विषयों के संबंध में भी विशेष लेख निकलते रहते हैं।

(5) इस समय जन-सम्पर्क निदेशालय की ओर से कोई साप्ताहिक या मासिक या त्रैमासिक पत्र पत्रिका नहीं निकाली जाती है।

(6) जन-सम्पर्क विभाग द्वारा किसी भी समाचार-पत्र अथवा मासिक, त्रैमासिक आदि पत्र-पत्रिका को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है।

(7) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

सड़क निर्माण कार्य में आवाप्त भूमि का मुआवजा

74. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सड़कों के निर्माण कार्य के लिए किसानों से भूमि अवाप्त की जाती है? यदि हां, तो सन् 1960 से कितने किसानों से भूमि अवाप्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितने किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और मुआवजा नहीं देने के एवं देरी से देने के क्या कारण थे?

(श्री ओमदत्त भाटी)

(3) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सन् 1966-67 के प्रतिवेदन में ऐसे ममिलों को शीघ्र निपटाने के लिये कुछ नियमों में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी ? अगर हां, तो क्या उसकी दृष्टि में कोई संशोधन किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। 1965 तक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाती थी। 1966 से कार्यवाही विभाग ने आरम्भ की है जिन किसानों की भूमि अवाप्त की गई है उनकी सूची संलग्न है।

(2) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित है। स्टॉक की कमी के कारण मुआवजा देने में देरी हो रही है।

(3) नियमों में राज्य सरकार द्वारा संशोधन किये गये हैं जो राज-पत्र विशेषांक 13 अप्रेल, 1966 में प्रकाशित हो चुके हैं।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

सहकारी समितियों को ठेका

76. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नागौर जिले में सहकारी समिति को भी पी०डब्लू०डी० का कोई ठेका कभी गत दस वर्षों में दिया गया ? यदि हां, तो कब कब व किस किस का " का ? क्या ऐसी किसी सहकारी समिति का कोई चुकारा सरकार में बकाया है ? यदि हां, तो उसका चुकारा कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को ठेका देने में प्राथमिकता देने का निर्देश या नियम सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेके देने की कार्य पद्धति में है ? यदि हां, तो नागौर जिले में गत दस साल में दिये गये ठेकों में ऐसे कितने मामले है, जिनमें सहकारी समिति भी टेन्डर देने वालों में से एक थी एवं वह ठेका किसी व्यक्ति के नाम मन्जूर हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची (अ) संलग्न है। दो समितियों का चुकारा अवशेष है। आशा है भुगतान वर्ष 1970-71 में हो जावेगा।

(2) जी हां–सूची (ब) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

स्थगित प्रश्न

(11-3-70)

बंगाली विस्थापितों की कोलोनी

85. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कोटा की तहसील किशनगंज में स्थित बंगाली विस्थापितों की तीन कॉलोनी घट्टा घट्टी, परानिया एवं गोरधनपुरा में बने विस्थापितों के मकानों पर कितनी कितनी नालीदार चद्दरें लगी थीं और अब कितनी कितनी चद्दरें लगी हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि विस्थापित कोलोनी में लगाई गई चद्दरों में से बहुत सी

(श्री देवदत्त गाड़िया)

चद्दरें गायब हो गई हैं ? यदि हां, तो कब कितनी चद्दरें गायब हुईं और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) बंगाली विस्थापितों को बसाने के लिए जिला कोटा में 660 क्वार्टर्स तीन कॉलोनी घट्टा घट्टी, परानिया व गोरधन पुरा में बनाये गये थे जिन पर 5,955 चादर लगी थीं। 400 क्वार्टर्स समाज कल्याण विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं। जिन पर कि 3,838 चद्दर मौजूद हैं। शेष 260 क्वार्टर्स जो पुनर्वास विभाग के अधीन बचे हैं उनमें 2,117 चादरें लगी हैं। घट्टा घट्टी में 1,870 चादर व परानिया में 247 चादर इस प्रकार कुल 260 क्वार्टर्स पर 2,117 चादर लगी हुई हैं।

(2) जी नहीं। उपलब्ध रेकॉर्ड अनुसार कोई चद्दर गुम होना प्रतीत नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(13-3-70)

तहसील लाडपुरा में भूमि के बेचान एवं खरीद के विरुद्ध कार्यवाही

146. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडपुरा में भूमि बेचान व खरीद के संबंध में कुछ व्यक्तियों के वि द्ध कार्यवाही चल रही है ?

(2) अगर हां, तो उनके नाम व सबंधित भूमि का विवरण देने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त कार्यवाही किन किन स्तरों पर चल रही है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-3-70)

क्रय-विक्रय समिति लाडनूं

151. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्रय विक्रय समिति, लाडनूं में अब तक व्यवस्थापक के पद पर किस किस व्यक्ति ने कार्य किया और उनको कितना रुपया वेतन व भत्ते के रूप में किस हिसाब से दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि इस पद पर जो भी व्यक्ति रहे वह राज्य सेवा व स्थानीय संस्था आदि की सेवाओं में थे ? यदि हां, तो उन्हें संबंधित अधिकारी की स्वीकृति इस कार्य की कब मिल गई ?

उत्तर

(1) क्रय विक्रय समिति, लाडनूं में व्यवस्थापक के पद पर दिनांक 31-12-69 तक निम्नलिखित व्यक्तियों ने कार्य किया :—

क्रम सं०	नाम व्यवस्थापक	वेतन	महंगाई भत्ता	प्रतिनियुक्ति भत्ता	कुल
1.	श्री गोरधनसिंह दि० 19-6-67 से 30-6-69 तक।	2,735.32	30,59.39	545.06	55,35.35 ब्यौरा सलंग्न है।
2.	आनन्द प्रकाश 1-7-69 से 31-12-69 तक प्रतिमाह 125 रुपया।	750.00	—	—	750.00

(सहकारिता मंत्री)

(2) श्री गोरधनसिंह सहकारी विभाग में सहायक निरीक्षक थे तथा वे समिति में व्यवस्थापक के पद पर रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 7-8-67 के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर थे। श्री आनन्द प्रकाश पंचायत समिति, लाडनूं में एकाउन्ट्स कर्ल्क थे और उनकी नियुक्ति समिति के अध्यक्ष द्वारा की गई। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से ही आनन्द प्रकाश की नियुक्ति की स्वीकृति नहीं ली गई।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(13-3-70)

नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिक बैंक लि० की जीप

152. **श्री रामसिंह कूड़ी** (जायल) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या नागौर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नागौर की खुद की जीप, मोटर है ? यदि हां, तो वह जीप कब व कितने रुपये में खरीदी गई तथा उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(2) नागौर सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की जीप गाड़ी किस किस मास में कितने कितने मील बैंक के कार्य से चली है एवं उस पर तेल, पैट्रोल, मरम्मत व ड्राइवर पर शुरू से लेकर तारीख 31-12-1969 तक प्रत्येक मास में कितना कितना खर्च हुआ ? व्यय का ब्यौरा प्रत्येक महीने का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। यह जीप दिनांक 29-7-68 को 23,667) रू० में खरीदी गई व उसका रजिस्ट्रेशन 4-4-69 को हुआ।

(2) परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(13-3-70)
अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच

155. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भेड़ व ऊन विभाग के किस किस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच किन किन मामलों में कब कब से चल रही हैं और उन पर क्या क्या आरोप लगाये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 19 देखिये)

(12.05 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था !

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :—

श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य, विधान सभा ने जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है

(श्री अध्यक्ष)

उसमें यह कहा गया है कि सवाई माधोपुर जिले की तहसील सवाई माधोपुर, बौंली एवं खण्डार के कई गांवों में हाल के भयंकर तूफान एवं ओलावृष्टि से फसल को हुई क्षति के संबंध में अकाल राहत मंत्रीजी द्वारा दिनांक 13 मार्च, 1970 को जो घोषणा सदन में की गई थी, उसके अनुसार काश्तकारों को न तो समुचित धनराशि दी गई है और न चारे, सस्ते गल्ले की दुकानों आदि का प्रबन्ध किया गया है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें आदिवासी व पिछड़ा हुआ कुशलगढ़ क्षेत्र को राजस्थान कृषि उत्पादन योजना में शामिल न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री नत्थीसिंह, श्री हीराभाई, श्री विट्ठलभाई व श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जोधपुर में गत 24-25 मार्च की रात को हरिजनों पर छात्रों द्वारा पानी न लेने देने के प्रश्न पर हमला करने और उसके फलस्वरूप बाद में हरिजनों द्वारा प्रदर्शन किए जाने व पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें बीकानेर में दिनांक 24 मार्च, 70 से म्युनिसिपल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त चारों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित किया जायेगा।

इनके अतिरिक्त और जो स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं वे इस प्रकार हैं:--

श्री सुआलाल चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर जिले के बंध कालख सागर में जो कुछ पानी जाता है उसके, नहर न होने के कारण, नष्ट हो जाने तथा इसके लघु सिंचाई योजना में न लेने व पुराने बन्धों की टूट-फूट को ठीक न कराने के सम्बंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला कई वर्षों से चला आ रहा है और इसलिए अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जिला सवाई माधोपुर के सवाई माधोपुर उप जिला में स्थित सूरवाल व मोरेल बांध में कई वर्षों से किसानों की हजारों बीघा जमीन एवं कुएं डूब में आ जाने व इनका मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला भी कई वर्षों से चला आ रहा है और इस कारण अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है।

ऊपर दिये गये कारणों की दृष्टि में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

दो और पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इनका सम्बन्ध पुलिस विभाग से है। ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं--

तहसील नोहर के गांव जसाना के एक हरिजन पर नोहर के थानेदार द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

झूठा मुकदमा बना कर गिरफ्तार करने आदि के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव भी श्री रामचन्द्र आर्य....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आ गये साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपका समय नहीं आया । अभी मैं बोल रहा हूं ।

सदस्य, विधान सभा द्वारा दिया गया है जिसका संम्बंध तहसील नोहर के गांव दासू वाली के हरिजनों की भूमि पर खड़ी फसल का कतिपय व्यक्तियों द्वारा पुलिस की मदद से जबरन कब्जा लेने से है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि पुलिस विभाग की मांग पर सदन में आज विचार किया जायगा । इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे बहस का उत्तर देते समय इन विषयों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें । अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य, इस पर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय,.......

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को और किसी तरह से उठायें । ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया :-आपने जो व्यवस्था दी है....

श्री उपाध्यक्ष :-मैंने व्यवस्था दी उस पर चर्चा यहां पर नहीं होगी, माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने जो यह व्यवस्था दी है.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : कि सुरवाल व मोरेल बांध में डूब में आ जाने वाली जमीन का मामला पुराना है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अन्य किसी तरीके से सदन के सामने इस प्रश्न को आप ला सकते हैं । ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज उनके पास जमीन नहीं है, इसलिये वह लोग भूखों मर रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनके पास जीविका उपार्जन का कोई साधन नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, असन अपने पैरों पर है.....

(श्री उपाध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इसकी इन्क्वायरी करें। यह महत्वपूर्ण है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं, महत्वपूर्ण है। पर अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, विशेष चर्चा का समय मांग कर, मांग पर आप किसी तरह से इसे उठा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन को चालू हुए इतने दिन हो गये। बीस दिन हो गये आज याद आई है बच्चों के भूखों मरने की बात। आप और तरीके से यह बात रखें। सहानुभूति से विचार किया जावेगा।

याचिका का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरलालसिंह खर्रा–याचिका का उपस्थापन।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : मैं श्री माधोपुर में डिग्री कालेज खोलने से संम्बन्धित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने माननीय रामचन्द्रजी के स्थगन प्रस्ताव को तो मन्जूर ही नहीं किया।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री यशवन्तसिंह नाहर ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (सभापति-विशेषाधिकार समिति): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति का उपस्थापन अन्य सामान्य समितियों के उपस्थापन की तरह नहीं है। इस में प्रतिवेदन के साथ, कार्यवाही भी हुई या नहीं, इस तरह का निवेदन भी आना चाहिये। इस पर आपके प्रस्ताव भी आने चाहियें कि हाउस उसको स्वीकार करे या अस्वीकार करे। ऐसा प्रस्ताव भी साथ साथ आना चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी उनका प्रस्तुतिकरण हुआ है। इसके बाद सेकिण्ड स्टेज आती है। जब सदन की सम्मति से एक्शन लिये जाने का सवाल आवेगा उस वक्त उसे पेश कर दिया जावेगा। बजट के पारित होने के बाद तीस मार्च के बाद वे प्रस्तुत कर दिये जावेंगे।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव। श्री रामकिशोर व्यास।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र के अन्त तक बढ़ा दिया जाय। "कृषि भूमियों की अभियुक्तियों से सम्बन्धित विधि को संशोधन करने हेतु विधेयक"।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि समय की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर दिया पंडितजी महाराज।

अनुदान की मांगों का उपस्थापन मांग संख्या 27,41,32, व 12

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगों पर विचार।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय 52 सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,49,53,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103, सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजी की लागत के संबंध में 31, मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,27,29,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,19,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,80,98,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 27,41,32 व 12 पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 27

श्री हरि वल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर):

1. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब-डिविजन में सन् 1967 से अब तक कोई नई सड़क की स्वीकृति न देने की सरकार की दुर्लक्ष पूर्ण नीति का अननुमोदन)।

2. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर की सड़कों की मरम्मत न कराये जाने की विभाग की पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिए)।

3. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर स्टेशन पर रेल्वे क्रोसिंग पर ओवर ब्रिज बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

4. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वनिजक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोंली तहसील की भाडोती से खिरनी तक अकाल राहत कार्य में कच्ची सड़क को पूरा बनाए जाने पर चर्चा के लिए)।

5. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोंली से निवाई सड़क अब तक पूरी न कराई जाने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

6. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण कार्य आरंभ कर उसको वर्षों तक कम्पलीट न कराने की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण का कार्य स्वीकृति के बाद भी उसके क्रियान्विति में विलम्ब किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

8. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के कार्य विभागीय स्तर पर न कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में प्रचलित कमीशन को रोका जाने पर चर्चा के लिये) ।

10. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय स्तर पर निर्माण कार्य न कराये जाने पर चर्चा के लिये) ।

11. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर से भगवतगढ, सवाई माधोपुर से कुण्डरा तथा बोंली से भाडोती तक सड़क निर्माण न कराये जाने के विषय में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 41

12. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी का लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुराने जिला पुस्तकालय भवन, सवाई माधोपुर का भवन जीर्ण-शीर्ण होते हुए भी उसकी मरम्मत न होने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

13. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० आई० जी० ऑफिस) एण्टीडेकोयट का कार्यालय सवाई माधोपुर के बजाय कोटा रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

14. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (पुलिस लाइन्स, सवाई माधोपुर के क्वार्टरों में बिजली–पानी की व्यवस्था न किए जाने पर चर्चा के लिए) ।

Page No 52

मांग संख्या 27

श्री गंगासहाय (कठुमर सु०) :

15. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले की सड़कों की उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

16. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्माण कार्यों में किए जा रहे पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

17. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों द्वारा की जा रही धांधलियों व मनमानी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :

18. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की दुर्दशा व विभागीय अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

19. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार मिटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

20. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की सड़कें जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से करवाई जाती हैं उनकी दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

21. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के चांदपोल बाजार में यातायात पुलिस द्वारा उचित ध्यान न दिये जाने से भारी वाहनों का तंग रास्ते में आवागमन के कारण होने वाले अवरोध पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) :

22. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजूदा सड़कों की दिन पर दिन होती जा रही दुर्दशा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

23. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री महेन्द्रसिंह)

कम कर दिया जाय (जन-सुरक्षा में बर्ती जा रही ढिलाई एवं निष्क्रियता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री मनोहरसिंह मेहता : (मांडलगढ़) :

24. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सड़कों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर नदी पर खुर्री बंधवाने तथा हर पंचायत को जिले तथा उप-जिले की सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महुआ, श्यामपुरा, जोजवा, सींगोली आदि सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

27. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा शराब-खोरी पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता का विश्वास प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पलासिया (मांडलगढ़) में हुए कत्ल तथा महुआ आदि में पुलिस द्वारा अनियमितताओं पर चर्चा के लिए]।

30. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्किल ऑफिसर तथा सब इन्सपेक्टर मांडलगढ़ के ट्रान्सफर मुल्तबी कराने तथा बालाबाला नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

31. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

32. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामसर से पोकरण जो ग्रेवल रोड़ संवत् 2023 यानि सन् 66-67 और सन् 67-68 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 25 मील बनी उसमें भ्रष्टाचार के कारण करीब 25 लाख रुपये खर्च हुए हैं जिसकी जांच सार्वजनिक निर्माण विभाग भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है परन्तु उसमें कोई प्रगति नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत

Page No 54

(श्री वृद्धिचंद्र जैन)

मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सड़कों और भवनों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सड़कों का विशेष महत्व होते हुए भी राज्य सरकार ठीक तौर से केन्द्रीय सरकार को प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सिनधरी और समदड़ी और करमावाल के बीच में लूनी नदी पर पुल बनाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (रामसर से चौहटन तक की सड़क के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के निष्पक्ष अधिकारी को सौंपे जाने पर चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सा जनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में रामसर, लसुवा एवं सेतराऊ मेटल क्वेरीज के कार्यों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर से भुरटीया और भुरटीया से कवास और कवास से वायतू ग्रेवल सड़कों पर टेन्डर के अनुसार ग्रेवल नहीं डालने पर राज्य सरकार को क्षति होने पर चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सिणधरी पर पुल बनाने के बारे में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करमावास से समदडी तक लूणी नदी पर पुल बनाने के संबंध में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से कानोड़ वाया भीमड़ा रोड पर भीमड़ा फेमीन केम्प पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऐसिस्टेन्ट इंजीनियर एवं अस्थायी मिस्तरी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरो ों की जांच के लिए श्री जिलाधीश, बाड़मेर आदेश से बनी उप-जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रस्तुत की हुई रिपोर्ट पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कानूनी कदम न उठाने पर चर्चा के लिए)।

42. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(चौहटन से बांरवाली रोड को सीमावर्ती सड़क में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

43. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से बैजाला होती हुई हरसांणी रोड को सीमावर्ती सड़क में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिए)।

44. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से बावति, बांगडी, पचपदरा होती हुई जोधपुर सड़क को सीमावर्ती सड़क में सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर से सिणधरी, गांधव, सांचोर होते हुए गुजरात प्रान्त की ओर सड़क को सीमावर्ती सड़क में सम्मिलित करने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

46. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में बद्री लाल कम्पाउन्डर को उसके निवास स्थान पर आधो रात को सन् 65 में तलवार द्वारा गला काटकर कत्ल किये जाने के मामले में स्थानीय पुलिस की लापरवाही से मुलजिम का पता नहीं लगा अतः दुबारा निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के सनावड़ा गांव में श्री ताराचन्द जैन को सन् 68 में गला घोट कर कत्ल किये जाने के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा लापरवाही से जांच करने के कारण मुलजिम का पता नहीं लगा, अतः दुबारा निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में उप-अधीक्षक, आरक्षी, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का कार्यालय खोले जाने में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम नैनावा (गुजरात) की डकैती के डकैत जैसलमेर क्षेत्र में हैं, उनका गृह विभाग की ओर से अधिक ताकत लगा कर कड़ा मुकाबला करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए]।

51. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों द्वारा अपनाये जा रहे अप्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

Page No 56

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

52. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलवे पुलिस कर्मचारी वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौडगढ़):

53. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़ जिले में चित्तौड़–विजयपुर एवं पान्डोली-घासुन्डा सड़कों हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीपलदा–दीगोद रोड को डामर कराए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर):

55. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जहाजपुर से शंकरगढ़ रोड की स्वीकृति तथा जहाजपुर तहसील में अधूरी सड़कें पूरी करवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

56. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली अनुचित कार्यवाहियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी):

57. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के निर्माण कार्यों को लेने का क्रम निर्धारित करने में पक्ष-पात बरतने पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय ('बाला जी थाक' पुलिया, तहसील सांगोद, जिला कोटा की बरसों से मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा स्टेट द्वारा बनाई गई पुलियाओं की मरम्मत हेतु स्थायी व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

60. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की मरम्मत में माइलेज को आधार नहीं बना कर मनमाने ढंग पर धनराशि अलॉट कर देने के फलस्वरूप सड़कें बिगड़ने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

61. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में पुलिस द्वारा दिनांक 14-2-70 को जनता पर अत्याचार करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री जुझारसिंह)

62. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले के थाना आवर व रायपुर में पुलिस कर्मचारियों द्वारा की गई ज्यादतियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

63. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में दुर्दशा प्राप्त हुई सड़कों की हालत पर विभाग द्वारा कोई ध्यान न देने पर चर्चा के लिए)।

64. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा से इन्द्रगढ़ तक की सड़क के निर्माण हेतु इस वर्ष रखी गई धनराशि बिलकुल कम व्यय की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

65. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक से देवली जाने वाली सड़क पर ग्राम सरोली से दूनी ग्राम तक पक्की सड़क न बनाने पर चर्चा के लिए)।

66. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक के पास बनास नदी के पुल में दरारें पड़ गई हैं और विभाग द्वारा नए पुल के निर्माण की घोषणा गत वर्ष में की गई थी, किन्तु उस पुल का नया निर्माण अभी भी प्रारम्भ नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

67. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों के गिरते हुए स्तर के कारण अव्यवस्था होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

68. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में पुलिस विभाग द्वारा मनमाने तौर पर कार्यवाही करने पर चर्चा के लिए)।

69. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक के पुलिस थानों के थानेदार मनमानी तरीके से कार्यवाही करते हैं विशेष रूप से थाना नगर, तहसील देवली के थाने में, इस पर चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार नगर, तहसील देवली जो कि सन् 1968 से सेवा मुक्त कर दिया गया था उसे फिर सरकार ने वर्ष 1970 में सेवा में नियुक्त कर दिया है, इस पर चर्चा के लिए)।

71. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम आकोड़िया, तहसील देवली, जिला टोंक में दिनांक 3-3-69 को एक 'नर बली' दी गई और उस मामले में वहां के उस समय के थानेदार व एक हैड

Page No 58

(श्री दिग्विजयसिंह)

कॉन्सटेबल द्वारा कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा–सु०):

72. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटड़ा, गोगुन्दा, सराडा, खैरवाड़ा आदि जगह पर अधूरे सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

73. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में पुलिस विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण काफी हत्यायें हो चुकी हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

74. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुनेल-पलोतिया सड़क के निर्माण में अनियमित तरीके से रकम का दुरुपयोग एवं अनुचित तरीके से सड़क निकाले जाने से खेतों के नुकसान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

75. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिनांक 14-2-70 को पुलिस, झालावाड़ द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज व घरों में घुसकर छात्रों की पिटाई की जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार, गंगधार द्वारा जनता के साथ दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

77. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस विभाग की अकर्मण्यता व भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी):

78. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में सड़कों की मरम्मत व नई आवश्यक सड़कें बनाने व अकाल राहत द्वारा बनी सड़कें पूर्ण कराने पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में बनी अधूरी सड़कें पूरी कराने व नई सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

80. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री मूलचन्द कटेवा)

(झुन्झुनू जिले की सड़कों की मरम्मत कराए जाने के बारे में चर्चा के लिए) ।

81. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता से बनी सड़कें निर्माण विभाग द्वारा पूरी नहीं कराए जाने संबंधी चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

82. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार व पुलिस के कार्यों में अनावश्यक दखलअन्दाजी व कत्ल जैसे मामलों को दबाए जाने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

83. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा जनता के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार व बड़े मुकदमे दबाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :

84. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडन से काढ़ूवास तक रोड पर कोई धन-राशि स्वीकृत नहीं की गई है, इस पर चर्चा के लिए) ।

85. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांडन से सोंतो और कुतीना से मोहनपुर तक अप्रोच रोड बनवाने पर चर्चा के लिए) ।

86. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहरोड़ से नारनोल सड़क पूरा कराने एवं उस पर पुल बनवाने पर चर्चा के लिए) ।

87. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोढन से काढ़ूवास लिंक रोड की स्वीकृति एवं कुनील से मोहम्मदपुर तक की लिंक रोड और माजरी कलां से डूमरोली रोड बनाने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 12

88. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में प्रमोशन्स में धांधलीबाजी तथा भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

89. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा में करवर से समेधी–नैनवा एवं करवर से जरखोदा देई सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिए) ।

90. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील पाटन–नैनवा में सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से होने पर चर्चा के लिए) ।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

91. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की पाटन–नैनवा तहसीलों में सड़कों के अधूरा कार्य पूरे कराने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

92. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य तथा जिला बून्दी में पुलिस विभाग चोरियों व डकैतियों में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री हीराभाई (कुशलगढ़-सु०) :

93. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ में मोरनदी का पुल निर्माण करने पर चर्चा के लिए)।

94. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुशलगढ क्षेत्र में अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत प्रारंभ किये गये समस्त अधूरे सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

95. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा जनता को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री नन्दलाल (किशनगंज) :

96. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां से जलवाड़ा–नाहरगढ़ कच्ची सड़क तथा मांगरोल से बमोरी कलां तक की कच्ची सड़क पक्की बनवाने तथा किशनगंज से रामगढ़ वाया धीनोद–मांगरोल अधूरी सड़क पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां से छीपाबड़ोद वाया अटरू सड़क को अटरू-सालपुरा के बीच रेल्वे लाइन के सहारे न निकाल कर बरलां, हानिहेडा, सीदनी आदि गांवों से होती हुई निकालने व पक्का बनवाने हेतु चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जायं, (बारां अटरू, गोघाट, खानपुर सड़क को गोघाट से बड़ोदा गांव तक पक्का कराने हेत चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा, बारां, शिवपुरी के भाग में आने वाली पारवती नदी पर ऊंचा पुल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल)

मांग संख्या 12

100. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पुलिस द्वारा हो रहे अत्याचारों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम):
101. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 1·00 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिये यथेष्ट धनराशि न दिये जाने से प्रदेश की प्रगति में रुकावट उत्पन्न हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से प्रगति में रुकावट आ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 41

103. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 1,00 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर लग रही धनराशी का सदुपयोग नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 32

104. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 1·00 रुपया कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री का नमूना कुछ दिखलाया जाता है और सामान कुछ और सप्लाई किया जाता है जो घटिया किस्म का होता है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

105. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा जनता के प्रति सद्व्यवहार न होकर चोरों से मिलकर धन लूटा जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री हंसराज आर्य (भादरा):
106. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 1·00 रुपया कम कर दिया जाय (15-20 वर्षों से कार्य चालू होने पर भी सड़कें अधूरी हैं तथा अधूरी सड़कें पूरी नहीं कराई जाती एवं समय पर सड़कों की मरम्मत नहीं होती, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

107. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अपराधों को रोकने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा):
108. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत

Page No 62

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त अव्यवस्था के कारण योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति न होने पर चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्राथमिकता निर्धारित करने में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 41

110. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर लग रही पूंजी के अनुपात में उसका रिटर्न न मिलने पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनतांत्रिक समाजवाद अपनाने के पश्चात् भी पुलिस प्रणाली में परिवर्तन न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री शंकरलाल (जेतारण) :

112. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में रोड रोलर की कमी के कारण वर्षों से पड़े अधूरे कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निमार्ण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निमार्ण विभाग के अधिकारियों में योग्यता की कमी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

114. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा बर में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

115. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निमार्ण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धाभाई जी की हवेली, जहां विधायक रहते हैं, के भवन की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई तहसील में राज्य की अन्य तहसीलों से कम सड़कों के निर्माण पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निवाई-बोंली सड़क प्रथम पंचसाला योजना से अब तक पूर्ण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

118. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग

(श्री जय नारायण खालोविया)

में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छपाई की मशीनों की खरीद में व्याप्त अनियमितता एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

119. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में नियुक्तियां, प्रमोशन्स व ट्रांसफर्स में भेद-भाव व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों को कम वेतन मिल रहा है, उसे बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री माईदानसिंह (भीनमाल) :

122. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर सब जिलों में समान पूंजी लगाने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री बृज वल्लभ बोहरा (दीगोद) :

123. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों की मरम्मत में उपेक्षा बरती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

124. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय मकराना (चोरियों, हत्याओं व डकैतियों राज्य में दिन प्रतिदिन बढ रही है और विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

125. **श्री केशरीसिंहहाड़ा** (हिन्डोली) : मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की कच्ची सड़कों में से एक भी सड़क सालों में पक्की नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी की पक्की सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

127. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में घाटा के कराना (तहसील पाटन) में हुई डकैती की बरामदगी नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

128. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से

(श्री मूलचन्द डागा)

100 रुपया कम कर दिया जाय (बिना रोड रोलर के लाखों रुपयों की बनी टार्ड सड़के पाली तहसील में बर्बाद होने की सम्भावनाओं पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोड रोलर के अभाव में पाली तहसील की कोई सड़क पूरी न होने के कारणों पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर से पाली सड़क पर सूरजपोल पर अतिक्रमण जिससे दुर्घटनाएं घटी, इस पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली स्टेशन से बोडो तक जो सड़क बनी है, उसे चौड़ा करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

132. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर के चारों ओर रिंग रोड जो गई है, इस पर भी शहर में से भारी वाहनों को रोकने में यातायात पुलिस असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

133. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में सड़कें निर्माण का ठीक प्रकार से नहीं हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

134. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार एवम् अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर) :

135. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़कों की दुर्व्यवस्था तथा चूरु से रतनगढ़ सड़क की मरम्मत की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

136. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में अव्यवस्था तथा फैले भ्रष्टाचार पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के थानेदारों को थाना इंचार्ज नहीं बनाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनूसूचित जाति के लोगों को पुलिस में निर्धारित कोटे के मुताबिक नौकरी नहीं दी जाती, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री रावत राम)

मांग संख्या 27

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) :

139. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर में विधान सभा सदस्यों के और आवास गृहों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कमक रदिय (जयपुर में एम० एल० ० बंगलोज मे नियमित रुप से निर्माण व सुधार की अवस्था के अभाव में कई सदस्यों के बंगलों में समय पर मरम्मत कार्य नहीं होता और उसमें भेद भाव व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जैसलमेर जिले की (1) जैसलमेर म्याजलार, (2) जैसलमेर सम भूरार (3) मोवला-बईली, (4) रामदेवरा नाचना सीमा सड़कों पर व्यर्थ में लाखों रुपये खर्च करके भी सड़कें अधूरी छोड़ने से हुये नुकसान पर चर्चा के लिये]

142. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर की सीमा सड़कों पर हए भ्रष्टाचार व ठेकेदारों द्वारा अधूरा कार्य छोड़ जाने तथा जैसलमेर–रामगढ़ सड़क पर मोवला के पास माह फरवरी, 1970 में आधा इन्च से सड़क व पुल टूट जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

143. मांग संख्या 32 मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर केन्द्रीय मुद्रणालय में अनियमितताएं व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

144. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार व पुलिस द्वारा जगह जगह जनता के साथ दुर्व्यवहार के कारण बढ़ते हुए असंतोष व अविश्वास पर चर्चा के लिए)।

145. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग निष्क्रियता के कारण जैसलमेर व बाड़मेर सीमा पर गैर कानूनी तौर से पाकिस्तान आने जाने वालों की संख्या में वृद्धि व पासपोर्ट देने में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिलाधीश के लिखने के बाद भी सीमा के लूनार, करड़ा पोछिणा, बीजराज, कतला, गुन्जनगढ़ में होमगार्ड के व्यक्तियों को ट्रेनिंग नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री महेन्द्र कुमार (पाडवा-सु०) :

147. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्णाण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

Page No 66

(श्री महेन्द्रकुमार)

मांग संख्या 12

148. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में आदिवासी कर्मचारियों के साथ असमानता पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 27

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

149. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा-सु०) :

150. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में परसाद से चावण्ड-सेरिया–सलूम्बर सड़क को निर्माण योजना में लेने पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में अधूरी सड़कों का कार्य पूर्ण कराने पर चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपयि कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में जावर माइन्स से चांद गाटी, अदवास, जावद, नई झर से पाल सड़क निर्माण योजना में लेने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

153. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा गांव इटाली पाल के बेगुनाह आदिवासियों के साथ पिटाई के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री जयनारायण (लसाडिया):

154. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धरियावद एवं सलूम्बर तहसीलों में सड़कों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह) :

155. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोडारायसिंह क्षेत्र में सड़क तथा भवन निर्माण के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण किये जाने पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में टोडारायसिंह क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

157. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में टोंक तहसील के पुलिस कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट कार्यवाहियां करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 27

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) :

158. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा, जमवारामगढ़ में सड़कों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार-सु०) :

159. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर से फलोदी-कनारि तक सड़क बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

160. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर वाया लसोडा से वीरोली तब सड़क बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

161. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम कुस्तला से इन्द्रगढ़ सड़क का कार्य पूरा कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :

162. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुढा से सीगनोर तक जिला झुन्झुनू में अप्रोच रोड़ बनाने पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में अकाल राहत कार्य में किये गये सड़कों के स्थायी कार्य पूरे करवाने पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुढा नवलगढ़ सड़क को भौडकी-सीगनोर-बाय बिरोल ग्रामों से होती हुई बनवाने पर चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में सड़कों की हालत सुधारने तथा वहां सड़क निर्माण कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनू जिले में झुन्झुनू में उदयपुरवाटी सड़क के नीचे आई जमीन का मुआवजा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकन्दगढ़ बिसाऊ सड़क में मुकन्दगढ़ से मंडावा तक बनी सड़क के संबंध में विभाग की लापरवाही के कारण हुई दुर्व्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

168. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री शिवनाथ सिंह)

कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

169. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री परसराम (परबतसर-सु०) :

170. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिलों में डाक बंगलों के विस्तार पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 27, मुख्य शीषक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील, नागौर जिला में सड़कों की बुरी हालत है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

172. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील, जिला नागौर, थाना पीलवा में थानेदारों का तबादला करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) :

173. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से कालवाड़ रोड पर ग्राम झोटवाड़ा के 66 मील में दाई ओर के गहरे खड्डों को मिट्टी द्वारा भरांया जाने हेतु चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू से फागी जाने वाली सड़क पर पुलिया के निर्माण हेतु चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू से फागी तक की सड़क पर डामर रोड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

176. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में नियुक्ति शुदा परिगणित जाति के आफिसरों को विशेष सुविधाएं देने पर चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिगणित जाति के पुलिस आफिसरों की नियुक्तियों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

178. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब डिवीजन प्रतापगढ़ की अधूरी सड़कें पूरी कराने पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरलाल मीणा)

मांग संख्या 12

179. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-डिवीजन प्रतापगढ़ में पुलिस की लापरवाही से चोरियां, डकैतियां, अपहरण के मामलों में वृद्धि हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मण तानीवाल (डग-सु०) :

180. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड जिले की भवानीमण्डी से डग तक की सड़कों व पुलों की व्यवस्था करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले की सड़कों की दुर्दशा और अधूरे कार्य को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हुई खरीद के घोटालों के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

183. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (झालावाड़ में विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज व अमानवीय व्यवहार व घटना पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में चोरियां, डकैतियां व कत्ल के मामलों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ के डग क्षेत्र में पुलिस द्वारा जनता के साथ गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में पुलिस की अकर्मण्यता एवं दूषित व्यवहार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री नथमल चौहला (लक्षमणगढ़) :

187. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में सार्वजनिक निर्माण कार्य ठीक नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

188. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में पुलिस द्वारा की जा रही गड़बड़ियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री पृथ्वीराज (बामनवास) :

189. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक

(श्री पृथ्वीराज)

50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेतड़ी, आंतड़ी, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर तक पहुंचाने के लिये लालसोट से गंगापुर जाने वाली सड़क में से सड़क का एक टुकड़ा बनवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

190. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बामनवास से बन्ध मोरा सागर तक बनी सड़क पक्की सड़क में बदलने के लिये, चर्चा के लिए) ।

191. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बौंली से बोरदा सड़क के निर्माण में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

192. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बौंली से बोरदा सड़क को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कराने पर चर्चा के लिए) ।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) :

193. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर व चूरू जिले में न तो नयी सड़कों का निर्माण हो रहा है, न मौजूदा सड़कों की मरम्मत हो रही है और इस विभाग में घोटाले हो रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

194. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल में बनी अधूरी व टूटी सड़कों को पूरा न कराने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 12

195. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकार पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार कम करने में असफल रही, इस संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

196. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा गोलियां चलाकर निहत्थों को मार डालने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

197. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फौजदारी मुकदमात में पोलिटिकल पार्टियों को दबाने हेतु पुलिस द्वारा हस्तक्षेप करने बाबत चर्चा के लिए) ।

198. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फौजदारी केसेज में पुलिस द्वारा मुलजिमान को जल्दी गिरफ्तार न करके चालान पेश न करने बाबत चर्चा के लिए) ।

199. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस आफिसरों के

Page No 71

(राजवी श्री रूपसिंह)

तबादलों में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

200. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। सिविल डिफेन्स व होम गार्ड्स पर सरकार के फिजूल खर्चे पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस उच्च अधिकारियों पर होने वाली फिजूलखर्ची पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री लाभचन्द बैद (सुजानगढ़) :

202. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में सड़कों की बुरी हालत हो रही है और उनकी मरम्मत की अत्यधिक आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

203. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा बरती जाने वाली धांधलियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) :

204. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना-शाहपुरा वाया रामपुर जागीर सड़क-निर्माण के संबंध में चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली-डाबला सड़क को पक्का करने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) :

206. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की जनसंख्या व आय के अनुपात से सड़क–निर्माण हेतु जयपुर जिले में निर्माण कार्य हेतु रुपया खर्च किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

207. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) :

208. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नूआं स्टेशन से हायर सेकेण्डरी स्कूल तक सड़क-निर्माण में होने वाली अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिए)।

209. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री रामनारायण चौधरी)

(झुन्झुनूं से पलसीसर सड़क पर करीब 35 लाख रुपये खर्च हो जाने के बाद भी सड़क को नहीं बनाया जाना, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

210. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय पुलिस मंडावा के भूतपूर्व थानेदार द्वारा मंडावा के निर्दोषि कार्यकर्त्ताओं के विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर):

211. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रीमाधोपुर से अजीतगढ़ सड़क का कार्य चालू कर बन्द करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

212. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस से उदयपुर (झुन्झुनू) सड़क की हो रही दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

213. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर हो रहे खर्चे में भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रलावता से भोजपुर (सीकर) तक सड़क वर्षो से नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

215. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना से कोटपूतली सड़क वाया रायपुर होते हुए कई वर्षों से न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

216. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

217. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सांगोद में दिनांक 15-7-69 को एक स्त्री को उसके ससुराल वालों द्वारा जिन्दा जला देने व आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

218. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग मे से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में हो रही चोरियों को रोकने में पुलिस द्वारा असमर्थ रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

219. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नीम का थाना में हुए

Page No 73

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

दिनांक 23-11-69 को गोलीकाण्ड से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए एवं उसकी जुडिशियल जांच की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

220. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले में पुलिस अधिकारियों के स्थानान्तरण राजनैतिक दृष्टिकोण से बार बार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर):

221. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर-दहीखेड़ा-पनवाड-धूलेट-कनवास सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने से होने वाली असुविधाओं के बारे में चर्चा के लिए)।

222. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नेशनल हाई-वे कोटा-झालावाड़-भोपाल को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने बारे में चर्चा के लिए)।

223. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर-सारोला-अरन्या सड़क की वर्षों से मरम्मत नहीं होने व पुलियाओं के टूट जाने से होने वाली यातायात की असुविधाओं पर चर्चा के लिए)।

224. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर तहसील, जिला झालावाड़ में सड़कों की मरम्मत न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

225. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व कोटा रियासत के समय की सड़कों से अलहदा बनी हुई पुलियाओं की नियमित मरम्मत नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरीबाजार, जयपुर):

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर),

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां):

226. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मंत्रियों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच की व्यवस्था अभी तक भी नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

227. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरी आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के अनुसार मृतकों के परिवारजनों एवं घायलों को मुआवजा नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

228. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा, सांगरिया एवं चूरू में हुए गोलीकाण्डों की जांच करने वाले कमीशन की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आदि)

229. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर समुचित कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

230. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 22—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गिरती हुई शान्ति एवं व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)

231. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—(सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए)।

232. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अधूरे भवन व सड़कें शीघ्र पूर्ण कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

233. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तगत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोर्धन से बारवासर तक सुरक्षा सड़क का कार्य शीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा लिए)।

234. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर, तहसील नोखा में मुकान स्थान से धोकधोरा व पीपासर तक मैटल सड़क बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

235. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पी० डब्ल्यू० डी० की इमारतों की विशेष मरम्मत के बारे में चर्चा लिए)।

मांग संख्या 12

236. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीनमाल सी०ओ० हल्का में अधिक चोरियां एवं चोरियों का पता न लगने के संबंध में चर्चा के लिए)।

237. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की प्रोसीक्यूशन शाखा की अनुभवहीनता एवं संगीन जर्मों में सरकारी पैरवी के अभाव से मुकद्दमात की असफलताओं पर चर्चा के लिए)।

238. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में खेजड़ीवाली पुलिस अन्डरपोस्ट को स्थाई करने के बारे में चर्चा के लिए)।

239. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पुलिस थाना सांचोर एवं सरवाड़ा में जीप गाडियां दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

240. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तगत मांग में से 100 रुपया

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कम कर दिया जाय (जिला जालोर की सरहद के पास नैनावा गांव में हाल ही में हुई डकैती के बारे में चर्चा के लिए)।

241. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पिछले वर्षों में हुए संगीन जुर्मों में सही छानबीन करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

242. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों को दूर करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

243. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों की आम जनता के प्रति गलत दृष्टिकोण की शिकायतों पर चर्चा के लिए)।

244. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की मौजूदा जिम्मेवारियों को देखते हुए उनका वेतन-स्तर बढ़ाने के बारे में चर्चा के लिए)।

245. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थोबारू ग्राम जिला जालोर की डकैती एवं नैनावा ग्राम की डकैती के बारे में चर्चा के लिए)।

246. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेल्वे पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए)।

247. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में पिछले सालों में बढ़ते हुए संगीन जुर्मों की रोकथाम में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए)।

248. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाजोड़ा थाना में हुए 302, आई० पी० सी० के मुकद्दमे सरकार विरुद्ध छैलसिंह की बिगाड़ी हुई तफतीश के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री कन्हैयालाल (बस्सी-सु०):

249. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बस्सी से तूंगा तक सड़क की खराब हालत पर चर्चा के लिए)।

250. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कानोता से सामरिया व जटवाड़ा से दड़वा तक की सड़क निर्माण के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री नाथूराम करोल (जमुवारामगढ़):

251. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्ध जमुवारामगढ़ से सामरेढ़ दला, माथास्टला व कैला से होती हुई प्रतापगढ़ तक नई सड़क का निर्माण होने पर चर्चा के लिए)।

(श्री नाथूराम करोल)

252. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण काय आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (जो सड़क अलवर-देहली सड़क में से, ताला तक बनाई जा रही है, उसको परतापगढ़ तक बनाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

253. मांग संख्या 12, मुख्य शी क 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग म से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 27

श्री रतनलाल रोत (चौरासी-सु०):

254. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में डामर की सड़कों का अधिक विस्तार करने बाबत चर्चा के लिए)।

255. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में सड़कों के लिए धन कम रखा है, इस पर चर्चा के लिए)।

255. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में अधूरी सड़कों को पूरा करान हेतु चर्चा के लिए)।

256. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीछीवाड़ा पंचायत समिति के अन्दर नेशनल हाईवे व डूंगरपुर रतनपुर सड़क पर कृषि भूमि सड़क में दब जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

258. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 27

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी):

259. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से बघरा रोड पक्की बनवानें के संबंध में चर्चा के लिए)।

260. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से खादेड़ा सड़क पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

261. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केकड़ी से सावर रोड पर एवं केकड़ी से मालपुरा रोड पर डाई नदी पर रपटें बनाने काबरा चर्चा के लिए)।

Page No 77

(श्री देवीलाल बुरासिया)

262. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 3,000 जनसंख्या वाले केकड़ी क्षेत्र के कस्बों को सड़कों से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिए)।

263. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सरवाड़ में बारा माइल से शेरगढ़ होती हुई डबरेला सड़क-निर्माण पर चर्चा के लिए)।

264. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरवाड़ तहसील में फतहगढ़ से शेरगढ़ सड़क-निर्माण बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 32

265. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा अस्पतालों में लेखन सामग्री समय पर उपलब्ध न कराई जाने पर चर्चा के लिए)।

266. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सरकारी कार्यालयों में समय पर लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

267. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के सदस्यों को की पोस्ट पर नियुक्ति करने में धांधलीबाजी के संबंध में चर्चा के लिए)।

268. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए)।

269. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले के पुलिस चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

270. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्ता-मांगरोल सड़क अभी तक डामर रोड नहीं बनाई गई तथा इसकी मरम्मत नहीं कराई गई, इस पर चर्चा के लिए)।

271. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोयला सड़क डामर रोड बनाये जाने एवं सड़क टूटी-फूटी पड़ी हुई है, उसकी मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिए)।

272. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीसवाली से ठीयरी चार मील सड़क पक्की नहीं बनाई जाने बाबत चर्चा के लिए)।

273. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मांगरोल-सीसवाली सड़क को योजना में नहीं लिये जाने से जनता में पूर्ण असन्तोष व सरकार की पक्षपात नीति पर चर्चा के लिए)।

274. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिला क्षेत्र की सड़कों की नहर आदि के कारणों से हुई खराब हालत पर चर्चा के लिए)।

275. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील किशनगंज क्षेत्र में रेलावन-रामगढ़ रोड की दुर्दशा एवं अधूरी व डामर रोड नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

276. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के विस्तार व निर्माण में नागपुर योजना को लागू नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

277. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा, बारां, शिवपुरी सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

278. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बदनोर, जिला भीलवाड़ा) में जनसंघ कार्यकर्त्ताओं व जनसंघ कार्यालय पर कुछ लोगों द्वारा बारम्बार किए जाने वाले हमले व लूटमार की घटनाओं की रिपोर्ट होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

279. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस हवालात में रहने वाले मुल्जिमों को जेल के कैदियों के बराबर खुराक नहीं दिए जाने व बरते जा रहे भेदभाव पर चर्चा के लिए)।

280. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद के ग्राम खटका में एक सहरिये की हुई हत्या के मामले को दबाए जाने पर चर्चा के लिए)।

281. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले के ग्राम पलायथा व केथून आदि स्थानों पर हुई हजारों व लाखों रुपये की चोरियों का पता लगाने में पुलिस निष्क्रियता बरत रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

282. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में खरीद किए

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

गए सामान में हुए भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं नियमों के उलघंन पर चर्चा के लिए)।

283. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० ए० सी० के हैड-कांस्टेबिल्स (हवलदारों) को प्लाटून कमान्डर के पद पर किए गए सिलेक्शन के मामले में हुए पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

284. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील शाहबाद के ग्राम खटका में गंगे नामक सहरिये की की गई हत्या के मामले को हत्यारों को बचाए जाने के लिए पुलिस अधिकारियों के षडयन्त्र पर चर्चा के लिए)।

285. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अटरू के ग्राम अरण्या में एक मीणें की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा उक्त मीणे की औरत के साथ किए गए लज्जा-जनक एवं अमानवीय अत्याचारों पर चर्चा के लिये)।

286. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कोटा को तहसील अटरू के ग्राम पिपलोद में इसाइयों द्वारा किए गए हमला काण्ड के मामले में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का चालान अभी तक नहीं किए जाने व मामले को षड्यन्त्रकारी ढंग से दबाए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

287. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू रोड क्षेत्र के कई हत्या के मामलों को पुलिस द्वारा दबाए जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री शंकरलाल जाट (कपासन)

288. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्ग मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों में बढ़ते जा रहे पक्षपात के संबंध में चर्चा के लिये)।

289. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कद दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये बजट में समान राशि नहीं रखी है, इसके संबंध में चर्चा के लिये)।

290. मांग संख्या 27 मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर लगी पूंजी के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

291. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में सुधार की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये)।

292. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) :

293. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण की योजनाएं क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार न बनाई जाकर राजनैतिक आधार पर बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

294. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हत्याऐं, डकैतियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं एवं अपराध बढ़ रहे हैं और पुलिस विभाग सर्वथा निष्क्रिय है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

295. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मशीन एण्ड टूल्स को हायर परचेज पर ठेकेदारों को अनियमित रूप से देने पर चर्चा के लिये)।

296. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों की पदोन्नतियों में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

297. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के नीचे आई हुई भूमि का मुआवजा नहीं देने तथा ज़बरन भूमि पर कब्जा कर लेने पर चर्चा के लिये)।

298. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं से निम्बी जोधा सड़क की हालत खराब होने पर भी उसकी मरम्मत न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

299. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसवन्तगढ़ से लाडनूं और जसवन्तगढ़ से लाम्बी जाने वाली सड़क पर लोगों द्वारा सड़क की जमीन पर कब्जा कर लेने पर चर्चा के लिये)।

300. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुजानगढ़ शहर में विभाग की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

301. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के कार्य में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

302. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय अधिकारियों द्वारा लोहे का सामान खरीदने में किये गये घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

303. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनू-नागौर सड़क की मरम्मत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

304. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा लाडनूं में पुलिस थाने से लेकर राव तालाब तक शहर के बाहर होकर बनाई जाने वाली सड़क का कार्य शुरु नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

305. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, पंचायत ललासरी, जिला नागौर के खिलाफ चल रहे केस में पुलिस द्वारा चालान नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

306. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरपंच, चन्द्राई, तहसील लाडनूं के खिलाफ पूरी शहादत होते हुये भी अब तक चालान पेश नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

307. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम तीतरी, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में थानेदार डीडवाना द्वारा एक लड़की को उड़ाकर ले जाने के मामले में उक्त थानेदार का चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

308. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास चल रहे मामलों में समय पर चालान नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

309. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार, लाडनूं की बार बार शिकायतें होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

310. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

311. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़-फतेहपुर सड़क को नेशनल हाईवे से न जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

312. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रतनगढ़-चूरू सड़क की दुर्दशा व मेन्टीनेन्स पर लापरवाही बरतने के संबंध में चर्चा के लिये)।

313. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

(श्री मेघराज पंवार)

जाय (चूरू जिले की सड़कों के मेन्टीनेन्स में होने वाली लापरवाही व धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

314. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की सड़कों के निर्माण में हुई फिजूल खर्चा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

315. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के जवानों के साथ विभागीय उच्चधिकारियों द्वारा किये जाने वाले अमानवीय व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

316. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में जवानों को समय पर वर्दियां न बांटे जाने व उससे उत्पन्न भ्रष्टाचार की स्थिति पर विचार किये जाने बाबत)।

317. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में पुलिस के जवानों की भलाई के लिये कायम किये गये विभिन्न फन्ड्स का सदुपयोग न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

318. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में जवानों को दिये जाने वाले भत्तों की दरों में बरती जाने वाली असमानता पर चर्चा के लिये)।

319. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर व चूरु जिलों में किसान आन्दोलन के शान्त सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा किये गए दुर्व्यवहार के संबंध में चर्चा के लिये)।

320. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में शुतर सवारों को खर्च से कम मासिक भत्ता दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

321. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों से अधिक काम और कम सविधायें दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

322. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरु जिले में पुलिस की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

323. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

324. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरु जिले में

Page No 83

(श्री मेघराज पंवार)

इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी में पुलिस की असफलता के संबंध में चर्चा के लिये)।

325. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में पुलिस की अकमणयता और बढ़ते हुई जुर्मों के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री किशनलाल शर्मा: (नाथद्वारा):

326. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुपरिण्टेंडिंग इंजीनियर के पद समाप्त करने बाबत चर्चा के लिये)।

श्री भवरलाल (हिन्डौन) :

327. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

328. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण का आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंभीरी) नदी पर बने पुल में आई किसानों की जमीनों का मुआवजा चुकाने में विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

329. मांग संख्या 27, मुख्य शी क 50-सार्वजनिक निर्माण आदि कार्य के अंत त मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (हिन्डौन सब-डिविजन में बने हुए पुराने सरकारी भवनों की मरम्मत व देखभाल नहीं करने से भवनों की हो रही दु शा पर चर्चा के लिये)।

330. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय सड़कों आदि के नीचे आई भूमि का मुआवजा चुकाने में विभागकी ि लाई पर चर्चा के लिये)।

331. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन की घमान-घोलटा सड़कों पक्की नहीं किये जाने पर सरकार की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

332. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर की सड़कों की हो रही दुर्गति की ओर विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये)।

333. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50 सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में निर्माण कार्य खोलने में सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकोर (पचपदरा) :

334. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरुस्थल में सड़कों पर रेत के टीलों के कारण मार्ग

(श्रीमती मदनकौर)

अवरुद्ध होने तथा उनको (टीलों) को शीघ्र न हटाये जाने पर चर्चा के लिये)।

335. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी चर्चा के लिये)।

336. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्य बन्द कराने संबंधी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

337. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों की रोक संबंधी पुलिस विभाग के उदासीन रुख पर चर्चा के लिये)।

338. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराधों की संख्या में कमी बताने हेतु अपराधों को दर्ज ही नहीं करने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

339. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अपराध का पता लगाने संबंधी आधुनिक तरीके अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

340. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों में गुन्डागर्दी पर रोक लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए)।

341. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता के साथ पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के अभद्र व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

342. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 52-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (जयपुर जिले के सड़क निर्माण कार्यों पर जो पूंजी लगाई जा रही है, उस संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

343. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया दिया जाय (जयपुर जिले में बनने वाली सड़कों के निर्माण के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

344. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालावाड-प्रचार-लाडपुरा-हिंगोनिया मन्डा-भीमसिंह व चौसला सड़क के निर्माण कार्य पर चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा):

345. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर-सरदारशहर सड़क जो कि चौथी योजना में स्वीकृत है उसका कार्य तत्काल प्रारंभ करने पर चर्चा के लिये)।

346. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर-खाजूवाला वाया पूंगल सीमा सड़क का अधूरा कार्य तत्काल प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू):

347. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूदू से फागी व मोखमपुरा से फुलेरा रोड पर डामर नहीं डालने पर चर्चा के लिये)।

348. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में पड़ा सोली से साखून व झागा से मोजमाबाद व भमाणा से भरावर रोड्स को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लेने पर चर्चा के लिये)।

349. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुरानी रोड्स की मरम्मत हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि नहीं रखने पर चर्चा के लिये)।

350. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करा दिया जाय (अकाल राहत स्कीम में की गई सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं, उन्हें पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 32

351. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज-पत्र का प्रकाशन बजाय अंग्रेजी के राजस्थानी भाषा में कराने पर चर्चा के लिये)।

352. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कानून व सरकारी विभागीय निर्देश राजस्थानी (हिन्दी) भाषा में मुद्रण होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

353. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा चोरी, डकैती आदि में कमी करने में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 27

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर), **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर):

354. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि

Page No 86

(श्री रामचन्द्र आर्य आदि)

अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सड़कों और भवनों की मरम्मत पर जो पूंजी लगाई जा रही है, इस संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

355. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभाग द्वारा कई फिजूल खर्चे कि जाने के संबंध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

356. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोगामेदी से जेठराना–बावाली एवं फेफाना तक सड़क का निर्माण कार्य चालू किये जाने पर चर्चा के लिये)।

357. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पल्लू से अरजनसर तक सड़क का निर्माण होना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा के लिए)।

358. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में स 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा से सादूलपुर तक सड़क पक्की बनाने से भादरा कस्बा व नोहर व जिला गंगानगर का रास्ता जयपुर के लिए बहुत सीधा खुल जाता है, इस पर चर्चा के लिये)।

359. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा-सिरसा रोड को पूरा किया जावे ताकि भादरा हरियाणा की मंडी सिरसा से मिलाने से भारी फायदा होगा, इस पर चर्चा के लिये)

360. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंधेली से हरियाणा की मंडी एलनाबाद से मिलाने के लिए इस सड़क का निर्माण बहुत जरूरी है, इस पर चर्चा के लि)।

361. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्दूमल कोट से अनूपगढ़ तक बोर्डर रोड को पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

362. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सा जनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फेफाना से वाया मलवानी से ऐलनाबाद सिरसा रोड में सड़क को मिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

363. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर से ललाना तक व ललाना से भादरा तक सड़क पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

364. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-गंधेली-रामपुर तक सड़क पक्की बनाई जाने पर चर्चा के लिये)।

(श्री रामचन्द्र आर्य आदि)

365. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-सरदारशहर वाली सड़क शीघ्र पक्की की जाने पर चर्चा के लिये)।

366. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में एप्रोच रोड बनाने पर चर्चा के लिये)।

367. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-रावा रोड़ को पक्की नहीं करने से जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है; इस पर चर्चा के लिये)।

368. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-पल्लू रोड पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

369. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ पल्लू रोड़ का निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा रहा है, स पर चर्चा के लिये)।

370. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तलवाड़ा से हनुमानगढ़ तक सड़क का निर्माण नहीं होने से जनता को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

371. मांग संख्या 27, मुख्य शी`क 50-सावजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाईया टीबी व संगरिया टीबी सड़क का कार्य चालू नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

372. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ से रावतसर तक आने वाली सड़क का का बार बार मांग करने पर भी चालू नहीं किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

373. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण का आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़, छतरग तक जाने वाली सड़क अधूरी पड़ी है, इसको पूरा करवाने पर चर्चा के लिये)।

374. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुपगढ़ से बीकानेर जाने वाली रोड़ अधूरी रहने से प्रदेश की सीमा-सुरक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट उत्पन्न हो रही है; इस पर चर्चा के लिये)

375. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अत`त मांग में से 100 रुपया कम कर दिया

Page No 88

(श्री रामचन्द्र आर्य आदि)

जाय (रायसिंह नगर से अनूपगढ़ तक सड़क अधूरी है, उसे पूरी करने पर चर्चा के लये)।

376. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पीलीबांगा से सूरतगढ तक सड़क नाली की बाढ़ से सालाना टूट जाती है, इस पर चर्चा क लिये)।

377. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

378. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मजदूरों को पृथक करने से मजदूरों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है, इस कार्य में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

379. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में सड़कों की मरम्मत कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिय)।

380. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोहर-रावतसर सड़क व नोहर-भादरा सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

381. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय नोहर-सिरसा जाने वाली रोड़ अधूरी होने से जनता व सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

382. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में पंचायत ढढेला की जमीन में पानी नहीं लगाने के विरुद्ध पंचायत ने थाना रावतसर में मनोहर दास पुत्र गोकुलदास के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया था व मनोहरदास की बन्दूक जब्त कराने की पंचायत ने रिपोर्ट दी थी लेकिन पुलिस ने मुलजिम से रिश्वत खाकर चालान नहीं किया, इस पर चर्चा के लिये)।

383. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव ढढला के पतराम का एक रेडियो चोरी चला गया था, थाना पुलिस रावतसर में रिपोर्ट दी गयी थी, लेकिन सी० आई० व थानेदार न मिलकर चोर से रिश्वत खाकर चोर को गिरफ्तार नहीं किया, इस पर चर्चा के लिय)।

384. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में एक डाक्टर की दुकान पर नकली दवाई बेचने वालों को थानेदार ने पकड़ा था, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामचन्द्र आर्य आदि)

385. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव दासूवाली तहसील नोहर के हरिजनों के पुराने कब्जे की भूमि पर कुछ सवर्णों द्वारा जबरन कब्जा पुलिस की मदद से कर लिया गया। आज भी उस फसल पर पुलिस की गार्ड बैठा रखी है और उन हरिजनों पर झूठे मुकदमें बनाकर भारी यातनाएं दी जा रही हैं, इस पर चर्चा के लिये)।

386. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव जसाना, तहसील नोहर के चौखाराम हरिजन पर झूठा मकदमा बना कर पुलिस थाना नोहर के ए० एस०आई० ने उस हरिजन को गिरफ्तार करके भारी यातना दी, इस पर चर्चा के लिये)।

387. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चेतनराम सत्याग्रही को बीकानेर जेल से रिहा होने पर पुलिस ने गिरफ्तार करके थान में ले जाकर उसकी भारी पिटाई की, इस पर चर्चा के लिये)।

388. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर जेल में 3 सत्याग्रहियों की मृत्यु के बाद पुलिस न उन सत्याग्रहियों की लाशें रास्ते में जलादी जिससे जनता में भारी रोष उत्पन्न हुआ है, इस पर चर्चा के लिए)।

389. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग से में 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री गंगानगर जिले के किसान आन्दोलन के दौरान सत्याग्रहियों को पुलिस द्वारा भारी यातनायें दी गई भोजन व कपड़े तक नहीं दिये गये, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री राम चन्द्र आर्य (वि० सं० 10)
श्री केदारनाथ (वि० सं० 20)
प्रस्ताव करेंगे कि :—

390. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हनुमानगढ़ व सांगरिया के किसानों की पुलिस ने ग्रामों में जाकर पिटाई की व उनके खलिहानों में आग लगा दी गई, इस पर चर्चा के लिए)।

391. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में किसान आन्दोलन के दौरान सत्याग्रहियों को पुलिस के ट्रकों में बैठाकर ठंडी रातों में जंगलों में ले जाकर पिटाई करके छोड़ दिया, इस पर चर्चा के लिए)।

392. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अनूपगढ़ में 3 नवम्बर को जनता पर भीषण लाठी चार्ज किया व अनेक कार्यकर्त्ताओं, जो होटलों पर बैठे हुए थे उनकी भी भारी पिटाई की गई, इस पर चर्चा के लिए)।

393. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सूरतगढ़ में सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने व उन्हें भारी यातनायें देने पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामचन्द्र आर्य आदि)

394. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर में पुलिस द्वारा महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया, उसमें एक महिला की मृत्यु हुई, इस पर चर्चा के लिए)।

395. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील रायसिंह नगर की जनता पर पुलिस द्वारा भारी अत्याचार करने व अनेक कार्यकर्त्ताओं पर भी मुकद्दमें बनाए जाने पर चर्चा के लिए)।

396. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील संगरिया की जनता पर किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस के अत्याचार पर चर्चा के लिए)।

397. मांग संखा 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पदमपुर में किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर पुलिस द्वारा भारी अत्याचार करने पर चर्चा के लिए)।

398. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील भादरा में किसान आन्दोलन के दौरान पुलिस द्वारा जनता पर भारी अत्याचार किये हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

399. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर के किसान आन्दोलन के दौरान जनता पर अत्याचार हुए, कानून व व्यवस्था बनाये रखने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

400. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसाना गांव की जनता पर पुलिस के अत्याचारों पर चर्चा के लिए)।

श्री केदारनाथ (श्रीगंगानगर):

401. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील करणपुर में किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर भारी अत्याचार किये गए हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल):

402. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (मूल निर्माण कार्यों से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर अन्य स्थापना में अधिकारियों की नियुक्ति कर अपव्यय करने के संबंध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

403. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (भाखरा, राजस्थान नहर एवं चम्बल परियोजना क्षेत्रों में मंडी विकास कार्यों में शिथिलता से हो रहे कार्यों की नीति का अननुमोदन)।

404. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50–सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत

(श्री रामसिंह कुड़ी)

इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभागीय तौर से शिकायतों की जांच तक नहीं कराने संबंधी सरकार की नीति का अनुमोदन)।

405. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले की नगर-पालिकाओं को सड़कों के निर्माण हेतु अनुदान नहीं दिये जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

406. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के भ्रष्टाचार रोकने की परम आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

407. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनियमित सड़क निर्माण कराने एवं बिना मंजूरी निर्माण कार्य करने के बारे में चर्चा के लिए)।

408. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 1.00 रुपया कम कर दिया जाय (सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स श्री जोशी एव श्री हरिकृष्ण कल्ला के विरुद्ध हुई शिकायतों पर जांच (विभागीय) नहीं कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

409. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50—सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय सेवाओं में पदोन्नति में हुई गड़बड़ियों के बारे में चर्चा के लिए)।

410. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के समस्त सरकारी मकानों या भवनों एवं राज्य सरकार को सुपुर्द भवनों की पूरी सूची तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नहीं हैं एवं न सरकारी सड़कों की पूरी सूची है, जिससे होने वाली हानि के बारे में चर्चा के लिए)।

411. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर-जैसलमेर राजमार्ग को पूरा करने में विभागीय शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

412. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल सहायता से बनी सड़कों को पूरी नहीं करने से होने वाली क्षति के बारे में चर्चा के लिए)।

413. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बनी सभी सड़कों एवं सभी सरकारी विभागों या कार्यालयों व संस्थाओं के लिए सुपुर्द भवनों को इस विभाग द्वारा लेने में शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

414. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

Page No 92

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(स्टोर्स पर्चेज के घोटालों की जांच एवं भविष्य में खरीद के मामलों में सतर्कता बरतने के बारे में चर्चा के लिए)।

415. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सुपरिन्टेन्डिग इंजीनियरों के पद समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिए)।

416. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इस मांग के दोनों मुख्य शीर्षकों में अलग 2 अधिकारी स्टोर एवं कार्यालय नहीं रख कर अनावश्यक व्यय को मिटाये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 41

417. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (विभिन्न विभागों के लिये जिलेवार व योजनावार भवन निर्माण नहीं कराने एवं इस संबंध में पक्षपात किये जाने एवं समान पैटर्न नहीं अपनाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

418. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (ग्रामीण छात्रों के आवास हेतु छात्रावासों के भवन नहीं बनाने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

419. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खाटू कलां, तहसील जायल, जिला नागौर के स्कूल भवन निर्माण हेतु सरकार में एक दानदाता द्वारा दी गई 2,500/- की राशि के संबंध में चर्चा के लिए)।

420. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माणकार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील हैड क्वार्टर्स पर भवन कार्यालयों एवं सरकारी आवासों की कमी के बारे में चर्चा के लिये)।

421. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिला मुख्यालय पर सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर्स की कमी के बारे में चर्चा के लिए)।

422. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जायल पशु चिकित्सालय का भवन निर्माण नहीं कराने के बारे में चर्चा के लिए)।

423. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर शहर में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किराये के मकानों के किराये लेने एवं ऊंची रेटों से किराया चुकाने को बचाये जाने हेतु राजकीय भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

Page No 93

(श्री रामसिंह कुड़ी)

424. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के स्कूलों के भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

425. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर की तहसील के लिए नये भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 32

426. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी मुद्रणालयों के साथ साथ सहकारी मुद्रणालयों की स्थापना के लिए सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

427. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निजी मुद्रणालयों में मुद्रण हुए में घोटालों के संबंध में चर्चा के लिए)।

428. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय मुद्रणालयों की क्षमता नहीं बढ़ाने से होने वाले अपव्यय एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

429. मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय राज-पत्र में राजकीय आदेशों एवं सूचनाओं का प्रकाशन भारी विलम्ब से होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

430. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (गृह-रक्षा दल को अधिक सुसज्जित करने एवं स्थायित्व प्रदान करने के संबंध में सरकार की उदासीनता की नीति का अननुमोदन)।

431. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पुलिस विभाग में शोध व अन्वेषण शाखाएँ स्थापित नहीं करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

432. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रोसीक्यूटिंग ब्रांच के अधिकारियों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

433. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रोसीक्यूटिंग ब्रांच को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने हेतु सरकार द्वारा आश्वासन पूरा नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

434. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा जीपों के उपयोग में मितव्ययता की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

435. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के कार्यालय भवनों एवं आवास भवनों का निर्माण नहीं करवा पाने के बारे में चर्चा के लिए)।

436. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब-इन्सपैक्टरों एवं हेड-कांस्टेबलों को विदेशों में बढ़िया पुलिस कार्यों के तौर तरीकों में प्रशिक्षण हेतु उन्नत देशों में भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

437. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस तफतीश के आधुनिकरण पर चर्चा के लिए)।

438. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर के नांगड़ी गांव के हत्या-काण्ड व डकैती-काण्ड के मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं कर सकने पर चर्चा के लिए)

439. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के समस्त पुलिस थानों को टेलीफोन से नागौर से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

440. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (होम-गार्ड्स संगठकों को जिला स्तर पर सुसज्जित न करने से होने वाली क्षति को रोकने पर चर्चा के लिए)।

441. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० आई० जी० पी० रेजों के पद समाप्त करने के बारे में चर्चा के लिए)।

442. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों को टेलीफोन, सचार के साधनों एवं शस्त्रों से सुसज्जित करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

443. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कार्यों की कुशलता बढ़ाने के लिए कमीशन का गठन नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

444. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के क्षेत्रों व पुलिस सेवाओं के पुनर्गठन पर चर्चा के लिए)।

445. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पूरा वेतन उनकी कार्य क्षमता के आधार पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

446. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों

Page No 95

(श्री रामसिंह कुड़ी)

एवं अधिकारियों का प्रशिक्षण अपर्याप्त व बहुत कम समय का होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 27

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

447. मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50-सार्वजनिक निर्माण कार्य आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अलवर जिले में सड़कों की मरम्मत में ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

448. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 41

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट):

449. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अन्तर्गत जो धनराशि खर्च की जाती है, वह सही ढंग से खर्च नहीं होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

450. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों की मनमानी व अत्याचार पर चर्चा के लिए)।

श्री विजयसिंह (मकराना) :

451. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग जन-सुरक्षा करने में अयोग्य रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर):

452. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस शहरों में गुण्डागर्दी रोकने में असमर्थ रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

453. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर में गत दो वर्षों से गुन्डागर्दी, मारपीट के मामले बहुत बढ़ गये हैं, किन्तु पुलिस की निष्क्रियता व पक्षपात के कारण जनजीवन संकट में है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) :

454. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पुलिस के अन्तर्गत इस मांग कोघटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य *Vs* अब्दुल सलाम वगैरह, जुर्म दफा 302, ता०हि०, थाना मकबरा (कोटा), की तफतीश पर मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) :

455. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कम कर दिया जाय (फुलेरा के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश हो जान के बावजूद जांच शुरू नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

456. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग द्वारा मांगू जाट आदि सा० मातेडा, तहसील फुलेरा के विरुद्ध डकैती का चालान प्रस्तुत नहीं करने पर चर्चा के लिए) ।

457. मांग संख्या 12, मख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांभर सा० मातेडा, तहसील फुलेरा की एक विधवा स्त्री की फसल लुटवा देने पर भी उसके विरुद्ध जांच अभी तक नहीं कराने, इस पर चर्चा के लिए)।

458. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सा० मातेडा, तहसील फुलेरा की विधवा स्त्री के विरुद्ध 20 झूठे मुकद्दमे दर्ज किये जान पर चर्चा के लिए) ।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर):

459. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव 2 में झगड़ बढ़ रहे हैं व गुण्डागर्दी दिन प्रतिदिन वढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

460. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

(12.15 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य ।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे आज दो कटौती के प्रस्ताव हैं । एक सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में और दूसरा गृह विभाग के संबंध में ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले उधर नम्बर कैसे मिलना चाहिए ?

श्री हंसराज आर्य : सार्वजनिक निर्माण विभाग का जहां तक संबंध है, यह बहुत बड़ा विभाग है और पूरे राजस्थान में फैला हुआ है । लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जितना बड़ा यह विभाग है, उतनी ही इस विभाग में सुस्ती भी है । जहां जहां सड़कों का निर्माण शुरु हुआ है, कहीं दो मील बनी, कहीं पांच मील बनी, कहीं दस मील और फिर रुक गई। जिनको दो साल के बाद पूरा हो जाना चाहिये था, आज तक नहीं बन पाई। दस दस और बीस बीस वर्ष हो गे । मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि ऐसी मिसाल राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान में भी नहीं मिलेगी। राजगढ से सांखू है। बीकानेर स्टेट के वक्त में वह बननी शुरू हुई थी संवत 1996 म अकाल म वह सड़क निकाली गई थी और आज 30-32 वर्ष होने वाले हैं, मेरे ख्याल से इतने लम्बे समय तक हिन्दुस्तान में कोई भी सड़क नहीं होगी जो अधूरी पड़ी रही हो। इसी तरह से भादरा से सावा तक की एक सड़क है। 1908 में अकाल में यह भी बननी शुरू हुई थी पर आज तक वह भी नहीं पूरी हुई। 19-20 साल के अर्से में वह सड़क टूट टाट कर ठिकाने भी लग गई है। उस पर तीन बार मिट्टी पडी। और वह भी उड़ गई । कंकर पड़े ख़त्म हो गये। भाटे पड़े वे

(श्री हंसराज आर्य)

भी खत्म हो गये। इंटें पड़ीं खतम हो गई। एक मील का टुकड़ा ऐसा है जिसके लिये पांच पांच, छःछः साल से टेण्डर हुए हुए हैं पर आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। इससे बढ़कर सुस्ती और क्या हो सकती है ? इस ओर मैं निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसको कब तक पूरा करा दिया जावेगा ? पूरी तहसील में सड़कें पूरी नहीं हुई–भादरा से डाबड़ी, भादरा से झांसल, भादरा से नोहर-सभी सड़कें अधूरी है। निर्माण मंत्रीजी भादरा-साहल रोड का उत्तर देंगे। मैंने दौरा भी कराया, आंखों से भी दिखाया उनको। उस सड़क पर गाड़ी चल नहीं सकी, बीस मील तक सड़क के नीचे नीचे गये और स्वयं ने मन्जूर किया कि इससे बुरी सड़क नहीं हो सकती, पर आज भी वह वैसी ही पड़ी है। भादरा से झांसल सड़क बनी। उसका अब नाम निशान मिट गया। मुझे खुशी है उसकी कुछ मरम्मत हुई है, पर फिर भी वह अधूरी पड़ी है। सम्वत् 2026 के अकाल में भादरा से राजगढ़ की सड़क शुरू करवाई। सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ। सैंकड़ों की संख्या में तारकोल के ढोल भी पहुंच गये। मैं नहीं समझ सका कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वह सड़क बनी क्यों नहीं, तारकोल डाला क्यों नहीं ? डामर के ढोल पड़े रहे। तारकोल उनमें से निकल कर बहता रहा और इतना बहा कि तारकोल से एक गडढा भर गया और उस गडढे में डूबकर एक गाय मर गई। शिकायत मंत्रीजी को की गई। परिणाम इसका यह हुआ कि अब वे ढोल भी वहां से गायब कर दिये गये। सड़क बनाना तो दर किनार रहा वे ढोल ही वह से हटा दिये गये। पता नहीं कहां चले गये। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से पैसा व्यथ बहाने से क्या लाभ ? जहां आप सड़क बनवाएं उसे तुरन्त पूरी करवा दें।

रामसरा खाण पर लाखों मण भाटा पड़ा है, बेकार पड़ा है, उपयोग नहीं है। निकलवाया किसी न एक कंकर उसमें से नहीं उठाया। काफी अर्से से भाटा पड़ा है। कोई उपयोग नहीं हो रहा है। आखिर खातेदार किसान का खेत था वहां उसकी कई बीघा जमीन में वह भाटा बिखरा पड़ा है। भूमि काश्त-योग्य नहीं रही, किसान उन भाटे के चारों ओर चक्कर काट रहा है। वह किसान काश्त करे तो क्या काश्त करे ? भाटे पड़े हैं। 30 बीघा जमीन है। कुछ में भाटे पड़े हुए हैं। 10 बीघों म भाटे निकाले गए हैं, दो बीघों में भाटे साफ कर लिए गए हैं। पूरी जमीन रोक दी गई है, एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। धीरे धीरे कभी 4 मन, कभी 20 मन, जैसे आवश्यकता होती है, भाटों को वहां के लोग उठाकर ले जाते हैं लेकिन विभाग ने कुछ भी निर्माण का काम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाटे निकालने से, पैसा खर्च करने से क्या लाभ हुआ ? सरकार का पैसा खर्च हुआ, विभाग की बदनामी हुई। कहावत है कि आंधी पीसे कुत्ते खायें। अंधे पीस रहे हैं कुत्ते खा रहे हैं।

दूसरी बात 10-10, 20-20 सालों से सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करना चाहिए। गर्मी के दिनों म आंधी चलती है, उससे सड़कें रेत से रुक जाती हैं, कहीं 5 फीट रेता, कहीं 10 फीट रेता। लाखों रुपये खर्चे होते ह लेकिन रोकथाम के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे कि रेत वहां नहीं आ सके। सरकार चाहे तो इसकी रोकथाम हो सकती है। मुझे खुशी है कि रावतसर से

(श्री हंसराज आर्य)

हनुमानगढ़ तक गर्मियों में 8-8, 10-10 फीट मिट्टी भर जाती थी लेकिन विभाग ने कोशिश की। अब उस सड़क पर कितनी ही आंधी चले, वहां पर रेत का आना बंद है। बहुत सी सड़के ऐसी हैं जो गर्मियों में बंद हो जाती हैं, बसे रुक जाती हैं, लोग जंगल में पड़े रहते हैं इसलिये वहां से मिट्टी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। नोहर से पल्लू 35 मील का टुकडा है। उस सड़क पर 3 बार मिट्टी पड़ी है। 1964 के अकाल में मिट्टी पड़ी, उड़ गई। 1965 में मिट्टी पड़ी, उड़ गई, 1966 में मिट्टी पड़ी, उड़ गई। 1969 के अकाल में मिट्टी पड़ी, उड़ गई और अब भी कुछ आदमी लगे हुए हैं। यदि सड़क पर कंकर नहीं डलवाया गया तो जो मिट्टी पड़ी है वह फिर उड़ जायगी।

नोहर से सावा रोड पर 3-4 अकालों में मिट्टी पड़ी। लाखों रुपए खर्च हुए। आज मौके पर जायं तो मिट्टी का नामोनिशान नहीं है। तो अगर सड़कों को पक्का नहीं किया जाय तो रेतीले स्थान पर मिट्टी डलवाने से लाभ नहीं।

संवत् 2008 में बीकानेर में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल में भी कहीं मिट्टी नहीं डलवाई गई। अकाल सहायता मंत्री ने कम से कम 2-3 करोड़ रुपये लगाकर सडकें नहीं बनवाई, पक्के जलाशय बनवाये थे। उनमें तालाब थे, कुंड थे, कुए थे, नाले थे। उस समय का किया हुआ काम आज काम दे रहा है लेकिन जो टूट फूट हुई है उसकी मरम्मत होनी चाहिए। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि जहां कहीं भी राहत के काम चालू करायें पहले सोचें कि इस काम को पूरा करवा सकेंगे या नहीं, सड़कें पक्की करवा सकेंगे या नहीं। यदि नहीं करवा सकेंगे तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। रेगिस्तान में पक्के काम होने चाहिए।

जो सड़के अधूरी हैं, जिनको 20-20 साल हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो एक जिले को दूसरे जिले से व एक तहसील को दूसरी तहसील से जोड़ती हैं, जिन पर लाखों रुपये खर्च हो चुके हैं, उन सड़कों को पूरा करवायें। खास तौर से नोहर से पालू, नोहर से सावा रोड़, भादरा से नोहर रोड़, कुछ सड़कें ऐसी हैं कि यदि इस समय उनकी मरम्मत की जाय तो थोड़े पैसे से काम हो जायगा लेकिन 2-4 साल के बाद लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। नोहर से रावतसर सड़क टूट गई है किन्तु मरम्मत का काम शुरू नहीं किया है। रावतसर से पल्लू, पल्लू से सरदारशहर, काफी टूट फूट है। जो सड़कें टूट रही हैं, उनकी मरम्मत करवानी चाहिए और जो अधूरी पड़ी है उनको भी पूरा करना चाहिए।

जो सड़कें अंतर प्रांतीय हैं उनके लिए तीन साल पहले भारत सरकार से मांग की गई थी कि जैसे डाबरी से शेरडा, निनाणा से महराना, गोग मंडी से नेठराना ये फूटी पड़ी हैं। ये पंजाब व हरियाणा से जोड़ने वाली सड़कें हैं। 2-2, 4-4 मील के टुकडे हैं। हरियाणा की ओर से बोर्डर तक सड़कें बनाकर छोड़ दीं लेकिन हमारी ओर से मिट्टी नहीं पड़ रही है। अफसोस की बात हैं कि फेफाना से जमाल सिर्फ तीन मील का टुकड़ा है। दो बार टेंडर हो चुके हैं उसके बाद भी यह अधूरी पड़ी हुई है। जो सड़क राजस्थान को हरियाणा

(श्री हंसराज आर्य)

से जोड़ती है इनका पैसा भारत सरकार से मिलता है। इनके लिए मेरे ख्याल से दो-तीन साल से सरकार ने दुबारा पैरवी नहीं की इसके लिए कोशिश की जाय और पैसा भारत सरकार से लेकर जो टुकड़े एक प्रांत को दूसरे प्रांत से जोड़ने वाले हैं, उनको पूरा करवाया जाय।

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50, राजस्थान की सड़कों के बारे में कटौती प्रस्ताव हैं। राजस्थान में खास तौर से पूर्वी राजस्थान में सड़कों की हालत झालावाड़ व कोटा क्षेत्र में बड़ी दयनीय होती जा रही है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जिसमें खड्डे पड़े हुऐ नहीं हों या जिनका सरफेस खराब नहीं हो।

(12.29 म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

और गाड़ी सहूलियत से चल सकती हो सिवाय कोटा—झालावाड़ सड़क के जिसमें भी पिछले फ्लड के कारण जगह जगह पर बाधाएं खड़ी की गई हैं। इस क्षेत्र में सड़कों के खराब रहने का मुख्य कारण यह है कि पिछले तीन साल से इनके लिए जो मेन्टेनेन्स व रिपेयर के लिए धनराशि दी जाती है वह अपर्याप्त है। सड़कों की लंबाई के अनुपात से जितना बजट कोटा व झालावाड़ को दिया जाना चाहिए वह नहीं दिया जाता। कोटा जिले में सड़कों की लंबाई 1064 मील है व झालावाड़ और बूंदी की सड़कों की लंबाई क्रमश: 882 व 480 मील है। झालावाड़, कोटा जिले में 1046 मील लंबी सड़कों की मेन्टेनेन्स के लिए जितना धन दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। मेरी जानकारी के अनुसार पिछले साल इसकी मेन्टेनेन्स और रिपेयर्स के लिये सिर्फ 15 लाख रुपयों से कम दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सड़कों का ठीक तरह से रखा जाना असंभव है। यही हालत पिछले दो साल में भी रही है। अत: मेरी मांग है कि इस सड़क के लिये उचित धनराशि दिलायी जाय।

मेरी कान्स्टीयूएन्सी में खानपुर—दईखेड़ा-कनवास सड़क है, पहली पंचवर्षीय योजना में मंजूर हो चुकी थी परन्तु दूसरी, तीसरी पंचवर्षीय योजना भी खत्म हो चुकी, इस सड़क पर अब तक कोई काम तक नहीं किया जा रहा है। अत: मेरी मांग है कि इस सड़क की मंजूरी दी जाय और काम चलाया जाय।

इसी तरह से खानपुर—सारोला सड़क मंजूरशुदा है परन्तु इसका काम भी धीमी गति से चल रहा है और सारोला तारज के बीच चार मील का टुकड़ा बिना बने पड़ा हुआ है और जो रोड़ बन चुकी है वह भी टूटी हुई हालत में खराब पड़ी हुई है, उसकी भी रिपेयर करायी जाकर चलने की हालत में उसको किया जाय।

कोटा जिले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा रियासत के समय की मेन सड़कों की पुलियायें हैं जिनकी संख्या 100 के करीब है उनकी भी कोई मरम्मत नहीं की जा रही है ऐसी हालत में दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। निरन्तर रिक्वेस्ट करते रहने पर भी पिछले साल, जहां तक मुझे मालूम है, दो लाख की मंजूरी दी गयी थी जो कि सब पुलियाओं की मरम्मत के लिये

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

अपर्याप्त है। इसलिये मैं चाहूंगी कि रिपेयर और मेन्टेनेन्स के लिये उचित धनराशि मंजूर की जाय।

कोटा, झालावाड़ में बाढ़ के कारण जिन सड़कों को नुकसान हुआ है उनके नक्शे बनाने की मंजूरी हुई है लेकिन ऐसा मालूम हुआ है कि 31 मार्च तक ही इस राशि को युटिलाइज करना है। चूकि मजूरी देर से हुई, काम देर से शुरू हुआ इसलिये 31 मार्च तक पूरा काम हो जावे या इस राशि को युटिलाइज किया जा सके यह संभव नहीं है। अतः मैं चाहूंगी कि जो रकम इस काम के लिय मंजूर की गयी है उसको चालू रखी जाय और 31 मार्च के खत्म हो जाने पर भी इसे फ्लड रिलीफ कार्यों के साथ चालू रखा जाय।

कोटा आज कल इम्पोर्टेन्ट इन्डस्ट्रियल टाउन है। मेरी जानकारी के हिसाब से चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान को एक नेशनल हाई वे की मंजूरी होन वाली है। इस नेशनल हाई वे को कोटा-झालावाड़ होते हुए भोपाल तक जाने की मंजूरी होनी चाहिए। यह मेरी मांग है।

राष्ट्रीय सड़कों की योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से चौथी योजना में 14 करोड़ की मंजूरी हुई है। मैं चाहूंगी कि यह राशि इस उपरोक्त सड़क कोटा-झालावाड़ से भोपाल तक जाने वाले हाई वे के लिये मंजूर करनी चाहिये।

सड़कों पर जो एन्क्रोचमेन्ट होते हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। एन्क्रोचमेन्ट दिन व दिन बढ़ता जा रहा है उसके लिये सम्बन्धित महकमे के पास विशेषाधिकार होने चाहिये ताकि वे इनसे डील कर सकें। इससे तरह तरह की अडचनें आती हैं वे नहीं आवेंगी। इस महकमे..........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

के पास ऐसे औजार इक्विपमेन्ट्स नहीं हैं जिनको यूज किया जा सके और सड़कें बनाई जा सकें आधुनिक ढंग से। मैं चाहूंगी कि सरकार इस ओर ध्यान दे और उचित प्रबन्ध करे।

श्री सभापति : श्री आलम अली।

श्री आलमअली खां (फतेहपुर) : माननीय सभापतिजी, मैं ज्यादा लम्बा चौड़ा भाषण देन्यो को तो नहीं हूं। पुलिस के बारे में दो चार बातां बताऊंगा। माननीय सभापतिजी पुलिस के बारे में बुरा बताया, मैं तो प्रशंसा ही करनो चाहूंगा।

माननीय सदस्य बाहर से नया मिलने वास्ते आवे हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान से बाहर से आवे तो उससे भी पैसा लिया बिना नहीं छोड़ें इससे अधिक पुलिस की प्रशंसा की कई बात कहूं। पाकिस्तान सु जितना भी आदमी मिलना के वास्ते आवे उनसे भी सौ डेढ सौ रुपया लिया बगैर मिलवा के वास्ते नहीं आन दे देश में। दूसरा जका पासपोर्ट से जाना चाहे, अठा सूं मिलवा जाणों चाहे तो उनसे भी पैसा लिया जावे, आनें वाले का खर्चा क्यों दिया जावे बिना स्वार्थ के काम करता हो तो खर्चा दिया जाय। चोर डकैत तरह हुआ। यह बिल्कुल सही बात है गृह मंत्रीजी कह के मने बताओ तो राज मने सम्हलाओ तो बताऊं। टाइम आवेगा गृह मंत्रीजी। क्यों गांधीजी ने बदनाम करो। गांधी साफ शब्द में कहयो कि हिन्दुस्तान आजाद होगा तो पुलिस की जरूरत नहीं होगी। यह शब्द था या नहीं।

Page No 101

(श्री आलमअली खां)

माननीय सभापतिजी, एक बात पुरानी कहना चाहूं। आज तो कलयुग है और राजा जनक के समय सतयुग हो। अष्टावक्रजी महात्मा कह्यो कि बंदूक को पहरो राखे वह राजा नहीं हो सके वह तो डाकू है। माननीय सभापतिजी, जब इन मंत्रियों के पहरा लागे, आई० जी० पी० के पहरा लागे। तो प्रजातन्त्र में बन्दूक को पहरो क्यों? अष्टावक्रजी कह्यो कि राजा तो जनता को मां-बाप है। वहां ने बेटा-बेटी सूं कई खतरो? राजा ने बेटा-बेटी सूं खतरो नहीं होना चाहिजे तो बेटा-बेटी के साथ घात करो तो खतरो है। झूठी दुहाई प्रजातन्त्र की कब तक चालेगा। समाजवाद का नाम लेकर आज, माननीय सभापतिजी, आम बात है यह हिन्दुस्तान आजाद होवा के बाद मुसलमानों ने मिल्यों है धोखो, धोखा के अलावा दूसरी बात नहीं। देशभक्ति बोर्डर पर है। देश भक्ति बोर्डर पर देखो।

(माननीय सदस्य के राजस्थानी में दिये गये भाषण का हिन्दी रुपान्तर)

बोर्डर पर जाने से पता लगेगा कि देशभक्ति क्या है? बोर्डर पर लगने से ही देश भक्ति मालूम हो सकती है। खाली दिखावा करने से देश भक्ति मिलने वाली नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जनसंघ आपका भारतीयकरण करना चाहता है।

श्री आलम अली खां : राज्य करने वाले जनसंघ को बदनाम करना चाहते हैं। जितनी खराबियां तुम लोगों में हैं उतनी जनसंघ में नहीं हैं। सभापतिजी, कल ही की बात है लुहारों की मस्जिद में दो बम पटके गये हैं। इसका पता लगाया जाय। गरीब मुसलमानों को सताने के लिये यह किया गया है। गंगानगर वालों ने जो आन्दोलन चला रखा है, वे उससे डरने वाले नहीं है। वे इस आन्दोलन में ईमानदारी लेकर चले हैं और ईमानदारी से वे देश के साथ हैं। आलम अली यह बात कह रहा है इसलिये इसको पाकिस्तानी जासूस भी आप कह सकते हो लेकिन आप खुद जो पाकिस्तान से सोना चांदी लेकर आते हैं उनकी सलामी करते हो...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : नाम बता दो, किसकी कजा है?

श्री आलमअली खां : आप मुझे होम पोर्ट फोलियो दे दो, मैं बता दूंगा, शंकरलालजी। माननीय सभापति जी....

श्री मदनसिंह : नवाब साहब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से मिले है......

श्री आलम अली खां : और जोशीजी की कार कहां गई उसका क्या जवाब है, देख लें।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय सभापतिजी, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना चाहता हूं कि जोशीजी वाली गाड़ी के लिये यह कहा गया कि वह कार पाकिस्तान चली गई है। वह कार बरामद कर ली गई है मद्रास में इसलिये अब इस गलतफहमी को फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि वह पाकिस्तान गई है।

श्री आलम अली खां : मैंने तो यह बात नहीं कही कि पाकिस्तान गई है। मैं तो सिर्फ यह बात कहना चाहता हूं कि यह बात सरकार की अक्ल का नमूना है कि सरकारी

(श्री आलमअली खां)

गाड़ी की चोरी हो जाय तब गरीब लोग आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं और आप गरीबों को क्या राहत पहुंचा सकते हैं ? गरीब जनता विश्वास नहीं कर सकती है। कंस ने कहा कि राज मैं करूंगा और कृष्ण को जन्म नहीं लेने दूंगा लेकिन कृष्ण का जन्म हुआ और कंस के राज का अंत भी। तो मैं आपको यह कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूं । मैं इसके काबिल भी नहीं हूं। आप बार बार गांधीजी का नाम यहां लेते हैं और तो कुछ है ही नहीं । जिनमें कुछ कमी होती है वे दूसरों का नाम लेते हैं। आप गांधीजी का नाम लेते हैं तो उनके वे काम भी करें । व्यासजी काम करने से ही पार पड़ेगी। हर थाने में आज यह बिलकुल खुली बात है गरीब लोगों को नोचा जाता है और हर थाने से माहवारी बंधी हुई है। आप चाहें तो उसकी जांच करवा लें। परन्तु जांच किससे करवाई जाय। बिल्ली से कहा जाय कि वह दूध की रखवाली करे । क्या वह बिल्ली दूध को सुरक्षित रख सकेगी, वह स्वयं उसको पी जायगी। इसलिये जांच करवानी है व्यासजी तो आप सही गृह मंत्री बनो और खुद जाकर जांच करो तो सारा पता चल जायगा। असेम्बली के मेम्बरों को साथ लो। इसमें पार्टी का सवाल न रखो । आपको राज करना है और आप राज की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। आपके लिये कोई बेटा-बेटी नहीं है। आम जनता आपकी बेटा-बेटी है। यह न देखें कि यह विरोधी एम० एल० ए० है। गृह मंत्रीजी और दूसरे मंत्रीजी बराबर इस बात को देखते हैं कि यह विरोधी मेम्बर है इसका काम आवे तो मत करो। अगर सही बात हो और विरोधी भी कहे तो उसको माना जाय । इसलिये मैं ज्यादा बात न कह कर गृह मंत्रीजी आपको बताना चाहूंगा कि आज तक इन 22 सालों में आपने मुसलमानों के लिये क्या किया ? उन पर झूंठे मुकदमे चलाने के, डराने धमकाने और बहुत हुआ तो पाकिस्तान भेजने की धमकी देने के अलावा आप लोगों ने क्या किया है ? मैं बिलकुल साफ कहना चाहता हूं, मैं इस बात से घबराने वाला नहीं हूं, न कभी मुसलमान घबराये हैं और न घबरायेंगे वे इस जमीन के बफादार रहे हैं और रहेंगे । और क्योंकि वे इस जमीन पर अपना पूरा अधिकार मान कर चले है, यह जमीन खुदा की दी हुई है, इस पर सबका समान अधिकार है। इतने साल से आपने क्या समाजवाद का काम किया है। गृह मंत्रीजी फतेहपुर के नवाब कहा करते थे खुदा एक है। पड़ौसी को मत सताओ। परन्तु आज आपके इस जनतंत्र में पड़ौसी को पहले सताया जाता है क्योंकि इससे वोट मिलते है और इसी वास्ते आज कांग्रेस का पतन हो रहा है। आप कहते हैं राज पर है। राज करने से ही क्या होता है ? परन्तु इस राज करने में वो बात नहीं है, क्योंकि इनका सिर तो नीचा है मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि आप जांच करें। मुसलमान कोई मांग करने वाले नहीं हैं। वे आपसे यह कहने वाले नहीं हैं कि उन्हें जमीन दो, व्यापार दो, कोई धन्धा दो । वे सिवाय एक खुदा से और किसी से मांगने वाले नहीं हैं और न दूसरे से मांगना जानते हैं । आप बिना मतलब के उनके काम में अड़चन नहीं डाले। आप मोहर्रम नहीं निकालने देते हो। आज जोधपुर की हालत देख लो। समान धर्म, बराबरी की बात आप कहते हो। यह तो आप कहते हो लेकिन करते क्या हो ? यह बात क्यों होती है ? इस वास्ते इन हरकतों को आप रोकें और सही रूप से गृह मंत्री का काम करें। पार्टी की हैसियत से

(श्री आलमअली खां)

काम नहीं करें। राज्य और पार्टी को एक साथ लेकर नहीं चलें। दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं चलें। मैं इन्हीं शब्दों में आपसे यह निवेदन करता हूं।

मैं एक बात नवाब सहाब से भी कहना चाहता हूं। आप सडकें कितनी ही बनावें इसका कोई महत्व नहीं है। जो सड़क पर काम करने वाला है उसका ऊंट चोरी चला जाता है तो इस वास्ते चोरी के मामले में आप गृह मंत्री जी को कहें। गृह मंत्रीजी इसको रोकें। आप वरतन के इस पैंदे को मजबूत करें। पैंदा जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक चोरी होगी। इसलिये पहले आप खुद मजबूत होवें और फिर मजबूती से काम उठावें।

श्री सभापति: श्री रामप्रसाद बोहरा ।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन) : माननीय सभापति महोदय, पुलिस विभाग पर चर्चा चल रही है इस पर मेरे भी कटौती के प्रस्ताव ह। लोकतन्त्र म पुलिस से जनता सुरक्षा और व्यवस्था की आशा करती है। लेकिन आज के पुलिस के जिस प्रकार के कार्य कलाप हैं उनसे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस की ओर से जो कार्य हो रहा है उनमें भ्रष्टाचार से जनता को परेशान करने, अव्यवस्था गुण्डागर्दी को बढ़ाने के सिवाय और कुछ काम नहीं रहा है। इससे लोगों में उनके प्रति आस्था हट गई है। पुलिस आज जनता को सुरक्षा और गुण्डागर्दी से पनाह देने में नाकामयाब रही हैं। जगह जगह पर गुण्डागर्दी, बदमाशी और अराजकता होती जा रही है। इसी तरह से पुलिस जगह जगह पर जुए के अड्डे चलाती हैं, उनको पनाह दिया जाता है। जगह जगह होटलों में झगड़े-फिसाद होते हैं, चोरियां-डकैतियां होती हैं उनको पुलिस बरामद नहीं कर सकती है। इसके बारे में मैं झालावाड़ जिले के कुछ उदाहरण पेश करना चाहता हूं।

थाना गंगधार के श्री बचनराम सब इन्सपेक्टर के बारे में गृह मंत्रीजी, एस० पी० और जिलाधीश के पास काफी शिकायतें हुई हैं। 26-12-69, 2-1-70, 7-3-70 को वहां के लोगों ने इनके खिलाफ चोरियों में हाथ धोने, भ्रष्टाचार आदि करने की कई शिकायतें पेश कीं लेकिन आज तक कोई जांच वगैरह नहीं कराई गई और न उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही हुई। वह आजादी के साथ अभी तक उसी प्रकार की हरकतें बेधड़क करते आ रहे हैं।

इसी प्रकार से रतन चमार ने गंगधार के थानेदार के खिलाफ शिकायत की थी। उसकी औरत को वहां के ओंकारलाल और सज्जनसिंह जबर्दस्ती उठाकर ले गये। उसके बाद उनके नाम वारण्ट जारी किया गया। वारण्ट को फैंक दिया। उसकी तामील नहीं करा सके। मुलजिम का पता नहीं चला। इसी प्रकार की बीसीयों शिकायतें थानेदार गंगधार की आई हुई हैं लेकिन, गृह मंत्री जी, उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। इन लोगों से वहां की जनता बड़ी आतंकित है। इसी प्रकार से जितने भी पुलिस के एजेन्ट हैं उनके द्वारा भी जनता को तबाह किया जा रहा है।

इसी प्रकार से अलवर के थानेदार, जो इस वक्त मौजूद हैं, एक दिन मोरडा गांव में भंवरसिंह सुपुत्र गिरधारीसिंह एवं उनकी धर्मपत्नी को जीप में बिठाकर ले गये और उनको पीटा गया। उनसे रुपये मांगे गये,

(श्री राम प्रसाद बोहरा)

रुपये नहीं देन पर उनके साथ ज्यादती की गई, उनको मारा-पीटा गया । वे इतने बेहोश होगये कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। उसके बाद उनको छोड़ा गया । उनको घरों से जीप में बिठाकर जिस समय ले गये थे पीछे से घर सूना था, उस समय उनके घर चोरी हो गई जिसमें एक हजार का माल चला गये । इस प्रकार के हालात वहां के थानेदार कर रहे हैं । वहां के हेड मोहर्रिर भी इस प्रकार गुण्डागर्दी में शामिल है । शराब पीकर आये दिन लोगों को बेइज्जत करते रहते हैं, सड़क पर चलते हुए लोगों को पकड़ लेते हैं ।

पिडावा, सुनेल, रायपुर, आवर इन थानों में जो भी पुलिस के अधिकारी हैं उनको वन उप-मंत्री का संरक्षण मिला हुआ है । ये लोग इन मंत्री महोदय के एजेण्ट के रूप में काम करते हैं । वे इनकी सिफारिश पर ही वहां टिके हुए हैं । उनसे जब पूछा जाता है कि तुम लोग जनता से रुपया क्यों लेते हो तो साफ कहते हैं कि हमें उप-मंत्री जी को देना पड़ता है उनको चुनाव के लिए आवश्यकता होती है । वहां पर दो जीपें लाई गई है, थाने में खड़ी कर दी जाती हैं, फरियादी आते हैं तो उनको कहा जाता है 100 रुपया दो तो काम हो सकता है । इसी तरह से रायपुर, आवर, गंगधार में थानों में ये जीपें काम कर रही हैं । ये अफीम के स्मगलिंग में काम आती हैं । ये जीप उप-मंत्री जी के दोस्तों की हैं ।

जहां तक इन लोगों के तबादले का सवाल है वह होता नहीं है । कई दफा तबादले हो जाते हैं लेकिन उप-मंत्री महोदय कैन्सिल करवा देते हैं । इसी प्रकार यहां के लोगों ने वहां के थानेदार का तबादला करवान की कोशिश की लेकिन उनका तबादला कैन्सिल किया गया । इस तरह से य लोग वहां कांग्रेस को जिन्दा रख हुए हैं । वे कहते हैं यहां तो हमारी ही चलेगी । कांग्रेस वहां पर इन थानेदारों के बल पर ही चल रही है । डकैतियों का, चोरियों का कोई पता नहीं, कितनी ही हो रही हैं, गुण्डागर्दी बढ़ रही, है लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है ।

इसी प्रकार से थानेदार झालरा पाटन भोलाराम ने एक गरीब आदमी को मारा उससे 300 रुपया मांगा । नहीं देने पर उसका चालान किया गया । उसकी जमानत 6 तारीख को हो गई थी लेकिन उसको 8 तारीख को छोड़ा गया.....

श्री दामोदर लाल व्यास : आप उसका नाम बतलाइये जिसको जमानत के बाद नहीं छोड़ा गया ।

श्री रामप्रसाद बोहरा भोलाराम थानेदार चालान लेकर गया था अदालत में, 6 तारीख को जमानत हो गई थी, हीरा पिता का नाम गंगाराम इसकी जमानत 6 तारीख को हो गई थी लेकिन उसको 8 तारीख को छोड़ा गया।

इसी प्रकार झालावाड़ जिले के जितने भी थाने हैं उनकी यही हालत हैं । रायपुर थान के एक हैड कान्स्टेबल है श्री पदमसिंह उसका काम यही है पैसा उगाना। लोगों के घर में वह घुस जाता है, लोगों को मारपीट करता रहता है, शराब पीकर दुकानों में, घर में घुस जाता है। उसकी शिकायत एस० पी० को की गई। वे यह कहते हैं कि म इसका क्या कर सकता हूं ? यह उप-मंत्री

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

महोदय का आदमी है; उनकी सिफारिश आ जाती है। इस प्रकार से ये काण्ड रोजाना होते रहते हैं।

गंगधार की समद बाई नाम की एक औरत है। उसको गुण्डों ने बन्दूक से मार दिया। लेकिन अपराधियों का चालान नहीं किया गया। उनसे गंगधार के थानेदार ने दस हजार रुपया रिश्वत में लिया है, इस प्रकार की वहां बातें होती हैं। इस तरह की जो पुलिस द्वारा ज्यादतियां हो रही हैं उससे वहां की जनता बड़ी आतंकित है। आपके पास भी इनकी शिकायत भेजी गई, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ।

रामगोपाल थानेदार असनावर को ससपेन्ड किया गया। उसका तबादला हुआ, लेकिन आज तक मालूम नहीं कि उसको क्या सजा दी गई। इस प्रकार की हालत पुलिस विभाग की है।

झालावाड़ में अभी 14 फरवरी को लाठी चार्ज किया गया। छात्रों को बुरी तरह से पीटा गया। घरों में घुस कर पीटा गया। आपने वहां पर जांच तो बिठा दी है लेकिन आज भी वहां पुलिस पार्टी घरों में घुसती जा रही है और गवाहियों को दबाया जा रहा है। उनको कहा जाता है कि कम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो और सख्ती की जायगी। मैंने इस बारे में पहले भी निवेदन किया था। इसके लिये जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये थी। उस घटना में एस० पी० और कलेक्टर दोनों इनवोल्ड हैं। इसलिये वहां के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस तरह से जो परेशान किया जा रहा है उसकी रोक थाम के लिये उचित व्यवस्था जल्दी से जल्दी होनी चाहिये।

आज यह आम बात है कि थाने दो हजार से दस बारह हजार तक बिकते हैं। इसी के कारण पुलिस वाले रुपये लोगों से वसूल करते हैं। वे साफ कहते हैं कि हमें एस०पी० को देना पड़ता है, हमको ऊपर भेजना पड़ता है। यह मालूम नहीं, ऊपर कहां जाता है?

इसी प्रकार से ढाई लाख की चोरी हुई थी झालावाड़ में। मेन बाजार में चोरी हुई। आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। 500-700 रु० का माल बरामद हुआ है, ऐसा पता चला है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

इसी तरह से इकलेरा तहसील के देवरी गांव में डकैती हुई। उसमें 15-20 आदमी थे। लेकिन माल अभी तक बरामद नहीं हुआ। इसी प्रकार की सब थानों की हालत है। गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर काफी ध्यान दिया जावे, नहीं तो जनता आतंकित और भयभीत रहेगी और अपराधों में कमी नहीं हो पायगी। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

(1 म० प०)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): सभापति महोदय, मेरे दो तीन कट मोशन्स हैं। एक तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट की रोडस के लिये जो प्रावधान रखा है उसके संबंध में है, और एक मेरी कान्स्टीट युएन्सी की सड़कों के संबंध में है।

इससे पहले विभाग की प्रगति की रिपोर्ट हमें मिली। मैंने उसे पढ़ा है। रिपोर्ट में जो बात कही गई है उससे सहमत भी हूं। जहां तक रोड्स के एलोकेशन का सवाल है,

(श्री पी० के० चौधरी)

सरकार मानती है और समय समय पर कहा भी जाता है कि रोड्स की अहमियत है। वित्त मंत्री ने कहा भी है कि राजस्थान के विकास का इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार कर रहे हैं। परन्तु रिपोर्ट पढ़ें तो आपको जाहिर होगा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में रोड भी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अदा करती हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सड़क एवं पावर सबसे बड़ी चीजें होती हैं।

रोड्स का जहां तक प्रावधान है, इसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिये। पर नहीं दी गई। रोड का महत्व सरकारी निगाहों में कम नजर आता है। पहली दूसरी योजना में इस पर 9-10 पर्सेन्ट का प्लान एलोकेशन था। तीसरी में फोर पर्सेन्ट हो गया और चौथी में यह घट कर 3.8 पर्सेन्ट ही रह गया। यह रोड के लिये प्रावधान बहुत कम है। इसकी तरफ सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी ध्यान आकर्षित किया है। मन्त्री महोदय भी सरकार ही हैं। सरकार ने फण्ड्स एलॉट नहीं किये, यह कहने से आपकी बचत नहीं हो सकती है। डिपार्टमेन्ट या चीफ इन्जीनियर यह बात कहते तो ठीक हो कसता था। पर मिनिस्टर कैबिनेट का मेम्बर होता है और कबिनेट की जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी होती है। फण्ड्स वहां से एलॉट होते हैं और आप कम मानते थे इसको तो आपको वहां कोशिश करनी चाहिये थी। ऐसा लगता है कि या तो मिनिस्टर ने वहां अपने विभाग की बात को एसर्ट नहीं किया या दूसरी बात साफ जाहिर है कि राजस्थान सरकार ने रोड्स की अहमियत इन्फ्रा स्ट्रक्चर क्रीएट करने में जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। यह मैं मानकर चलूंगा। नहीं तो, इतना कम प्रावधान सड़क पर नहीं होना चाहिये था। मैं खास कर जयपुर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लिये कहता हूं। हम तो कहते हैं कि हमारे यहां रोड्स और बिजली देकर इन्फ्रा स्ट्रक्चर क्रीएट कर दो। फिर हमें कोई चीज नहीं चाहिये। बाकी हम अपने आप कर लेंगे। कोई और अनुदान नहीं चाहते। ऋण नहीं चाहते। ईरिगेशन में कोई बर्ग खर्चा नहीं मांगते। दूसरी बात नहीं चाहते। दो चीजें जयपुर डिस्ट्रिक्ट और डिविजन में है, चाहे जयपुर का डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे सवाई माधोपुर का हो, चाहे अलवर या भरतपुर का हो, हमारे यहां नहरें या ऐसी कोई दूसरी चीजें नहीं हैं। हमारे यहां तो अण्डर ग्राउण्ड वाटर नजदीक है। इसके लिये बिजली चाहते हैं और सड़कें चाहते हैं।

गंगानगर में सड़कें क्यों बनाते हैं? वहां तो कैनाल प्रोजेक्ट है। पर इसमें भी सड़कें बड़ा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले करती हैं। जब तक सड़कें नहीं बनती हैं ये नहरें भी उतना लाभ नहीं दे पाती हैं इसलिये वहां भी 38 लाख रुपया कैनाल प्रोजेक्ट से सड़कों पर लगाया है। पिछले साल 31 लाख कैनाल प्रोजेक्ट से लगाया गया सड़कों पर। तो सड़कों की यह अहमियत है। जब कि सारे राजस्थान में एक करोड़ का सड़कों का एलोकेशन था। इस साल 1।। करोड़ का रखा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बिजली देने से या नहरें देने से ही काम नहीं बनता है लेकिन सड़कें भी बहुत जरूरी होती हैं। कम्यूनिकेशन और ट्रान्सपोर्ट की फैसीलिटी बहुत बड़ा इम्पोर्टेन्ट पार्ट अदा करती हैं। पर सरकार ने इसे ठीक तरह से नहीं समझा है। चौथी योजना में भी इसके लिये केवल 12 करोड़ ही रखा है। कम से कम दुगुना रखना चाहिये था ताकि हमारी डिमाण्ड पूरी हो सकती। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग इसको

(श्री पी० के० चाधरी)

रियलाइज करता है, पर गवर्नमेंट क्यों नहीं रियलाइज करती। यह समझ में नहीं आता?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी जिले में कैनाल हैं तो कहीं नदियां हैं, बान्ध हैं—उनमें पैसा खर्च सरकार करती है। उन इलाकों में सड़कों का डिस्ट्रिब्यूशन भी ज्यादा होता है। पर जयपुर जिले में और डिविजन म एसा कोई काम तो है नहीं जिस पर सरकार पैसा खर्च करती हो। यहां तो 1 करोड़ 6 लाख के प्रावधान में से केवल 1।। लाख का प्रावधान रखा है। आज भी 4।। लाख का प्रावधान आपने रखा है। तो मैं समझता हूं कि इस इलाके में जब कोई इरिगशन डवलप नहीं होती, दूसरे और किसी प्रकार के काम नहीं हो रहे हैं, अकाल के काम यहां नहीं होते, कहीं दस बीस वर्षों में जाकर सारे जयपुर जिले में एक बार अकाल पड़ा है ऐसी स्थिति में मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि सड़कों और बिजली के प्रावधानों में यहां का एलोकेशन बढ़ या जावे। मेजर माइनर इरिगशन के कामों में और जगह करोड़ों रुपया खर्च होता है। वहां पर भी हमारे ख्याल से हमेशा प्रायोरिटी सड़क निर्माण को दी जाती है। पर इस जिले में और डिविजन में वाटर लेवल ऊपर है उसे निकालन के लिय बिजली की और ट्रांसपोर्ट के लिय सड़कों की जरूरत सबसे ज्यादा है। जहां इरिगशन की पोटेन्शियेलिटी हो वहां आप इरिगशन में रुपया दीजिये, इण्डस्ट्री की पोटन्शियेलिटी हो वहां इण्डस्ट्री में खर्च करिये। इससे हमें इन्कारी नहीं। और कोई विकास के काम में यहां कोई पैसा सरकार का खर्च नहीं हो रहा है। होता हो तो बता दीजिय। नहीं होता है तो हम दो चीजें केवल मांगते हैं। एक सड़क और दूसरी बिजली। आप तो इतना दे दीजिये हम अपना गुजारा कर लेंगे। मन्त्री महोदय से निवेदन है आपने प्रेजेन्ट रोड्स पर जो एलोकेशन किया है उसका प्रोपोर्शन जयपुर के हिस्से का जो है, उसको रिवाइज कर दीजिये। यह फाइनल नहीं है। इसको आप रिएलोकेट कर सकते हैं। आप जयपुर रीजन के हैं। आपको इसका ध्यान रखना चाहिये। जयपुर रीजन के लिये रोड्स का एलोकेशन बढ़ाया जावे।

दूसरी बात कहूंगा कि पचास लाख रुपया सरकार ने जिन इलाकों में फेमिन का काम नहीं होता है उनमें सड़क निर्माण कार्यों पर खर्च करने के लिये रखा है। जयपुर जिले में पिछले बीस सालों में एक बार सारा जिला फेमिन में आया था। अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में फेमिन नहीं आते पर पिछले साल फेमिन के अण्डर में वर्क शुरू किये थे। बीस सालों में दस साल में सारे जिले भर में एक बार फेमिन आया। वैसे कभी किसी एक तहसील में आ गया तो कभी किसी दूसरी तहसील में आ गया। पूरे जिले और रीजन में कभी नहीं आया। डिविजन एज ए होल नहीं आ।। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि पचास लाख जो एडीशनल मिला है वह जयपुर रीजन में ही सड़कों के लिये खर्च किया जाय। स्पेसिफिकली ऐसे इलाकों के लिये इसको काम में लिया जाना चाहिये। दूसरे इलाकों का आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये कि पिछले पांच सालों में सड़कों पर फेमिन के नाम पर रुपया दिया है। 150 करोड़ रुपया जो फेमिन में खर्च हुआ उसमें से आधे से ज्यादा सड़कों पर खर्च हुआ है। वेस्टर्न और सदर्न राजस्थान में सड़कों पर भी खर्च हुआ है। बोडर रोड्स

(श्री पी० के० चौधरी)

पर भी हुआ है। पिछले पांच सालों में राजस्थान में वैसे 22 करोड़ का खर्चा हुआ है सड़क निर्माण में। इसका फायदा भी जयपुर को नहीं मिला है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एडीशनल जो यह पचास लाख रुपया मिला है यह सिर्फ जयपुर रीजन में खर्च करना चाहिये जहां न तो फेमिन में कुछ खर्च किया गया है न बोर्डर रोड्स के नाम पर खर्च हुआ है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०): यह तो आपकी पार्टी की नीति है। जहां चाहो वहां पैसा खर्च कर दो।

श्री पी० के० चौधरी: पार्टी की नीति नहीं है, गवर्नमेंट काम करती है। पार्टी की नीति नहीं है......

श्री डूंगाराम राजोरिया: पार्टी की नीति नहीं है तो आप बहुत बड़े नेता हैं तो पार्टी में यह बात क्यों नहीं रखते हैं?

श्री पी० के० चौधरी : मैं नेता की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया: फिर यह रोना रोने से क्या मतलब? जयपुर जिले के लिये तेलंगाना का नाम क्यों नहीं लेते हैं। आप भी यही कहिये कि हमारे यहां खर्च नहीं होता है, खर्च करें।

श्री पी० के० चौधरी: आपके सामने तो कह रहा हूं। चौड़े में कह रहा हूं। आपके समझने का फर्क है।

श्री विजयसिंह: अभी तो आप कह रहे हैं लेकिन जब मांगें पारित होने का समय आता है तो हां-हां करते हैं। तब हां फिर क्यों करते हैं?

श्री पी० के० चौधरी: आपको इस काबिल नहीं समझते हैं इसलिये कहते हैं। जिस दिन आप में काबलियत होगी तब आपके लिये भी हां कहेंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा एक करोड़ 50 लाख का जो एलोकेशन रखा है उसको री-एलोकेट करिये। मैं एक क्राईटेरिया बताना चाहता हूं जिन जिलों में पिछले 5 साल से फेमिन पड़ा है उनमें आप पैसा नहीं देना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा खास कर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एज ए होल फेमिन नहीं हुआ। एक तहसील में आ गया हो, दो में आ गया हो या 5-50 गांव में आ गया हो वह कोई बात नहीं है वहां आप फन्ड एलोकेट करिये।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं रोड्स ट्रांसपोर्ट की जो कान्फ्रेन्स हुई थी बम्बई में:...

श्री रामचन्द्र आर्य: गुरनाम सिंह ने किया तब तो हो जायगी।

(विराम)

श्री पी० के० चौधरी:— उसकी रिपोर्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें है कि बिना डामर की रोड के एक मील के टुकड़े पर 5 हजार रुपया होना चाहिये, डामर के लिये 8 हजार रुपया होना चाहिये, उस आधार पर 5 हजार नहीं तो 3,800 और 4,000 रुपये तो हमारे यहां होने चाहियें लेकिन गवर्नमेंट ने इस साल जो डिमान्ड रखी थी करीब 4 करोड़ 50 लाख की उसमें दो करोड़ 34 लाख मंजूर किया था यानि गवर्नमेंट 50 पर्सेन्ट करती है। मैं कहता हूं जो काम

(श्री पी० के० चौधरी)

गवर्नमेंट करे, सही करना चाहिये । नहीं तो नहीं करना चाहिये । मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जो सड़क है उसमें आज गाड़ी ले जाना मुश्किल पड़ता है इसलिये मेरा निवेदन है सड़क का जो प्रावधान है उसको सही ढंग से करना है .एक मील सड़क पर 5 हजार रुपया लगता है तो उसका प्रावधान सही ढंग से करना चाहिये। पंचायत समिति को जो राज्य सरकार अनुदान देती है वह तो 200-200 रुपया बांट देती है, लेकिन उससे काम नहीं होता है। जिला परिषद् को आप अनुदान देते है वह भी 100-100 रुपया करके बांट देते हैं। उसमें बड़े काम नहीं होते हैं। छोटे-मोटे नाली वगैरह के काम होते हैं। मेरा निवेदन यह है कि स्टेन्डर्ड के अनुसार हमको एलोकेशन करना चाहिये। फोर्थ प्लान में रोड्स का जो एलोकेशन है वह कम से कम डबल तो होना चाहिये सरकार ने इन्फ्रा स्ट्रक्चर क्रियेट किया है इसलिये मैं कहूंगा रोड स की हालत को ठीक करना चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में सभापति महोदय, अब एक सवाल आता है फन्ड्स का एलोकेशन। मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में तलवाड़ से प्रचार और लालपुरा से मण्डा और भीनसर से चौसला तक इम्पोर्टेन्ट सड़क है। इस इम्पोर्टेन्ट रोड़ को बनाने से नागौर से जोधपुर जाने का डिस्टेन्स 25 मील कम हो जाता है। अगर यह बनती है तो इसमें 30 मील का कन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। यह तीस मील का टुकड़ा सेकिन्ड प्लान में मंजूर हो गया था लेकिन पैसा नहीं दिया गया था। इस साल उस सड़क पर पचास हजार रुपये एलोकेट किये गये है। इस साल मैं यह चाहूंगा जो पुराने एलोकेशन हैं, उनको पहले पूरा कर दीजिये। उनको आप नहीं करते हैं तो यह नहीं होना चाहिये। तलवाड़ जोबनेर करीब 25 मील का टुकड़ा होता है उसमें से करीब 18-20 मील अर्थ-वर्क हो गया है फेमिन में। पत्थर और चूना गिरा दिया है। अब चूंकि फेमिन नहीं है इसलिये उस पर काम नहीं होता है। चाहे उसको फेमिन में लें और चाहे बोर्डर रोड़ में लें, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा 25 मील का सड़क का डिस्टेन्स कम हो जाता है यह कम नहीं है। पहले हम जयपुर से दिल्ली जाते थे तो अलवर होकर जाते थे तो 200 माइल पड़ता था। आज हम कोटपुतली होकर जाते है तो 170 माइल पड़ता है। 30 मील कम करने के लिये 100 मील की सड़क बनायी है तो मेरा निवेदन है 25 मील की सड़क का निर्माण करायें, वह सड़क इम्पोर्टेन्ट है क्या तलवाड़ से जोबनेर पापूलेशन नहीं है ? चार-चार, पांच-पांच हजार की आबादी के गांव एक-एक सड़क पर आते है । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया गया हैं। मेरा निवेदन है कि इस सड़क की इम्पोर्टेन्स को महसूस करें और फोर्थ प्लान में इसको शरीक करें और फोर्थ प्लान में नहीं करते है तो जो 50 लाख रुपया मिला है फेमिन का उससे इसको पूरा करवायें। क्योंकि 25 मील में 18-20 मील की सड़क तो फेमिन में बन चुकी है इसलिये इस सड़क को प्रायोरिटी दें ।

श्री सभापति : श्री मदन सिंह ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आज सदन में दो कटौती प्रस्तावों पर....

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापति महोदय मुझे....

श्री सभापति : श्री मदन सिंह दांता ।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर सर । मुझे तो यही निवेदन करना है कि कृपा करके जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये है, उनका समय न काटा जाय । बस इतना ही निवेदन करना है । वैसे हमको दांता साहब को भी सुनने में आनन्द आयेगा ....

श्री सभापति : किसका समय ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : हम लोग निर्दलीय हैं । कटौती प्रस्ताव पर बोल लें लेकिन हमारे समय में से समय न काटें । आपने बड़ी कृपा करके उनको बोलने का समय दिया है । यह आपकी उदारता है— जरूर दें लेकिन हमारे समय में से न काटें ।

श्री सभापति : आसन निर्दयी नहीं है ।

श्री मदनसिंह : माननीय सभापति महोदय, पहले मैं पुलिस के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । यह आम चर्चा है और हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी बेईमान हैं. पुलिस के कर्मचारी खराब हैं ऊपर के अधिकारी, नीचे के अधिकारी सब भ्रष्ट हैं । मैं इस बहस के दौरान यह चाहूंगा कि कम से कम उन सत्य तथ्यों को पकड़ें जिनसे ज्ञात हो कि वास्तव में पुलिस की हालत क्या है । जब तक इसको नहीं पकड़ेंगे तब तक सही निर्णय पर नहीं आयेंगे । मुझ मालम है राजाओं के टाइम पर यही पुलिस थी । तब इस तरह की बात क्यों नहीं होती थी ? आज भी वही पुलिस है लेकिन आज पुलिस कांग्रेस सरकार में है, जहां पंचायत राज है तो आज इस पुलिस में ऑफिसरों के भ्रष्टाचार की इतनी रिपोर्ट क्यों होती है ? पुलिस के आफिसर वही के वही हैं; पुलिस के जवान वही के वही हैं, थानेदार वही के वही हैं लेकिन आज इस कांग्रेस के राज्य होने के बाद इतने आरोप क्यों आ रहे हैं ? इनके तथ्यों के ऊपर हमको सोचना पड़ेगा । हमें मालूम है कि सभी पुलिस के अन्दर अच्छे आदमी नहीं होते और सभी पुलिस में बुरे भी नहीं होते । पर आपको मालूम है, सभापति महोदय, कि जबसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ है और जबसे पंचायत राज हुआ है और उसमें जिस प्रकार से सरपंच के ऊपर सारा कुछ छोड़ रखा है उसी तरह से पुलिस के अन्दर थानेदार हैं । आज कांग्रेस की सत्ता जोकि विकेन्द्रित है, मैं समझता हूं, इस सत्ता के अन्दर पुलिस के अन्दर थानेदार जो करता है उसको आई० जी० नहीं कर सकता, पटवारी जो करता है उसको रेवेन्यु मिनिस्टर नहीं कर पाता । इसलिए जब तक पक्षपात और पार्टी को आप कन्ट्रोल नहीं करेंगे तब तक पुलिस की यही हालत रहेगी । मैं कभी कभी थानेदारों को पूछता हूं तो वह कहते हैं हम क्या करें, ठाकुर साहब, हम कुछ करना चाहते हैं तो कांग्रेस के नेता नहीं करने देते । अगर चोरों को पकड़ते हैं तो कांग्रेस के नेता चोरों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं । इसलिए इनके तो पक्षपात और पार्टी के आधार पर काम होता है । अगर पुलिस को ढीला छोड़ा जाये तो इतना भ्रष्टाचार नहीं हो सकता ।

सभापति महोदय, मैं उदाहरण दूंगा । मेरे यहां इलाके के अन्दर कुछ सरपंच ऐसे हैं कि जिनके ऊपर पुलिस ने करप्शन के केसेज लगाये हैं, पुलिस ने उनको सस्पेन्ड कराया है और पुलिस ने उनके ऊपर रेप के

(श्री मदनसिंह)

केसेज लगाये हैं और आप ताज्जुब करेंगे कि जब उनके ऊपर चार्ज लगा दिया, उनको सस्पेण्ड करा दिया तो दूसरे दिन पंचायत के मंत्री हैं वे उनके पास जाते हैं और उन्होंने बहाल कर दिया । अब दांता रामगढ़ का थानेदार क्या करेगा ? एक सरपंच जोकि कांग्रेस का है रेप केस में, डकैती के केस में और किसी केस में फंसा हुआ है । पुलिस ने केस बनाया है, उसको सस्पेण्ड कराया है और चौथे दिन इस प्रकार से बहाल हो गया । अब आप ही बताइये कि थानेदार क्या करेगा ? कहने को कह सकते है लेकिन वास्तविकता को देखें कि थानेदार क्या करेगा ? सभापति महोदय, दांता रामगढ़ के अन्दर तो सीकर के कई माननीय सदस्य है कांग्रेस के, वह यहां तक करते हैं कि थानेदारों से चोरियों के अन्दर हिस्सा लेते हैं । आधा हिस्सा सरपंच लेते हैं और थानेदार को मजबर करते हैं और थानेदार रिपोर्ट करता है तो उसका तबादला करते हैं । थाना खाटू में लिस्ट उठाकर देखी जाये और ईमानदारी से देखी जाय तो एक-एक थानेदार के दस-दस ट्रान्सफर हुए हैं । जब तक मर्जी का थानेदार नहीं आये, जब तक चोर और पुलिस उनका साथ नहीं दे तब तक वहां पर थानेदार को टिकने नहीं देते । इसलिए मैं दोनों ही होम-मिनिस्टर से कहूंगा कि चाहे विरोधी हों या कोई हो आप दो महीने किसी की मत मानो पुलिस के मामले में तो थाने में सुधार आ जायेगा । आप ताज्जुब करोगे कि कुचामन के गांव रूपवास के मास्टर भंवरसिंह को गोली से उड़ा दिया गया, वह थाने के पास गिर गया और एक एक महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं करता है । मैं ताज्जब करता हूं कि गोली खाया हुआ आदमी कैसे थाने पर आ गया । आर्मी पिस्टल की गोली यहां छाती पर लगी थी । मैंने भी ताज्जुब किया । मने भी देखा कि मक्खी लड़ी थी या क्या था । आप देखेंगे कि कुचामन के थाने पर आज तक कुछ नहीं है । कुचामन का प्रधान, जिसके बारे में यहां विधान सभा में पहले भी शिकायत हुई थीं, जिसने मारा है उसने उसको आज भी अपने फार्म पर बैठा रखा है । इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है । उस थानेदार को होम मिनिस्टर नहीं अलग कर सकते, आई० जी० पी० नहीं कर सकते, वहां का एस० पी० उसको अलग नहीं कर सकता क्योंकि वहां का प्रधान जो कि कांग्रेस को जिताता है वह प्रधान उस मारने वाले के साथ मजबूती से है । इसलिए जब तक आप वास्तविकता में नहीं जायेंगे तब तक कुछ नहीं होगा । उसका इतना प्रभाव है कि आपको क्या अर्ज करूं दांता रामगढ़ के अन्दर सभापति महोदय । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सभापति महोदय, एक सरपंच है बनाथला के श्री लादूराम जी चौधरी उन्होंने हाल ही में ऊंट दिया है डकैती के लिए और उस ऊंट पर जाकर डाका डाला गया है और मय हथियारों के पकड़े गये हैं । तो सरपंच कहता है कि मैंने यह ऊंट तो उसको बेच दिया है । याने डकैती हो गयी तो कहते हैं कि इस मीणा को मैंने तो ऊंट बेच दिया है जब कि उसका ऊंट है, लोग जानते हैं और आज भी मालूम है और उस थानेदार को इसलिए रखना चाहते थे कि यह केस ठीक हो जाय । हमने हल्ला किया तो उसको हटा दिया और फिर उसी कम्यूनिटी का थानेदार रख दिया । इतना अनर्थ हो रहा है, सभापति महोदय । इसलिए मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप छः महीनों के लिए चुप लगा जाइये और चाहे आपके पास दांता के ठाकुर आयें

(श्री मदनसिंह)

या कोई सदस्य आये या कोई भी आये—मत सुनियें आप उनकी बात और पुलिस को खुला छोड़ दें, फिर यह भ्रष्टाचार समाप्त होगा । आपको सारे केसेज मालूम नहीं रहते हैं । एक थानेदार को दस-दस दफा ट्रान्सफर करवा देते हैं और जब तक उनकी मर्जी का नहीं आता है तब तक वहां थानेदार टिक नहीं सकता है । यही बात राकोली के सरपंच श्री हीरालालजी की है । उन्होंने दस थानेदारों को नहीं टिकने दिया । जब तक थानेदार उनके साथ नहीं घूमे, उनके साथ चोरियों में हिस्सा न ले, उनके जितने मुकदमें हैं वह जब तक ठीक नहीं करे तब तक खाटू थानेदार रह नहीं सकता । इधर तो डीसेन्ट्रेलाइजेशन है थानेदारों में और इधर सरपंचों में रख दिया है। ये मिलकर दुनियां का नाश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय मैंने कई दफा कहा है रात को गोलियां चलाते हैं मीणा दांता रामगढ़ के अन्दर और वहां का थानेदार बैठा रहता है और केस नहीं बनाता है । केवल इसलिए कि सीकर के सारे कांग्रेसी नेता उसके साथ हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप जोर दीजिए और इसका कसूर आप आई० जी० पी० पर लगायें, और किसी पर लगायें, वहां के एस० पी० पर लगायें—मैं समझता हूं कि इसका कसूर कांग्रेस के लोग और वहां के सदस्यों का है जोकि आपको आ कर कहते हैं कि हमारी बात नहीं रही तो हमारा प्रचार वहां नहीं रहेगा । क्या इसी तरह से प्रचार करके आप वोट लेना चाहते हो ? क्या इसी तरह से डकैती करके आप वोट लेना चाहते हो ? क्या इसी तरह से चोरियां करके आप वोट लेना चाहते हो ?....... . . . . . .

श्री मूलचन्द डागा : कांग्रेसी नहीं करते।

श्री मदनसिंह : आप बताइये हमारे लिए कोई ऐसी बात हो तो ।

सभापति महोदय, जहां तक पुलिस का संबंध है यह पुलिस के एक भाग की बात मैंने कही है ।

दूसरा पुलिस का सी० आई० डी० का विभाग है जिसके संबंध में मैं नहीं कह सकता लेकिन राजस्थान में जो पुलिस के सी०आई०डी० है वह राजस्थान के नेताओं के संबंध में बराबर खबर भी देती है । ऐसी बात नहीं है कि वह खबर नहीं देती लेकिन, सभापति महोदय, पुलिस और सी० आई० डी० में भी लड़ाई है । अगर पुलिस के ऊपर सी० आई० डी० रखी जाती है तो वह घबराते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में दखलन्दाजी करते हैं । आपके दोनों ही विभाग हैं और आपके पुलिस विभाग से कोई काम नहीं हुआ और सी० आई० डी० से हो गया तो क्या हुआ ? परन्तु पुलिस से सी० आई० डी० किसी मामले को ले लेती है तो थानेदार नाराज हो जाता है, वहां का एस० पी० नाराज हो जाता है और शायद आई० जी० पी० भी नाराज हो जाता होगा कि हमारे बैठे हुए सी० आई० डी० क्यों भेजते है ?

आपका तीसरा विभाग जो एन्टी-करपशन का है उसके लिए मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) कि आपका एन्टी—करप्शन डिपार्टमेन्ट है, होम मिनिस्टर साहब, वह एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट नहीं रहा है जिसका कि आप सपना ले रहे हैं । एन्टी करप्शन के किसी भी केस के बारे में संबंधित ऑफिसर को मालूम हो जाता है । सभापति महोदय,

(श्री मदन सिंह)

खाटू के थानेदार को पकड़ने के लिए वहां के लोग गये और पैसे ले गये और आपके जवान जाकर इत्तिला कर देते हैं कि तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं और वे सारे के सारे वहां चले गये। ऐसे किसी को कैसे पकड़ सकते है जबकि आपके ही आदमी जाते हैं और उनको इत्तिला कर देते है। डी० वाई० एस० पी० तलाशी करने जाते है तो उनके कान में कहलाते हैं कि तुम्हें हम पकड़ने आते हैं। इस तरह से एन्टी करपशन वाले कैसे काम कर सकते हैं? तो इस प्रथा में आपको चेन्ज लाना पड़ेगा। मैं सुझाव दूंगा कि एन्टी-करप्शन का काम सी० आई० डी० की तरह से होना चाहिए। हर डिपार्टमेन्ट में आपका आदमी होना चाहिए तो आपको वहां से सीधा मालूम हो सकता है कि कौन ऑफिसर रिश्वत खाता है और कौन नहीं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं जागीर कमिश्नर का केस बताऊंगा। आज 6 साल से ऐसी ऐसी मिसलें मौजूद है उनके रेकार्ड में मौजूद हैं और एन्टी करप्शन को केस दिया गया तो उनको खबर दे दी गई तो वहां से सारे कागजात हटा लिये गये। इस तरह से आप जांच कराना चाहते हैं। इस तरह से एन्टी-करप्शन के नाम पर गवर्नमेन्ट यह कहना चाहती है कि हमने एन्टी-करप्शन का महकमा खोल दिया, तो कोई बड़ी भारी चीज कर दी। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो इंस्पैक्टर या एस० पी० एन्टी करप्शन में चला गया, वह ईमानदार हो गया और बाकी को आप बेईमान मानते हैं। मंत्री महोदय कहते हैं, ठाकुर साहब, एन्टी-करप्शन में सच्चे आदमी हैं, तो मैंने कहा कि या तो यह मान लें कि राजस्थान में ईमानदारी यदि कहीं है तो वह एन्टी-करप्शन में है, बाकी सब बेईमान हैं, या यह मान लें कि ईमानदार सब जगह हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके संबंध में थोड़ा कड़ा कदम उठायें। और तो क्या, सभापति महोदय, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर एन्टी-करप्शन वालों को यह लिखते हैं कि यह केस जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, मगर उसके पश्चात् भी उनको चिन्ता नहीं है और 6-6 महीने से केस को दबाये एन्टी-करप्शन के डी० आई० जी० साहब अपनी व्हिम पर चले जा रहे हैं। वे कहते हैं कि यह केस पुराना है, इसलिए हम कुछ नहीं देखेंगे। इस चैक का पैसा पहले चुकाया है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। पैसा आ गया है, चैक चुकाया है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ऐसे व्हिम्जिकल पीपल्स को बोर्डर पर भेज दिया जाय। वहां पर वे ठीक रहते हैं, जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एन्टी-करप्शन विभाग के अन्दर दो-चार आदमी थे अच्छे उनको तो आपने बोर्डर पर भेज दिया, जो कि वास्तविकता को समझते थे और सच्चाई को समझते थे, उनको तो आपने भेज दिया है और व्हिम्जिकल लोगों को वहां पर बैठा दिया है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, दो मिनिट।

श्री सभापति : काफी समय ले चुके है आप।

श्री मदनसिंह : मैं समय ले रहा हूं तो मैं तथ्य कह रहा हूं। अगर तथ्य नहीं हैं तो आप चैलेन्ज करें।

(श्री मदनसिंह)

सभापति महोदय, इसी सदन के अन्दर माननीय मंत्री महोदय ने एक दफा ऐलान किया था कि अगर कोई राज्य कर्मचारी एन्टी-करप्शन के काम में मदद करता है तो उसकी सुरक्षा गवर्नमेन्ट करेगी । मैं यह कहूंगा कि एक फोर्थ क्लास सर्वेन्ट है महावीर प्रसाद जैन सीकर में, उसने 45 पंचायतों के एन्टी करप्शन के केसेज ले रखे हैं और 6 महीनों से एन्टी करप्शन वाले रोज उसको टालते रहे हैं कि हमारे पास मोटर नहीं है । डी० आई० जी० के पास भेजा तो वह कहते हैं कि हमारे पास आर्डर नहीं है । डी वाई० एस० पी० को हम पैदल ले जायं । वहां तो पैदल ले जाने का काम है । डी वाई० एस० पी० के पास जाते हैं, वे कहते हैं कि गाड़ी नहीं है । दांता रामगढ़ की 45 पंचायतों में पैदल जाकर पता नहीं लगाया जा सकता है । वह केस तहसीलदार के खिलाफ था तो तहसीलदार को मालूम हो गया । उसने पटवारियों को बुला बुलाकर उनके ट्रान्सफर कर दिये और किसी को सस्पेण्ड कर दिया । यह वाटर वर्क्स का आदमी था तो इसको नौकरी से हटा दिया । उससे कहा गया कि राज्य कर्मचारी होते हुए तुम एन्टी करप्शन का काम करते हो और वाटर वर्क्स ने उसको अलग कर रखा है । इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर सही रूप से आप इसको करना चाहते हो, तो करो । पहले भी तो पुलिस पकड़ती थी और अच्छे अच्छे मिनिस्टरों को पुलिस ने पकड़ा है । एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट नहीं था उस वक्त राजाओं के जमाने में, एडमिनिस्ट्रेटर के जमाने में, गवर्नर्स रूल के अन्दर फिर भी काम हो जाया करता था । इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पुलिस विभाग से थोड़ा सतर्क रहकर काम करायें । मैंने जो एलिगेशन लगाये हैं उनको मैं प्रूव करने को तैयार हूं अगर मेरे साथ चलें तो । मैं बता सकता हूं कि किस तरह से सरपंच जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, किस तरह से आपके नेता लोग वहां पर काण्ड करवा रहे हैं । मैं उनको साबित करूंगा, अगर मेरे साथ आप स्पेशल अफसर लगायें । अगर आप यहां पर हां कर लें और वहां पर नहीं भेजें, तो मैं इसको उचित नहीं समझता ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट ।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप 15 मिनिट का समय ले चुके हैं...

श्री मदनसिंह : यह बहुत बड़ी बात है...

श्री सभापति : ऐसा है कि आपने कई बार निवेदन किया उसको मैंने स्वीकार किया । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि....

श्री मदनसिंह : म आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

एक माननीय सदस्य : दो से पांच पर आ गये ।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय, पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में सुनने की आपके मन में रह जायगी, इसलिये अर्ज कर दूं ।

जहां तक पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर का संबंध है, उनको मैं कई वर्षों से जानता हूं कि नवाब साहब होने के कारण भोले हैं । उनको कोई भी जुल में ले सकता है, चाहे नवलगढ़ रावल ले लें । पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब, नवलगढ़ रावल अलग महलात बनाने के लिए शिवजी के मन्दिर के

(श्री मदनसिंह)

ऊपर आश्रम बना लें-इसका जवाब है आपके पास ? नवलगढ़ रावल ने धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करके नवाब साहब को नजर करके एक कुटिया बनाई है जहां पर कि रंगरेलियां होती हैं । मंदिर में शराब पी जाती है, मच्छियां मारी जाती हैं और शिकार होता है । मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता नहीं ? आप कहेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० ने किया और राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने इसकी इजाजत दी है । मेरे पास में आपका लिखित में जवाब है और उसको लेकर मैं मुख्य मंत्रीजी के पास गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए कभी नहीं कहा कि शिवजी के मंदिर में आश्रम बनना चाहिए । आपको मालूम है नवाब साहब । आप उनका साथ छोड़ दें, नहीं तो सी० बी० आई० आ जायगी और आश्रम को देखेगी कि आश्रम में भी कुछ नहीं मिल जाय । इसलिए मैं कहता हूं कि जहां धार्मिक स्थान है उसके ऊपर, शिवजी के सिर के ऊपर नवाब साहब ने वहां पर आश्रम बनाया है । वहां पर पी० डब्ल्यू० डी० का लेना देना नहीं है और जंगल में है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार उस स्थान में हरिजनों के लिए स्कूल खोल दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर नवलगढ़ रावल ने 30 हजार रुपया लिया है । मेरे पास में लिखित रूप में है । मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा बहस में न पड़ूं और आपको कोई अब्जेक्शन नहीं हो, तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी चाहें तो इसमें हरिजनों के लिए स्कूल बनादें, तो अच्छा होगा । या तो वहां पर हरिजनों के लिए स्कूल बनादें या आयुर्वेदिक औषधालय वहां पर बनादें क्योंकि वहां जंगल में तो कोई रहता नहीं और गरीब हरिजन और जंगल के आदमी रहते हैं तो मैं सोचता हूं कि धर्मार्थ में यह बनाया गया है तो उनके काम में आये । नवलगढ़ रावल ने धर्म के नाम पर 30 हजार रुपया इकट्ठा किया है, कई संस्थाओं से और उनके पास भी पैसा ज्यादा है । मुझको मालूम है कि पैसा उनके पास किस तरह से आता है । धर्मार्थ के नाम पर कई मंदिरों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है । मैं आपसे चाहूंगा, नवाब साहब, कि वहां पर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो अभी हमारे चौधरीजी बोल रहे थे फुलेरा से आने वाले-वहां पर फुलेरा में सब जगह रोड्स हैं लेकिन फालतू बोल रहे थे-सड़कों में पैसा लगायें । मेरे दांता रामगढ की कान्स्टीट्यूएन्सी में चेलेन्ज करता हूं कि एक भी सड़क नहीं बनी है सिवाय एक माधोसिंहजी ने जो अकाल के टाइम में बनाई थी । वहां पर भी कुछ काम नहीं हुआ और केवल रोलर भेज दिया....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कुछ नहीं किया है । जो कुछ किया है विभाग ने किया है ।

श्री मदनसिंह : आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर कोई पुराना बैर हो तो वह कह दें ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बैर तो आप बरत रहे हैं.....

श्री मदनसिंह : क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बैर तो आप बरत रहे हैं और झूठा बैर बरत रहे हैं ।

श्री मदनसिंह : वहां पर रोड़ नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि आप पधारते नहीं हैं,

(श्री मदनसिंह)

देखते नहीं हैं और उधर से ही निकल जाते हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं जानना चाहूंगा कि इसमें मेरा क्या दोष है ?

श्री मदनसिंह : अगर झूठ है तो सच कर दें और 6 मील का टुकड़ा जोड़दें ।

श्री मूलचन्द डागा : पहले धमकी, फिर निवेदन ।

श्री मदनसिंह : क्या यह झूठ है कि शिवजी के मन्दिर के ऊपर आश्रम बनवाया है.....

श्री मूलचन्द डागा : आश्रम क्या ?

श्री मदनसिंह : वहां आकर बैठ कर मौज करते हैं । मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें कि इसके लिए आपका क्या निर्णय है ? मैं इतना ही कहना चाहूंगा ।

श्री सभापति : श्री शंकर लाल !

श्री शंकर लाल (जैतारण) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंध में मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो हमें कार्य विवरण दिया गया है, उसके अन्दर वास्तव में यह बात सही है कि राजस्थान की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर जो प्रावधान रखा गया है, वह बहुत ही कम है आवश्यकताओं को देखते हुए, उसके अन्दर यह भी कहा गया है कि जहां 29 करोड़ की आवश्यकता थी, वहां करीब 11.90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । यह बात भी सही है कि 1970–71 के अन्दर डेढ करोड़ रुपये का प्रावधान है, वह भी कम है । मैं यह चाहूंगा कि वास्तव में राजस्थान जैसे पिछड़े हुए इलाके के अन्दर सड़कों के प्रावधान के अन्दर उपयुक्त धनराशि होनी चाहिए और मौजूदा धनराशि बहुत कम है । सभापति महोदय, मैंने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उनको रखने का मेरा मकसद यह है कि जो भी धनराशि उपलब्ध हो, उससे जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जाता है, मैं समझता हूं कि उनमें धनराशि का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है । उसके अन्दर मैंने अधिकारियों की अयोग्यता की बात भी कही है । उसके अन्दर यह भी बताया है कि अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण जो काम होने चाहिए, वे नहीं हो पाते हैं और इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार की बहुत भारी शिकायतें हैं । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इस विभाग के द्वारा जो कार्य किये जाते हैं, उनके बारे में हमें इस बात का अनुभव अधिकतर अकाल राहत के समय में मिला है, सभापति महोदय, वह मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को बताऊं और इस सदन के समक्ष रखूं कि यह बात बड़े आश्चर्य की है कि अकाल राहत विभाग के द्वारा कार्य स्वीकृत करने के एक महीने के पश्चात् तक भी वह कार्य शुरू नहीं किये जाते हैं । अकाल राहत विभाग इन कार्यों को इसलिए स्वीकृत करता है ताकि अकालग्रस्त इलाकों के लोगों को वास्तव में राहत मिले और अकालग्रस्त इलाके के लोगों को मजदूरी मिले । मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं, पाली जिले के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने 13 फरवरी को जिन अकाल राहत कार्यों को इस पी० डब्ल्यू० डी० के मार्फत चालू करने की स्वीकृति की थी, वह अभी तक

(श्री शंकर लाल)

चालू नहीं हुए हैं। जबकि 13-2 को ये सड़कें स्वीकृत हुईं, जैतारण-निम्बाज-सोगावस, लेकिन यह आज तक चालू नहीं हुई हैं। इसी प्रकार बिराटिया कलां से रास की सड़क है। यह 13-2 को मंजूर हुई थी लेकिन वहां आज तक काम चालू नहीं हुआ है। इतना ही नहीं कि स्वीकृति के एक महीने के बाद काम चालू नहीं हुआ, बल्कि स्वीकृति से दो महीने के बाद तक भी काम चालू नहीं हुआ है। बिरोटिया खुर्द की सड़क है वह सी० डी० वर्क्स के अन्दर है, वह सड़क दो महीने पहले फेमिन डिपार्टमेंट द्वारा सेंक्शन की गई, लेकिन आज तक उसका काम पी० डब्ल्यू० डी० ने चालू नहीं किया है। मैंने पता लगाया कि यह काम चालू क्यों नहीं किये गये, तो मुझसे कहा गया कि स्टाफ की कमी है। मेरी समझ में नहीं आता है, जब उपयुक्त स्टाफ नहीं हैं, तो स्टाफ की मांग क्यों नहीं करते हैं। इस संक्षिप्त कार्य विवरण में बताया गया है कि चिहत्तर इंजीनियर और तीन सौ ओवरसियर अकाल राहत कार्यों में काम पर लगाये गये हैं और इतने लोगों की बेकारी मिटी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि इनकी तो बेकारी मिटी है लेकिन इन लोगों ने कई व्यक्तियों को बेकार बनाया है। जो लोग नये आते हैं, इनके अन्दर कोई अनुशासन नहीं होता है, इनके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए यह लोग गड़बड़ घोटाले करते हैं। इस कारण से जो लोग वहां काम करते हैं उन लोगों में असंतोष है और उनमें रोष फैलता है। सभापति महोदय, जैतारण से देवली की सड़क जो स्वीकृत हुई है, उस पर काम चालू हुआ है, वहां मैं 17 फरवरी को गया था तो मैंने देखा कि वहां के मेटों के पास में पक्के मस्टर रोल नहीं थे। वहां पर मजदूर बिना पक्के मस्टर रोल के काम कर रहे थे। वहां पर मेटों के पास में कच्चे मस्टर रोल थे। मैंने पूछा कि पक्के मस्टर रोल क्यों नहीं है, ओवरसियर कहां है। तो मुझे बताया गया कि यहां पर प्रकाश चन्द्र पटवा ओवरसियर है। लेकिन वह वहां पर मौजूद नहीं था। उसका जवाजा हैडक्वार्टर बताया लेकिन वह वहां दो तीन दिन से गायब था। मैंने असिस्टेन्ट इंजीनियर बाफना से कहा कि ओवरसियर कहां है ? तो उन्होंने कहा कि वह छुट्टी पर हो सकता है। उन्होंने भी "हो सकता है की बात बताई। मैंने उस संबंध म शिकायत की, लेकिन उस शिकायत करने पर हुआ क्या ? वहां पर जो मजदूर काम कर रहे थे, उनको ऑर्डर होता है कि तुम्हारी इतने दिन की मजदूरी काट ली गई है क्योंकि बिना सेंक्शन के यहां पर इतने दिन काम किया है। वह मजदूर कच्चे मस्टर रोल पर काम कर रहे थे, उनको कह दिया कि तुम काम पर नहीं थे। वह काम पर नहीं थे जब कि काम चल रहा था। अपनी अयोग्यता के कारण, इन्काम्पीटेंसी के कारण वहां मस्टर रोल नहीं पहुंचा सके और उस गलती को मंजूर करने के बजाय, उन मजदूरों की मजदूरी काटना चाहते हैं। यह कहां तक न्यायसंगत है ? कई फेमिन रोड्स के बारे में मुझे मालूम है, मैं आपको कहता हूं कि जैतारण से खुशालपुर की सड़क है, वहां पर लोगों ने काम किया है उसका पैसा आज तक बाकी है। पी० डब्ल्यू० डी० के आज काम होते हैं लेकिन उसका पेमेन्ट रेवेन्यू एजेंसी करती है। लेकिन पहले जो फेमिन में काम हुए थे। आज यह स्थिति है कि जो मजदूर काम करते ह, उनको एक-दो बार तो पेमेन्ट करते हैं, बाद में मजदूरी अनपेड रह

(श्री शंकर लाल)

जाती है और उसका पेमेन्ट आज तक नहीं हुआ है। जतारण से खुशालपुर की सड़क का पैसा मजदूरों का आज तक बाकी है। यह अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण पैसा बाकी है। इस कारण से फेमिन के इलाके में काम करने वाले लोगों के अन्दर रोष है और यह सब पी० डब्ल्यू० डी० के कारण से है।

इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर एक बात और है स्टाफ की कमी के साथ साथ कि जो डिस्ट्रिब्यूशन होता है मशीनरी का, वह काम को देखते हुए उपयुक्त नहीं होता है। रोलर के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां उस क्षेत्र के अन्दर जितनी सड़कें बनी हैं, वहां पाली जिले के अन्दर रोलर की कमी के कारण सड़कों के ऊपर कंकरीट टूटी पड़ी ह क्योंकि रोलर उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए वे सड़कें पूरी नहीं होती हैं। सेंदड़ा से जस्सा खेड़ा की सड़क है, वह नये फेमिन की नहीं, 54 के फेमिन की है, वह अधूरी पड़ी है और उसकी कंकरीट टूटी पड़ी है, क्योंकि रोलर की कमी है। ब्यावर से बलाड़ा वाया चांगरर सड़क है वह भी अधूरी पड़ी हुई है। जैतारण से मेड़ता की जो रोड है वह भी अधूरी पड़ी हुई है और ब्यावर से लाम्बीया की सड़क है वह भी रोलर उपलब्ध न होने के कारण अधूरी पड़ी है। मैं एक बात रोलर के संबंध में कहना चाहता हूं, जालोर से आने वाले माननीय सदस्य हैं वह उप-मंत्री हैं, उनके क्षेत्र के अन्दर छत्तीस रोलर थे जब कि हमारे क्षेत्र के अन्दर केवल दो रोलर काम कर रहे थे। मैंने पूछा था तो कहा था कि छत्तीस हैं..

एक माननीय सदस्य : 36 नहीं 9 थे।

श्री शंकरलाल : हो सकता है, बाद में घटाकर 9 कर दिये हों। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गये फेमिन के वक्त कितने कितने रोलर किस किस जगह पर थे? ब्यावर के क्षेत्र में कम थे तो वहां क्यों नहीं भेजे? मैं यह बात व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहता.....

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : माननीय सदस्य आपको ध्यान नहीं है, आपके जैसे उनमें से दो बनते हैं और मेरे जैसे तीन चार बनते हैं।

श्री शंकरलाल : मैं शरीर की बात नहीं कह रहा हूं, रोलर की बात कह रहा हूं।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : रोलर की बात करते हैं तो आपने साइज नहीं बताई कि छोटा चाहिए था या बड़ा चाहिए था।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : इनके घूमने से सड़क बनती है।

श्री शंकरलाल: मेरा निवेदन है कि इनके विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, जो राष्ट्रीय मार्ग बनाये जाते हैं, उनके अन्दर जिन किसानों की भूमि अवाप्त की जाती है उसका मुआवजा सालों तक नहीं मिलता है। जोधपुर से ब्यावर की सड़क बनी, जो नेशनल हाई वे है उसके अन्तर्गत जिन किसानों के खेत आये, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, आज दस साल हो गये हैं, लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पी० डब्ल्यू० डी० इसी तरह से अपनी साख रखना चाहता है कि गरीब आदमियों की जमीन ले ले और उनको मुआवजा भी नहीं मिले।

(श्री शंकर लाल)

सभापति महोदय, इसके अलावा जितना ध्यान इन नेशनल रोड्स पर देना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है, जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री को मालूम होगा कि जयपुर से जोधपुर जाते हैं, तो बर बीच में आता है। उस वर गांव के बाहर आप देखेंगे कि मोड़ इतना खतरनाक है कि कई ऐक्सिडेंट हो चुके हैं। कई बार मैंने इस बारे में लिखा है और पहले भी इस सदन में मैंने बताया है कि 1968 के अन्दर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को चीफ इंजीनियर के लैटर का हवाला देकर लिखा था, लेकिन दो साल हो गये हैं, किन्तु इस रोड के इस मोड़ को ठीक नहीं किया गया है। यह बहुत खतरनाक मोड़ है, इसको ठीक करना जरुरी है।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे भ्रष्टाचार कितने ही होते हैं लेकिन जो यह मरड़ डालने का ठेका दिया जाता है, इसके अन्दर सबसे अधिक भ्रष्टाचार होता है। अव्वल तो एस्टीमेट गलत बनते हैं। पी० डब्ल्यू० डी० फेमिन डिपार्टमेंट को एस्टीमेट बना कर देता है कि यह सड़क दो लाख में बनेगी। उस सड़क का काम शुरु होता है लेकिन दो लाख रुपय खर्च होते ही कह दिया जाता है कि काम कम्पलीट हो गया, जब कि वास्तव में वह अधूरा होता है मैंने नया बाडीया से सुमेल सड़क के लिए कहा तो मंत्री महोदय ने कहा कि उसका तो काम पूरा हो चुका है। मैंने कहा कि कहां काम पूरा हो चुका है। पी० डब्ल्यू० डी० ने कह दिया कि काम पूरा हो चुका है, इसका मतलब यह है कि जितना पैसा दिया गया, वह खर्च कर दिया है। काम अधूरा है या नहीं, यह नहीं कहते हैं। लेकिन जब मौके पर जाकर देखते हैं कि एक एक सड़क अधूरी पड़ी है, जिस सड़क को पूरा बताते हैं वह आधे से ज्यादा अधूरी है और टूटी पड़ी है। इस प्रकार झूठे एस्टीमेट बनाते हैं। मैंने इस मुरड डालने में जो भ्रष्टाचार की बात कही है, इसके लिए निवेदन है कि नया बाडीया से सुमेल की सड़क है पाली जिले में, उसके लिए पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास किया, सहकारी समिति ने प्रस्ताव पास किया और बताया कि: "सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि गत वर्ष फेमिन कार्य के अन्तर्गत नया बाडिया सुमेल-सड़क पर ठेकेदार ने ड्रेसिंग के लिए रेत डाली है वो किसी काम की नहीं है। ठेकेदार को जो मुरड़ (ताईबाला वाला) सड़क पर डालने को कहा गया था, उसे नहीं डाल कर रेत डाल दी है। सरपंच जी ने इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट की थी, उसका कौरम द्वारा अनुमोदन किया जाकर सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा जावे कि ठेकेदार को पेमेन्ट कैसे किया गया। ठेकेदार से वहां उपयोगी मुरड़ डलवाई जावे व इस बावत जांच कराई जावे।"

सभापति महोदय, कई जगह देखते हैं कि कागजों में तो उन जगहों पर मुरड डाल दिया गया लेकिन मौके पर जाकर देखते हैं तो वास्तव में वहां पर मुरड डाला हुआ नहीं होता है। मैंने इस सड़क को मौके पर जा कर देखा है, इस सड़क पर कहीं मुरड़ नहीं डाला गया है, आस पास की रेत डाल दी है। मुरड नहीं डाला है फिर भी ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया। इससे यह साफ जाहिर होता है कि या तो आपका सुपरविजन नहीं है या आपके अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। इसलिए इन सड़कों के सुपरविजन की ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए और

(श्री शंकर लाल)

गम्भीरतापूर्वक मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार का आप अपने आपको सोचते हैं, वैसे आपके विभाग के अधिकारी नहीं हैं, बड़े अधिकारियों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता पर जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं, ओवरसियर हैं, यहां तक की ए० ई० एन० के लेवल तक के आपके अधिकारी ठीक नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : आप इसे भ्रष्टाचार बता रहे हैं पर यह तो इनके लिये शिष्टाचार है ।

श्री लाभचंद वेद : इस विषय में छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े हैं।

श्री शंकरलाल : इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्लान रोड्स का काम भी पूरा नहीं किया गया है। पाली से जैतारण बर हो कर जाना पड़ता है ! पाली जैतारण की सीधी सड़क का कहते ह तो रोड रोलर्स की कमी बता कर इसे टाल दिया जाता है। अगर इस सड़क को बना दिया जाय तो पाली से जैतारण जाने में 20-22 माइल का चक्कर कम किया जा सकता है । पर आपने उस सड़क को नहीं बनाया है । डाक बंगलों और टेलीफोन की सुविधाओं के लिए आपने कहा है लेकिन जैतारण एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट सब डिविजन हैडक्वार्टर है, फिर भी जैतारण में कोई डाक बंगला नहीं है । कई बार मंत्री महोदय को कहा गया है कि जैतारण में कोई डाक बंगला नहीं है, इसलिए वहां पर डाक बंगला बनाया जाना चाहिये । कई जगह पांच पांच मील की दूरी पर डाक बंगले हैं, पर जैतारण इतनी इम्पोटेन्टे जगह है, फिर भी वहां पर डाक बंगला नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सब डिविजनल हैड क्वार्टर जैतारण में डाक बंगला जल्दी से जल्दी बनवाने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं सीमा सड़कों के बारे में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सीमा सड़कों के सम्बन्ध में यहां इसमें बहुत सी बातें लिखी गई हैं। इनके लिये करीब 5 करोड़ का प्रावधान बताया गया है । मुझे अभी अभी, बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर जिलों में जाने का अवसर मिला और मेरी यह मान्यता ह कि इन तीनों जिलों में चाहे सड़कों का काम हो, चाहे दूसरे डेवलपमेंट के काम हों, बाड़मेर, जैसलमेर, और बीकानेर इन जिलों में जब तक केन्द्र सरकार सड़कों की ओर दूसरे डवलपमेंट के कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक इन कामों की पूर्ति राज्य सरकार से होने वाली नहीं है। जैसलमेर में जो जैन मंदिर है उसमें पुरातत्व की बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आप वहां की विजिटर्सबुक को देखें, ताड़ पत्रों पर वहां लेख हैं। 1954 में पंडित जवाहरलाल जी नेहरु जैसलमेर गये तो उन्होंने वहां विजिटर्स बुक में लिखा कि जैसलमेर जैसे जिले में हमारा सबसे अधिक ध्यान जाना चाहिए। आज भी सरकार वहां जाकर देख ले। इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । जितना ध्यान इस जिले की तरफ जाना चाहिए था, वह नहीं गया है। कई जगह ट्यूब वैल्स देखने को मिलते हैं, पर यह भी बात है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है......

श्री हीराभाई (कुशलगढ़-सु०): माननीय सदस्य यह आशा ले कर चलते है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, पर एम० एल० ए० के चुनाव, प्रधान के चुनाव और

(श्री हीरा भाई)

दूसरे चुनावों के लिये इन लोगों को पैसा मिल सके इस प्रकार का कोई दूसरा कोष बना दीजिये तब तो इनका भ्रष्टाचार है बिना काम चल सकता है, नहीं तो इनका काम चलेगा नहीं और भ्रष्टाचार करेंगे।

श्री शंकरलाल : यह इर्रिलेवेन्ट है।

तो, सभापति महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर ये जिले हैं इन बोर्डर के जिलों में ये सड़कों के काम या दूसरे डवलपमेंट के काम हैं, इनके लिय राजस्थान सरकार को ईमानदारी से केन्द्रीय सरकार को कहना चाहिये कि इन कामों की केन्द्रीय सरकार जिम्मेदारी ले ले ताकि उपयुक्त प्रावधान सड़कों आदि के लिये हो सके और समुचित कार्य हो सकें।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर से बर की सड़क का 18 लाख का ठेका हुआ। डिफन्स फंड से उसका 2 प्रतिशत पैसा वहां के लेबर्स की चिकित्सा के लिये मेडिकल एण्ड हेल्थ की सुविधा के लिय दिया गया था, पर आज तक उस पैसे का कोई उपयोग नहीं हुआ है।

यह जो 18 लाख का इस सड़क का ठका हुआ डिफन्स फंड से, उसका 2 पर्सेन्ट लेबरर्स को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये दिया गया था, उस पैसे को सेंदड़ा की डिस्पेन्सरी, जहां से मजदूर दवाइयां लेते हैं, को दिया जाना चाहिए। वह पैसा कहां है, इसका आप पता लगायें और सेंदडा डिस्पेन्सरी को देने की व्यवस्था करें।

श्री श्रवणलाल : माननीय सदस्य यह बता दें कि आप यह मानते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो यह तो बता दीजिये कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है?

श्री शंकरलाल : भापति महोदय अब मैं पुलिस के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया और अब भी निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस में हमारे गृह मंत्रीजी हैं वे बड़े अनुशासन और कड़ाई से काम लेते हैं पर इसमें और अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। आपने पहले सदन में कहा था कि पाली जिले में पाली जिले म ही क्या दूसरे सब जिलों म डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सलाहकार समितियां बनाने का विचार सरकार ने किया है, आपने कई जगह ऐसी सलाहकार समितियां बनाई भी ह अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपन यह विचार अब छोड़ दिया है? मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चुने हुए आदमियों की सलाहकार समितियों से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम लें तो काफी सुधार हो सकता है। अकाल के समय जो पशुओं का निष्क्रमण हुआ उस समय कई जगह काफी झगड़े हुए। अगर सलाहकार समितियां होतीं तो इन झगड़ों को निबटा सकती थीं। सलाहकार समितियां अकाल पीड़ित पशु-पालकों को समझातीं, खेतों वालों को समझाती, गांव वालों को समझातीं तो कई जगहों के झगड़ों को रोक सकती थीं और उन झगड़ों को निबटा सकती थीं। एक दो जगह जहां समझाया तो पुलिस वालों ने कहा कि यह आपका काम नहीं है, यह पुलिस का काम है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने यह विचार छोड़ दिया है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रोसीक्यूशन लाइन है, उसको

(श्री शंकर लाल)

लाइन है, उसको पुलिस से बिल्कुल सेपरेट करके जुडिशियरी के नीचे रख दिया जाय पहले आपका ऐसा विचार था पर आपने ऐसा अब तक नहीं किया है। जब आप प्रोसीक्यूटिंग लाइन को जुडिशियरी के नीचे देंगे तभी सही न्याय हो सकेगा क्योंकि वे लोग अपनी इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। अगर प्रोसीक्यूटिंग लाइन को पुलिस के ही नीचे रखा गया तो प्रोसीक्यूटिंग इन्स्पेक्टर्स पर पुलिस के अधिकारी हावी होकर कह देते हैं कि इस माले में इस प्रकार की राय दो और उनको मजबूर हो कर उस प्रकार की राय देनी पड़ती है। जहां आपने जूडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन का सिद्धान्त अपनाया है तो आप प्रोसिक्यूटिंग लाइन को जुडिशियरी के नीचे क्यों नहीं दे देते है ? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप गम्भीरता पूर्वक सोचें।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि डिविज़न हैड क्वार्टर्स पर जो डी० आई० जी० की पोस्ट है वह केवल पोस्ट आफिस के बराबर है। हमारा कोई काम पड़ता है तो हम एस० पी० के पास जाते हैं, वहां से फिर जरूरत आगे जाने की पड़ती है तो जयपुर में आकर शिकायत कर सकते हैं। इसलिए इस पद की कोई सेंक्टिटी नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कमिश्नर की पोस्ट को आपने अबोलिश कर दिया तो फिर यह डी आई०जी० की पोस्ट क्यों रखी है, समझ में नहीं आता ? इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करूंगा कि सब इन्स्पेक्टर, इन्स्पेक्टर और उसके बाद एस० पी० और उसके बाद आई० जी० पी० की पोस्ट रखी जाय, और जो बीच में डी० एस० पी० की पोस्ट है उसको अबोलिश कर दिया जाय।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि पुलिस आफिसर्स की शिकायतें आती हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी पुलिस आफिसर्स खराब हैं पर आपके पास शिकायतें आती हैं तो आपको ध्यान देकर एक्शन लेना चाहिये।

(2 म० प०)

उदाहरण के लिए गत वर्ष बर गांव में बाबूलाल महाजन को बिना मतलब के हथकड़ी डालकर गिरफ्तार किया गया। और किस मामले में गिरफ्तार किया गया, वह यदि बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। ब्यावर से जैतारण बिजली लाइन है उसमें बीच में पेड़ आ गये तो बिजली वालों ने काट दिये। बाबूलाल का लड़का सरपंच है, उसने पेड़ लाकर पंचायत में डाल दिये। पुलिस ने मुकदमा बाप पर किया लेकिन लोकल पुलिस व एस० पी० ने कह दिया कि मुकदमा नहीं बनता। उसके बाद भी न मालूम क्योंकि यहां पर फाइल आई। वापस इन्वेस्टीगेशन कराते हैं और भले आदमी को प्रतिष्ठित आदमी को हथकड़ी डाल कर गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कहा थानेदार के खिलाफ एक्शन लें। क्यों नहीं लिया गया ? दुनियां की हिस्ट्री के अन्दर कहीं भी जाकर जांच करवायें, वास्तव में चोरी का जुर्म बनता है, कोई किसी हालत में नहीं कह सकता। आपके विभाग के आर्डर्स हैं कि सरपंच और दुसरे चुने हुए आदमियों को हैन्डकफ न किया जाय। हैंडकफ उनको किया जाय जो भाग सकते हों, डकैत हों लेकिन जहां पुलिस को पैसा मिल जाता है तो डकैतों को भी हैंडकफ नहीं किया जाता और अगर पैसा नहीं मिलता तो वहां भले आदमी को भी, बाबूलाल जैसों को भी हथकड़ी लगाई जाती है। क्योंकि वह पैसा देने को तैयार नहीं था। थानेदार के खिलाफ आप क्यों नहीं एक्शन लेते ? चालान करवाइए

(श्री शंकरलाल)

आपको मालम हो जायगा । लेकिन फाइल दबी हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ एक साल के बाद भी । आप उसके लिये एक्शन लें ।

गत वर्ष एक कत्ल होगया मौरी के सरपंच का। एक अच्छा कार्यकर्त्ता था जो मेरी नाम राशि का था। पुलिस को दरख्वास्तें दी गईं कि शांति भंग होने का खतरा है। पुलिस गार्ड लगायी गयी। लेकिन कतल होने से एक दिन पहले गार्ड ने अपनी राइफलें व शस्त्र जैतारण थाने में जमा करवा दिए। इस बारे में हमने शिकायत की, आपने मालूम किया कि क्यों उन्होंने कतल से एक दिन पहले राइफलें थाने में जमा करवाई जब गार्ड लगी हुई थी? दूसरे दिन ही मर्डर हो गया। गार्ड लगने के बाद भी कतल हो जाय तो क्या राजस्थान की पुलिस इतनी इन्कॉम्पीटेंट है ? मेरे दिल में दर्द है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं। जो ऑफिसर्स इसके अंदर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ अगर एक्शन ले सकते हैं तो क्यों नहीं आप एक्शन लेना चाहते हैं? क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है?

मैं अधिक न कहकर केवल जो पाली जिले में चोरियां हो रही हैं उनकी ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा। अभी बाली तहसील में 4 तारीख को चोरी हो गई। सुमेरपुर, तखतगढ़ व बाली के थानेदार जवाई कमांड में खुद की जमीनें लेकर काश्त करवाते हैं। पुलिस के काम को कम करते हैं । बाली, सुमेरपुर व रानी, यहां के थानेदार अधिकतर अपने खुद के काम करते हैं। आप इस बात के आदेश निकाल कि पुलिस में रहने वाले कर्मचारी अपने नाम से या परिवार के नाम से कहीं जमीनें नहीं लें और काश्त न करावायें वरना अधिकतर काश्त करवाकर उलझे हुए रहते हैं और अपराधों की तरफ ध्यान नहीं देते। शिकायतें आती हैं। कोई कार्यवाही नहीं होती है। ऐसे अधिकारियों को लगाना चाहिये जो वास्तव में ईमानदार हों और दूसरे अधिकारियों की शिकायतें आती हैं तो जांच करवायें, किन किन के पास जमीनें हैं कौन जाकर जमीनों की काश्त करवाते हैं, थाने से अक्सर छुट्टी लेकर गायब रहते हैं? ट्रेक्टर्स जो अकाल में काम करते हैं, वह खेती के काम में लेते हैं और अपने थानेदारी के कर्त्तव्य को नहीं निभाते हैं। तो इस प्रकार जो समस्यायें हैं उनकी तरफ ध्यान दें।

श्री मदनसिंह: आपका मतलब है कि थानेदार नंगे भूखे रहें।

श्री सभापति: प्रोफेसर केदारनाथ, आप बोलना चाहेंगे?

श्री केदारनाथ: मैं तीन बजे बोलूंगा।

श्री सभापति: श्री मनोहर सिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): सभापतिजी, 23 साल की आजादी के बाद होना तो यह चाहिए था कि सब लोगों का राज्य के प्रति विश्वास बढ़ता लेकिन जो हमारे काम हैं उनकी वजह से दिनों दिन अविश्वास बढ़ता जा रहा है और जो इतना भ्रष्टाचार, पापाचार और अनाचार फैल रहा है उसका बड़ा कारण शराब है लेकिन आप इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते। पुलिस

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

और शराब का ऐसा अटूट संबंध है जिसके कारण यह बड़ी बड़ी दुकानें खुल रही हैं गुप्ता वाईन स्टोर, मेहता वाइन स्टोर, शर्मा वाइन स्टोर....

श्री दौलतराम सारण : मुफ्त में लेते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इस विभाग से आशा थी कि बाड़ का काम करे लेकिन यदि बाड़ ही खेती को खा जाय तो किसके पास जायं? मैं आपको दो तीन मिसाल दूंगा। अगर मंत्रियों द्वारा बाला बाला यहां से नियुक्तियां सीधी नहीं होतीं तो वे लोग अपने जिलें के एस० पी० की परवाह करते लेकिन थानेदार की नियुक्ति होती है, यहां के अमक थाने पर फलां थानेदार को भेजा जाता है। जैसे मांडलगढ़ सब-इन्सपेक्टर को भेजा गया, वह एस० पी०, भीलवाडा की क्यों परवाह करें। एक ग्राम पलासिया में कतल हुआ। कातिल तुरंत भागकर सब-इन्सपेक्टर के पास पहुंच गया और न जाने क्या पूजा प्रतिष्ठा की कि उस कातिल को गिरफतार नहीं किया और गिरफतार किया किसको? जिसका लड़का मारा गया था, उसके बाप को। बाप को उठाकर लाड़पुरा हवालात में रखा, उसके गुप्तांगों को पत्थर से बांधा, उसकी 60 साल की उम्र थी। मां को गिरफतार किया। सारे क्षेत्र में हाहाकार मच गया पुलिस की नादरशाही के खिलाफ कि कातिल नहीं पकड़ा जाता, जिसका बेटा कतल हुआ उसका पिता पकड़ा जाता है। इस तरह से जुल्म हुए। लेकिन हमारे एस० पी० ईमानदार थे, ज्यों ही उनके पास मामला पहुंचा, उनको बदबू आई। उन्होंने यह काम दूसरों को सौंपा फिर कातिल पकड़ा गया लेकिन उस सब-इन्सपेक्टर का आज तक तबादला नहीं हुआ दूसरे हैं सी० ओ०, भारत प्रकाशजी। हर सब-इन्सपेक्टर को रिश्वत देनी पड़ती है, उनका भी तबादला हो गया लेकिन वापस उनका तबादला मुल्तवी कराया गया जो वापस मुल्तवी हो गया है।

थोड़े दिन पहले महुआ में दो महाजनों के बीच लेन देन का मामला था। कोई सौदा या सट्टा किया होगा। एक आदमी को मक्की दिलवाई उन्होंने कहा तुमको रकम नहीं दूंगा क्योंकि सौदे में नुकसान हुआ है। उसका पेमेंट नहीं किया है। सब-इन्सपेक्टर, मांडलगढ़ से जाकर मिला, उनको रास्ता बताया, उस पर चोरी का मुकदमा चलाया और कहा कि तुमने मक्की की चोरी की है। महाजन को हथकड़ी डाली, 100) दिए, हथकड़ी निकाल दी और केस चालान किया। यह हालत है आपके विभाग की फिर भी तबादला नहीं होता है उनका। यदि आप कांग्रेस को जिंदा रखना चाहते हैं तो कृपा कर ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लिया जाय। जहां जहां से भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, सब को पकड़ना जरुरी नहीं होता लेकिन अगर आप दो चार मामलों में कड़ाई बरतेंगे, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में दखल न देंगे आई० जी० पी० को निश्चिंत होकर काम करने देंगे और एस० पी० को अपने क्षेत्र में काम करने देंगे तो फिर मजाल नहीं कि लोगों को कहने का मौका मिले कि इससे पहले का राज्य अच्छा था। यह पुलिस विभाग रक्षा के लिए है। क्या सुंदर मोटो है? 'मेरे योग्य सेवा' कितना अच्छा लिखा हुआ है और अन्दर जाते हैं तो हलाहल जहर है और काला नाग ही नजर आता है। जब कंजरों को चोरी के अंदर पकड़ा जाय और चोरों से रिश्वत ली जाय तो किसको दोषी मानें?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

देने वाले को या लेने वाले को ? साधारण रिश्वत की तो मैं कुछ नहीं कहता। एक दोहा है। "काम सरे नी बात सुं सरे न कीदा रीस' बात करने से काम नहीं होता है, और रीस करने पर भी सर नहीं सकता। तब किससे चलेगा ? "सरे राज में दो जदी, बिना रसीद फीस"। बिन रसीद के फीस देंगे जब ही काम चलेगा जो जो अधिकारी शराब पीते हों, सभापतिजी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्रियों और पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन रख, अग्नि जलायें और वहां यह प्रतिज्ञा करें कि शराब कोई नहीं पीयेगा। मंत्री भी प्रतिज्ञा लें यदि शराब पीते हों तो। यह बात मैंने संक्षेप में पुलिस विभाग के बारे में कहीं है।

थोड़ा सा मैं पी० डब्ल्यू० डी० के विषय में भी निवेदन करना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य: यह भी पीते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: जहां तक शराब का संबंध है इस महकमे का भी उतना ही संबंध है जितना कि पुलिस का है। प्रोहिबिटड एरिया है बांसवाड़ा जिला, वहां यदि इन्जीनियर का ट्रांसफर होता है तो हालांकि वह प्रोहिबिटेड एरिया है लेकिन फिर भी वहां पर शराब की बोतल खुलती है। यदि शराब बंद होगी तो रिश्वत भी बन्द होगी। शराब पीते हैं, शम्पेन पीते हैं। 150 रुपये बगैर बोतल नहीं आती।

मैं मांडलगढ़ के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसके चारों तरफ नदियां बहती हैं। चतुर्मास में इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल है। यदि कोई गर्भवती स्त्री होती है, नवां महीना होता है तो भी कपड़े खोल कर एक लंगोटी लगा कर कीर की मदद से तैर कर नदी को पार करना पड़ता है। आज 23 साल की आजादी के बाद भी वहां पुलिया नहीं बनी है। पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से अर्ज किया आपके पास पैसा कम है इतना तो करिये जो बहुत ही जरूरी है। बरुन्दी से बडलिया के बीच बेउच नदी बहती है। हजारों आदमी उसमें से निकलते हैं। वहां पर बार बार निवेदन करने पर भी पुलिया नहीं बनायी। यदि आप सब नदियों पर पक्की पुलिया न भी बना सकें, मैं आपकी मुसीबत को समझता हूं तो नदी में कच्ची सड़के ही बना दीजिये ताकि बैलगाड़ी तो निकल सके। इन नदियों पर पुलिया न बनाने के कारण और डिस्पेन्सरी न खुलने के कारण स्वराज्य कहां आया है ? मरने वाले को अजमे की फाकी भी नहीं मिल सकती। कहीं जा भी नहीं सकता। वह तो भगवान के भरोसे ही बच जाता है। आजादी के इन वर्षों में एक भीलवाड़ा से बिजोलिया की सड़क पूरी हुई है। आप कुल मिलाकर पचास पचास मील के टुकड़ों को और ले लीजिये। भीलवाड़ा से बिजोलिया की तीन पंचवर्षीय योजना में भी सड़क बना दी उसके लिये धन्यवाद और बधाई देता हूं। उसमें भी कुछ रास्ते खराब हैं उनको भी कृपा कर ठीक कर दीजिये। त्रिवेणी से जहाजपुर प्लान रोड है वह अब तक सड़क पूरी नहीं हुई है। इसी साल पूरी कर दें। भींचोर से मांडलगढ़ वाया सिंगोली बरुंदनी सड़क पक्की बना दें। मानपुरा महुआ से जेतपुर होकर शामपुरा सड़क को पक्की बना दें। आकोला से बकदनी तक सड़क बना दीजिये। इससे आवागमन के रास्ते सुगम हो जावें।

संक्षेप में यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार ही कलंक है। जब आजादी नहीं आयी उस वक्त

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

यह विचार किया था कि बहुत रिश्वत है उसको हम मिटाना चाहते हैं और राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन नहीं वह सब भूल गये।

"कोल याद कर भूल, मत देख चकाणा खोल, घूंस बढ़ी सोलागुणी, घुसी सौ गुणी पोल"

श्री मदनसिंह दांता : मेहता साहब नवाब साहब ने एक मेसेज भेजा है।

उन्होंने कहा है :

"पीने दे मुझे शराब मस्जिद में बैठ कर या वह जगह बतादे जहां पर खुदा न हो"

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापति महोदय, निर्माण के विषय में मुझे कहना है। मेरे क्षेत्र में बहुत कमी है। मुझे बोलन की इजाजत दें। या तो मैं बोलूंगा वरना मैं बाहर चला जाऊंगा।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द वैद।

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिए पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। चूरू जिले में जो सड़कों की हालत है वह अति सौचनीय है। जिसका मैं पूरा विवरण आपको दे रहा हूं। चूरू जिले में रतनगढ़ नगर में जो सड़क जिस समय बनी थी दानदाता और भूतपूर्व सरकार के बीच में एक माहदा, एक एग्रीमेन्ट हुआ था, क्योंकि वहां पर उस समय नगरपालिका सड़क के खर्चे का भार वहन करने में समर्थ नहीं थी और आज भी नहीं है तो उस समय पी० डब्ल्यू० डी० के बीच और दानदाता के बीच एक एग्रीमेन्ट हुआ था उस एग्रीमेन्ट की कापी मैं पढ़ कर सुना रहा हूं।

श्री सभापति : इसमें क्यों समय लगाते हैं ? एग्रीमेन्ट हो गया होगा।

श्री लाभचन्द वैद : यह कापी भी प्रश्नोत्तर के समय मुझे मिली है। उसमें यह वायदा किया था कि इस सड़क पर प्रतिवर्ष 5,100 रुपये खर्च होंगे पी० डब्ल्यू० डी० की ओर से, खर्चा भी सरकार वहन करेगी लेकिन, सभापति महोदय, उस एग्रीमेन्ट को हुए 24 साल आज हो गये, मामूली पांच-सात हजार रुपये लगे हों उस सड़क पर तो मैं नहीं कह सकता लेकिन उस सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। यदि 24 साल तक एग्रीमेन्ट के अनुसार ही 5,100 प्रतिवर्ष भी खर्च किया जाता तो 1,22,400 खर्च बैठता, असल में यह रकम खर्च होती जो आज सरकार में जाती है, सूद तो अलग बात है। वह सड़क इतनी दुर्दशाग्रस्त हो गई है कि गाड़ी चलाने में भी बड़ी दिक्कत होती है। रतनगढ़ एक बीच का टाउन है। वहां से आवागमन ज्यादा रहता है। लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब का बार बार ध्यान अकर्षित करने पर भी कुछ भी काम नहीं हुआ है। उनके अन्दर ऐसी भावना है कि जिस क्षेत्र से कांग्रेस न जीती हो उस क्षेत्र में काम नहीं किया जाय। मुख्य मंत्री जी वहां जाते हैं और मीटिंग में भाषण देते हैं और वे इस बात को दोहराते हैं कि रतनगढ़ की जनता काम की आशा क्यों करती है जबकि कभी कांग्रेस को जिताया नहीं। मुख्य मंत्रीजी को मैं यह कहता हूं कि चाहे काम कराओ या न कराओ—कांग्रेस कभी वहां से नहीं जीत सकती। आप दृढ़ धारणा करके बैठ जायं। सबसे बड़ी बात तो यह है

(श्री लाभचन्द वैद)

कि जो हाउस का नेता कहलाता है, जो सदन का नेता कहलाता है उसके मुंह से इस प्रकार के ओछे शब्द निकलें यह शोभा की बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर के कारण राज्य कर रहे हैं। 7 आदमी गंगानगर ने दिये हैं।

श्री लाभचन्द वैद : जब उनका भाषण होता है तो यह समझ में नहीं आता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री बोल रहे हैं या कांग्रेस के मुख्य मंत्री। संकुचित भावना के साथ इस प्रकार का प्रचार करना बढ़िया बात नहीं है। प्रचार करना हो तो कांग्रेस के स्टेज पर जाकर प्रचार करो तो ठीक है। जहां जाते हैं तो कहते हैं कि फूलचन्दजी को नहीं जिताया। क्या करेंगे नहीं जिताया तो ? तो इस तरह की बातों से क्षेत्रीय भावनाओं को भर भर के आप काम करते हैं। यह अनुचित है और आज तक जो खर्चा होना चाहिए वहां एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है और इस साल कुछ मरम्मत करने की कोशिश की गई है वह इस टटी हुई सड़क पर कारी लगाने जैसी कोशिश है और इससे और दिक्कत खड़ी हो गई है। जो कपड़ा सड़ जाता है उसके ऊपर कारी कहीं ठहर सकती जो नया कपड़ा होता है उसके ऊपर ही कारी ठहर सकती है, मंत्री महोदय, जो रुपया हमको देय है उसको आप लगादें तो यह ठीक हो सकती है। उसका लेवलिंग खराब है। इसके लिए मैंने एक पिटीशन भी दी, ढाई साल पहले पेश की थी किन्तु, सभापति महोदय, मुझे खेद है कि आज इतना अर्सा बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली है कि इसका क्या फसला हुआ है ? यह मुझ सूचना नहीं है। इसी तरह से चूरू जाने वाली सड़क है रतनगढ़ से वह एकदम टूटी अवस्था में है। 30 माइल का टूकड़ा है उसमें 12 मील का टूकड़ा है वह अभी तक नहीं बन पाया है। जिले को जोड़ने वाली यह इतनी महत्वपूर्ण सड़क है और तनी सकड़ी है कि उसके ऊपर एक बस के सिवाय और सवारी नहीं जा सकती और सामने से कोई दूसरी बस आ जाये तो सामने वाली गाड़ी को नीचे उतरना पड़ता है और इस सड़क पर आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। रतनगढ़ से सालासर की सड़क के बारे में भी बार बार मांग की जाती रही है परन्तु इस पर भी विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जगह जगह फेमिन में सड़कों काम जारी है और लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है परन्तु इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। सालासर हमारा तीर्थ स्थान है और वहां हनुमानजी का मंदिर है, जहां पर आसाम तक से लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण सड़क पर भी यह सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है और यह सड़क राजस्थान की राजधानी को जोड़ने वाली सड़क को जोड़ती है। इतनी महत्व की होते हुए भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है।

सुजानगढ़ की जो पहली चुंगी चौकी थी जसवन्तगढ़-सुजानगढ़ के बीच में जो चुंगी थाना था वहां की सड़क समूची सड़क उठ चुकी है। यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० विभाग की है लेकिन यह विभाग उस पर कतई ध्यान नहीं दे रहा है। छापर से रतनगढ़ जाने वाली सड़क भी टूटी अवस्था में है। इस तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। चूरू से झुन्झनू को एक जिले से दूसरे जिले को

(श्री लाभचन्द वैद)

जोड़न वाली जो सड़क है वह भी टूटी हुई है। इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चूरू से रामगढ़ जाने वाली जो सड़क है वह भी बिल्कुल खराब अवस्था में है और इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रतनगढ़ से फतहपुर जाने वाली जो सड़क है वह भी कई जगह से खराब है—यह नशनल हाई वे पर है। टिडियासर से इसको जोड़ने के लिए डढ़ मील का टुकड़ा है उसको ठीक नहीं करवाते हैं। चूरू से मालेड़ी की जो सड़क है वह भी टूटी हुई अवस्था में है। इसकी तरफ भी सरकार ध्यान नहीं देती है। इस लिए मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप इस तरह से क्षेत्रीय भावना में न उलझ कर मेहरबानी करके जैसे भी हो इस तरफ ध्यान देने का कष्ट करें जिससे चूरू जिले की सड़कों की उन्नति हो। आशा है आप इस पर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : सभापति महोदय, मैंने पुलिस डिपार्टमेन्ट पर कटौती प्रस्ताव दिया है उसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। गंगानगर के किसान आन्दोलन के दौरान जितना पुलिस ने गंगानगर की जनता के साथ अत्याचार किया है, शायद ही नादिरशाह की हुकूमत में ही हुआ होगा। मैं उदाहरण के तौर पर गंगानगर की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का स्टेटमेंट, जो 15 फरवरी के अखबार में आया हुआ है, पढ़कर सुनाता हूं:

"सत्याग्रहियों की निर्मम पिटाई पर रोष—गंगानगर जिला कांग्रेसाध्यक्ष विश्नोई अनशन करेंगे।

जयपुर 12 फरवरी। गंगानगर किसान आन्दोलन व सत्याग्रहियों के साथ ज्यादती व उनकी पिटाई के विरोधस्वरूप गंगानगर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री रामस्वरूप विश्नोई ने कल भूख हड़ताल करने की घोषणा की है। श्री विश्नोई ने जिलाधीश के लिये लिखे अपने एक पत्र में इस कुकृत्य के विरुद्ध आत्मशुद्धि के लिए चौबीस घन्टे की भूख हड़ताल करने के अपने फैसले की सूचना उन्हें दी है। श्री विश्नोई ने अपने पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब के हित में तथा जुल्मों के खिलाफ लड़ती रही है। मुझे मालूम हुआ है कि भादरा, पदमपुर और करनपुर में शान्त सत्याग्रहियों पर लाठियां बरसाई गई हैं अतः मैं चुप नहीं रह सकता क्योंकि कांग्रेस राज्य में कांग्रेस की सरकार है और इसलिए मैं भी अपने आपको दोषी मानता हूं अतः मैं भूख हड़ताल कर रहा हूं।"

श्री विश्नोई ने अपने पत्र में आगे कहा है "भगवान अधिकारियों तथा सरकार को सदबुद्धि प्रदान करे"। पत्र में जिलाधीश से अनुरोध किया गया है; "वे शान्तिपुर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले किसानों पर जुल्म न करें"। इस पत्र की प्रतियां प्रधान मंत्री, कांग्रेस के अध्यक्ष, जगजीवनराम और राजस्थान के मुख्य मंत्री को भिजवाई गई है। "श्री विश्नोई के बाद जिले की विभिन्न ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष भी बारी बारी से चौबीस घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे। "मंत्रियों की निन्दा" ज्ञात हुआ है कि गत रविवार को गंगानगर जिला कांग्रेस की एक बैठक हुई। बैठक म इस बात पर घोर असन्तोष

(श्री रामचन्द्र आर्य)

व्यक्त किया गया है कि जिले के प्रतिनिधि विधायक इस समय जिले में नहीं आ रहे हैं। सदस्यों ने इन जन प्रतिनिधियों के इस रवैये की कड़ी निन्दा की है"।

यह 15 फरवरी के दैनिक राष्ट्रदूत में छापा हुआ है। इसकी कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

सभापति महोदय, इससे साबित हो जाता है कि गंगानगर की जनता के साथ में पुलिस ने कितना अत्याचार किया है। उस जिला कांग्रेस कमेटी ने जिसने यह कदम उठाया है, उसको बाद में भंग कर दिया गया है। यह इसका प्रमाण है कि जिला गंगानगर में किस प्रकार से पुलिस ने जघन्य नृत्य किया है और किस प्रकार से महिलाओं पर लाठी चार्ज किया। पदमपुर में 6 फरवरी को महिलाओं पर लाठी चार्ज किया। उसमें 22 महिलायें घायल हुईं उनमें शहीदे आजम भगतसिंह की बहिन, बीबी प्रकाश कौर को बुरी तरह से पीटा गया। इसके अलावा सन्तो नाम की एक महिला भी थी उसके सिर में गहरी चोट आई और उसको दवाई तक दिलाने का प्रबन्ध नहीं किया गया क्योंकि अस्पतालों में इसकी पाबन्दी थी। उस महिला की 10 तारीख को मृत्यु हो गई। इससे बढ़कर इस राज्य में और घिनौना कार्य क्या हो सकता है? इसके बाद में नौहर तहसील के जसाना गांव में भी इसी प्रकार से महिलाओं पर लाठी चार्ज किया गया और गोली चलाई गई। उस गांव की महिलाओं ने उस गांव के अन्दर माल वसूली के विरोध में पुरुषों से आगे होकर इसका विरोध किया था। वहां पर तहसीलदार, रामप्रताप पुलिस की फोर्स के 300 जवानों को लेकर पहुंचा और उसने वहां पर लाठी चार्ज करवाया। उससे कई महिलाएं घायल हुईं और सैकड़ों बच्चों की अश्रु गैस के कारण आंखें खराब हो गईं और उनको दवाई नहीं लेने दी गई। उस गांव के पुरुषों, जो मौजूद नहीं थे, पर पुलिस ने बाद में झूठे मुकदमें बनाये और सदन को सुन कर ताज्जुब होगा कि उस तहसीलदार ने पुलिस में झूठी रिपोर्ट दी कि हमारे पटवारी को घेर लिया गया है और उसकी जान को खतरा है। इसकी भी प्रति मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

इसके साथ साथ जसाना गांव में जो कांड हुआ 19 फरवरी को, वह हिन्दुस्तान के अन्दर मिसाल के तौर पर हमेशा कायम रहेगा। वहां के निहत्थे लोगों और महिलाओं पर इस प्रकार जुल्म ढाया गया कि गांव के बीच में अश्रु गैस छोड़ी गई। इसका आंखों देखा एक प्रमाण मैं आपको दूंगा। ये अश्रु गैस के गोले हैं जो मैं जसाना से लाया हूं, ये 20 गोले मैं लाया था, उसमें से सदन की मेज पर 8 गोले रखता हूं। रामप्रताप ने अनधिकृत रूप से चेष्टा कर वहां पर फायरिंग करवाई, उसके ये दो कारतूस खाली मुझे वहां मिले हैं। वहां 8 कारतूस चलाये गये थे और जो अश्रु गैस के गोले चलाये गये थे वे 400 की तादाद में चलाये गये थे। इस से सारे गांव में हाहाकार मच गया और तमाम बच्चे, पुरुष और स्त्रियों की आंखें खराब हो गईं। महिलाएं और पुरुष अपने घरों में भाग गये और अपनी जानें बचाईं। इस प्रकार के घिनौने कार्य राज्य सरकार और इसकी पुलिस और यहां के होम मिनिस्टर जान बूझ कर गंगानगर के किसान आन्दोलन को दबाने के लिये कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही की मिसाल राजस्थान में

(श्री रामचन्द्र आर्य)

क्या हिन्दुस्तान में नहीं मिलेगी। यहां की पुलिस ने यह मिसाल कायम कर दी है कि यहां प्रजातन्त्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज भी गंगानगर व ा किसान आन्दोलन चल रहा है, इस दौरान पुलिस जिस तरह की कार्यवाही कर रही है उसके बारे में जो अत्याचार की रिपोर्ट है वह मैं सदन की टेबल पर जो करण-पुर, पदमपुर, नौहर, भादरा के बारे में है, रखता हूं। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, व्यासजी, अभी भी आपको ईश्वर सद्‌बुद्धि दे, आपको अब भी सद्‌बुद्धि आ जानी चाहिए। इस प्रकार के जो घृणित कार्य हुए हैं उनकी जुडिशियल जांच करवानी चाहिए और दोषी अधिकारियों को फौरन वहां से हटा लेना चाहिए ताकि वहां की जनता में शान्ति कायम हो सके।

इसी तरह से भादरा तहसील में जेल के अन्दर 13 सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया गया, पुलिस ने उनको कोठरियों में बन्द करके, उनके हथकड़ियां-बेड़ियां डालकर कोठरियों में बन्द कर उन पर लाठी चार्ज किया। गांव झोंसल व छ गी में लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। वहां के कार्यकर्त्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाये गये। 307 के मुकदमे बनाये गये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 307 के मुकदमे आसानी से बन सकते हैं क्या? कितने अधिकारी मारे गये, कितने पुलिस जवान मारे गये व कितने घायल हुए? ये सब वाहियात बातें हैं। चूरू के किसानों को दबाने के लिये वहां के लोगों पर जुल्म और ज्यादती की गई।

इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि पहले आप सब झूठे मुकदमे, जो कायम किय गये हैं, वापिस लें और जनता के सामने सिर झुका कर क्षमा याचना करें और जिन अधिकारियों ने जुल्म किये उनकी इन्क्वायरी कर उनको सजा दें। जब तक इन्क्वायरी नहीं हो जाती उनको वहां से हटा दें। तभी हम समझेंगे कि आप वास्तव में प्रजातन्त्र कायम रखना चाहते हैं। अगर आपने इस तरह के कदम नहीं उठाये तो इसके भयंकर परिणाम निकलेंगे, यह आप अच्छी तरह समझ लें। प्रजातन्त्र की दुहाई देकर आप जनता पर जुल्म करें, गोलियों और लाठियों से मारकर, अश्रु गैस चलाकर, जलील हरकतें कर अपना राज्य कायम रखना चाहते हैं तो यह ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। यह मैं आपको सदन के अन्दर कह देना चाहता हूं। पुलिस डिपार्टमेन्ट द्वारा जनता पर जितनी भी ज्यादतियां होती हैं उन सब के लिये, व्यास जी, आप ही जिम्मेदार हैं। अगर आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो जनता आपको भी बकंसने वाली नहीं है। आज राजस्थान की पुलिस जिस प्रकार से जनता के साथ घृणित और अमानवीय व्यवहार करती जा रही है उन तौर तरीकों से राजस्थान में कभी भी प्रजातन्त्र फलने फूलने वाला नहीं है। इससे तो बेईमानी-बदमाशी ही पनपेगी। आज की आपकी पुलिस बदमाशों से मिली रहती है, डाकुओं से गुण्डों से मिली रहती है। जिसके उदाहरण भी मैं आपके सामने रखूंगा।

कल ही मैंने सदन के सामने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, एक हरिजन की जमीन दासू वाली गांव में थी, जवन्तसिंह जो भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० था उसने और उसके रिश्तेदारों ने उस हरिजन की जमीन हड़प ली। जिस जमीन पर उस हरिजन का 14

(श्री रामचन्द्र आर्य)

साल से कब्जा था आज उसकी खड़ी फसल को ये लोग कटवा रहे हैं, सरकार की पुलिस की मदद से। जो जमीन दो लाख रुपये की है, पुलिस से मिल कर और उस खेत पर गार्ड बिठाकर उस पर कब्जा कर लिया है। पुलिस पोस्ट खेत में बिठा रखी है। हरिजन काश्तकार को उस जमीन से हटा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की सरकार के एजेण्ट और पुलिस साथ दे रही है। आज हरिजनों का उत्थान का दम भरने वाली सरकार हरिजनों के साथ इस प्रकार का जुल्म कर रही है। इससे ज्यादा घृणित कार्य और क्या हो सकता है? अगर आप इसकी जांच ही करना चाहते हैं तो आप किसी सी० आई० डी० अधिकारी को भेजकर जांच करवा सकते हैं। आप को वहां गार्ड लगी हुई दिखाई देगी। इस प्रकार के जुल्म उस हरिजन पर जिसके परिवार में 20 सदस्य हैं, जसवन्तसिंह ने किये हैं। वह 113 बीघा जमीन है जिस पर इतने सालों से उस हरिजन का कब्जा है उसमें मंहगे भाव के बीज को लेकर फसल बोई है उसे आज सरेआम दूसरा आदमी लूटकर ले जाता है। आप इस बारे में मौन हैं। व्यासजी, इस तरह अपने आदमियों को पनाह देकर कभी आप वाहवाही नहीं पा सकेंगे। आज हरिजन पर जो मुसीबत आई है उसकी आप रक्षा करें नहीं तो यह आपका समाजवाद केवल ढकोसला मात्र है। आज भी आपके राज्य में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

इसी तरह से गांव जसाना के हरिजन पर झूठा मुकदमा बनाया गया उसके बारे में भी यहां प्रस्ताव आया था। हरिजन का ऊंट जबर्दस्ती छीनकर एक जाट को दे दिया गया। उस हरिजन का खुद का ऊंट है फिर भी उस जाट के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। बल्कि उसी हरिजन पर झूठा मुकदमा बना कर उसको तंग किया जा रहा है। उस बेचारे हरिजन को तीन दिन तक हवालात में बन्द रखा गया लेकिन जिसके पास में ऊंट है उसको किसी प्रकार से सजा नहीं दी गई। आज हालत यह है कि आप हरिजन की मदद की बात करते हैं लेकिन आपके अधिकारी जैसा बर्ताव करते हैं इसका यह उदाहरण है। आप यहां तो हरिजनों को अपने पक्ष में रखने के लिये अनेक प्रकार की दुहाई देते हैं। व्यासजी, अगर जनता ने यह सोच लिया तो उनके साथ साथ आपको इनाम साथ में दे देगी। इस तरह से राजस्थान के अन्दर पुलिस द्वारा जो घृणित कार्य किये जा रहे हैं उसकी मिसाल अन्यत्र नहीं मिलेगी।

नौहर में एक फर्जी दवाइयां बेचने वाला गिरोह है जो पकड़ा गया था, यह 7 नवम्बर का काण्ड है। ओमप्रकाश नाम का एक डॉक्टर जो सिरसा से आकर वहां आबाद हुआ है, हमेशा ही गलत दवाइयों, फर्जी दवाइयों का व्यापार करता है। आप उसकी इन्क्वायरी कराइये। जब वह आया था, उसके पास कितनी जायदाद थी, आज उसने कितनी जायदाद बनाली है? पुलिस के थानेदार, भंवरलाल ने उसकी डायरी पकड़ी थी, उसमें नाम पकड़ा गया। जब दवाइयां पकड़ी गई, गिरोह की कार पकड़ी गई, उसमें एक डायरी भी थी जिसमें ओमप्रकाश का नाम था और पहले दवाइयां दी हुई थीं। इस गिरोह के बारे में भी ओमप्रकाश को मालूम था। उसी ने उसको पकड़वाया। डायरी पकड़ी गई, उसको दवाई बेची गई उस डॉक्टर ओमप्रकाश को छोड़ दिया गया।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

फर्जी दवाइयां देने वाला, इन्सान की जान लेने वाला आपकी यूथ कांग्रेस का मंत्री है या प्रधान हैं मैं नहीं जानता—उसके कारण यह सब हुआ है। वह आपकी कांग्रेस के अन्दर है। यदि इसी तरह के कार्यकर्त्ताओं के भरोसे आप राज्य करना चाहते हैं तो इससे राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान का दिवाला निकलने वाला है। आज जिस प्रकार की पोजीशन कांग्रस की हिन्दुस्तान में रह गई है, राजस्थान उससे बच नहीं सकता। इसलिए म आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सही मार्ग नहीं अपनायेंगे तो आने वाला समय आपको बख्शेगा नहीं—यह ध्यान में रखकर चलें।

लोग जानते हैं आज आप पावर में हैं। आज पावर को सब सलाम करते हैं। आपके अधिकारी मनमानी करते हैं, आपका हुक्म तक नहीं मानते, वे अपने दायरे से बाहर चले जा रहे हैं। आज जितने भी तबादले होते हैं उनमें रिश्वत का बोलबाला रहता है। आपके विभाग का यह नियम है कि एक जिले का अधिकारी उस जिले में नहीं रह सकता। आज गंगानगर में देखिये, वहीं के लोग वहीं पर जमे पड़े हैं। जब कभी तबादले का सवाल आता है वे आप तक पहुंच जाते हैं। उसमें बोलियां लगती हैं और फिर वापिस उनको वहीं पर लगा दिया जाता है। आपको जनता से प्यार थोड़े ही हैं। आपको तो अपनी पावर से प्यार है, पैसे से प्यार है। आपके पुलिस वाले बदमाशों से साठ-गांठ रखते हैं। गंगानगर के लोगों के साथ में न मालूम कितने जुल्म इन पुलिस वालों ने ढाये हैं इसकी कोई सीमा नहीं है।

रावतसर का थानेदार है मनीराम। पंजाब में एक कत्ल हुआ था उसकी रिपोर्ट रावतसर के थानेदार ने उनसे मिल कर रावतसर के थाने में दर्ज कराई। लाश को नहर में डालकर वहां पर बरामद की थी। आपकी सी० आई० डी० ने उस केस को हाथ में लिया उसका क्या हुआ? इस राज्य में न्याय मिलने की आशा नहीं की जा सकती। उस मनीराम थानेदार को कोई सजा नहीं दी गई। आज भी वह गंगानगर जिले में बैठा हुआ है। इसी प्रकार के अनेक घोटाले इस पुलिस विभाग में हैं। इस बारे के समाचार आप लोग हमेशा अखबारों में पढ़ते हैं। सब लोगों की ज़बान पर इस पुलिस के अत्याचारों की कहनी है। इसके जो कारनामे हैं उनके प्रमाण मैं आपको दूं। गंगानगर जिले म 4½ महीनों से आन्दोलन चल रहा है। इस अर्से में न वहां कोई कत्ल हुआ, न डाकेजनी हुई और पहले जितनी वारदातें होती थीं रुपये में एक पैसा भी इस दरमियान मुश्किल से वहां हुई होगी। जहां पहले साल भर में सौ-डेढ़ सौ से ज्यादा कत्ल होते थे, मुकदमे बनते थे, आज कुछ नहीं हैं। न कत्ल हो रहे हैं, न मुकदमेंबाजी चल रही है। आज अदालतें खाली पड़ी हैं। थाने सुनसान पड़े हैं। वहां कोई रपट नहीं है। पुलिस आन्दोलन में लगी है। यह इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि इस आन्दोलन के दौरान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी होती तो यह प्रमाण नहीं दिया जा सकता था। पर आपकी निकम्मी पुलिस, आपका निकम्मा शासन इसे कन्ट्रोल नहीं कर सकता और बदमाशों के साथ सांठ-गांठ करके गरीब लोगों को बरबाद किया जाता है।

आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आपको इस गंगानगर में ही नहीं राजस्थान भर की पुलिस पर कन्ट्रोल करना

Page No 133

(श्री रामचन्द्र आर्य)

पड़ेगा और राजस्थान में जो भ्रष्टाचार फैला है, भाई-भतीजावाद फैला है, और पुलिस में जो नादिरशाही फैली हुई उसको दूर करना होगा। यदि नहीं करेंगे तो आप जितने दिन कुर्सी पर हैं न करें, पर जिस दिन कुर्सी से, व्यासजी, अलग होंगे एक एक आइटम का, एक एक जुल्म का आपसे हिसाब लिया जावेगा। आपने जितने घोटाले और जुल्म राजस्थान की जनता के साथ किये हैं, अधिकारियों को तो उनकी करनी की सजा भगतनी ही होगी, पर साथ में आपको भी भुगतनी पड़ेगी। आप बच नहीं सकेंगे। राजस्थान की दो करोड़ जनता महसूस कर रही है आज कि कौन उस पर राज्य कर रहा है किस प्रकार का यह राज्य है? कोई इस राज्य में शान्ति और व्यवस्था नहीं है। गंगानगर में अभी चार-पांच दिन पहले सरे आम एक आदमी को कुल्हाड़ियों से मार दिया गया क्योंकि सत्याग्रहियों का तो शहर में आना जाना बन्द हो गया क्योंकि दो तारीख से जितने जुल्म इस सरकार ने किये थे दमनकारी तरीकों से दबाकर लोगों को भयभीत कर दिया है। कई बसों में चढ़ गये, इरिगेशन के दफ्तर में चले गये। कैदी भी कलेक्टरी में आने बन्द हो गये। तो गंगानगर के सरेआम बाजार में आदमी का कत्ल किया गया। मिल का मैनेजर, खजान्ची मारा गया। पैसा छीना गया उसका। यह सारी कारस्तानी पुलिस की है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण ये सारे काण्ड होते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मैंने जो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)।

अब मैं दो तीन मिनिट में समाप्त करता हूं।

आपके सामने मैं पदमपुर की कहानी रखता हूं, किस तरह से वहां अत्याचार हुए हैं इसकी आप जांच करावें। यह कहानी बहुत लम्बी है, पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा इसलिए इसे मैं सदन की मेज पर रखता हूं। कर्णपुर की कहानी है। जिस तरह से वहां अत्याचार हुए हैं एक एक आइटमवार उनका जिक्र इस रिपोर्ट में है। इसकी एक कापी मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

और यह एफ० आई० आर०, थाना पुलिस, नौहर की और तहसीलदार, रामप्रताप की रिपोर्ट की भी प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। ताकि आप एन्क्वायरी करावें। और दोषी अधिकारियों को सजा दिलवाएं। यह निवेदन करता हूं कि नहीं करेंगे तो नादिरशाह की हुकूमत भी समाप्त हो गई, आपकी भी समाप्त होगी, आपको भी समाप्त होना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं है, इस प्रकार के जुल्मों वाली सरकार नहीं चल सकेगी। मैं इनके साथ में ये दो कारतूस और आंसू गैस के गोले, जिन्होंने उन मासूम बच्चों की आंखें छीन ली थीं उन महिलाओं की आंखें छीनी थीं, भी सदन की मेज पर रखता हूं। इस जुल्मी सरकार ने गांव में चालीस गोले चलाये। इस प्रकार के घिनौने कार्य आपने किये।

दो प्रस्ताव मेरे और हैं। दो मिनिट में उन पर कहकर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : ये कारतूस और गैस के गोले सदन की मेज पर नहीं रखे जा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये खाली हैं, भरे नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : सभी खाली हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ये जान लेने वाले नहीं हैं अब । जो करना था इनको वह तो पहले कर दिया ।

श्री मदनसिंह : ये भरे हैं या खाली हैं, यह किसी ने देखा है ?

श्री सभापति : खाली हों तब भी नहीं रखे जा सकते ।

श्री विजयसिंह : गृह मंत्रीजी की मेज पर रख दो ।

श्री रामचन्द्र आर्य : चूरू में पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की बगैर इजाजत गोली चलाई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए । मुलजिमों का चालान अदालत में किया जावे । उन मुलजिमों को यह कह कर नहीं छोड़ा जावे कि कमीशन बैठ गया है, वह इसकी भी जांच करेगा । उनकी किस बात की इन्क्वायरी होगी ? जब जूडिशियल अदालत में एफ० आई० आर० दर्ज हो गई है और इस बारे में मजिस्ट्रेट ने भी स्वीकार किया है तो आपको इसको कमीशन के परव्यू से निकाल देना चाहिये ।

और जो आप गंगानगर में इन्क्वायरी करा रहे हैं उसका हैडक्वार्टर जोधपुर-बीकानेर रखा है । क्या हम इसको स्वीकार कर लेंगे, व्यासजी ? गंगानगर के लोग स्वीकार कर लेंगे ? आपको हनुमानगढ़ में रखना चाहिए । तमाम अधिकारियों को आप वहां से हटाइये जो इसमें इन्वाल्व्ड हैं । हमारे कार्यकर्त्ताओं को छोड़िये । उन पर से तमाम मुकदमें वापिस लीजिये । तब तो हम समझेंगे कि आप इन्क्वायरी कराना चाहते हैं, नहीं तो ढोंग रचना चाहते हैं । कोई बात नहीं, हमारे आदमी मर गये, मर गये । यातनाएं दी गईं कोई चिन्ता नहीं । वह भी बर्दाश्त कर लिया है हमने । नादिरशाह की हुकूमत भी बर्दाश्त करली थी । हम इसे भी बर्दाश्त करना जानते हैं । इतना आन्दोलन चला, एक भी सत्याग्रही ने तोड़ फोड़ नहीं की । शान्ति और अहिंसा की लड़ाई लड़ी । आगे भी लड़ते रहेंगे और इस आग को बनाये रखने के लिए राजस्थान के कौने कौने में जाकर आह्वान करेंगे जनता का कि इस जालिम सरकार को हटाया जावे ।

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री सभापति: आपका नाम बहुत नीचे है। अब आपका नाम आवेगा या नहीं इसका मैं वायदा कैसे कर सकता हूं आपका नाम कइयों से नीचे है।

एक माननीय सदस्य: फिर ऊपर किसका है?

श्री सभापति: श्री परसराम।

श्री परसराम गंगाराम (परबतसर-सु०): सभापति महोदय, आज 23 वर्षों की आजादी के बाद जो हम इस सरकार से आशा करते थे वह आशा समाप्त हो गई। उल्टे आज हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं कि जनता चारों तरफ से परेशान है। दुखी है।

मुझे याद है जोधपुर स्टेट के वक्त दरबार उम्मेदसिंहजी ने जो सड़कें बनवाई थीं उनका नमूना आज भी नागौर में देखा जा सकता है। वे सड़कें आज भी काम दे रही हैं। काफी आवागमन उन पर रहता है, फिर भी ठीक चल रही हैं। मगर इस दीवालिया सरकार ने जो कुछ थोड़ी बहुत सड़कें कहीं बनाई भी हैं तो वे टूट गई हैं और समाप्त प्रायः हो गई हैं।

(श्री परसराम गंगाराम)

इस सरकार के ये नवाब मंत्री रंग-रेलियां करते रहते हैं, उन सड़कों को जाकर कभी देखते नहीं। न यह देखते हैं कि कहां सड़कों के अभाव में जनता किस तरह से तकलीफ पा रही है। नागौर-मेड़ता-अजमेर सड़क काफी महत्वपूर्ण है। व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व है। मकराणा का पत्थर का व्यापार इस रास्ते पर से होता है। डेगाना, परबतसर जैसे महत्वपूर्ण नगर इस सड़क पर पड़ते हैं। जहां भी बाढ़ आई तो चीफ मिनिस्टर साहब भी उधर गये थे लेकिन उनकी कार नहीं जा सकी और जीप में जाना पड़ा उनको। तो बड़ी लज्जा की बात है कि इतनी महत्वपूर्ण सड़क यह सरकार नहीं बना सकी।

मेड़ता सिटी से अजमेर जाने वाली सड़क कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। जहां इतनी अधिक आमदरफ्त है, 16 बसें जिस पर रात दिन चलती हैं, वहां भी आपने कोई काम इस सड़क को पूरा करने के लिये नहीं किया है। पता नहीं इस विभाग में क्या होता है? यहां पर पैसा एलॉट हो जाता पर उधर की सड़कों की परवाह नहीं।

डाक बंगलों की भी इसी तरह की टूटी-फूटी खस्ता हालत है। इस बारे में मैंने पत्र भी लिखा पर नवाब साहब तो रंग रेलियों में पड़े रहते हैं। उनको इसकी चिन्ता नहीं। वहां चारपाई नहीं, बैठन का कोई साधन, कुर्सी, स्टूल तक नहीं, उम्मीद है इस बार सरकार इधर ध्यान देगी। मैं ज्यादा आपका टाइम न लेकर आपसे फिर भी निवेदन करूंगा बहुत सी जगह एसी है जहां पर सड़कों का बन्दोबस्त किया जाय तो काफी व्यापार बढ़ेगा और अजमेर, नागौर जिले का काफी सम्पर्क रहेगा (विराम) कंवलास से भसरोली सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। जोधपुर दरबार के दिनों में जो रास्ता बना था वह टूट गया है। अब रास्ता बनाव तो व्यापार बढ़ेगा और जनता के लिये काफी सुविधा होगी।

अब मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी होली के दिनों में एसा हुआ कि हमारे परबतसर में थानेदार शराब पीकर ब्राह्मणों के मोहल्ले में घुस गये और उनकी मार-पिटाई की। उनकी औरतों से छेड़छाड़ की। यह बड़ी शर्म की बात है। उस मोहल्ले में चंग बजाया। मार-पिटाई करके उन पर केस दायर कर दिये। इस प्रकार जनता के साथ जुल्म करते हैं। थानेदार ने मोहल्ले में बुरी बुरी गालिया दीं तो मोहल्ले वालों ने कहा, गालियां मत दो, तो उन्होंने कहा आज होली है। गांव वालों ने कहा, गांव से बाहर जाकर गालियां दो, तब थानेदार ने कहा, जानते नहीं हो हम कौन हैं? उनके साथ में, सभापति महोदय, गुन्डे भी थे। उन्होंने जनता को मारा और घरों में घुस गये। कई बेचारे हरिजनों के चोटें आई हैं। यहां तक, सभापतिजी, कि उनकी डाक्टर ने मरहम पट्टी भी नहीं की। एक किस्सा कहूं जोधपुर में हरिजन अपना मुर्दा जलाने के लिये शमशान भूमि में गये, वहां पर स्वर्णों द्वारा उनकी पिटाई की गई और उन हरिजनों की यह हालत हुई कि उनको अधजला मुर्दा छोड़कर भागना पड़ा। अखबार में भी आया है जो मैं सदन में रखूंगा। आज इस युग में आप जिसकी दुहाई देते हो और जिनके वोटों पर विधान सभा में बैठे हो उनकी रक्षा आप नहीं करते हो तो फिर आपसे क्या उम्मीद करें? आज कई जगह

(श्री परसराम गंगाराम)

से यह खबर आती है कि हरिजनों की जमीन खरीदी गई, उनकी औरतों से छेड़छाड़ की गई लेकिन आपकी सरकार कुछ नहीं करती है। एक जमाना था जब उनकी जय जयकार होती थी और आज का जमाना वह आ गया जब उनकी रक्षा भी नहीं हो रही है। कृपा करके उनकी रक्षा कीजिये। जोधपुर में विकट समस्या हो गई है, उनको आप समझाने की कोशिश करेंगे नहीं तो वे हड़ताल करेंगे जिससे सफाई की व्यवस्था नहीं रहेगी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर निवेदन करूंगा कि पुलिस म सुधार करें। मैं अजमेर के लिये निवेदन करूं, वहां पर सट्टा, जुवेबाजी चल रही है। पुलिस के आदमी 6 आना, 10 आना हिस्सा ले रहे हैं। कोई बन्दोबस्त नहीं है। गरीब तबका पिस रहा है। रोज 2-3 रुपया कमा कर लाते है और लालच में उसे सट्टे जूए में लगा देते है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दीजिये। इसे बन्द कराने की कोशिश कीजिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग सदन के सामने प्रस्तुत हैं। उस संबंध में मैंने 5 कटोती प्रस्ताव रखे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग में सब तरफ से यह आवाज आती हैं और वास्तविक सत्य भी है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। समय समय पर इस सदन में सरकार का ध्यान कटौती प्रस्तावों के जरिए इस और आकर्षित किया जाता है और सरकार की ओर से अब तक इस बारे में कोई सख्त कदम नहीं उठाये गये है। वास्तव में इस विभाग में कान्ट्रक्टर्स के जरिये ज्यादातर काम होता है और उनको पेमेन्ट में डिलेहोने के कारण यह निर्विवादित सत्य है कि कुछ न कुछ हिस्सा दिये बिना उनके बिल पास नहीं होते हैं। डिलेज की वजह से और कान्ट्रक्टर्स का पैसा फंसा रहने के कारण कुछ न कुछ देना पड़ता है और इसी के फलस्वरूप हर तरफ से इस विभाग पर लोगों की दृष्टि आरही है। कान्ट्रक्टर्स के जरिये अफसरों के हिस्से बन्धे हुए हैं, उनको खत्म करने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। सभापति जी, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का हमने बार बार ध्यान आकर्षित किया है और पिछले दो सालों में जो अकाल सहायता कार्यों में कान्ट्रक्टर्स के जरिये जो मुरड़ और मेटल के ठेके हुये हैं उनमें पूरा मेटेरियल नहीं डाला गया है। जो ज्यादातर सडकें हैं उनके ठकेदारों से पूछते हैं तो वे कहते हैं हमको हिस्सा देना पड़ता है इसलिये मेटेरियल में कटौती करके जो मेटेरियल पड़ना चाहिये वह नहीं डालते हैं। कई जगह हम मौके पर जाते हैं तो वास्तविक मेटेरियल नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जांच करें। निर्धारित दरों के आधार पर जो मुरड़ और मेटल पड़ना चाहिये वह कतई नहीं पड़ता रहा है। इसका चैकिंग किया जाये तो सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। सभापति महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का इतना ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं फमीन में जो रोड्स इनकम्पलीट हैं उनको सबसे पहले पूरा करवाना चाहिये। उन पर पूरी सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। चीफ इंजीनियर इस बारे में पूरी सतर्कता रखें ताकि सड़कों पर मेटेरियल भी बराबर पड़े और यह पर्सेन्टेज कम हो तो सड़कों का निर्माण अच्छा हो।

(3 म० प०)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय सभापतिजी, जिला जालोर में पिछले बीस सालों म सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों और भवनों के निर्माण में सबसे कम पसा लगा है। पिछलीबार सदन में भी मैंने प्रश्न रखा था और उस प्रश्न के जरिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया था और मुझे फैक्ट्स दिय गये थे कि राजस्थान में सबसे कम पैसा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिला जालोर में खर्च किया है। इस मामले में सावजनिक निर्माण मंत्री भविष्य में ध्यान में रखें पिछले दो सालों में फेमिन होने की वजह से मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि देवी प्रकोप के कारण वहां ज्यादातर पक्की और ग्रेवल्ड रोड्स बन गयी हैं। इस बारे में भविष्य में आंकड़े बतायेंगे कि काफी पैसा वहां लगा है। मैं कहे बगैर नहीं रह सकता और धन्यवाद दूंगा कि वहां कुछ सड़कें बनी हैं। जालोर, भीनमाल और रानीवाड़ा जिले परगना, तहसील हैडक्वाटर्स को मिलाती हुई सड़कें इस साल निर्माण के लिये ली हैं और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी नें भी कई बार दौरा किया और हाल ही में मुख्य मंत्रीजी ने भी तीन दफा दौरा किया है और सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर्स को हिदायत दी है कि इस साल यह रोड्स पूरी नहीं की और बड़े बड़े ब्रिजेज और कल्वर्ट्स, कई नदियां परमानेन्ट वहां पर चलने वाली हैं उनके ऊपर उन पुलों का निर्माण इसी साल नहीं किया गया तो मुझे भय है कि आइन्दा सालों में यह पुल इनकम्पलीट पड़े रह जाते हैं और जो रोड्स हैडक्वार्टर्स को मिलाने वाली हैं यह अपूर्ण रह जाती हैं तो जितना पैसा इस साल खर्च हो रहा है वह व्यर्थ जायगा। मैं, सभापति महोदय, आपके जरिये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता हूं। इसका महत्व इसलिये और भी बढ़ जाता है कि पिछले बीस सालों में सबसे कम पैसा इस जालोर जिले को एलॉट किया है। और सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये कि अकाल राहित कार्यों में यह पैसा सरकार पक्की रोड्स के बनाने के लिये लगा रही है। आप इंजीनियर्स को हिदायत करें कि अप्रेल और मई तक जो रोड्स इनकम्पलीट हैं वह कम्पलीट हो जायें। जो दो-तीन बड़े बड़े पुल हैं और जिनका सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने शिलान्यास भी करा दिया है लेकिन ब्रिजेज के निर्माण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और मैं विशेष रूप से इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापतिजी, इस जिले में करीब 10 मेटल्ड रोड्स हैं और दूसरी ग्रेवल रोड्स हैं और वह अधूरी पड़ी हैं और बड़े बड़े पुल और कल्वर्ट्स हैं उनका काम शीघ्र शुरू कराया जाये तो अभी तो लेबर अनएम्पलायड हैं वह लग सकती है और निर्माण भी शीघ्र हो सकता है।

माननीय सभापतिजी इसके अलावा भवन निर्माण में जिला जालोर में स्कूल का भवन है और हॉल था वह करीब तीन-चार साल पहले गिर चुका था और सार्वजनिक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की गलती की वजह से कमजोर दीवार गरडर का बोझ नहीं संभाल सकी और हॉल गिर गया। आज दिन तक दुर्भाग्य की बात है कि उसका निर्माण नहीं कराया गया और उस हॉल के अभाव में बहुत कठिनाइयां हैं। इसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस हॉल का निर्माण शीघ्र कराया जाय।

सभापतिजी, इसके अलावा दूसरे जालोर कालेज भवन का निर्माण भी बहुत अधूरा

(रघुनाथ विश्नोई)

पड़ा हुआ है और इस साल जो पैसा अलॉट किया गया है यदि वह मेरे ख्याल से पूरा इस साल युटिलाइज नहीं किया जायगा तो उसका काम अधूरा रह जायगा ।

इसके अलावा गाडव से बावासर रोड़ पड़ी हुई है और आज लेबर लोग काम के अभाव में त्राहि त्राहि कर रहे हैं । मैं आपके जरिये सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का विशेष ध्यान आकर्षित करके आग्रह करता हूं कि इस साल रोड़ का कार्य शीघ्र ही शुरू कराया जाय ताकि यह डिफेन्स रोड है, जोकि मंजूर हो चुकी है और जिसके ऊपर बहुत सारा लेबर एम्पलाय हो सकता है और जो तहसील बाड़मेर और सांचोर में यह रोड़ जाती है—इसका काम समाप्त कराया जाये। इसके अलावा नोखा में मुकास से घोलदास का आधे मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है। एक साल पहले नवाब साहब ने वायदा किया था। मुझे कहते हुए खेद है कि आपने आधी मील की रोड़ के बारे में कह दिया था लेकिन एक साल हो गया है और वह आधी मील की रोड़ नहीं बनी।

माननीय सभापतिजी, इसके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जैसे जालोर जिले में विशेषकर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की बिल्डिंग है जो सांचोर में है कई वर्षों से इसकी रिपेयर नहीं की गयी है और इस साल स्पेशल रिपेयर नहीं की गयी तो यह बिल्डिंग गिर जायेगी। यह एक लाख की लागत की पुरानी स्टेट के टाइम की बिल्डिंग है इसकी आज दिन तक कोई रिपेयर नहीं हुई है। इस और सार्वजनिक निर्माण विभाग विशेष रूप से एलोकेशन करके इसकी मरम्मत कराये।

माननीय सभापति जी, इसके अलावा गृह विभाग के बारे में मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं और इनके जरिये गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, भीनमाल सर्किल में पिछले एक साल के अंदर सैकड़ों बर्गलरी और थेफ्ट के केसेज हुए हैं। लेकिन मुझे खेद है कि कई चोरियां होने के बाद भी कोई रिकवरी नहीं हुई और उसके कारण से जो छुटपुट चोरियां होती हैं और जो अण्डरग्राउन्ड गैंग है उसका पता नहीं लगा है और चोरियां होती जा रही हैं। तो मैं, सभापतिजी, आपके जरिये गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस गैंग का पता लगाया जाय और होने वाली चोरियों को रोका जाय।

माननीय सभापतिजी, इसके अलावा जो रानीवाड़ा थाने के अंदर विशष रूप से एक सब-इन्सपेक्टर देवीसिंह है उसके टाइम में सबसे ज्यादा चोरियां हुई हैं। वहां पर दो बार मख्य मंत्रीजी पधारे और लोगों की जनरल कम्पलेन्ट होने के कारण उसको हटाने के बारे में आदेश दिये थे और उसका ट्रांसफर भी हो गया था लेकिन सभापतिजी, मुझे यह कहते हुए खेद है कि उसका ट्रांसफर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट होने के बाद भी यह सुनने में आया है कि कुछ पैसे खर्च करके वह अपना ट्रांसफर कैंसिल कराके ले आया है.....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पैसे किसने लिए ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : मुझे तो ऐसी जानकारी मिली है कि पैसा खर्च करके ट्रांसफर रुकवाया है । डिटेल में तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने तो ऐसा सुना है। मैंने यह कहा है । क्योंकि आउट ऑफ दी डिस्ट्रिक्ट मुख्य मंत्रीजी के आदेशों के अनुसार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसका ट्रांसफर हुआ था लेकिन फिर भी और लोगों की ओपिन कम्पलेन्ट होने के बाद भी यह ट्रांसफर किस तरह से कैंसिल हुआ उसकी वहां लोगों में चर्चा है। इसके बारे में माननीय गृह मंत्रीजी विशेष रूप से ध्यान दें। पहले श्री गणेशसिंहजी डी० आई० जी० जोधपुर थे तब देवीसिंह और एक जयसिंह सब इन्सपेक्टर थे उन्होंने कहा था कि इनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ही रखा जाय। लेकिन उनका प्रमोशन होने के बाद भी यह उसी जिले में आ गये हैं और ज्यादातर सर्विस उसी जिले में काटी है इसलिये मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिला जालोर के अंदर संगीन जुर्म बहुत होते हैं। वहां पर डकैती का बहुत ज्यादा भय ह, कैटल लिफ्टिंग का भी बड़ा खतरा रहता है और वहां का एरिया नैक्स्ट टू गंगानगर कहा जाता है। तो ऐसी हालत में अच्छे, अनुभवी और ईमानदार सब इन्सपैक्टर को लगाना चाहिए। एसे निकृष्ट, अनुभवहीन और अनपढ़ थानेदारों को लगा देते हैं जो कि जेबों में कागज डालकर और फलां से यह सुना, फलां से यह सुना उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। एसे ऐसे सब इन्सपक्टर वहां हैं और उसके बावजूद भी वह उसी जिले में आ जाते हैं। इसलिये विशष रूप से मेरा आग्रह है कि ऐसे सब इन्सपेक्टर्स को आप जालोर में नहीं भेजें। थोड़े थोड़े दिनों सभी जिलों में उनको रखें और एक ही जिले में उनकी मोनोपाली नहीं हो। इसलिये इस बारे में सभापतिजी मुझे कहते हुए खेद है कि जयसिंह थानेदार जो कि जालोर जिले में 15 साल से है उसके लिए गणेश सिंहजी ने आदेश दिया था कि वह इस जिले में नहीं जायेगा फिर भी वह उसी जिले में चला गया। उसका आउट आफ डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर भी हो गया लेकिन वापिस कैंसिल कराकर आ गया। और उसका वापिस सायला थाने में पोस्टिंग हो गया। तो सभापतिजी, मैं इस बारे में गृह मंत्रीजी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं और अभी थोड़ी देर पहले दांता ठाकुर साहब कह रहे थे कि कांग्रेसी नेता मेनेज करके थानों में अपने आदमियों को लगाते हैं लेकिन हमारा अनुभव उनसे बिल्कुल विपरीत है हमें तो पता ही नहीं लगता कि किस तरह से मेनेज करके आते हैं। इस बारे में, सभापतिजी, विशेष रुप से ध्यान रखा जाये। हम अगर कोई विधायक हैं या कोई और है यदि ऐसे सब-इन्सपैक्टर को संरक्षण देते हैं तो गृह मंत्रीजी का फर्ज है कि हमारी बात नहीं सुनें। वहां पब्लिक की कम्पलेन्ट है तो ऐसे करेप्ट एलीमेंट को शीघ्र ही हटाया जाये। इस संबंध में मैं गृह मंत्रीजी का विशेष रुप से ध्यान आकर्षित करता हूं कि जालोर में संगीन जुर्म होते हैं और चोरियां होती हैं, मैंने तीन महीने पहले एक दरख्वास्त दी कि हमारे केटल लिये हुए कुछ लोग जैसलमेर के फिरते हैं, और जहां पर मौका पड़ गया डकैती करते हैं सौभाग्य की बात है कि हमारे इलाके में तो उन्होंने नहीं की, लेकिन बोर्डर पर नैनवा गांव था तो सांचोर की बारात थी महाजनों की और वह बारात गई थी तो उस अर्से में सशस्त्र उस पर डाका पड़ा। उसम कुछ पाकिस्तान के भी आदमी थे और कुछ दूसरे भी थे। वे दिन दहाड़े डकैती करके 4-5 लाख का माल लेकर चले गये। राजस्थान की पुलिस ने तो सतर्कता बतलाई परन्तु गजरात की पुलिस की लापरवाही के कारण वे पकड़े नहीं गये और पाकिस्तान में चले गये। अब वापस जैसलमेर के अन्दर आये हुए हैं जहां पर

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इनके मुकाबले की सूचना आई है। मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान पुलिस ने वर्षों से डकैत पार्टियों का इस इलाके में जिस रूप से सफाया किया है वह प्रशंसनीय है। यह नई डकैत पार्टियां तैयार हुई है इसलिये गृह विभाग विशेष रुप से इसका ध्यान रखें, पुलिस आफिसर इन डकैत पार्टियों के प्रति होशियार हों, इनका सही रूप से पता लगाया जाय और इस गिरोह को खत्म किया जाय, वरना अकाल का वर्ष है और काफी लोग वाहर गये हुए हैं और वहां पर लोगों को धमकियां भी मिली हैं और मेरे को लोग बागों ने दरख्वास्तें भी भेजी हैं कि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है और बड़े बड़े गांवों के लूटने के समाचार भी आये हैं। इसलिये गृह मंत्रीजी विशेष रूप से सशस्त्र पुलिस की चलती फिरती पार्टियां लगायें, और उस बारे में विशेष इन्तजाम करें ताकि भविष्य में डकैत पार्टी कोई डकैती न डाले और मर्डर न करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे वहां खेजडियाली की पुलिस पोस्ट है जिसके बारे में मैं गत 3-4 सालों से ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि वह टेम्परेरी पोस्ट है तो उसके परमानेंट किया जाय। इसको परमानट करने के बारे में गृह मंत्रीजी को विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बारे म जवाब दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, म पुलिस प्रोसिक्यूशन ब्रान्च के बारे में कहना चाहता हूं कि वह ब्रान्च बिलकुल अनुभवहीन है। सभापति महोदय, यह आपको भलीभांति अनुभव है कि जो पुलिस के पैरोकार होते हैं वे अनुभव नहीं रखते हैं और उनके मुकाबले में डिफेन्स की और से अनुभवी वकील और अच्छे क्रिमिनल लायर्स रखे जाते हैं। उससे क्या होता है कि काफी संगीन केसेज डकैती और मर्डर के मामलों में, मुझे जिला जालोर का अनुभव है, संगीन जुर्मों में सजा दिलाने में नाकामयाब रही है। इसका एक मात्र कारण प्रोसीक्यशन ब्रान्च का अनुभवहीन होना है। कोई हैड कान्स्टेबल लगा दिया, कोई थानेदार लगा दिया। यदि राजस्थान सरकार संगीन जुर्मों के बारे में विशेष ध्यान नहीं देगी और केटर लिफ्टिंग के और मामूली छोटे छोटे जर्मो से ही सजा को अपनी पर्सेन्टेज को पूरा करेगी तो काम नहीं चलेगा। मर्डर डैकोइटी के संगीन जुर्म में अगर आप सजा दिलाना चाहते हैं तो प्रोसीक्यूशन ब्रान्च को अनुभवशाली बनाना पड़ेगा और इस बारे म विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जो लोअर कर्मचारी पुलिस के हैं उनकी मनोवृति ठीक नहीं है। जो बड़े अफसर हैं, डीवाई० एस० पी० और एस० पी० वगैरह इनका दृष्टिकोण तो बहुत ही सराहनीय है और इनके बर्ताव में तबदीली आई है लेकिन नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं, कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल वगैरह, कोई भी इज्जतदार आदमी थाने में जाय तो यह बड़ी बेहूदगी के साथ में पेश आते हैं और इनका दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बारे में गृह मंत्रीजी विशेष रूप से ध्यान दें।

जो लो पेड कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढाने के बारे नें सोचना चाहिये। उनकी तनख्वाह थोड़ी हैं। उनको कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। आजकल की जिम्मेदारियों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

को देखते हुए उनकी तनख्वाहों के बढ़ाने के बारे में गृह मंत्रीजी सोचें तो ठीक है।

सभापति महोदय, जालोर में सरकयाना थाना है और थाना सांचोर है इसमें पुलिस के लिए जीप के लिए मैंने पिछले साल भी माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था और पुनः इस साल भी करता हूं कि चूंकि यह अकालग्रस्त एरिया है और डकैती और केटल लिफ्टिंग के केसेज होने की काफी संभावनाएं हैं तो कम से कम इन थानों में एक टेम्प्ररेरी पीरियड के लिये जीप प्रोवाइड करदें तो इस इलाके में जुर्मों की रोकथाम होगी। और इधर उधर पुलिस पार्टियां घूमती रहें, केसेज रजिस्टर्ड होते रहें और तफतीश होती रहे तो जुर्म कम होंगे। इस बारे में पुलिस स्टाफ की भी कमी है। इन केसेज को देखते हुए ज्यादा स्टाफ लगायें और जहां बोर्डर का इलाका है वहां पुलिस को जीप प्रोवाइड करें ताकि वहां पुलिस छानबीन करके केसेज को शीघ्र निपटा सकें और ज्यादातर कम्प्लेनेन्टस पर इसका वजन न पड़े।

माननीय सभापति महोदय इसके अलावा......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सिर्फ दो मिनिट।

आजकल पुलिस थानों में विशेष रूप से पंचायती राज के आने के बाद केसेज ज्यादा दर्ज होते है। आधे मल्जिम संगीन जुर्म के होते है और आधे दूसरे। उनमें आधे सही होते है और आधे झूठे तो इस बारे में पुलिस के सब इन्सपेक्टर को यह इन्स्ट्रक्शन्स होने चाहिए कि एफ० आई० आर० दर्ज करके जांच करें न कि एफ० आई० आर० दर्ज नहीं करके जांच करके या अपने अनुभव के के आधार पर मिलावट करके एफ० आई०आर० दर्ज करे। एफ० आई० आर० में दर्ज मामले झूठे ज्यादा पाये जाते हैं जो इन मामलों के केस रजिस्टर्ड करने के बारे मे इन्स्ट्रक्शन्स होना चाहिए और स्पेशल ऑफिसर डीवाई० एस० पी० के लेवल तक को तफतीश में लगाया जाना चाहिए। पुलिस विभाग का इस बारे में सर्क्युलर भी है लेकिन इसकी तामील नहीं होती है। इस बारे में विशेष रूप से गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा, सभापति महोदय, पुलिस विभाग पर आजकल के टाइम को देखते हुए बहुत ज्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है तो पब्लिक के दृष्टिकोण में भी चेन्ज लाने की कोशिश करनी चाहिए। पब्लिक को भी पुलिस की कठिनाइयों को समझना चाहिए और पुलिस की हर बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जो अच्छा काम करते हों तो पुलिस वालों की प्रशंसा करनी चाहिए और खराब काम करते हों उनका सोशियल बायकाट करना चाहिए उनको किसी तरह से डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस विभाग का फर्ज है कि जिनके बारे में करप्शन की शिकायतें हैं उनको प्रोटेक्शन किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए ताकि पुलिस विभाग में क्लीनलीनेस रहे और जो भ्रष्टाचार की भावना उनके अन्दर बढ़ रही है वह कम हो। जिन लोगों की भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत ज्यादा हैं उनकी एन्टी करप्शन विभाग द्वारा जांच होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को मालूम पड़े और लोग इस प्रकार के आदमियों को पकड़वाने में मदद करें।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इन्हीं शब्दों के साथ में जो कटौती प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है इस पर माननीय गृह मंत्रीजी मुझे आशा हैं, पूरा ध्यान देगें और मुझे पूरा जवाब मिलेगा।

श्री सभापति : श्री शीशराम ओला।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री किशनलाल वर्मा।

(अनुपस्थित)

प्रोफेसर केदारनाथ

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापतिजी, पुलिस डिमाण्ड पर मुझे यह बोलने का मौका मिला तो मुझे याद आया कि पिछले चुनावों के बाद पिछले तीन सालों में कम से कम 19 जगहों पर राजस्थान की सरकार ने गोलियां चलाई, और कम से कम 50-51 स्थान ऐसे हैं जहां सख्त लाठी चार्ज राज्य सरकार की ओर से किया गया। मैं सोचता था कि राज्य सरकार इन तीन सालों में कुछ सबक सीखेगी कि कौनसे आन्दोलनों को कुचलना चाहिए और कौनसे तबके के आन्दोलनों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मैं यह सोचकर चलता हूं कि अगर खतिहर मजदूर अपने मालिकों से अपनी वेजेज के लिए लड़ता है, अगर मजदूर वेज बोर्ड को मनवाने के लिए मालिक से लड़ता है या सरकार से लड़ता है, और अगर विद्यार्थी एज्यूकेशन सिस्टम की बुनियादी कमजोरी के खिलाफ और अनेक उचित मांगों लिए लड़ता है, और मदान में आता है तो पुलिस का रवैया क्या होना चाहिए? इसी प्रकार शहरों में लोग नागरिक अधिकारों के बारे में समुचित दृष्टिकोण से सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, आन्दोलन करते हैं, जलसे जुलूस निकालते है या सत्याग्रह करते ह, धरने, घेराव के रूप में शान्तिमय तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए उतारू होते हैं तो राज्य सरकार का क्या रवैया होना चाहिए इसके संबंध में आज तक नतीजा निकल पाता, कुछ नीति बन पाती, इसके लिए कुछ कदम उठाने का दृष्टिकोण होता तो मुझे बोलने की जरुरत नहीं होती, आन्दोलन के बारे में, लाठी चार्ज के बारे में बोलने की जरुरत नहीं होती। मैं गृह मंत्रीजी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे आन्दोलन की अहमियत को बढ़ाया है। वे मिलिट्री को बुलावा नहीं देते, मिलिट्री को एलर्ट नहीं करते और बिना कारण के 144 की धारा लागू नहीं करते, 107, 117 और 151 के अन्तर्गत कार्यवाही करके गिरफ्तारियां 15 हजार की गिनती में नहीं करते तो इस आन्दोलन की अहमियत क्या रहती? आज इस आन्दोलन की अहमियत सारे हिन्दुस्तान में हो गई। आजादी की लड़ाई के बाद में अपने आपमें यह इतिहास बन गया है। मैं सोचता हूं कि नक्सलबाड़ी का पर्चा निकला किसी एक भाई श्री दौलतराम न यहां पर प्रेस कान्फ्रेंस की उसम बताया सारे गंगानगर की 11 लाख की आबादी में, सभापतिजी, दो तीन आदमी हैं एक सरदारसिंह, एक श्री दौलतराम और एक श्री प्रतमसिंह, वे दो साल पहले मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता रहे हैं और मतभेद पैदा हुए, और दो तीन साल पहले इन्होंने इस पार्टी को छोड़ दिया। कोई इनका अस्तित्व नहीं,

(श्री केदारनाथ)

कोई इनका प्रभाव नहीं, कोई इसको आन्दोलन में काम करने का अनुभव नहीं, आज से नहीं पिछले 15 सालों से मैं इनको जानता हूं। उन्होंने दो चार पर्चे निकाल दिये, वह भी मैं तो समझता हूं, सरकार से मिलकर निकाले होंगे। उन पर्चों का प्रेस कान्फ्रेन्स में हवाला देकर 4 फरवरी को आपने यह ऐलान किया कि वहां नक्सलवाड़ियों का बोल-बाला हो जाने वाला है, सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, हिंसा की प्रवृत्ति को भड़काने के लिये भाषण दिये जा रहे हैं, कुछ पेम्फलेट दीवालों पर चिपकाये जा रहे हैं, इसलिये मिलट्री का अलर्ट करना पड़ा। धारा 144 आपको वहां लगानी पड़ी, घर बैठे लोगों की आपको गिरफ्तारियां करनी पड़ी। सभापति महोदय मैं आपकी मार्फत अदब से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इतना लम्बा आन्दोलन चला क्या आप एक भी ऐसा इन्स्टान्स बता सकते हैं कि किसी ने हथियार लेकर प्रदर्शन किया हो, किसी ने किसी अहलकार के खिलाफ़ नारा लगाया हो, किसी के साथ मारपीट की हो, किसी अदालत को घेरा हो, किसी दफ्तर के अन्दर घुस कर किसी ने कोई कागज फाड़ा हो, किसी ने कोई तोड़फोड़ की हो, किसी ने मकान की तोड़ फोड़ की हो? आज तक आप कोई एक भी ऐसा इन्स्टान्स नहीं दे सकते। कोई इस तरह का एक भी भाषण सत्याग्रहियों की तरफ से अन्दर या बाहर दिया हो जिससे हिंसा की प्रवृत्ति भड़के, अगर आप कोई एक भी इस तरह का इन्स्टान्स पेश कर देते कि हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लोग विद्रोह करने पर उतारू है, कोई हथियारबन्द रिवोल्ट होने की शंका है तो आपका मिलिट्री को एलर्ट करने का औचित्य होता। मिलिट्री एलर्ट कब होती है? मिलिट्री एलर्ट तब होती है जब लोग हथियार लेकर बगावत करने के लिये तैयार हो गये हों, सशस्त्र विद्रोह भड़क गये हों। यह आन्दोलन तो सिविल डिसओबिडियेन्स का था, वाणी से, कर्म से कोई हिंसा की बात नहीं, लगातार लोग अपने आपको गिरफ्तारियों के लिये पेश कर रहे थे, उस समय 144 धारा लगाना, मिलिट्री को अलर्ट करना, घर बैठे लोगों की गिरफ्तारियां करना, इसके लिये आपके पास क्या वजूहात थी? कोई वजूहात नहीं।

जब हमने आन्दोलन करने का तय किया तो हम यह मानकर चलते थे कि लाठी चार्ज होंगे, अश्रुगेस छोड़ी जायेगी, और सरकार को जब धक्का लगेगा आर्थिक दृष्टि से, टैक्सेज के खिलाफ लोगों में बगावत पैदा होगी, लोगों में एकता पैदा होगी तो सरकार गोलियां चलायेगी। यह बात जिसने आन्दोलन लड़ा है, वह मानकर चलता है। 29 जनवरी को जहां असेम्बली की कार्यवाही समाप्त हुई मैंने कोई लीडर राजस्थान का नहीं छोड़ा, जिसके पास मैं नहीं गया होऊं, इस बात को लेकर कि सरकार की मंशा बिगड़ गई है, वह इलाका मिलिट्री को सौंप दिया जायगा, सारा तहसीलों का काम लैट लज हो जायेगा। जब सरकार टेबल पर बैठ कर बात नहीं करना चाहती है, आर्थिक मांगों के बारे में सही दृष्टिकोण नहीं रखती है, कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट देकर लोगों को संतोष दिलाने की चेष्टा करके हमारे बढ़ते हुए मूवमेंट को सेबोटेज करना चाहती है, तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा बिगड़ गई है।

(श्री केदारनाथ)

3 तारीख को लोगों को घर बैठों को गिरफ्तार किया जाता है, मुझे भी 3 तारीख की शाम को गिरफ्तार किया जाता है। मध्य प्रदेश की पुलिस को तैनात कर दिया जाता है, आर० ए० सी०, बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को बुला लिया जाता है, मिलिट्री को एलर्ट कर दिया जाता है। मिलिट्री आई और लोगों में आतंक फैलान के लिये मिलिट्री की हथियारबन्द परेडें हुई और हमारी पुलिस, नहीं, मध्य प्रदेश की पुलिस आने पर आप ताज्जुब करेंगे, अगर आन्दोलन में गिरफ्तारियां करें तो कोई बात नहीं, जिलों में यातना दें कोई बात नहीं, 144 धारा लगा दें और लोग शान्ति से बैठे रहें-हां, तोड़ फोड़ की कार्यवाही लोग करें तो लाठी चार्ज का औचित्य हो सकता है-लेकिन यहां हुए लाठी चार्ज, अश्रुगैस, फायरिंग के बारे में मैं कहता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में कहीं ऐसे नहीं देखे। मुझे कई आन्दोलन लड़ने का मौका मिला है। राजा के खिलाफ भी मैंने आन्दोलन लड़ा, तब भी लाठी चार्ज, गोलीकाण्ड हुए। मुझे अच्छी तरह याद है चूरू, राजगढ में लाठी चार्ज हुआ, पर वह लाठी चार्ज खेतों में नहीं हुआ, घरों में लाठी चार्ज नहीं हुआ, दफ्तरों में नहीं हुआ, मकानों में घुसकर लाठी चार्ज नहीं हुआ दुकानों और बाजारों में घुसकर लाठी चार्ज नहीं हुआ। 144 धारा को तोड़ने जाते थे तो कलेक्टर पहले चेतावनी देता था और लाठी चार्ज होता उसके लिए शो करता था, कितनी ही चीजें करता था कि लोग हट जायें। पर जिस तरह आप करते हैं पीछा कर कर के लोगों की पिटाई करना कार्यकर्त्ताओं के घरों में घुस घुसकर उनकी पिटाई करना-इस तरह की चीजें पहले हमें कभी कहीं देखने तक को नहीं मिलीं। आप ताज्जुब करेंगे, एक वक्त था, राजाओं का वक्त था, हम राजाओं के खिलाफ आन्दोलन करते थे, लड़ाइयां लड़ा करते थे। आपने पुराना कांगड़ा का जो काण्ड हुआ, उसके बारे में पढ़ा होगा राजा की और जागीरदारों की साजिश हुई, हमने आन्दोलन किया कि लाग-बाग मत दो तो हमको घेर कर तीन दिन तक पीटा, पर वह पिटाई भी आपकी आज की इस पिटाई के सामने कोई कीमत नहीं रखती। मेरे पास फोटोज हैं, मैं लोगों से घरों में जा जाकर मिला हूं, बूढी माताओं से मिला हूं, बहनों से मिला हूं, अगर जवान पीटे जायं तो हम किसी तरह दर गुजर कर सकते हैं पर बुढ़िया माताओं और बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पिटाई आन्दोलनों के लिए प्रेरणा देती है, अगर पिटाई के बाद भी सत्याग्रही के दिल में गुस्सा नहीं आता, वह जहर का घूंट पीकर आगे बढ़ता है, शान्ति का रास्ता नहीं छोड़ता तो इससे अच्छा सबूत सत्याग्रही और कोई दे नहीं सकता। वह इलाका है जहां थानेदार, डी० एस० पी० बहुत रिश्वतें लेते हैं, पिछले पांच-दस सालों से हमारे डेपुटेशनों से, वार्तालाप से, इस रिश्वत में कोई कमी नहीं आई पर शाबासी देता हूं उस इलाके के लोगों को कि इन पिछले चार महीनों में उन्होंने रिश्वत बन्द करदी। जहां 80-90 कत्ल के केस हर साल होते थे, 326 के तो कितने ही केस दर्ज हुआ करते थे। पर इन चार महीनों के समय में कहीं कोई केस दर्ज नहीं हुआ और उन लोगों को जिन्होंने शान्ति का रास्ता लिया, आन्दोलन का रास्ता लिया, टैक्स न देने का रास्ता लिया, गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का रास्ता लिया, उन लोगों के लिए 3 फरवरी को मिलिट्री को बुलाना, उस क्षेत्र में धारा

(श्री केदारनाथ)

144 का लगाना, एक साथ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना–यह सब कुछ आपने इसलिए किया कि आपने यह तय कर लिया था कि जन आन्दोलन को हमेशा के लिए खत्म करना है। जब मैंने आपका भाषण, जो आपने प्रेस कान्फ्रेन्स में दिया था, पढ़ा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। कोई आन्दोलन हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, मैं उसको राजनीति से दूर नहीं समझता। पर वह राजनीति अलग है, वह कोई राज्य को हटाने की राजनीति नहीं थी। यह ठीक है कि सारी राजस्थान की पोलिटिकल पार्टीज मिल जाती तो उसे सियासी आन्दोलन की संज्ञा दे सकते थे, पर उस सारे आन्दोलन में आन्दोलनकारियों के दिमाग में राज्य को हटाने की बात नहीं रही। पर आपने नक्सलवादियों का नाम लेकर इसे राजनैतिक आन्दोलन की संज्ञा दी। आपने आन्दोलन को वापिस नहीं लिया तो हम सख्ती से पेश आयेंगे–यहां तक तो आपके कहने को वाजिब समझा जा सकता है पर आपने मिलिट्री बला ली। मिलिट्री कब बुलाई जाती है? मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि इस बात को लेकर इस बारे में सारे हिन्दुस्तान में चर्चा चली। वहां पर तैनात आर० ए० सी० के उच्च अधिकारी ...राट थे, उन्होंने फील्ड मार्शल को लिखा कि न यहां लॉ एण्ड आर्डर की सिच्युएशन बिगड़ी है, न रिवोल्ट होने की आशंका है। यह लोग वे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एग्रेसन के समय में जब बोर्डर पर मिलिट्री नहीं आई थी, पुलिस नहीं आई थी, इन्होंने पाकिस्तान के एग्रेशन का डटकर मुकाबला किया, लाठियों से, बर्छियों से, देशी बन्दूकों से पाकिस्तान का मुकाबला किया था। ऐसे इलाके के लोग, ज्यादातर मिलिट्री में हैं, सिख लोग जो मिलिट्री में है, इन लोगों को इस संख्या में अगर इस तरह से ट्रीट करेंगे तो और तरह की हालत पैदा हो सकती है, और इश्यू जुड़ जायेंगे, इसलिए फौज को यहां से वापिस ले लें।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आन्दोलन की क्या शिकायतें हैं, आन्दोलन की कौनसी मांगें मंजूर हों, यहां इस समय इस विषय का सवाल नहीं है। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि 144 की धारा लगायी आखिर किस काम के लिए लगाई? मिलिट्री को बुलावा दिया। लिस्ट आपके सामने बयान करूं तो आप ताज्जुब करेंगे। कहां कहां लोगों को पीटा गया। जगहतसिंहजी बैर दो बार जेल में गये। उसके बाद पदमपुर म औरतों का जत्था जाता है। 144 धारा लगायी। मंडी के पास सड़क से निकलता है जत्था, 51 का जत्था, पुलिस पीछे से आकर उनको घेरती है और उनकी पिटाई करती है। मैंने यह कभी नहीं सुना कि बच्चों और औरतों को पुलिस इसलिये पीटे कि आन्दोलन में क्यों आये? व्यासजी, मैं आपकी शाबासी मानता यदि इतनी बड़ी जनशक्ति से एक पैसा भी आपने टैक्स का वसूल कर लिया होता। लाठियों से पीटा, बंदूकें चलायीं, मध्य प्रदेश की पुलिस बुलायी और मिलिट्री को बुलावा दिया। आपने लोगों के गाय बैल कुर्क किये। आपने मंडियों में आती गाड़ियों को रोक लिया, धान, गुड़ कपास से भरी गाड़ियों को इसलिए रोका कि टैक्स का पैसा दें लेकिन वे लोग वापिस गाड़ियों को ले गये और एक पैसा भी खजाने में जमा नहीं कराया। इतनी बड़ी जनशक्ति हो और आप लोगों को यह रिपोर्ट मिल गई हो कि लोग टैक्स नहीं देंगे, उनकी मांगें मंजूर नहीं होंगी तब

(श्री केदारनाथ)

तक एक पैसा भी खजाने में जमा नहीं होगा। कचहरियों में जाओ, गिरफ्तारियां कराओ, गांव गांव में जाओ और एक पैसा टैक्स का वसूल मत होने दो। सरकार का जैसे जैसे रवैया बदलता है, आन्दोलन भी अपने टैक्टिक्स बदलता है।

इसके बाद हालत यहीं तक नहीं, सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं कि 107 और 151 की कार्यवाही कब तक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी इसके तहत गिरफ्तारियां गलत हैं। मेरी कोई कार्यवाही ऐसी हो कि

(3.31 म० प०)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो हिंसा को बढ़ाने वाली हो, शान्ति को खतरा पैदा करने वाली हो, तो केस बनाओ और कोर्ट में चालान करो, ट्रायल करो और ओर्डियल को फेस करने का मौका दो। अगर मैंने ऐसा कोई भाषण दिया है और भाषण देने के बाद इस प्रकार के इन्सीडेन्स पाये गये हों जिससे लाजमी तौर पर सजा पाने का हक हो, तो ट्रायल फेस करने का मौका दो। पहले ही शंका कैसे करली कि शान्ति भंग हो जावेगी। मैं आपसे माननीय व्यासजी, पूछना चाहूंगा कि आपके राज्य और अंग्रेजों के राज में कोई फर्क है? आन्दोलन होते हैं तो क्या 107 और 151 के अन्तर्गत कभी गिरफ्तार कर लेते हैं? आपके दिमाग में कभी यह बात उठती है कि इसको बदलना चाहिए?

आन्दोलन के सिलसिले में जहां जहां लाठी चार्ज हुए हैं, 80-90 केसेज मेरे पास हैं, उनके फोटोज मेरे पास हैं, उनके खून से लथपथ कपड़े मेरे पास हैं, मैं कोई सेन्टीमेन्टल फेज और इमोशनल शो नहीं पैदा करना चाहता जैसा मेरे कुछ साथी चाहते हैं। इसकी जो असलियत है, जो इम्पेक्ट है, वही मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरी यह मांग है कि इस मामले को सैन्ट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्युरो को सौंप दिया जाना चाहिये। मिलिट्री को बलावा देने का, कोई कारण नहीं था। मिलिट्री को अलर्ट करने, 144 धारा लगाने और लाठी चार्ज करने का कोई कारण नहीं था। माननीय व्यासजी आपकी इस बात पर हमें विश्वास नहीं है कि आई० जी० पी० या सीनियर सी० आई० डी० अफसर तफतीश कर पायेंगे क्योंकि उनके पीछे दिमाग के डिस्पोजिशन्स हैं। दिमाग में फेवर लेकर जावेंगे। सभापति महोदय, आन्दोलन के सिलसिले में इस बात की मांग की जा रही है। इन्डिविजुअल इन्सीडेन्ट होता, इन्डीविजुअल मारपीट होती तो शायद मैं सी० आई० डी० से जांच के लिये स्वीकार कर लेता। लेकिन यह आन्दोलन तो आर्थिक मामलों पर लड़ा जा रहा है। यह मांग जायज है। स्टूडेन्ट्स के लिए आपने कर दिया तो ठीक कर दिया। मुझे एतराज नहीं है। इसलिए जो इन्सीडेन्ट्स हुए हैं, उनकी जांच के लिये सट्रल ब्यूरो को सौंप दें तो अपना केस हम उसके सामने पेश कर देंगे। फोटोज पेश करेंगे, कपड़े खून से रंगे हुए पेश करेंगे और मेडीकल रिपोर्ट्स हैं, उनको भी पेश करेंगे। आप ज्युडिशियल रिपोर्ट्स को न मानें, हाइयेस्ट आफिसर की रिपोर्ट न मानें, आपके पक्ष में जावें तो उसको मानें और विपक्ष में जावे तो नहीं मानें, हम अपनी ताकत तो डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम लाठियां खालीं। आन्दोलन के दौरान ऐसा हुआ ही करता है। आप यह मानकर चलय

(श्री केदारनाथ)

कि यह आन्दोलन की मांग है । श्रीमान्, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सत्याग्रही आवे तो वे 107 और 151 में गिरफ्तार हों या तो वे जमानत दे या तीन महीने की जेल भुगतें । जल में हुक्म मिलता है लिखित में नहीं वायरलेस से । जेल से छोड़ा गया और हुक्म मिलता है तो 107 और 151 में फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है । वह व्यक्ति बीकानेर जेल में बैठा हुआ है, उससे पदमपुर की शान्ति को कैसे खतरा पैदा हो जावेगा, गंगानगर में कैसे खतरा पहुंच जावेगा ? यह मेरी समझ में नहीं आता । बिना वारन्ट के पदमपुर ले जाया गया जिसका नाम चैतन चौधरी है । अदालत में जाता है । एस० डी० एम० की कोर्ट में जाता है । डी वाई० एस० पी० आता है और उसको पीटता है । वह पुराना पोलिटिकल वर्कर है । राजाओं के जमाने में भी जेल काटी है । इतना शान्त तरीके से रहना वाला आदमी, ऐसे आदमी को भी स्पेयर नहीं किया तो अन्दाज लगाइये कि कितने लोगों को लाठी चार्ज करके बेरहमी से मारा गया होगा । मैं यही इसको समाप्त करते हुए कहता हूं कि आप इसकी तफतीश सैन्टर के हाथ में छोड़ें । और दूसरी बात यह है कि 107 और 151 की कार्यवाही कहां तक औचित्यपूर्ण है ? पुलिस एक्ट की धारा को आज बदलते हुए हालात में कहां क्या औचित्य है, यह आपको सोचने को मिलेगा । कौनसे मूवमेन्ट को दबाना है और कौनसे तबके को दबाना है । एक नक्सेलाइट का पर्चा निकला । उस पर मिलिट्री बुला ली और पाकिस्तान से हथियार भी आ गये, फिर आपको अपने ही मुंह से यह कहना पड़ा है कि पाकिस्तान से हथियार नहीं आये हैं और कोई खतरा नहीं है और वापिस मिलिट्री को बुलाया जा रहा है । यह भी आपने अपने ही शब्दों में कहा । दस दिन में ही आपमें यह तब्दीली क्यों आयी ? दस दिन पहले तो लॉ एण्ड ऑर्डर को बड़ा भारी खतरा पैदा हो गया था, आपकी दृष्टि से और आपने मिलिट्री को बुला लिया और उसको एलर्ट भी कर दिया ।

मैं यह मानकर चलता हूं कि आन्दोलन के सिलसिले में जो भी घटनाएं हुई हैं जो भी लाठी चार्ज किये हैं, जिस तरीके से सत्याग्रहियों के साथ पेश आया गया है, इस स्थिति में जो अफसर तैनात हैं उनके संबंध में हम यह मांग करें कि उनको वहां से बदल दो तो यह हमारी कमजोर मांग होगी । आर्थिक मांगों को छोड़कर हम अपनी शक्ति अफसरों के तबादलों में नहीं लगायेंगे । हमारी इतनी हिम्मत है कि हम टैक्स नहीं देंगे, पन्द्रह हजार आदमी जेलों में पहुंच सकते हैं, लाठियां खा सकते हैं । अफसर वहां टिक पायेंगे तो हमारी मंशा के बगैर नहीं टिक पायेंगे । माननीय व्यासजी, हम वह नहीं करना चाहते । हमने नारा दे दिया है उनको परेशान करो, काले बिल्ले लगाओ, कचहरी मत जाओ, गिरफ्तार करे तो गिरफ्तार हो जाओ, कर मत दो, गांवों में आवे तो उनका सामाजिक बहिष्कार करो । यह रास्ता हमारे पास है । जनशक्ति हमारे साथ हो और आप तफतीश उन लोगों से करायें जो इन्वोल्व हों लाठी चार्ज में, तो कोई आन्दोलनकारी आपके पास नहीं आवेगा ।

एक बात मैं, माननीय व्यासजी और कहना चाहता हूं । ज्युडिशियल इन्क्वायरी का आपने ऐलान कर दिया । चूरू का केस इससे अलग है, वहां आपने 7 कान्सटेबलों को पुलिस एक्ट की धारा 304 ए में गिरफ्तार

(श्री केदारनाथ)

किया है। चूरू का केस है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। चूरू के लोगों ने हमारी हमदर्दी में आन्दोलन किया। वहां हमारी तरफ से यह मांग नहीं हुई। हमारे किसी कार्यकर्ता ने यह नहीं कहा, न किसी सत्याग्रही ने कहा है। गोली चलाने के अपराध में किनको गिरफ्तार किया गया है? उनको गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस के कांस्टेबल हैं और पुलिस के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके घोर परिणाम होंगे। उनको जब आपने यह कहा और जब वे बदले नहीं, डिफेन्स के लिए जो आप उनसे कहलाना चाहते थे कि ऊपर से पहले फायरिंग हुआ उसका मुकाबला करने के लिये गोली चलानी पड़ी, डिफेन्स में गोली चलानी पड़ी। जब उन्होंने इन्कार कर दिया तो उनको पुलिस लाइन में लाकर डाल दिया गया। क्या यही ज्युडिशियल इन्क्वायरी का ग्राउन्ड आप तैयार कर रहे हैं? क्या इसकी निष्पक्षता से जांच हो सकती है? ऐसा मैं नहीं सोचता। यह मेन्योरिंग आप करें, यह अन्डर हैंड आप टैक्टिक्स करें—यह ज्युडिशियल इन्क्वायरी के फन्डामेन्टल्स के विरुद्ध है। पुलिस ने यह डिफेन्स किया, सरकार यह मान कर चले कि गोली हमने चलाई है और उसका डिफेंस किया तो क्या इससे आप ज्युडिशियल इन्क्वायरी के फन्डामेन्टल्स का पालन कर रह हैं? जैसा बैकग्राउन्ड, जैसी क्लाइमेट और जैसे इन्सीडेन्स आप पैदा कर रहे हैं सांगरिया, भादरा और चूरू में, उस बिना पर मैं यह कह सकता हूं, वहां के एस० डी० ओई०, डी वाई० एस० पी० और आर० आर० आई० को आप गिरफ्तार करें, उनका चालान करें। गिरफ्तार ही आप करलें तो मैं मानूंगा कि आप एक क्लाइमेट सही पैदा कर रहे हैं। उन सिपाहियों को पकड़ कर आप पुलिस लाइन में हाजिर कर दें जो डिफेंस में बात आप उनसे कहलाना चाहें, वह वे नहीं कहें तो यह कोई आपकी दलील नहीं है। इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और ऐसी ही हालात आप भादरा, संगरिया में पैदा कर रहे हैं। मैं सोचता हूं वहां जो ऑफिसर तैनात है, लोगों की हिम्मत से वह गलत एवीडेंस नहीं दे पाया। वह लालच में नहीं आया। आज लोगों का मोरल ऊंचा है और हमें विश्वास है कि इससे हम—चाहे आप कितने ही आर्डिनेंस निकाल लें, अपनी मांगें मंजूर करा पायगें।

मान्यवर, मैं पुलिस विभाग के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। कहीं आप यह सोचें कि लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति थी जैसी आपने रिपोर्ट दी है, उस स्थिति में सुधार हुआ है। मैं नहीं सोचता मान्यवर कि लॉ एण्ड ऑर्डर आपके हाथ में है। आपकी सरकार को, आपके आफिसर्स को, मैं यह नहीं कहता कि आप सब बेईमान हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि आप सब भ्रष्ट हैं और न यह कोई कह सकता है। परन्तु मान्यवर, पुलिस के ऑफिसरों के प्रति आज किसी को भी विश्वास नहीं रहा है। थानों की कार्यवाहियों के बारे में कतई आज किसी को विश्वास नहीं है, निष्ठा नहीं है। जिस तरीके से वहां पर इन्वेस्टीगेशन होते हैं, उनको देखकर कोई यह मानकर नहीं चलता कि मुझको इन्साफ मिलेगा। चालान होने के बाद रिकार्ड में जिस तरह से टैम्परिंग की जाती है और जिस तरह से फैसले होते हैं, उससे आप यह सोच लें कि लॉ एण्ड आर्डर पैदा हो गया। अच्छा हो कि आप इस भ्रम को पैदा न करें। दरअसल में आप लोगों के

(श्री केदारनाथ)

दिमाग को बदलना चाहते हैं तो हिंसक लड़ाई और अहिंसक लड़ाई में क्या फर्क है, उसके लिये वहां पर एक कंजीन्यल क्लाइमेट पैदा करें। आपका विश्वास प्रजातन्त्र में है, आप संविधान में विश्वास रखते हैं और गरीब तबकों को राहत देने की बात आप सोचते हैं, तो इसको सही तरीके से इम्पलीमेन्ट करने की कोशिश करें। सही तरीकों को चुनें तो उसका रिजल्ट अच्छा आयेगा। अगर आप सही तरीके से इसको इम्पलीमेन्ट नहीं करते हैं तो लोगों को अपना उद्देश्य एचीव करने के लिए आन्दोलन, सत्याग्रह और अन्य जरियों का सहारा लेना पड़ेगा। आप इसको लाठी चार्ज करायें, मिलिट्री को वहां बैठायें, लोगों को 107, 151 के तहत गिरफ्तार करलें और अपने आपको समाजवादी कहें, समाजवाद के प्रति विश्वास प्रकट करें। मैं सोचता हूं राजस्थान एक बैकवर्ड प्राविन्स है, यहां के गरीब तबके के लोगों को आर्थिक लड़ाई लड़नी होगी। यह लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाय—उसके लिए जो आप ट्रेडीशन पैदा कर रहे हैं, उससे सही वातावरण नहीं बन रहा है। आप आन्दोलनों पर लाठी चार्ज की बात करते हैं, परन्तु क्या आन्दोलन के प्रति आपका यह तरीका सही है ? पुलिस का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। यह आपने कहां सोचा है ? आप एक तरफ खातेदारी हक देना चाहते हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको भूमि देना चाहते हैं, दूसरी तरफ सीलिंग को लागू करना चाहते हैं और सीलिंग की जो भूमि है, उसको आप हरिजनों को बांटेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि वह भूमि उन हरिजनों को मिल जायगी ? इसी तरह से खेतिहर मजदूरों को भी अपना शेयर लेना होगा। वह किसी भी रूप में लिया जाये। आन्दोलन हो, सत्याग्रह हो, उसमें पुलिस क्या करे—क्या इसके बारे में भी आपने सोचा है। लाठी, गोली चलाने की ही आप सोचते हैं तो क्या आप अपने प्रति वफादार हैं ?

मान्यवर एक ऐसा केस है जहां एस० पी० लेविल से तफतीश हो जाये, यहां से सी० आई० डी० इन्सपैक्टर चला जाये और सारी तफ्तीश हो जाये। उसके बाद भी आप सोचते हैं कि इन्वेस्टीगेशन की वजह से आप क्राइम को ट्रैस कर लेंगे। और सही दोषी को आप सजा देंगे। यह आपकी गलतफहमी है। एक सरपंच है। जो झुन्झनू में कोऑपरेटिव बैंक का डाइरेक्टर बना हुआ है और जिसने पैसा बांटकर अपने पास रख लिया है। मान्यवर आप यह जानकर ताज्जुब करेंगे कि उसने ऐसे लोगों के दस्तखत करा लिये हैं जो हरिजन है। बाबुरी पंचायत समिति का सरपंच है और मालीराम उसका नाम है और आप ताज्जुब करेंगे सांवलराम हरिजन को उसने 63 हजार का कर्जा दिया और उसके एक सफेद कागज पर दस्तखत करा लिये। इसके बारे में सेशन कोर्ट में केस चला और वहां उस हरिजन को 5 साल की सजा हो गई। इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है परन्तु इस सरपंच पर 65 से गबन का केस चल रहा है। तीन, चार बार बी० डी० ओ० ने भी इसकी जांच कर ली है, सी० आई० डी० के द्वारा भी इसकी जांच करा ली गई है, और जहां तक मुझे मालूम हुआ है, व्यासजी, इसके कागजात भी आप तक पहुंच गये हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह किस पार्टी का है, कौन है परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टीगेशन के जरिये आप क्राइम को पलटना चाहते हैं और वह भी गबन जैसे घोटाले को जिसकी सही तरीके से तफतीश आपके ऑफिसर कर चुके हैं।

(श्री केदारनाथ)

आपके पास ये कागज आ गये हैं । आपन किसी दूसरे से इसकी जांच करा ली तो अब आप इन्वेस्टीगेशन का बहाना कर इसको कहां तक लटकाना चाहते हैं ।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं मान्यवर कि इस समूचे राजस्थान की जो हालत है, और आन्दोलन का जो सिलसिला चला और जो लाठीचार्ज और गोलियां चलीं, जिस तरीके से धारा 144 लगाई गई, उन सबसे हम शक्ति भर लड़ते रहे और मान्यवर गृह मंत्री महोदय यह सोचते रहे कि पुलिस की शक्ति के आगे यह आन्दोलन बैठ जायेगा, उसका उल्टा असर हुआ और यह जोर पकड़ गया । जिस तरह से आपने लोगों को चोटें पहुंचाई हैं, उनके साथ मारपीट की है, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खेतों में, दुकानों में, घरों में घुसकर लाठी-चार्ज किया है—इन सबमें जो आपके ऑफिसर इन्वॉल्व हैं, चूरू का केस है, उसमें जो आपके ऑफिसर इन्वाल्व हैं, उनकी तब तक सही जांच नहीं हो सकती, सही तरीके से इसका रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक वह लोग वहां हैं । लोगों की चाहे आप कितनी ही मांगें मंजूर करते जायें, चाहे लोगों की मांगें मंजूर हों या न हों, इसका सही तरीके से हल नहीं किया गया तो जन मानस पर उल्टा असर होगा जिसको सम्भालना आपके लिए कठिन होगा ।

मान्यवर, ऐसे सब्जैक्ट पर बोलने के बाद पी० डब्ल्यू० डी० पर चर्चा करना हल्का महसूस होता है । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में कोलोनाइजेशन का काम है, उसमें मंडी और डिग्गी बनाने का काम आपने हाथ में लिया है । राजस्थान कैनाल क्षेत्र में आपने कई सड़कें बनायी हैं । परन्तु आप इसके लिए जितना पैसा लाये वह लैप्स हो गया और हमें यह शक है कि यह पैसा कहीं फिर लैप्स न हो जाये । बोर्डर एरिया में सड़कें बनाने का काम महत्वपूर्ण है । राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हो, भाखरा, गंग कैनाल क्षेत्र हो, उनकी मंडियां खराब हैं और उनके लिए आप पैसा नहीं दे पाते हैं । हमारे जिले में आप यह कह कर चलते हैं कि हमने राजस्थान कैनाल के लिये इतना पैसा खर्च किया है, गंगानगर जिले में पर-कैपिटा इतना खर्चा कर रहे हैं, परन्तु यह कोई सबूत नहीं है । हमारी सड़कों, मंडियों और डिग्गियों की आप मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। सार्दुलपुर और गजसिंहपुर ये दो मेन मंडियां हैं, इन दोनों मंडियों का सड़क से कोई कान्टेक्ट नहीं है । इसलिए, मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे ।

अन्त में यह बात कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मान्यवर गोलीकांड के बारे में, चूरू के गोलीकांड के बारे में आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि जिन सिपाहियों के खिलाफ केस बनाये हैं, उन्होंने डिफेंस में आपके अनुसार एवीडेंस देने से इन्कार कर दिया तो उनको यहां पुलिस लाइन में लाकर हाजिर कर दिया, यह एक गलत बात ह । हमारी मांगों को मानने के पहले आप आन्दोलन को सही रूप में समझें । 29 तारीख को बैठक होगी, उसके पहले यह तफतीश कर लें और जो लाठीचाज में, गोली चलाने में इन्वॉल्व हैं, उनको आप गिरफ्तार करें तो आन्दोलन को आप समझ सकेंगे ।

Page No 151

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकुमार नन्दवाना।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़-गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर चर्चा हो रही है। मैं अपने कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान चित्तौड़गढ़ जिले की रोडस की ओर दिलाना चाहूंगा। चित्तौड़-गढ़ जिला 10 हजार 500 स्कायर माइल एरिया म है। इस जिले में पिछले वर्षों में, जब मेवाड़ स्टेट का टाइम था वहां पर एक मील डामर की सड़क नहीं थी, वहां आज 500 मील मैटल और अन्य रोड्स हैं। इसके लिये मैं राजस्थान सरकार, उसके सार्वजनिक निर्माण मंत्री और मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस जिले के लिये इतना काम किया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारे यहां तो तीन मील का टुकड़ा भी नहीं बना आपके यहां 500 मील की सड़क बन गई ?

श्री विजयसिंह : इससे तो यह साफ जाहिर होता है राजस्थान के बजट का सबसे ज्यादा पैसा उदयपुर डिवीजन पर खर्च होता है।

श्री नत्थीसिंह : तिजारा में सड़क बनाने की मंत्री महोदय को फुर्सत ही नहीं, वे क्या करेंगे।

श्री रामकुमार नन्दवाना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय निर्माण मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पिछले वर्ष में इस जिले में फ्लड आया, फैमिन के वर्क्स शुरू हुए। पिछले साल हमारी इस तहसील में कोई भी फैमिन का काम शुरू नहीं किया अगस्त में सड़कों का काम शुरू किया। कई सड़कें ऐसी हैं जो पिछली साल अधूरी रह गईं, उन पर कोई इस साल खर्चा नहीं किया गया। इस वर्ष अकाल सहायता कार्य भी वहां नहीं चालू किये गये। बाढ़ सहायता के आधार पर 62 हजार रुपया मन्जूर किया गया। लेकिन इस वर्ष भी बाढ़ सहायता की मद में चित्तौड़ जिले को कोई राशि एलॉट नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ तहसील और बेगूं तहसील में बाढ़ के कारण काफी क्षति हुई है, कई सड़कें टूट गईं। 69 लाख के करीब का नुकसान हुआ है फिर भी इन सड़कों की मरम्मत के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया, न उन सड़कों की मरम्मत ही करवाई गई। पिछली बार जब फेमिन का काम शरू हुआ, चित्तौड़गढ़ से विजयपुर ऐसा पहाड़ी स्थान है, जहां पर वन विभाग द्वारा सड़क का काम हाथ में लिया गया। लेकिन इस वर्ष जो बाढ़ आयी, उससे वह सड़क टूट गई उस पर न पी० डब्ल्यू० डी० विभाग कोई ध्यान दे रहा है, न कोई उस सड़क की मरम्मत के लिये पैसा ही रखा गया है।

एक माननीय सदस्य : अब तक तो आप तारीफ करते चले आ रहे थे अब क्या हुआ ?

श्री रामकुमार नन्दवाना : तारीफ की जगह तारीफ भी करनी पड़ती है और भी बातें कहनी पड़ती है। चित्तौड़ से भैंसरोड-गढ 18 मील है, वहां पर सड़क तो बन गई है, लेकिन पुलियाओं के अभाव में वह एक तरह से बरसात के दिनों में नहीं के बराबर है। जब बरसात हो जाती है, भैंसरोडगढ कट आफ हो जाता है तहसील हैड क्वार्टर से। इसलिए इस सड़क पर पुलियाओं का बनाना बहुत आवश्यक है। राणा प्रतापसागर पर काम करने वाले अधिकारी भी इसी रोड से जाते हैं, यही एक रास्ता है जो इस जिले के प्रशासन को जोड़ता है।

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं रेगुलर आवंटन के अन्दर साढ़े तीन लाख रुपया रखा गया है सारे जिले के काम के लिये जो बहुत कम है। जिला हैडक्वार्टर से प्रतापगढ़ एस० डी० ओ० से सीधा संबंध रखा गया है जो सब-डिवीजन का हैड-क्वार्टर है, वहां तक जाने के लिये मध्य प्रदेश से होकर जाना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ से मन्डसोर का सीधा संबंध है लेकिन चित्तौड़-गढ़ निम्बाहेड़ा होकर छोटी सादड़ी होकर होना चाहये। पिछली साल इसके लिये आवंटन भी हुआ था फिर भी उससे रोड कम्पलीट नहीं हुई। चित्तौड जिले में बड़ी सादड़ी तहसील है, वह 45 मील दूरी पर है। इस तहसील का संबंध जिला हैडक्वार्टर से नहीं हो पाया है। भदेसर आवरी माता तक डामर रोड वन गई गई हैं। पिछली साल फमिन में इस बात को रखा था निकुम तक सड़कें बनाई जावें, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। बड़ी सादड़ी का सीधा संबंध चित्तौड़ से बन जाय इस बारे में व्यवस्था की जानी चाहिय।

इसी तरह से मैंने भैंसरोड़गढ़ के बारे में निवेदन किया। हालांकि भैंसरोड़गढ़ का संबंध दूसरे और जिलों से हो सकत है लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिला से उसका संबंध है। इसलिये भैंसरोड-गढ़ से सीधा संबंध हो इसके लिये पुलियाओं का निर्माण कराया जाना चाहिये। साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ जिले की कई रोड्स बनी हुई हैं, लेकिन उनकी मरम्मत और देखभाल का समुचित प्रबन्ध नहीं है। चित्तौड़गढ़-बून्दी रोड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट तक कम्पलीट डामर की बनी हुई है। इस तरह से लाड़पुरा से बैंग तक कम्पलीट डामर रोड बननी चाहिये।

मैं खासतौर से पी० डब्ल्यू० डी० मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप पिछले तीन महीने पहले इस इलाके में गये थे। आप जब कोटा से आये थे तो इसका निरीक्षण किया था। मैं चाहता हूं यह रोड पूरी हो।

चित्तौड़गढ़ तहसील में पिछली साल फैमिन वर्क्स शुद्ध हुए थे, उसमें खास तौर से फोरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा बनी हुई रोड्स की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चित्तौड़ एक पहाड़ी इलाका है जो 200 स्कवा-यर किलोमीटर का एरिया है। वहां पर आने जाने के साधन नहीं हैं। इसलिए वहां रोड्स का होना आवश्यक है। खास तौर से दो तीन महीने पहले आपका विजयपुर दौरा हुआ था, आपको उस समय वह एरिया भी बतलाया गया था। आपने उस ओर ध्यान देनेका आश्वासन दिया था। इसलिये मेरा निवेदन है विजयपुर-कनेर-पलास होकर रोड का कार्य पूरा किया जाना चाहिये।

संभलपुरा से सादी रोड व अन्य रोड मिलाकर 45 मील तक बन रही है उसके लिये इस साल पांच दस हज़ार रुपया तक नहीं किया गया। फ्लड के कारण यह सड़कें बेकार हो गईं। इस पर काम करा।ा आवश्यक है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गंगरार राशिम कपासन से राशिम के लिये इस साल बीस हजार रुपया रखा गया है। मैं समझता हूं कि इससे क्या होगा? एक दो मील पर जो टुकड़ा शेष बचा

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

है उस पर मिट्टी डलवाकर भोपाल सागर और राशिमा तक सड़क बनाई जाय।

इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़-पीपलदा रोड को बनाने के लिये जो आवंटन किया गया है वह बहुत ही कम किया गया है। बांसवाड़ा जाने के लिये मध्य प्रदेश होकर जाना पड़ता है। इस तरह से वह दो सौ-ढाई सौ मील पड़ता है। इस रोड के बन जाने से उसमें 80 मील की कमी हो जायेगी। इस पर शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ करवाया जाना चाहिये।

(4 म० प०)

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्षजी, ...

श्री उपाध्यक्ष : आपके भाषण पर समय सीमा 10 से 15 मिनिट है। अन्य भी सदस्य बोलन वाले हैं आपके दल के।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने पुलिस के संबंध में जो प्रगति का विवरण दिया उसे मैंने बराबर उलट-पलट कर देखा पर उसमें मुझे विभाग का कोई चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आया। लोकतन्त्र में कोई सरकार हो, जब तक वह अपने प्रशासन का स्पष्ट चेहरा, उसके दोनों पहलू जनता के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख सकेगी तब तक जनता का उस सरकार के प्रति और लोकतन्त्र के प्रति विश्वास नहीं जम सकेगा।

आपकी इस रिपोर्ट का आधार क्या यह मानकर चलें कि राजस्थान के किसी भी थाने में किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई? क्या हम यह मानकर चलें कि राजस्थान के किसी भी थाने के अधिकारी ने किसी भी महिला का शील अपहरण नहीं किया, उसके साथ बलात्कार नहीं किया? आज राजस्थान के समाचार पत्रों में आपको ऐसी खबरें नित्य प्रति देखने को मिलेंगी। पर यह सरकार है कि जो इस पुलिस के इन काले कारनामों को भी छिपाने में अपने को कृतकृत्य समझ रही है।

यहां यह कहा जा रहा है इस सरकार द्वारा कि पुलिस का स्तर ऊंचा हुआ है। मैं मान लेता हूं वास्तव में उसका स्तर ऊंचा हुआ है पर किन मामलों में? यह आप सुन लें। पुलिस के अधिकारियों का स्तर सरकार के मंत्रियों के साथ साथ भ्रष्टाचार के मामलों में ऊंचा हुआ है, हत्यारों को पनाह देने के मामलों में ऊंचा हुआ है और तस्कर व्यापारियों को पनाह देने और उनको पनपाने के मामलों में ऊंचा हुआ है।

मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि ऐसे किन्हीं मामलों में उसने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है? दुनियां जानती है कि राजस्थान की यह पुलिस और इसके अधिकारी किस प्रकार से हत्यारों को बचाती है उनके गुनाहों को दबाती है, उन पर पर्दा डालने की कोशिश करती है।

कोटा की एक घटना है। 29-30 अक्टूबर, 69 की बात है, एक धनाढ्य वृद्ध महिला की हत्या हुई रात्रि को। जिस वक्त हत्या हुई उस रात को उसका लड़का, उसका भाई और उसके परिवार के सात आठ आदमी वहीं घर में थे। उस लड़के ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। पर दूसरे रोज एक पड़ोसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की। इसके बाद 1-11-69 को मृतक के लड़के को जो लखपति है, और जिसका नाम अब्दुल

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सलाम है पटपड के थानेदार श्री रामशरण ने पकड़ा। अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है कि एडीशनल मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में केस चल रहा था और जिसके लिये बराबर रिमाण्ड लिया जा रहा था लेकिन उस अब्दुल सलाम के साथ सौदा पट जाने के बाद उस थानेदरा ने अपनी रिपोर्ट में जमानत पर छोड़ने के लिये 14-11-69 को धारा 497 (2) फौजदारी मुकद्दमे के तहत यह लिखा कि इसको जमानत लेकर छोड़ दिया जाय। इस पर मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ रिमार्क्स कसे। एस० पी० को लिखा कि इसकी तफतीश वे अपने हाथ में लें। उस थानेदार न उस समय तक हत्या के कपड़े तक बरामद नहीं किये, जिस चीज से हत्या की गई उस तक को बरामद नहीं किया था। न बयान ही किसी के लिय थे। इसके बीच में ही जमानत पर छोड़न की रिपोर्ट दे दी थी। एस० पी० न मामले को हाथ में लिया, एस० पी० ने जांच के बाद खून के कपड़ भी और हथियार जिससे खून किया गया वह भी बरामद किया और जिस षडयन्त्र से यह हत्या की गई थी उसका भी भण्डाफोड किया। उस आदमी को और एक औरत को, जिससे उसका नाजायज संबंध था दोनों को पकड़ा और उसको छुड़ाया। इसके बाद खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब एस० पी० ने भी रिपोर्ट कोर्ट में दी तो उसके खिलाफ भी कोर्ट ने एडवर्स रिमार्क्स दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मामला जब इस तरह से चल रहा था तो क्या गृह मंत्रीजी ने, उनके आई० जी० ने भी कभी इस मामले में पूरी जांच कराने की बात की? तो आज चाहे हत्या का मामला हो, चाहे चोरी का मामला हो, डकैती का मामला हो, पुलिस के द्वारा जितने मामले चलाये जाते हैं क्या इनके बारे में आपने अपनी इस रिपोर्ट में बताया कि इनमें से कितने फेल होते हैं और किन कारणों से फेल होते हैं? जांच करवाई गई इसकी कभी? न जांच कराई गई, न जांच कमेटी बिठाई। इसका कारण क्या है? वही रिश्वतखोरी है। और इस रिश्वतखोरी के नीचे से ऊपर तक फैले होने के कारण न जनता को न्याय मिल पाता है, न अपराधियों को सजा मिल पाती है। ऐसे अपराधियों से आम तौर पर पुलिस की मिलीभगत रहती है।

पुलिस में कितना करप्शन है? मैं पूछना चाहता हूं आपने कभी इसकी जांच कराने की, इसके मूल में जाने की और इसके मूल पर प्रहार करने की सोची? आपने कभी यह मालूम करने की कोशिश भी की कि आपके पुलिस अधिकारी हैं उनको तनख्वाह आप कोई अधिक नहीं देते हैं, कैसे इन अधिकारियों न बड़े बड़े शहरों में, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर आदि शहरों में अपने बड़े बड़े बंगले बना लिये हैं। कोई भी थानेदार, एस० पी०, डी० एस० पी०, डी० आई० जी०, ए० आई० जी०, आई० जी० ऐसा नहीं है पुलिस का अधिकारी जिसके बंगले कहीं न कहीं न बने हुए हों। ये इतने शानदार बंगले उनके कैसे बन गये? कभी जांच करवाई आपने? कितनी कितनी जमीन किस किस जगह किस किस पुलिस अधिकारी ने हड़प रखी है इस पर भी कभी आपने ध्यान दिया, जांच की?

एक मैं बताना चाहता हूं, शाहबाद क्षेत्र में एक डीवाई० एस० पी० हैं, दुर्गापाल सिंह नाम है, उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। खेती कर रहे हैं आज वे उस पर। इतना ही नहीं, य सरकारी बचत अभियान पर भी ध्यान नहीं देते।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सारे राजस्थान में और विशेष रूप से कोटा, सवाई माधोपुर और भरतपुर क्षेत्र में आये दिन डकैतियां पड़ती रहती हैं। लाखों रुपयों की लूटपाट होती है। सरकार को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिये तो कि हमारे इस इलाके में इस बार आपने एडीशनल आई० जी० पी० गुमानसिंहजी को भेज दिया है। जबसे वे आये हैं उन्होंने डाकुओं को मारा है। मध्य प्रदेश में घुसकर मारा है। शाहबाद के क्षेत्र में मारा है। पर मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज आपने कोटा, बूंदी झालावाड़ के इलाके को उदयपुर की रेन्ज के अण्डर में क्यों रख रखा है जबकि कोटा में ही ए० आई० जी० हैं?

मैं और कहता हूं इन पुलिस अधिकारियों का हाथ कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर इलाकों की डकैतियों में रहता है। धन्ना डाकू है उसको पनाह देने में, उससे डकैतियां डलवाने में, उसकी मदद करने में दो थानेदारों का हाथ है। सवाई माधोपुर क्षेत्र में डकैतियां पड़ी हैं जिसमें पंचायत समिति के लोगों के द्वारा डाकुओं को माल सप्लाई करने की बात ध्यान में आई है। शराब के ठेकेदार की जीप गई। इसमें वहां के एक डिप्टी मिनिस्टर का भी हाथ है। और यह वहां के डी० आई० जी०, एस० पी०, डी० एस० पी० की रिपोर्ट में है। पर आप उस रिपोर्ट को दबाकर बैठ गये हैं। चाहे जनता लूटी जावे, चाहे डकैतियां पड़े, चाहे उसमें डिप्टी मिनिस्टर का हाथ हो आप इन सारे मामलों को दबाना चाहते हैं, जनता को लूटते देखना चाहते हैं। और इस बारे के कागजों को, फाइलों तक को गायब करना चाहते हैं।

आज मेरे इलाके में किस प्रकार से ये पुलिस अधिकारी राजनीति के हाथों में खेल रहे हैं और किस प्रकार से ये सरकार के कांग्रेसी मंत्रियों और विधायकों को खुश रखने के लिये जनता को लूटते हैं, डाके डलवाते हैं, विरोधी दलों के लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाते है, उन पर फर्जी मुकदमें चलाते हैं। विरोधी दल आन्दोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं उसको असफल करने के लिये पुलिस के द्वारा षड़यन्त्र रचकर उन पर जबर्दस्ती पुलिस द्वारा पत्थरबाजी कराई जाती है और इस आड़ में शान्ति व्यवस्था का नाम लेकर लाठी चलाई जाती है, मुकदमे चलाये जाते हैं। आपने किस-किस तरह से हमारे जनसंघ दल के लोगों पर मुकदमें चला रखे हैं इसकी हम चिन्ता नहीं करते। फेस करने की हमारी पूरी-पूरी तैयारी है। पर सिवाय तारीखें डालने के और कुछ हो नहीं रहा है इन मुकदमों में, इसके प्रति हमारा घोर रोष है। उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से आया हुआ कांग्रेसी विधायक रामचरण आज सत्ता म बैठा है। हमने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया था। इससे खीझकर इस सरकार ने हमारे कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये हैं। पर इसको आज दो साल होने आये आज तक तारीखें बदलने के सिवाय और कोई काम नहीं हुआ है। कार्यवाही आगे नहीं चलती, न्यायालयों के पास कागज नहीं आते। पूछते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि ऊपर से हुक्म ही ऐसा है। मैं कहता हूं चेलेन्ज के साथ कि अगर आपमें हिम्मत है तो मकदमें चलाओ। पर तारीखें बदल बदल कर परेशान करना यह लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं ह।

इतना ही नहीं, आज किस प्रकार से यह

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सरकार और इस सरकार के गुर्गे और इसका शासन तन्त्र और पुलिस जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को पकड़कर उनको फर्जी मुकदमों में फंसा कर परेशान करती है, इसके नमूने जगह जगह देखने में आ रहे हैं। भीलवाड़ा में बदनोर स्थान है वहां जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं ने जुलस निकाला, किसानों का विशाल जुलूस निकाला और आम सभा की। उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता इससे बोखला कर शराब पीकर और कुछ गुंडों को लेकर मीटिंग में घस गये और आम सभा में पत्थरबाजी करने लगे। पुलिस ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं 20-10-69 को जनसंघ के कार्यकर्त्ता श्री जायसवाल की दुकान लूटी 300 आदमियों ने मिलकर। उनकी दुकान में ही जनसंघ का कार्यालय था। उस पर हमला किया। जनसंघ का झण्डा फाड़ दिया। कार्यलय का सामान लूट ले गये। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो बड़ी मुश्किल से रिपोर्ट लिखी। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ आज तक सरकार ने कार्यवाही क्यों नहीं करने दी पुलिस को? इतना ही नहीं वहां के सी० ओ० से मिलकर जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं को परेशान किया जाता है। और इस पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये उस सी० ओ० ने अपने नाम सरकारी भमि अलॉट करवा ली। और इसके एवज में उल्टे जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं पर 107 और 151 के मुकदमें लगाये गये। दफा 107 और 151 के अन्तर्गत 7 जनसंघी कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार कर लिया सिंचाई विभाग की ओर से फर्जी रिपोर्ट करवाते हैं। इस प्रकार से जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं पर अनर्गल मुकदमें चलाते हैं। कई मुकदमे झूठे होने के कारण खारिज हो गये। क्या आपने कभी जांच करवाई कि इनके क्या कारण हैं? किस कारण दफा 107 और 151 में गिरफ्तार किया? जनसंघ का झण्डा फाड़ दिया इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिये कि वे कांग्रेस के हैं। इस तरह राजनैतिक आधार पर पुलिस के अधिकारियों पर दबाव डालकर उनको संरक्षण देना यह लोकतन्त्र के प्रतिकूल है और अगर इसी प्रकार की कार्यवाही चलती रही तो मैं इस सदन के माध्यम से यह चेतावनी देना चाहता हूं, हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं लेकिन आपने अगर सत्ता का दुरुपयोग किया और आपने लाठी चलाई तो हम भी लाठियां चलायेंगे, आपने गोलियां चलाई तो हम भी गोलियां चलायेंगे। आप लोकतन्त्र की हत्या करते हैं तो एक दिन आपको गोली का बदला गोली से भुगतना पड़ेगा और इस पाप का कारण आपकी सरकार होगी। जिस तरह से जनसंघ के कार्यालयों पर हमला करने की साजिश की है उस तरह एक दिन आपके कार्यालयों पर भी हमला हो सकता है। राजस्थान जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमल लोढ़ा ने जिलाधीश डीडवाना को पत्र लिखा, वहां भी हमला किया, वहां का झण्डा फाड़ दिया, सामान लूट ले गये लेकिन जिलाधीश की हिम्मत नहीं, पुलिस की हिम्मत नहीं क्योंकि कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं का हाथ है। इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कितने ही मुकदमें चलायें हम विरोधी लोग इस सरकार को पलटने के लिये अधिक आन्दोलन करेंगे।

एक बात और कह कर, उपाध्यक्ष महोदय समाप्त करूंगा। आज राजस्थान के अंदर ईसाइयों का बहुत षड़यन्त्र चल रहा है,

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उसके नाम पर उनको विदेशों से पैसे मिलते हैं। आज हिन्दू समाज के गरीब तबके, आज हिन्दू समाज के आदिवासी तबके का अशिक्षा और गरीबी के कारण और पैसों के बल पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज अगर कोई वहां स्कूल खोलता है तो स्कूल नहीं खोलने देते हैं, हिन्दू विश्व परिषद अगर वहां कोई मन्दिर खोलने के लिये जाता है तो उनको मन्दिर नहीं खोलने दिया जाता है। जब वे वहां एक धार्मिक मन्दिर की स्थापना करने गये तो जबरन उनको वहां से हटा दिया गया और उन पर हमला कर दिया और करीब चार हजार का उनका सामान लूट कर ले गये। वहां के डीवाई० एस० पी० ने जांच की और 20-25 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। कई धारायें उन पर लगीं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी, आज तीन महीने होने को आये उनका चालान पेश क्यों नहीं हुआ है? केन्द्रीय गृह मंत्री श्री चव्हाण ने लिखा इनके खिलाफ मुकदमा न चलायें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में विश्व हिन्दू परिषद पर हमला किया, वहां के थानेदार ने जांच की और वहां के पादरी पर कई धारायें लगीं तब सरकार के पास केन्द्रीय गृह मंत्रीजी का दबाव आया तो थानेदार का तबादला कर दिया। आज तक भी वह मामला अदालत के सुपुर्द नहीं किया गया।

आज राजनैतिक दबाव के कारण और विदेशियों के दबाव के कारण लोगों की हत्या करने पर उतारू ही रहे हैं और नक्सलवादी चीन और रूस स्वयं बन रहे है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ईसाई धर्म का प्रचार करके आज हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं? इस संबंध में इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा और पूछना चाहूंगा जब आल इंडिया बेसिस पर नागपुर प्लान बना है क्या पंजाब, क्या मध्य प्रदेश और क्या मद्रास सबने प्लान के अंतर्गत सड़कों को चौड़ा किया है लेकिन राजस्थान की सरकार ने नागपुर प्लान को कार्यान्वित नहीं किया। आज जब हम सड़कों के निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण मंत्रीजी कहते हैं मैं क्या करूं पैसा नहीं है, पैसा दिलवायें तो काम किया जाय। हम कहते हैं मुख्य मंत्रीजी से जाकर कहें और जब वे वहां जाते हैं तो कुछ भी न बोलकर उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और जनता के प्रतिनिधियों के सामने कहते हैं "क्या करूं पैसा नहीं है"।

श्री नत्थीसिंह: मुख्य मंत्रीजी ने नौकरी दी है आपने क्या दिया?

श्री देवीदत्त गाड़िया: आज उस सड़क पर कोई चल नहीं सकता है। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से कहना चाहता हूं कोटा से शिवपुरी रोड़ जगह जगह से टूटी हुई है। अन्ता-शीशवाली रोड़ का 62 के बजट में प्रावधान रखा था लेकिन आज तक सड़क नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बनी? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट।

इतना ही नहीं बारां क्षेत्र में कोयला रोड़ का चार मील का टुकड़ा वर्षों से टूटा हुआ है लेकिन आज तक उसका मेन्टीनेन्स नहीं हुआ। शीशवाली रोड़ की कोई व्यवस्था नहीं है। शीशवाली से डाबरी चार मील का टुकड़ा है और कोटा जाने का साधन है उस पर

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मांगरोल से शीशवाली रोड़ है जो कोटा जिले की प्रमुख सड़क है उसकी पूरी उपेक्षा की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं यह राजस्थान की सरकार और टैक्सेशन डिपार्टमेंट पैसेन्जर टैक्स लेता है इस रकम का कितना पर्सेन्ट सड़कों के निर्माण के लिये लगाते हैं ? आपकी हिम्मत नहीं है कि माथुर साहब से पैसा ले सको ......

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी ले लिया है। आपके दल के बहुत से सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, बस अभी खतम कर रहा हूं—कोटा जिले में चम्बल की नहर है उसमें सीपेज के कारण जिले की अधिकांश स्थानों की सड़कें टूट गई हैं और आज यातायात अवरुद्ध हो गया है। पार्वती नदी और काली सिंध नदी पर यातायात एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक बन्द रहता है। मैं पूछना चाहता हूं पुलियाओं की योजना क्यों नहीं बनाते हैं ? आपने उसको चतुर्थ योजना में नहीं लिया। क्या आप चाहते हैं कि यातायात अवरुद्ध रहे ? इसलिये मैं चाहता हूं कटौती प्रस्ताव के अंदर पुलियाओं का जो प्रस्ताव रखा है उस पर आप ध्यान दें। इन नदियों पर पुलियाओं का बनना अत्यन्त आवश्यक है। सड़कें जो टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत होनी चाहिये। चम्बल में आपने करोड़ों रुपया लगाया है तो कम से कम एक दो प्रतिशत तो इन पुलियाओं और सड़कों पर भी लगायें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह चम्बल जिसमें करोड़ों रुपया लगा है उसमें 27 लाख का क्या महत्व है ?

श्री विजयसिंह, श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोरधन सोनी। समय 10 मिनिट।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों विभागों के बारे में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर 5 बजे प्रारम्भ होगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ : कोई काम नहीं हो रहा है, मेरे क्षेत्र में.....

(शोरगुल ; अश्रव्य)

श्री गोरधन सोनी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमको आजादी मिलने के बाद पुलिस में भ्रष्टाचार और अकर्मण्यता बढ़ी है। आज जनता पुलिस के व्यवहार से बहुत दुखी है। आज अराजकता काफी मात्रा में बढ़ गई है। पुलिस गुण्डों और बदमाशों से मिल गई है और सरकार की तरफ से उनको पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। यह इस देश के लिये शर्म है की बात है। आये दिन पुलिस की गुण्डागर्दी के बारे में चर्चा होती रहती है। गृह मंत्रीजी को पुलिस के मामले में बहुत गहरा विचार करना चाहिये। जब तक पुलिस से भ्रष्टाचार नहीं मिटता तब तक देश में अव्यवस्था नहीं मिट सकती है, अराजकता नहीं मिट सकती है। मैं मेड़ता में इन चार पांच सालों में होने वाली चोरियों के बारे में निवेदन करूंगा। आम चुनावों के बाद नागौर में भंवरलाल के यहां चोरी हुई, जैन मन्दिर में चोरी हुई लेकिन यह सरकार एक भी चोरी को नहीं

(श्री गोरधन सोनी)

पकड़ सकी। एक चोरी अवश्य पकड़ी गई है और वह भी वहां की जनता ने चोर को पकड़ा ह। मैं पूछना चाहता हूं यह पुलिस की अकर्मण्यता कैसी है जो चोरी को नहीं पकड़ सके और जनता का एक आदमी चोरी को पकड़ ले। आपको ऐ ा नियम बना देना चाहिये कि जो अपराध होते हैं, चोरियां होती हैं और जो थानेदार 50 प्रतिशत अपराधों को नहीं पकड़ सकता, चोरियों को नहीं पकड़ सकता उसकी उम्र भर की तरक्की रोक दी जानी चाहिए। ऐसा नियम आपको बनाना चाहिए। जब तक हम ऐसा उपाय नहीं करेंगे तब तक यह अपराधवृत्ति नहीं मिट सकती क्योंकि अपराधियों को पुलिस द्वारा प्रोत्साहन मिलता रहता है।

इसके अलावा मैं पुलिस के कारनामों की और चर्चा करूंगा। डेगाना में एक मैसर्स रामकिशन गंगाकिशन है। उसके यहां पर रात को 8 बजे सेल्स टैक्स वाले गये और उनके खिलाफ सी० टी० ओ० ने केस दर्ज कराया वहां के थानेदार से मिलकर जो कि बिल्कुल झूंठा है। दो तीन आदमी जो वहां पर मौजूद नहीं थे उनके साथ मारपीट करने का केस दर्ज कराया और उस मामले की बिना तफतीश किये ही एक्शन ले लिया। यह जो केस दर्ज कराया गया है यह कहां तक सही है और कहां तक गलत है-इसका तो आप पता लगायें लेकिन सी० टी० ओ० और थानेदार ने मिलकर सोचा कि इस पार्टी से रुपया लेना है तो इस आधार पर उसका केस दर्ज कराया गया और उनको जेल भेज दिया गया। साथ में तीन औरतों के ऊपर भी झूटा मुकदमा लगाया और 1200 रुपये रिश्वत देकर वह औरतें बचीं।

इसके साथ म, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि अभी अभी जनसंघ के अध्यक्ष श्री गुमानमलजी लोढ़ा अपना अनशन समाप्त करके जोधपुर जा रहे थे। रास्ते में डेगाना में रेल में जो झण्डे लगा रखे थे उनमें से एक झण्डा उनका उतार लिया गया और उसको डेगाना में सरे बाजार जला दिया गया और यह कहा गया कि हमनें जनसंघ को जला दिया है। वह गुन्डों के सबके सामने जलाया और अत्याचार किया। इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई लेकिन आज तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

मैं डेगाना तहसील के बारे में कहना चाहूंगा। वहां के एक सरपंच के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप थे और उसके खिलाफ केसेज दर्ज कराये गये और जब उसके बारे में जांच नहीं हुई तो पंचों ने मिलकर उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखा और वह अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन उस सरपंच ने चार्ज नहीं दिया क्योंकि उसके खिलाफ कई घोटाले थे। वहां का रेकार्ड जला दिया गया। उसकी इत्तिला पुलिस को दे दी गई और केस दर्ज करा दिया गया लेकिन उसके अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेड़ता का भी जिक्र करना चाहूंगा। वहां उनियास के एक सरपंच हैं उन्होंने रिश्वत ली और उनको रंगे हाथों पकड़ा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज चार साल हो गये हैं, लेकिन आज तक उस सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस तरह से निरन्तर तरह तरह के अत्याचार पुलिस द्वारा जनता पर होते हैं।

(श्री गोरधन सोनी)

इसके सिवाय में गृह मंत्रीजी का ध्यान पाबू थाने की तरफ दिलाऊंगा। वहां पर जितने भी थानेदार जाते हैं वह अत्याचार करते हैं। बीच में गत साल गृह मंत्रीजी को मालूम होगा कि उस थानेदार ने कितने अत्याचार किये। वहां पर जैपाराम नाम के एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की मूछें उखाड़ीं। उसकी शिकायत की गयी लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। यह जरूर हुआ कि जैपाराम की मूछें चली गयीं। वहां पर एस० पी० भी गया और सब कुछ हुआ लेकिन उस थानेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस बेचारे की मूछें उखड़ गयीं और कोई सुनवाई नहीं हुई।

इसी तरह से एक धामड़े की गरीब ब्राह्मणी है जिसका खेत पिछली साल जबर्दस्ती काट कर ले गये और वही इस साल भी हुआ। इसके बारे में शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दिल में भी लगन होगी कि इस तरह के अत्याचार मिटने चाहिएं। और अगर यह नहीं मिटते हैं तो राज्य की जनता दुखी होगी। अगर जनता दुखी होती है तो इस सरकार के होने का फिर क्या मतलब है और क्या महत्व है? तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से कहूंगा कि आपके पास जितने भी विधायक आते हैं और आपको कोई बात कहते हैं, आपके पास शिकायत आती है तो उनके बारे में जांच करके जो भी अधिकारी गलत काम करे, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करे और अन्याय करे तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठायें तभी देश में स्वराज्य आ सकता है। अगर हम सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो पुलिस को और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 63 में गुड़ घोटाला काण्ड के तहत नागौर में 14 व्यापारियों की बहियां भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने कब्जे में ले लीं लेकिन तीन वर्ष के बाद भी अब तक उनकी बहियां नहीं लौटाई गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, व्यापारियों को बहियों से रोज काम पड़ता है लेकिन तीन-तीन वर्ष तक उनकी बहियां रोक लीं और वापिस नहीं दी गयीं। हां, उनका अपराध है या उन्होंने कोई कसूर किया है तो उसकी आप उनको सजा दीजिए लेकिन यह उनके साथ सरासर अन्याय है कि तीन-तीन साल तक बहियां रोक ली जायें और नहीं दी जायें। मैं इतना ही इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुलिस के अत्याचार चल रहे हैं अगर आप सतर्क नहीं रहे और देश की जनता को सहूलियत नहीं मिली तो इसका नतीजा बड़ा खराब होगा। मैं चाहूंगा कि क्योंकि देश में पुलिस का नाम इतना बदनाम हो गया है इसलिए इसका नाम ही बदल दिया जाना चाहिए। या तो इसका 'सेवा-भावी' कर दिया जाय या फिर 'सेवक' कर दिया जाये तो अच्छा है....

श्री नत्थीसिंह : वह थाने में लिखा है : "मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं"।

श्री गोरधन सोनी : यह पुलिस नाम बहुत बदनाम हो चुका है। शायद नाम बदल दिया जाने से कुछ उसमें सुधार आ सकता है।

इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़कों के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। हमारे नागौर जिले में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। मेड़ता तहसील में आजादी के 22 वर्षों के बाद भी हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस

(श्री गोरधन सोनी)

का शासन रहा और उस कांग्रेस के शासन में 14 मील डामर रोड़ बनी और बाकी की सारी कच्ची सड़कें हैं। मेड़ता क्षेत्र में आलनियास नदी है उसके ऊपर पुल बनाने के लिये मैंने कहा है। वहां पर ट्रक और कार को पास होने में दिक्कत है। वह मेन रोड है और अजमेर, नसीराबाद और मेड़ता को कोटा से जोड़ती है। इस तरह से मेन रोड़ होते हुए भी वहां पर नदी पर पुल नहीं बनवाया जा रहा है और उसकी हालत बहुत खराब पड़ी हुई है। इसी तरह से मेड़ता-जैतारण सड़क है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, नागौर मेड़ता डिस्ट्रिक्ट का हैडक्वार्टर है और मेड़ता से नागौर तक सड़क नहीं है। मेड़ता से पुष्कर तक स क नहीं है। तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आप इतना पैसा यात्री कर का लेते हैं, सेल्स टैक्स का पैसा वसूल करते हैं, रोड टैक्स वसूल करते हैं। इतना पैसा वसूल करके आप वहां पर पैसा नहीं लगाते तो यह अन्याय कैसे बर्दाश्त किया जायेगा ? इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी कहते हैं कि पैसा नहीं है। आपकी सरकार है आप पैसे का इन्तजाम करो। आप इतना रोड टैक्स लेते हैं तो कम से कम पचास प्रतिशत तो सड़कों पर खर्च कर दो। अगर आप इतना भी खर्च कर देते हैं तो लोगों को सहूलियत मिलेगी और सुविधा मिलेगी और जो नुकसान आये दिन ट्रक वालों का, बस वालों का होता है और यात्रियों को परेशानी होती है वह भी सारी मिट जाये। तो मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को पैसे की दिक्कत है तो उनको नियम बनवा लेना चाहिए कि जो रोड टैक्स वसूल करते हैं और सेल्स टैक्स का वसूल करते हैं, ट्रक और बसों से पैसा वसूल होता है उस सबका कम से कम 50 प्रतिशत तो उस एरिया में निर्माण कार्यों में लगाया जाये ताकि लोगों को यातायात की सहूलियत मिल सके। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेड़ता तहसील में मेड़ता-नागौर, मेड़ता-पीपाड़ और मेड़ता-पुष्कर सड़क हैं इन पर बसेस चलती हैं और आज इनमें से एक सड़क भी डामर रोड़ नहीं है तो इनको डामर रोड़ बनवाया जाये इसके अलावा नदी के ऊपर जल्दी से जल्दी पुल बनवायें और पुल नहीं तो रपट बनवायें। 62 के बजट में, उपाध्यक्ष महोदय, नागौर से पुष्कर वाया मेड़ता और अजमेर रोड का एस्टीमेट किया गया था। 14 माइल तक तो सड़क बन गई लेकिन जगह जगह रपटें छोड़ दी गईं और 62 से 70 आ गया और इतने सालों में पानी निकालने के लिए जो जगहें छोड़ दी गई थीं वे नहीं बन पाई हैं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी सड़कें बनें वे पूरी बनें और रपटें नहीं बनें। अभी लोगों को नुकसान होता है वह बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल !

श्री विजयसिंह : न तो हम बजट के भाषण पर बोल सके और न....

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा।

श्री कल्याणमल : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस दल के काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए

(श्री उपाध्यक्ष)

इस दल के हर एक सदस्य को 5 मिनिट से अधिक समय नहीं मिल सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : खास बातें तो कांग्रेस वाले ही कहते हैं। आप तो (विपक्ष से) केवल गालियां देते हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसीलिए तो कहना चाहता हूं कि सत्तारूढ दल तो ज्यादातर तो पी० डब्ल्यू० डी० की जो मांग है सड़क वगैरह के बारे में उसके लिए कहना चाहते हैं लेकिन पुलिस के बारे में तो उनको (विपक्ष को) ज्यादा समय चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम पुलिस के सताए हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सड़कों के लिए तो आप 5-5 मिनिट में कह सकते हैं। कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यदि सही बात पूछी जाय तो पुलिस विभाग को करेप्ट करने और उसमें भ्रष्टाचार फैलाने के लिए कांग्रेस दल ज्यादा जिम्मेदार है।

श्री मूलचन्द डागा : सबसे ज्यादा आप लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आपका तो डाइरेक्ट कमीशन इसमें चलता है।

श्री मूलचन्द डागा : गालियां देकर बाहर चले जाते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप और समय ले रहे हैं।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर-सु०) : उपाध्यक्षजी, पहले मैं पुलिस के संबंध में कहना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में राजस्थान की पुलिस के संबंध में जो चर्चा चल रही है और माननीय सदस्यों ने इस तरह के अपने विचार रखे हैं कि पुलिस की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और राजस्थान की पुलिस में एक तरह से कमियां मानकर चल रहे हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर....

श्री उपाध्यक्ष (कुछ माननीय सदस्यों के बातें करने पर) : बैठे बैठे बातें न करें, माननीय सदस्य।

श्री कल्याणमल : राजस्थान की पुलिस है वह जागरुक है और राजस्थान की पुलिस ने अच्छा काम किया है, और जो अच्छा काम करना चाहते हैं उनकी सराहना करना तो जरूरी होता ही है। हो सकता है कि कोई ऐसी कमियां भी हो जाती हैं तो उन कमियों के लिए माननीय सदस्य सुझाव दें तो ज्यादा अच्छा रहे। यह नहीं करते बल्कि पुलिस को लेकर राजनैतिक स्टन्ट बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस देश की सुरक्षा के लिए है, देश के अनुशासन के लिए है।

मैंने इस रिपोर्ट को देखा है और हमारे विचार से कई डाकुओं को पुलिस ने मारा है। एक जमाना यह भी था कि काश्तकार अपनी खेती के सामान अपने खेत और कुओं पर नहीं रख सकते थे। आज पुलिस के कन्ट्रोल से, पुलिस के सराहनीय काम की वजह से सारा सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहता है और उसको आज कोई उठाने वाला नहीं मिलता है....

श्री विजयसिंह : आप गलती से मत छोड़ देना कहीं।

श्री कल्याणमल : हमारे यहां खुले पड़े रहते हैं और कोई लेने वाला नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वहां है ही क्या ?

श्री कल्याणमल : पहले कई जगह रास्ते में लूट लिए जाते थे और अकेला आदमी या औरत कहीं नहीं जाते थे देहातों में। आज खुले आम औरतें और आदमी अकेले जाते हैं। यह पुलिस की वजह है। इस तरह से पुलिस ने कन्ट्रोल किया है कि आज यह स्थिति आई है।

मैं यह नहीं कहता कि कोई आदमी गलती नहीं करता है। हो सकता है कि गलतियां भी करते हों। कई आदमी ऐसे भी हो सकते हैं। पर ज्यादातर अगर देखा जाय तो राजस्थान की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाये हैं। इसके लिए मैं तो राजस्थान की पुलिस को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता।

श्री विजयसिंह : गृह मंत्री को दो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (श्री मूलचन्द डागा से): आप कांप क्यों रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : विजयसिंहजी कांप रहे हैं।

श्री कल्याणमल : 84 कारें, मोटर जीपें, स्कूटर और मोटर साइकिलों की जो चोरी हुई है उनमें से राजस्थान पुलिस ने 70 मोटर कारें और स्कूटर वगैरह बरामद किये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : Very Good.

श्री कल्याणमल : यह भी एक बड़ा सराहनीय कदम है। यह कह देना गलत है कि राजस्थान की पुलिस निकम्मी है और राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं करती है। अगर यह नहीं करती राजस्थान की पुलिस तो इतनी मोटर कारें और स्कूटर बरामद करना आसान बात नहीं थी।

श्री नत्थीसिंह : यह किताब में लिखा है क्या ?

श्री कल्याणमल : किताब में नहीं है लेकिन मैं मेरी जानकारी के आधार पर कहता हूं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पुलिस को पॉलिटिक्स का स्टन्ट नहीं बनाना चाहिए। अगर कोई बुराई है तो वे कहें। वह बुरी बात नहीं है लेकिन जितने अच्छे काम किये हैं उन कामों की सराहना करना भी जरूरी है।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण के संबंध में अर्ज करूंगा। वैसे चौथी पंचवर्षीय योजना में पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुकाबले में बहुत कम धन रखा है जबकि देहातों में सड़कें बनाने का टाइम तो अब आया है। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करूंगा कि इसमें अधिक धन रखा जाय और देहातों में सड़कें बनाई जायं और उन सड़कों को जिलों और तहसीलों के हैडक्वार्टर्स से जोड़ने की कोशिश करें। आज तक जो पी० डब्ल्यू० डी० का जो काम है वह बहुत ही सराहनीय है।

श्री नत्थीसिंह : हां तभी तो करते हैं।

श्री कल्याणमल : पी० डब्ल्यू० डी० के पास इतना कम धन होते हुए भी इतनी सड़कें

(श्री कल्याणमल)

बनाई हैं, वह भी बहुत ही सराहनीय है। इतना ज्यादा काम करने के बाद भी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ होने के नाते उसमें सड़कों के लिए ज्यादा धन रखा जाय।

अब मैं मेरे क्षेत्र में जो काम अधूरे रहे हैं उनकी ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा। जहाजपुर से शंकरगढ़ तक चौदह मील की रोड़ है...

श्री नत्थीसिंह : नवाब साहब ने नोट कर लिया है। यह हो जायगी।

श्री कल्याणमल : यह रोड़ जहाजपुर को देवली से, कोटा से जोड़ती है और अकाल राहत कार्य के अन्दर यह रोड़ काफी बन चुकी है, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस रोड़ को पूरा करवाने का भी ध्यान रखा जायं।

श्री विजयसिंह : सब हो जायगा, सब हो जायगा।

श्री कल्याणमल : मैं अधिक न बोलते हुए....

श्री मनोहरसिंह मेहता : जहाजपुर की।

श्री कल्याणमल : वह कह दी। इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री बनवारीलाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कांग्रेस वाले ज्यादा हैं और उनकी विरोध पक्ष संख्या कम है इसलिए ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि सब बोल लें।

श्री नत्थीसिंह : ज्यादा हो इसलिए ही राज्य कर रहे हो। हम अपनी बात कहें इसलिए हमें ज्यादा समय मिलना चाहिए

श्री रामकिशन : ज्यादा तो भीड़ होती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तीन साल हो गये 1967 से हम यह सुनते आये हैं—मेरे एरिया में सड़क टूटी पड़ी हुई है। मेरे यहां यह कर दो। मेरे यहां वह कर दो। मेरे यहां यह हो गया। मेरे यहां वह हो गया। हम यहां रोने के लिए नहीं आते हैं। हिम्मत रखिये और हिम्मत करके मंत्रियों से कहिये कि इस क्षेत्र में इस प्रकार का काम करना है। इस प्रकार चापलूसी करने से काम नहीं चलेगा।

गृह मंत्री और सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय ने हालांकि कई जगह घूम फिर कर चक्कर लगाये होंगे लेकिन मैं राजस्थान के कौने कौने म इनको घुमा कर इस विधान सभा में कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा।

मैं आप दोनों गणमान्य मंत्रियों को जयपुर की सड़कों पर घुमाता हुआ ले चलता हूं। आपको याद होगा कि राजकीय प्रवास भवन के सामने एक बगीचा बनाया हुआ है, उसके पास में आपने सर्किल बनाने की कोशिश की है या स्क्वायर बनाने की कोशिश की है—यह पता नहीं है लेकिन कुछ बनाने का प्रयत्न जरूर किया है लेकिन इसके कारण ही वहां पर आये दिन एक्सिडेंट होते हैं, कभी मोटर और साइकिल का, कभी तांगे और मोटर

(श्री विजयसिंह)

का, कभी रिक्शा और साइकिल का वहां ऐक्सिडेंट होता रहता है। यह आपकी क्या व्यवस्था है ? क्या नमूना आपने वहां खड़ा किया है ? क्या बनाया है आपने ? यह समझ में नहीं आता है। यह सीधी सी बात थी लेकिन आपने क्या बना दिया ? मैं एक बात समझता हूं कि पैसों की गफलत करने के लिए और छोटा-मोटा काम बनाने के लिए यह किया गया है। आज जयपुर में इस कारण स्थान स्थान पर दिक्कत आती हैं। जयपुर के अन्दर जो पुलिस के ट्रैफिक आइलैण्ड हैं वह टूटे हुए नजर आते हैं, कभी उनको आप बनाते हैं। इस प्रकार कभी कुछ बना रहे हैं और कभी कुछ बना रहे हैं। इससे क्या होता है, दिक्कतें होती हैं। मैं समझता हूं कि आपका प्लान होना चाहिए और उस प्लान को सही ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और वह प्लान भी आप सोच-विचार करके बनाइये। लेकिन आज जो प्लान हैं उनको देखते हैं तो पता लगता है जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो इंजीनियर हैं उनकी अक्ल का दिवाला निकला हुआ है, उन्होंने अपनी अक्ल बेच खाई है और वह बिना अक्ल के काम करते हैं, इसलिए पैसा व्यर्थ बरबाद होता है। जयपुर से बाहर निकल कर आप नेशनल हाईवे को देखिये। आपके नेशनल हाईवे की क्या कन्डीशन है। मैं आबू पर्वत से गुजरात गया हूं, अहमदाबाद गया हूं, वहां का जो नेशनल हाईवे है और जो वहां की सड़कें हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे गुजरात में कांग्रेस का राज्य हो, चाहे सिण्डीकेट का राज्य हो, मैं कहना चाहता हूं कि वहां की सड़कें आपके नेशनल हाईवे से लाख गुना बेहतर हैं। जितनी चौड़ी वे सड़कें है उतनी ही बेहतर हैं। आपके नेशनल हाईवे बीच बीच में कई जगह टूटे हुए हैं और जो नेशनल हाईवे अजमेर से जयपुर है, उस पर आये दिन एक्सिडेंट्स होते हैं। उनके लिए आपने क्या सोचा है। यहां केवल स्टेटमेंट दे देने से कि यह कर देंगे, वह कर देंगे—काम नहीं चलने वाला है, इन सड़कों को ध्यान से देखने के लिए आप एक्सपर्ट इंजीनियर्स को भेजिये और जो ठेकेदार काम में गफलत करते हैं उनके ऊपर रोलर चलवा दीजिये। यह कोई मजाक नहीं है। इस तरह से राजस्थान का पैसा व्यर्थ में बरबाद नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि जो इंजीनियर बदमाशी करें, जिन इंजीनियर्स ने घर बनवाये हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए....

श्री नत्थीसिंह : रोलर के बजाय ठाकुर भैंसवाड़ा को फिरवा दीजिए।

श्री विजयसिंह : किशनगढ़ से जब अजमेर जाते हैं तो कुछ दूर पर एक रेल्वे फाटक है। वह फाटक हर घण्टे के बाद में पन्द्रह मिनिट बन्द हो जाता है, आधे घण्टे बन्द हो जाता है। यह क्या मजाक है ? यह क्या व्यवस्था है। अगर कोई बीमार आदमी है, उसको अस्पताल जाना है तो इस फाटक के बन्द होने के कारण आधे घण्टे तो वहां पड़ा पड़ा वह वहीं मर जायगा। मेरा निवेदन है कि या तो उस फाटक के ऊपर पुलिया बन जाय या फिर रेल की लाइन अण्डर ग्राउन्ड बन जाय। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि हर घण्टे के बाद पन्द्रह मिनिट तक फाटक बन्द होने के कारण बस आदि के ठहरे रहने की व्यवस्था राजस्थान सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। जब आप किशनगढ़ के आगे पधारेंगे तो आप देखेंगे कि सड़क की क्या कन्डीशन है। जगह जगह खड्डे

(श्री विजयसिंह)

पड़े हुए हैं और साथ ही सड़क के लेवलिंग का तरीका है वह भी खराब तरीका है। मैंने उस सड़क पर देखा है कि वैसे तो राजस्थान में कई जगह रोलर नहीं मिलते हैं लेकिन दूसरी ओर वहां पर छः छः महीने तक रोलर पड़े रहते हैं और कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता है। उन रोलर के जो ड्राइवर है उनको आप स्पेशल हिदायत दे दीजिये कि वह शराब पी कर रोलर को नहीं चलायें। क्योंकि वह ठेकेदार को तंग करते हैं। अगर उनको शराब की बोतल मिल जाती है तो रोलर चलाते हैं और अगर नहीं मिलती है तो नहीं चलाते हैं। यह क्या ढांचा है? यह आपकी क्या व्यवस्था है? आप मंत्री है। आप क्या करते हैं? आप मजा करते हैं। आपको यह सारी व्यवस्था देखनी चाहिए। एक रूपनगढ़....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : रोलर का काम ठाकुर मैंसवाड़ा से लिया जा सकता है।

श्री विजयसिंह : जहां जहां यह पहुंचे, जहां जहां यह गये वहां सड़क ही टूट गई। इनकी वजह से ही सड़कें टूटती जा रही हैं।

रूपनगढ़ के पास में पुलिया बन रही है; वह छोटी सी पुलिया है लेकिन खड्डा खोद कर चले गये....

श्री माधोसिंह (उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण) : कितना लम्बा है, कितना गहरा है।

श्री विजयसिंह : आप चिन्ता मत कीजिये इस बात की।

वह पुलिया है उसको देखते हुए मुझको दो साल हो गये लेकिन वैसी की वैसी है। यह क्या प्रगति है आपकी? यह कोई प्रगति नहीं है, तो फिर आप करते क्या हैं? केवल काश्मीर पधारते हैं, गुलमार्ग की हवा खाते हैं। कभी साउथ इंडिया में चले जाते हैं ....

श्री माधोसिंह : कब गया?

श्री विजयसिंह : इस प्रकार काम नहीं हो सकता है। आपको राजस्थान की जनता से प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधियां हों—वह काम करता है। इसलिए आपको भी उसकी सुविधाओं को देखना है। लेकिन आपकी व्यवस्था कैसी है? इसको भी आपने कभी देखा है?

आजादी को मिले 22 साल हो गये लेकिन मकराना के एरिया में केवल तीन मील लम्बी सड़क बनाई है। इससे ज्यादा लज्जा की बात क्या हो सकती है? आपको डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसे एरिया के अन्दर केवल तीन मील सड़क बनाना आपके लिए शोभा की बात नहीं है जिस एरिया के पत्थर के कारण ताजमहल को दुनिया जानती है। और ताजमहल के कारण दुनियां हिन्दुस्तान को जानती है। यह मकराना की बदौलत ही है, यह मकराना के पत्थर की बदौलत ही है। मकराना का एक गांव है एक कस्बा है वह सारे राजस्थान की सड़क को बना सकता है, मारबल की सड़क बना सकता है.....

श्री माधोसिंह : धन्यवाद है।

श्री विजयसिंह : आपको चाहिये कि आप मकराना से लेकर डीडवाना तक ही सड़क बनायें। मैंने इस संबंध में एक प्रश्न किया था, मकराना से डीडवाना तक की सड़क

(श्री विजयसिंह)

के बारे में, आप कहते है कि मकराना से डीडवाना की सड़क बनी हुई है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ताजमहल ही क्यों विधान सभा भी मकराना के पत्थर से रोशन है ।

श्री विजयसिंह : यह आपको मालूम है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको काफी लम्बा सफर तय करना है, सारे राजस्थान की बात को कैसे कह पायेंगे ऐसे ?

श्री विजयसिंह : मैं ऐसे भी काफी तेज चलता हूं ।

मंत्री महोदय कहते हैं कि डीडवाना की सड़क बनी हुई है, लेकिन उससे दस मील का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । इसलिये मैं कहता हूं Every road reaches Makrana that does not mean that you can cover Deedwana.

कई माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये ।

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दी बोलते बोलते अंग्रेजी में आ गये ?

श्री विजयसिंह : मैं सब भाषायें जानता हूं, आप बेकार की बात मत कीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मकराना से बोरावड़ सड़क बनी हुई है, उसको बने हुए दस वर्ष हो गये उस पर मिट्टी डालते हुए । मैं सबसे बड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि इतने खर्च में तो दस मील सड़क बन जाती । मकराना एक औद्योगिक नगर है और मकराना से बोरावड़ की सड़क है, उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ नहीं किया । अगर आप कुछ नहीं करने वाले हैं तो आपके भाषण सुनकर हमें संतोष नहीं होगा । या तो आप इसको पूरा करें और अगर नहीं करते हैं तो हम आपके रोलर को रोक देंगे, आपकी गाड़ियों को रोक देंगे, आपकी कारों को रोक देंगे......

श्री मूलचन्द डागा : यह हिंसा की धमकी बता रहे हैं ।

श्री विजयसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे पी० डब्ल्यू० डी० हो और चाहे पुलिस—दोनों के बारे में एक धारणा पाई जाती है कि इन दोनों में से कोई कम नहीं है । पुलिस का यह हाल है कि मकराना में पच्चीस हजार की आबादी है, वहां पर पुलिस का थाना होना चाहिये, लेकिन थाना तो दूर रहा वहां पर पुलिस चौकी है, वह सैंकड़ों वर्षों से पुलिस चौकी कायम है लेकिन उससे शांति और व्यवस्था कायम नहीं होती है । दूसरी जो जगह है, जैसे नागौर जिले के अन्दर हर कस्बे के अन्दर पुलिस एक्ट लागू है, लेकिन मकराना में पुलिस एक्ट लागू नहीं है । यहां क्यों नहीं है ? क्योंकि एक रोड़ा है, एक बड़ा भारी कांटा है वह है मथुरादास माथुर । वह नहीं चाहते । वह क्यों नहीं चाहते यह मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहते ? सवाल यह है कि पुलिस एक्ट मकराना में लागू होना अनिवार्य है, वहां पर पच्चीस हजार की आबादी है और वहां पर लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिये हर तरह की सावधानी बरतनी चाहिए । मैं आपको इसका एक उदाहरण दूं । वहां की रजिया नाम की एक लड़की है जिसको मकराना से राजगढ़, अलवर के लक्ष्मणगढ़ थानेदार उड़ा कर ले गया । उसको उसने अपने पास रखा और उस थानेदार ने उससे

(श्री विजयसिंह)

वेश्यावृति कराई। इसके लिए हमने आई० जी० को कहा और अलवर के एस०पी० को उन्होंने दो बार लिखा और उसने राजगढ़ के डी० एस० पी० को लिखा। लेकिन इस प्रकार उस थानेदार तक बात पहुंच जाती है और कुछ नहीं हो पाता है। मैंने बार-बार उच्च अधिकारियों को कहा है लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस थानेदार का काफी इन्फ्लूएन्स है। इस इन्फ्लूएन्स से ही उसने अलवर में जाकर उस लड़की को बालिग बना दिया, बालिग होने का सर्टिफिकेट बनवा दिया। और अभी मकराना में उस लड़की का पत्र आया, जिससे मालूम हुआ कि उसके बच्चा होने वाला है। वह नाबालिग लड़की, और उसकी शादी नहीं हुई तो उसके बच्चा कैसे होने वाला है। हम कहते हैं कि उस लक्ष्मणगढ़ के थानेदार को सस्पैन्ड करते। लेकिन उसको सस्पैन्ड करने की तो क्या बात उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। वह कहता है कि राज्य में जो उप-मंत्री हैं समरथलालजी, उनकी उसके ऊपर असीम कृपा है। क्या समरथलालजी को भी अपने कारनामों में हिस्सा देता है या साठगांठ है, या पार्टियां होती है? इसलिए मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातें चलने वाली नहीं हैं मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उदारदिल हैं, हर व्यक्ति को सुनते ह, आपको इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उस नाबालिग लड़की को महिला सदन में महीने भर रखकर सारी बातों का पता चलाना चाहिए और ऐसे निकम्मे थानेदार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पुलिस लोगों पर गोलियां चलाती है, उस पर बैरी कमीशन बैठा, उसके बाद भी क्या हुआ? आपने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया और पुलिस के अधिकारियों की उन्नति हुई उससे इनका साहस बढ़ता है और कहीं गोली, कहीं लाठी चलाते हैं। गंगानगर में आतंक फैला दिया। मैं खुद वहां जाकर देख कर आया हूं कि किस तरह का आतंक जनता पर छा गया था। इस प्रकार आपका काम नहीं चलेगा।

अब मैं आपको राजस्थान में घुमाकर वापिस जयपुर में ले आता हूं। जयपुर के अन्दर ज्यादातर यह देखा है कि ट्रैफिक के सिपाही चैक कर सकते हैं। पर थानों के सिपाही भी जगह-जगह पर लगे हुए हैं, ट्रकों को, मोटरों को, बसों को, रिक्शा वगैरह को पकड़ो और पैसा कमाओ—आज यहां इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। इसलिए आपको सक्रिय होना चाहिए और जितने पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक के अलावा इस तरह का कार्य करते हैं, उनको बन्द करना चाहिए। कार्यकुशलता के लिए अगर करें तो कोई बात नहीं पर पैसों के लिए करते हैं। अगर कार्यकुशलता बतानी है तो इनको चोरियां पकड़नी चाहिए। चोरियां तो पकड़ते नहीं हैं। आपको इस प्रकार का नियम बना देना चाहिए कि किसी भी थाने के इलाके में कोई चोरी होती है तो उसके लिए एक अवधि मुकर्रर कर देनी चाहिए कि इतने समय के अन्दर अगर चोरी बरामद नहीं हुई तो उसको जिम्मेदार ठहराया जायगा। आप थानेदार को उसके हल्के में हुई चोरियों के लिए जिम्मेदार ठहरा दीजिये और एक नियत अवधि में वह अगर चोरी को बरामद नहीं करता है तो उससे वसूली करिये। फिर देखिये कि आपका प्रशासन सुधरता है या नहीं। बस मैं यही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

Page No 169

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द !

(अनेक माननीय सदस्य फिर भी बोलने के लिए खड़े रहे)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं उसे सुन लीजिये । मैं उसी क्रम में नाम पुकार रहा हूं जो मुख्य सचेतक ने दिये हैं । बहुत से माननीय सदस्य पिछली पंक्ति में बैठने वाले हैं, उनको भी पांच पांच मिनिट का समय दिया जायगा ।

श्री बनवारीलाल : आपका नाम पहले पुकारा गया था, पर आप उपस्थित नहीं थे । अब आपको बाद में समय दिया जायगा ।

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, जो हमेशा बोलते हैं, उनको टाइम दिया जाता है........

श्री उपाध्यक्ष : आपको समय दिया जायगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सड़कों के बारे में और पुलिस के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : आप पांच मिनिट में अपना भाषण समाप्त करेंगे ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उनके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं । पहले मैं सड़कों के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगा । बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले सीमावर्ती जिले हैं और इनका सामरिक महत्व है । इन जिलों की सड़कों का भी सामरिक दृष्टि से बड़ा भारी महत्व है । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के युद्ध से पहले, इन जिलों में बहुत कम सड़कें थीं । बाड़मेर जिले में प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर पर 2.80 किलोमीटर सड़कें थीं, जैसलमेर में प्रत्येक 100 वर्ग किलोमीटर पर 2.20 किलोमीटर सड़कें थीं और बीकानेर में 3.83 किलोमीटर सड़कें थीं । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो हमें इन सड़कों की कमी के कारण बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी और राजस्थान में हमारे युद्ध की स्थिति कमजोर रही । उसके बाद प्रोजेक्ट रोड्स बनाने का कार्य शुरू हुआ और ये सड़कें बनने लगीं । सन् 67 में 13 रोड्स सेंक्शन हुईं, उनमें से सिर्फ 5 रोड्स इस साल सेंक्शन होने जा रही हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तेरह की तेरह ही रोड्स सेंक्शन होनी चाहिएं और राजस्थान सरकार को सेंटर पर इसके लिये जोर देना चाहिए । मैं अब भी यह कहना चाहता हूं कि जो सामरिक महत्व की सड़कें हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और इन रोड्स को नहीं बनाया गया तो हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है । मैंने जिन रोड्स के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

जोधपुर से बाड़मेर तक डिफेन्स रोड बनानी चाहिए, क्योंकि यह बड़े सामरिक महत्व की सड़क है । बाड़मेर पहुंचना हो तो जोधपुर से बाड़मेर तक डिफेन्स रोड नहीं है, और उसकी हालत भी अच्छी नहीं है । इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जोधपुर से पचपदरा, पचपदरा से बागूंडी बागूंड से बायतू और बायतू से बाड़मेर सड़क बनाई जाय । इस रोड़ के बनाने से जो रोड़ अभी बनी हुई है, उससे 14 मील का फासला कम होता है । फमिन में यह सड़क अभी बन रही है पर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रगति बहुत कमजोर है। इसकी वजह यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० इसमें इन्ट्रेस्ट नहीं ले रहा है और यह कोशिश कर रहा है कि यहां से रोलर शिफ्ट करके इन कार्यों को बन्द कर दिया जाय। इसलिए मैं पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां से रोलर नहीं हटाये जायें और फैमिन में जो रोड्स बन रही हैं उनको पूरा करना चाहिए, क्योंकि इस रोड़ का सामरिक दृष्टि से बड़ा भारी महत्व है।

जो रोड़ फैमिन में स्वीकृत है बाड़मेर में बेसाला से हरसाणी की सड़क वह भी बहुत सामरिक महत्व की सड़क है। इसको फैमिन में लिया है पर उस पर भी काम नहीं चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड़ को सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सड़क समझकर इसे डिफेन्स रोड़ में लिया जाय।

तीसरी सामरिक महत्व की सड़क है— जोधपुर से सिणदरी, सिणदरी से गुड़ा और गुड़ा से गांदव और गांदव से सांचोर और सांचोर से गुजरात प्रान्त। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। जोधपुर से बाड़मेर होती हुई सांचोर सड़क है, इसमें 60-65 मील अधिक कवर करना पड़ता है और इस तरह से इतने अधिक माइल्स कवर करना सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। जोधपुर से गुजरात जाना हो तो अहमदाबाद होकर जा सकते हैं, इसके लिए यह सड़क सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर से सिणदरी, गुड़ा-गांदव, सांचोर और फिर गुजरात इस सड़क से जाया जा सकता है।

चौथी महत्वपूर्ण रोड़ चौहटन से बाखासर है। इसकी प्रगति बहुत धीमी है। यह रोड़ सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको किसी तरह से पूर्ण करवायें क्योंकि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, पहले इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए नतीजा भुगतना पड़ा। अगर फिर भी हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमें हानि उठानी पड़ सकती है।

आज जो अकाल राहत में सड़कें बन रही हैं, उनमें बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रामसर से चौहटन की सड़क के बारे में मैंने पहले निवेदन किया था, उस मामले को एन्टी करप्शन को भेज दिया है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एन्टी करप्शन में इस केस में कोई गति नहीं आई है। रामसर-चौहटन रोड़ में बड़ा भारी घोटाला हुआ है, 25 मील की रोड़ में 25 लाख रुपया खर्च हुआ है। इसकी जांच करवाई जाय और जिन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा दी जाय। इस प्रकार की आप विशेष व्यवस्था करें।

ग्रेवल रोड्स की आज यह हालत है कि अर्थ वर्क हो गया है, ग्रेवल का कलेक्शन हो गया है पर ग्रेवल रोड्स नहीं बन रही हैं। इस कार्य को पूरा कराया जाना चाहिये। ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य कॉन्ट्रेक्टर्स ने किया है, उनका छः छः महीनों से लाखों रुपया बाकी है, वह उन्हें चुकाना चाहिए।

(5 म० प०)

मैंने बार बार जिक्र किया है कि पी० डब्ल्यू० डी०...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है । आपका भाषण समाप्त हुआ ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : थोड़ा सा और ।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है । एक मिनिट में समाप्त करें ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 5 मिनट ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट नहीं । आपने 12-13 मिनिट ले लिए हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पुलिस के बारे में मैंने केसेज बतलाए हैं बद्रीलाल कम्पाउन्डर का मर्डर हुआ और पुलिस को समय पर जानकारी दी, परन्तु उसके बाद भी पुलिस ने नाकाबन्दी नहीं की जिसके कारण केस खुल नहीं सका ।

इसी तरह सतावड़ा में ताराचन्द जैन को मर्डर करके उसे मकान में बंद कर दिया और वह चार दिन तक मकान में पड़ा रहा । उस बारे में पुलिस मुलजिम का पता नहीं लगा सकी । मैं चाहता हूं कि इन केसेज की सरकार किसी निष्पक्ष अधिकारी को भेज कर जांच करवाये ।

नैनावा डकैतों से जैसलमेर में मुकाबला हो रहा है, इसमें सरकार को पूरी शक्ति लगानी चाहिए । ये डकैत खतरनाक हैं । हमारे क्षेत्र में पुलिस ने विशेष तौर से अच्छा काम किया था, इसलिए डकैतियां समाप्त हो गई थीं । तो अब भी यदि आप डकैतों का सफाया कर देंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर म शांति स्थापित हो जायगी । यह काय बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसलिए इसके लिए पूरी शक्ति लगाकर डकैतों का सफाया किया जाय । जो पुलिस कार्य कर रही है उसमें और दिलचस्पी के साथ कार्य करें, डकैतों का सफाया करें और हमारे क्षेत्र में शांति स्थापित करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल जेलिया !

(अनुपस्थित)

श्री कन्हैयालाल ।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलानियां : 10 मिनिट ।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी सु०) : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं ।

श्री उपाध्यक्ष . सभी के हैं ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान मेरे क्षेत्र की सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आज 20 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि सांभर से चाकसू जाने वाली सड़क करीब 80-90 मील का लंबा टुकड़ा है और उसकी हालत ऐसी है कि पैदल भी चलना मुश्किल है । हर साल बजट सेशन में और अन्य प्रकार से भी मंत्री महोदय का ध्यान मैंने आकर्षित किया है । आश्वासन मिलते रहते हैं कि उस पर डामर करा दी जायगी । गत वर्ष आपने फागी से चाकसू सड़क पर डामर बिछाने का आश्वासन दिया था लेकिन डामर नहीं बिछायी और दोनों तरफ मिट्टी डालकर थोड़ी खड्डा पूर्ति करके उसे छोड़ दिया । उस सड़क से सरकार को कितनी आमदनी है, उसकी सरकार जांच करें तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक लाख रुपये सालाना इस रोड से आपको आये है जबकि उस पर सरकार 10 हजार सालाना भी खर्चा नहीं करती है और उस सड़क की हालत ऐसी है कि बैलगाड़ी भी नहीं चल

(श्री लादूराम सुलानिया)

सकती है। अगर मोटर लेकर चला जाय तो थोड़ा आगे जाकर वापस ट्रैक्टर में डलवानी पड़ेगी। मंत्री महोदय को अवसर नहीं मिल सकता है क्योंकि वह क्षेत्र आपका नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि आपका जुरिस्डिक्शन है, आप कर वसूल करते हैं, वहां पर चलने वाली गाड़ियों से कर वसूल करते हैं और यात्री कर से धन आपको मिलता है, उसका 50वां हिस्सा भी उस सड़क पर वापस लगायें तो वह अच्छी हो सकती है लेकिन 100 मील के टुकड़े में एक भी पुलिया नहीं। 2-4 जगह फागी के पास 4-4 मील के टुकड़ों में ऐसी निकम्मी डामर की है कि पता नहीं मुफ्त में करवायी या दान में या श्रमदान में करवाई है, किसी ठेकेदार से करवाई है। लेकिन उसकी हालत ऐसी है कि उसके अंदर एक रेशा भी डामर नहीं है। साइकल चले तो कंकर निकलकर बाहर हो जाते हैं।

जो सांभर से चाकसू तक बसें जाती हैं उस सड़क से और इस सड़क से जो आय होती है उसका 50वां हिस्सा कम से कम आप डामर रोड बनाने में खर्च करें जिससे आवागमन में सुविधा हो और जो भारी वाहन चलते हैं, वह आसानी से चल सकें।

इसके अलावा नीमरा से जाने वाली सड़क है, उसकी ऐसी हालत है कि उस पर पैदल आदमी नहीं जा सकता। उस सड़क को छोड़कर नीचे चलना पड़ता है। ऐसी हालत दूसरी सड़कों की भी है। वहां से बगरू को एक सड़क जाती है। गत वर्ष उसका निमार्ण करवाया था अकाल राहत के तहत। पत्थर बिछा दिए। मिट्टी पर पत्थर डाले। दोनों तरफ 10-10 फीट खड्डे गहरे कर दिए। आदमी सड़क पर नहीं चल सकता। बगल में चले तो चलने का रास्ता कहा है? कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि जिस सड़क को हाथ में लें, उस पर कंकर बिछायें, डामर बिछायें, तो उपयोग में आ सकती है।

जयपुर से कालेड़ा जाने वाली सड़क है इसके लिए मैंने कटौती प्रस्ताव में 6 मील लिखा था लेकिन यहां 66 मील लिख दिए हैं, वह 66 मील नहीं है। उसके दायीं ओर 10-12 फीट के गहरे खड्डे हैं और उनमें लोग गिरते रहते हैं। विभाग ने कई बार योजनायें बनाई, मिट्टी डालने की या पत्थर बिछाने की लेकिन आज तक मिट्टी नहीं डाली और एक पत्थर भी नहीं लगा सके। ऐसी हालत है उस सड़क की। जहां 24 घंटे आवागमन का रास्ता है और उस पर खडडों में आए दिन ट्रक, किसी की साइकिल, बैलगाड़ी या ट्रैक्टर गिरते रहते हैं। तो ऐसी जगह आज जरूरत है। जहां से पैसा वसूल करेंगे वहां तो कुछ करेंगे नहीं लेकिन ऐसी जगह खर्च करेंगे जहां विभाग का सेक्रेट्री या इंजीनियर या उच्च अधिकारी रहता हो। उसके बंगले के आगे कोई कच्ची सड़क है तो फटपाथ बनायेंगे। 3-4 फीट डामर भी करवाये। वह धन जो जन साधारण के लिए खर्च करना चाहिए वहां न लगाकर दूसरी जगह लगाते हैं। उदाहरण के लिए कबीर मार्ग सवाई जयसिंह सर्किल के पास है, वहां से पावर हाउस सड़क जाती है, दाईं ओर बंगले हैं और बाईं ओर मार्केट है। जहां मार्केट होता ह वहां फुटपाथ होता है, लेकिन वह वहां नहीं है लेकिन दायीं तरफ जह बड़े बड़े बंगले हैं वहां फुटपाथ बनाया गया वहां पानी बहता है। सड़क बेकार पड़ी है,

(श्री लादूराम सुलानियां)

मिट्टी के ढ़ेर लगे हुए हैं और कीचड़ पड़ा हुआ है। तो जहां होना चाहिए वहां तो करते नहीं, अननैसेसरी जहां जरूरत नहीं है वहां पैसा खर्च करते हो।

सड़क की बाउन्डरी होती है। जयपुर की जो 12 मील एरिया है उसके अंदर जितनी सड़कें हैं उन पर बाउन्डरी वाल्स नहीं लगे हुए हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि सड़क से 10 फीट छोड़कर लोग नाजायज इमारतें व दुकान बनवाते हैं और विभाग कोई ध्यान नहीं देता और सारी की सारी बाउन्डरी ब्लॉक हो जाती है। तहसील और नगर परिषद् मिलकर निर्माण करवाते हैं। मैं आपका झोटवाड़ा जाने वाली सड़क की तरफ ध्यान दिलाऊंगा। आपके अधिकारी जाकर देखते नहीं हैं। सरकार को मांग-पत्र दिया, कोई ध्यान नहीं दिया है, अनधिकृत दुकानें बन गई हैं जबकि फुटपाथ 45 फीट छोड़ना चाहिए और 10 फीट भी नहीं है। इनको क्यों नहीं रोकते हैं जिससे शहर की शोभा बढ़े? इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि अनाधिकार निर्माण करते हैं, रोड़ की साइड दबाते हैं टूटी हुई रोड्स पर न लगाकर उधर लगाते है जहां पर लगाने की जरुरत नहीं है। जयपुर में ऐसे सर्किल बनाते हैं जहां उनकी कोई आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने दस मिनट फरमाये थे।

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट होने में एक मिनिट बाकी है।

श्री लादूराम सुलानियां: नहीं हुकम।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें तो जिद् नहीं होनी चाहिये और मैं जिद् करना भी नहीं चाहता। दस मिनिट में एक मिनिट बाकी है।

श्री लादूराम सुलानियां: इन बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया। पिछले वर्ष की तरह आश्वासन देकर नहीं रहे। विरोधी दल के सदस्य होने के नाते आप उधर काम न कराओ लेकिन जनता तो आपको लाखों रुपया रोड़ टैक्स का देती है, उससे सब प्रकार के टक्स आपको मिलते हैं फिर उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आप जैसे बड़े दिल वाले आदमी के लिये यह नहीं होना चाहिये था। यह दूदू से चाकसू कोखालदा की रोड़ बेकार पड़ी हुई है। उस पर डामर नहीं है। इसी वर्ष डामर कराकर जनता को आवागमन के साधन उपलब्ध करायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के लिये भी दो शब्द कह दूं। ज्यादा टाइम भी नहीं है। पुलिस की जनता पर जो ज्यादती होती है वह तो सदन के सब ही माननीय सदस्य जानते हैं और माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं, उनसे छिपी हुई नहीं है। 20 वर्ष की आजादी के बाद भी पुलिस का हरिजनों के प्रति दुर्व्यवहार है, केस रजिस्टर नहीं करते और हरिजनों को दबाते हैं कि यह बेगार करनी पड़ेगी। सदन की जानकारी के लिये पन्द्रह दिन पहले की ही चित्तौड़ जिले की एक घटना बताऊं वहां पर जबर्दस्ती हरिजनों से बेगार ली गयी और कोई कार्यवाही नहीं हुई शिकायत करने पर भी। देश से छुआछूत को पुलिस ही हटा सकती है, उसको काफी अधिकार दिये हैं। उस ओर ध्यान न देकर वह अपने भरण-पोषण में लगी हुई है और कानून को ताक में रख कर बात करती है।

(श्री लादूराम सुलानियां)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूं कि कोई भी केस थाने में बिना पैसा दिये रजिस्टर नहीं होता है। कोई वकील बिना पैसा लिये वकालतनामें पर दस्तखत नहीं करता है उसी प्रकार से 90 प्रतिशत केसेज में थाने में रिश्वत ली जाती है और रिश्वत के बल पर झूठे केस भी सच्चे हो जाते हैं और सच्चे आदमियों को जानबूझकर फंसाया जाता है। लालसोट और बस्सी तहसील की बात मैं बताऊं। हरिजनों की तीन हत्यायें हमला होकर हुई। मैंने पिछले बजट सेशन में भी विस्तारपूर्वक कहा। पांच सौ लोगों को दिखावा के नाम पर बुलाया लेकिन फिर छोड़ दिया। पुलिस ने एक को भी मुल्जिम नहीं बनाया। क्या मर्डर नहीं हुआ? क्या हत्यायें नहीं हुई? हुई तो पुलिस ने मुल्जिम क्यों नहीं बनाया एक को भी? क्या भगवान फोज बनाकर आ गया और उन लोगों को काट गया? लोग सैंकड़ों की तादाद में हमला करके हत्या करें और राजस्थान की पुलिस एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार न करे एक यह बड़ी अजीब और विचित्र बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात और है। फागी का केस सुनाऊं। हरिजन छात्रावास का निर्माण हो रहा था। लोगों ने झगड़ा किया। रिपोर्ट दर्ज करायी, तीन बार रिपोर्ट दर्ज होने पर भी विश्वासपूर्वक कहता हूं कि थाने में मुकदमें की फाइल और रोजनामचे का पता नहीं, कहीं फाड़ कर फेंक दिया। एक भी मुल्जिम नहीं बनाया। प्रार्थना की तो जांच हुई। ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, जिनकी डाक्टरी हुई थी, उसके लिये थानेदार ने लिखकर भेजा वह चीज होस्पिटल से बरामद हुई लेकिन रोजनामचे में एक लाइन भी बरामद नहीं हुई। एक आदमी का मर्डर हुआ लेकिन एक अदमी को भी मुल्जिम नहीं बनाया। दरख्वास्त लिखकर दी। इस प्रकार की हत्यायें होना यह लोकतन्त्र के विपरीत है। और बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। किसी को कोई थप्पड़ मार दे तो पुलिस का यह राइट है कि 232 में रिपोर्ट लिखे। लेकिन जिनकी हत्या करदी टुकड़े टुकड़े कर दिये उनकी रिपोर्ट तक नहीं। अफसोस जाहिर करने के सिवाय और क्या निवेदन किया जा सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस का प्रशासन निकम्मा हो गया है या तो पुलिस का विभाग ले लिया जाय या डिपार्टमेंट को सतर्क किया जाय या विशेष योजना बनायी जाय। इसके सिवाय और हम क्या कर सकते हैं? हत्यायें हो जायें और गिरफ्तारी न हो और दो दो तीन तीन साल तक किसी को मुल्जिम न बनाया जाय...

श्री उपाध्यक्ष : उसी को आप वापिस दोहरा रहे हैं। अब आप भाषण समाप्त कर दें।

श्री लादूराम सुलानियां : विशेष टाइम नहीं लूंगा। इतना ही कह कर भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पुलिस वाले खराब हैं उस विभाग में ही चले जावेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : जब चले जावेंगे तब सोचेंगे। या तो मंत्रीजी को बदल दिया जाय तो सुधार हो सकता है

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री बदलते रहते हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : और कोई रास्ता नहीं है।

मैं निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जिन रोड्स से लाखों रुपया आपको मिलता है उनके साथ सौतेला व्यवहार न करें।

श्री उपाध्यक्ष : उनका बड़ा दिल है, वे ध्यान रखेंगे।

श्री रावत राम !

श्री रावतराम (छापर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुलिस पर कटौती प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस के बारे में जो बहस हाउस में चल रही है उसके बारे में तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज दोनों तरफ के माननीय सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि पुलिस का प्रशासन राजस्थान में कमजोर हो चुका है...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सहमत नहीं हैं माननीय सदस्य।

श्री रावतराम : इसमें दोनों ओर के माननीय सदस्य सहमत हैं। और मैं सुन रहा हूं जो दोनों ओर से बोल रहे हैं उनकी एक ही आवाज होती है कि राजस्थान में जो पुलिस का स्ट्रक्चर बन गया है, मैं तो यह कहूंगा कि बन नहीं गया है बना दिया गया है, राज्य सरकार और खास तौर से महकमे के मंत्रीगण पर आरोप लगाता हूं, पुलिस में गड़बड़ी हुई है वह आपके कारण से हुई है। गलत इन्टरफियरेन्स करते हैं। अपनी ओर से और अपने तरीके से पुलिस का मिसयूज करना चाहते हैं और आपके तरीके से पुलिस नहीं चलती है तो उसको कन्डेम करते हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि आपके पुलिस अधिकारी डिमोरेलाइज्ड हुए है और जो भी आप इशारा करते हैं उसी तरीके से काम करते है। आप उनसे गलत काम करवाना चाहते हैं तो पुलिस अधिकारी के निजी मामले होते हैं, उनके भी अपने तौर तरीके होते हैं वे उनको इस्तेमाल करते हैं और वे पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। यदि आपको पुलिस को सही बनाना है, यदि आप चाहते हैं कि पुलिस जनता के साथ न्याय करे तो आपको कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिले में भी और गंगानगर जिले में भी आन्दोलन चला था। चूरू जिले में किसान आन्दोलन चला। 54 दिन चला था और फिर बन्द हुआ। इस बीच में तहसील कार्यालय पर सत्याग्रह किया था और शान्तिपूर्वक सत्याग्रह किया था। दस पन्द्रह सत्याग्रही थे जिन्होंने तहसील और कलेक्टर के कार्यालय पर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया और वहीं पर बैठे थे। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और उनके खोपड़े फोड़ दिये। माननीय गृह मंत्रीजी यहां नहीं हैं, आप बैठे हैं, आप कम से कम यह तो बतायें कि क्या वजह थी कि उन पर लाठी चार्ज किया? कौनसा वे हमला कर रहे थे और सरकारी कर्मचारियों को परेशान कर रहे थे? वे तो वहां शान्तिपूर्वक बैठे थे और आपने हमला किया। चूरू का गोलीकाण्ड हुआ वह किस प्रकार हुआ वह तो बतायें? चूरू लोहिया कॉलेज में गोलीकाण्ड हुआ। किसी भी इन्सान का

(5.20 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

माथा उससे शर्म से झुक जाता है कि किस प्रकार निर्दोष छात्रों पर गोलियां चलायी

(श्री रावतराम)

गयीं जबकि शान्तिपूर्ण तरीके से बैठे थे और दस पन्द्रह लड़के खड़े थे, उन पर अचानक गोलियां चला दी गईं और नतीजा यह है कि अब यह कहते हैं कि किसी भी प्रकार का सरकार का हुक्म नहीं था, सिपाहियों ने गोली चला दी। आप सारा जुर्म सिपाहियों पर डाल रहे हैं। हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि आया गोलीकाण्ड, लाठीचार्ज बिना मतलब के किया गया ? इसमें आपको हस्तक्षेप करना शोभा नहीं देता। मैं कहना चाहता हूं इस तरह के हस्तक्षेप सरकार की ओर से चलते रहे तो कभी पुलिस निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकेगी।

सभापति महोदय, इसके साथ साथ पुलिस के महकमें में किस तरह की गड़बड़ियां होती है। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, पंचायतों के मामलों में जिन सरपंचों के लिए सरकार महसूस करती है कि ये हमारे पक्ष में नहीं हैं उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के उन सरपंचों पर आपके कर्मचारियों द्वारा 409 के अन्तर्गत केस चला दिये जाते हैं। इस तरह के कई मामले हमारे सामने हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, गंगानगर के इलाके के कुछ हरिजन आये थे उन्होंने कहा था झुंझुनू के पा सरी गांव के श्री माली-रामजी, जोकि कोआपरेटिव बैंक के डाइरेक्टर थे उनके समय में बहुत सी गड़बड़ियां हुईं। उस समय लोगों ने झूठी रसीदें बनायीं। उनमें से दो तीन हरिजन मुझे मिले उनके नाम बताना चाहता हूं। सोना राम इनको पांच साल की सजा दी। दो हजार जुर्माना। इनके नाम से 67 हजार की रसीद लिखी गई।

मांगीलाल हरिजन की झूठी रसीदें लेकर लोन लिया। मानसिंह सरपंच ने बिना कोई रसीद दिये इस तरह से गड़बड़ घोटाला किया। इस सरपंच की शिकायत डिप्टी डाइरेक्टर से की। उनका चालान होना चाहिये 409 के अन्तर्गत। उसका लोकल पुलिस ने चालान किया उसके लिये पंचायत महकमें ने इजाजत मांगी क्योंकि वह इलेक्टेड आदमी था। यहां से मन्जूरी नहीं दी। मन्जूरी नहीं देकर गृह मंत्री ने उसकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० को सौंप दी। इस तरह से आप करते हैं तो फिर लोकल पुलिस को कौन मानेगा ? 409 का केस सही पाया गया तो चालान करना चाहिये था, उसके लिये आपने क्यों नहीं आदेश दिये ? आप इस तरह से इन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं और इस तरह से सी० आई० डी० को इन्क्वायरी सौंपी। उसके लिये स्पष्ट आदेश होने चाहिये, 409 के अन्तर्गत उनका चालान होना चाहिये। सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट आज तक लटक रही है। पंचायत विभाग से वह फाइल आपने अपने पास मंगाकर रख ली है। आज बारह महीने हो गये उसको दबाये आप बैठे हैं।

सभापति महोदय, इसी तरह से एक नहीं अनेक उदाहरण हमारे जिले के हैं। दो सरपंचों के बारे में बात थी, 409 का केस उन पर लगा दिया लेकिन आपकी सरकार सभी जगह झूठी साबित हुई। उनको 12 महीने तक सस्पेण्ड रखा उनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन दूसरी तरफ जिनके बारे में 409 का मामला साबित हुआ है उसको दबाकर आप बैठे हुए हैं। पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरपंच की यह गलती है। लेकिन उस फाईल को 12 महीनों से दबाकर रखी है। अपने जबाब में मंत्री महोदय इस बात का उत्तर देंगे।

(श्री रावतराम)

इसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जो इस तरह से अनुचित हस्तक्षेप करते हैं, आप पुलिस के एस० पी०, एस० आई०, डीवाई० एस० पी० को कॉन्फीडेन्स में लेंगे नहीं तो पुलिस के कर्मचारी कोई भी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पायेंगे। आज हम देखते हैं कि आज की पुलिस पर कोई भरोसा भी नहीं करता। होता क्या है कि पांच दिन कुछ हुक्म दिया जाता है और उसके तुरन्त बाद ही वायरलैस द्वारा हुक्म को बदल दिया जाता है। लिखित में कुछ ऑर्डर जाते हैं वायरलैस से उन आर्डर्स को बदल दिया जाता है, हमने उस आर्डर को रोक दिया है।

मैं, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं चूरू जिले के गांव बैरी में एक पुरोहित परिवार था। उस परिवार के दो तीन आदमियों को गोली से उड़ा दिया लेकिन आज तक उस काण्ड के अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। यह इसलिए कि आप लोगों का उसमें इन्टरफीयरेन्स है। आज आपने पुलिस को इतना डिमोरेलाइज कर दिया है कि वे अपने आप में कुछ एक्शन नहीं ले सकते। यह आप मत समझकर बैठिये कि यह सत्ता हमेशा ही आपके पास रहने वाली है। अगर आपने डिमोरेलाइजेशन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया तो इनका मोरल गिर जायगा और ये चापलूस हो जायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि पुलिस मजबूत बने, ओनेस्ट बने इस प्रकार के काम उनको सौंपे जाने चाहिए।

श्री सभापति : श्री शीशराम !

श्री मूलचन्द डागा : आपके ये झुन्झुनूं जिले के हैं आप इनकी बातें रोज ही सुनते हैं।

एक माननीय सदस्य : कुर्सी पर आरोप नहीं होने चाहिये।

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : माननीय सभापति महोदय, मैं निर्माण मंत्रीजी का ध्यान लोहारू से सीकर आने वाली सड़क की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। लोहारू से सीकर एक महत्वपूर्ण सड़क है। हिन्दुस्तान की राजधानी से झुन्झुनू और सीकर इन दो जिलों को मिलाती है और राजस्थान के सीकर, झुन्झनू और गंगानगर आदि के लोग जो गुजरात की तरफ जाते हैं वे भी इसी रास्ते से जाते हैं। अलावा जयपुर के इस सड़क की स्थिति ऐसी है कि एक छोटी मोटर उधर से आ जाय तो इधर से जाने वाली मोटर को रुकना पड़ता है, पहले उसको रास्ता दें उसके बाद वह जा सकती है। अगर एक तरफ की मोटर रुके नहीं तो दुर्घटना हो जाती है। मैं समझता हूं इस सड़क पर जितनी दुर्घटनायें होती हैं उतनी दुर्घटनायें दूसरी सड़कों पर नहीं होती हैं। माननीय निर्माण मंत्रीजी भी उस सड़क से बार बार आते हैं जो उस सड़क की स्थिति से जानकारी रखते हैं। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में निवेदन करूंगा कि सीकर और लोहारू की जो सड़क है यह सीकर लोहारू सड़क नेशनल हाईवे के नम्बर 11 से जुड़ी हुई है अतः इसको चौड़ा किया जाय और अविलम्ब बनवाया जाकर स्टेट हाईवे का दर्जा कम से कम दिया जावें।

राजगढ़ होता हुआ जो नेशनल हाईवे जाता है वह हरियाणा स्टेट से होता हुआ बीकानेर जाता है, उस नेशनल हाईवे को

Page No 178

(श्री शीशराम ओला)

देखते हुए सीकर-लोहारू सड़क की चौड़ाई ता के बराबर है। मैं निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सड़क की ओर अविलम्ब ध्यान देकर, इस सड़क को प्राथमिकता देकर इसका काम कराया जाय ताकि होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

इसी प्रकार मेहाड़ा-जाटावस से शिमला वाया गौरीर के पास एक छोटा सा टुकड़ा बिना सड़क के रह गया है। वहां बरसात का पानी भर जाता है। बरसात के दिनों में उसके कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते, आना-जाना लोगों के लिये दुर्लभ हो जाता है। इस छोटे से टुकड़े को इस योजना में लेकर इसी साल निर्माण करवायें और इसकी स्वीकृति प्रदान करें ताकि वहां जो तीन, चार, पांच पंचायतें है उनमें रहने वाली जनता को सुविधा मिल सके। और वे बरसात के दिनों में रास्ते के अभाव में परेशानी से बच सकें। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता।

पुलिस के बारे में इतना ही कह देना चाहता हूं कि अन्य राज्यों के मुकाबले में राजस्थान की पुलिस ज्यादा डिसिप्लिन्ड एवं सतर्क है। इसके बावजूद भी पुलिस की इतनी ज्यादा आलोचना करना उचित नहीं है।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा—सु०) : सभापति महोदय, उदयपुर जिले में निर्माण कार्यों के लिए सड़क का होना जरूरी है।

कोटड़ा-गोगुन्दा ऐसा एरिया है, जहां आने-जाने में बड़ी दिक्कत है, उदयपुर-कोटड़ा-जसवन्तगढ़ आने वाली रोड़ पर काम हो रहा है, पर जल्दी हो यह मैं चाहता हूं। काम बहुत धीरे हो रहा है।

कोटड़ा ऐसी जगह है जो गुजरात आब रोड़ से उदयपुर सीधा क्रास करता है। जोधपुर होकर जो रणकपुर रास्ता जाता है वह सायर-गोगुन्दा होकर सीधा उदयपुर से मिलता है। यह रोड़ पूरी हो गई है। इसको पूरा करना बाकी है। कुछ काम बाकी है। वह एरिया निर्माण मंत्रीजी ने भी देखा है। उस रोड़ को पूरा करवाया जाय।

साथ ही कोटड़ा, पानरवा, खेरवाड़ा केशरियाजी तीर्थ स्थान हैं, मोमट को आया जाया करते हैं। पर आवागमन के साधन नहीं होने से दिक्कत होती है। इस रोड पर काम भी अच्छी तरह से चालू हुआ था, पर काम ढीला है। इसको पूरा करा दिया जावेगा तो अच्छा होगा।

बांसवाड़ा से लसाड़िया, सलूम्बर, उदयपुर को मिलाने वाली एक सड़क है। इस पर भी काम कुछ बाकी है। इसको भी पूरा कराया जावे।

पुलिस विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जान माल की रक्षा करना इसका काम है। पर इस विभाग में कुछ खामियां हैं। कुछ स्वार्थी लोग ऐसे हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करके गवर्नमेन्ट को बदनाम करना चाहते हैं। इसका उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। उदयपुर जिले में आदिवासी बहुत रहते हैं। गरीब लोग हैं वे। वे अधिकतर उदयपुर शहर में रोजगार के लिये आते हैं या गुजरात चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना हुई कि जो सदन के लिये भी दुखदायी है। गृह मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं वे ध्यान से सुनें।

(श्री देवेंद्रकुमार मीणा)

दिनांक 24-10-69 को एक दीवा मीणा 19 वर्ष का नौजवान लड़का उदयपुर के एक होटल में नौकरी करने गया। वहां काम करने लगा। पर उसके साथ क्या हुआ कि होटल मालिक ने उसके सीने पर एक दिन चोट मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। चार महीने होने आये पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उस होटल के पास ही पुलिस का थाना है। उसके पास ऐसी घटना हो जावे और फिर भी पुलिस कुछ नहीं करे यह बड़ी लज्जा की बात है। केशरीसिंह डी० एस० पी० सिटी ने इसमें ढिलाई डाली। इसका क्या कारण हो सकता है ? उनकी मंशा क्या थी ? मैं समझता हूं उस पैसे वाले होटल मालिक से नाजायज फायदा लेकर ढील डाली, मुझे यह शंका है।

इसी तरह से जिन लोगों ने सरकार को अन्धकार में रखा, सरकार के नोटिस में यह बात नहीं आने दी, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही करके न्याय किया जाना चाहिए।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

इसी तरह से सराड़ा तहसील में वहां के विधायक ने एक बात कही है अपने कट मोशन में भी वह बात रखी है कि ईटाडी में आदिवासियों की केशरीसिंह थानेदार ने पीट-पीट कर ऊपर से चमड़ी उतार दी। चोरी करता है तो चोर को पकड़ा जाय पर बेवाजिब पीटना अच्छा नहीं है।

ज्यादा समय न लेकर इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरपुर में लालपुरा गांव में एक आदिवासी की हत्या कर दी गई, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। अपने निजी स्वार्थ की खातिर ये लोग सरकार को बदनाम करते हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। हुकूमत से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आदिवासियों के साथ बरताव होगा तो क्या होगा। सरकार इस बारे में ध्यान दे। जिस तरह से नाजायज फायदा लेकर इन बातों में ढिलाई बरती जाती है उसको रोका जाय।

इसके साथ ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु०) : सभापति महोदय, पुलिस थानों के बाहर लिखा रहता है, 'हमारे योग्य सेवा'। पर सेवा करना इनका धर्म नहीं है। जब तक इनकी भेंट पूजा नहीं होती तब तक ये काम नहीं करते। देवली थाने के अन्तर्गत एक व्यक्ति को पांच-सात मीणों ने पीटा और बन्द कर दिया। इसके बावजूद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया तो थानेदार ने उस व्यक्ति की रिपोर्ट में लिखवा लिया कि जिस फर्सी से मारा वह फर्सी मेरी है। यह लिखवा-कर उसको ही थाने में बन्द कर दिया। इसके बाद काफी लिखा पढ़ी की गई, ऊपर तक पहुंचा गया पर न उन मीणों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई, न उस थानेदार के खिलाफ कुछ हुआ।

दूसरा उदाहरण बताऊंगा. बूंदी जिले में बेनाडापच की बावड़ी का थाना है। वहां से होकर कोटा-बम्बई-जयपुर की ट्रकें आती जाती है, बकरे भी वहां से ले जाते हैं ट्रकों में भर कर। वहां के दीवानजी शराब पीकर उन गाड़ियों को रोक लेते हैं और बकरे उतार लेते हैं कई। इस बाबत एस० पी० बूंदी को

(श्री देवीलाल बुरासिया)

भी रिपोर्ट की गई, पर इसका कोई इलाज नहीं किया गया।

एक और बताऊंगा केकड़ी तहसील में थाना सावर में एक मोची के घर में जबर्दस्ती कुछ लोग घुस गये। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गये तो उल्टे उसको ही धमकाया-डराया और कहा कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। उसने जाकर पुलिस में 107 की रिपोर्ट दी। उसके बाद थाना को फार्वर्ड किया। रिपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ। सारे गांव ने अपनी आंखों से उसको देखा है लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। केकड़ी में 66 के बाद दो मर्डर हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कोई पता पुलिस नहीं लगा पाई और न लगा ही सकेगी।

अब मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा। केकड़ी से बघेरा रोड़ है वह आज तक नहीं बनाई है। केकड़ी से कादेरा है यह भी 58 से स्वीकृत थी लेकिन केवल चार मील का टुकड़ा बनाकर रह गये, बाकी का आज तक नहीं बनाया। इसलिए म निवेदन करूंगा इस सड़क को पूरा किया जाय। माननीय मंत्री महोदय, केकड़ी से जयपुर रोड़ है उस पर काफी ट्रैफिक रहता है—तीस गाड़ियां रोज आती जाती हैं, काफी जगह से टूटी हुई है लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है। इसी तरह केकड़ी से जूनियां सड़क है वह इतनी खराब रोड कि अगर कोई गर्भवती स्त्री उस सड़क पर सफर करें तो उसके बच्चा-बच्ची रास्ते में ही हो जाय। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा इस 8-9 मील के टुकड़े को यथाशीघ्र बनवाया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय मंत्री महोदय जो केकड़ी-सावर रोड़ है उसमें खारी नदी पर रपट का निर्माण कराया जाय और इसी तरह डाई नदी है उस पर भी रपट का निर्माण कराया जाय।

श्री सभापति : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : सभापति महोदय, मुझे पुलिस की डिमान्ड पर एक ही निवेदन करना है। आज की हालातों को देखकर हम सभी को पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है परन्तु राजस्थान के कुछ ऐसे जिले हैं जो डकैती एरिया में आते हैं उन जिलों में पुलिस के बिना काम नहीं चल सकता है। उन जिलों में भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र आता है जहां पर पुलिस की बिना मदद के कुछ भी नहीं हो सकता है।

श्री नत्थीसिंह : धौलपुर का जिला भी बनेगा ?

श्री बनवारीलाल : मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रामकिशन : एक डिप्टी तो आपने बैठा रखा है ये क्या करते है ?

श्री बनवारीलाल : सभापतिजी, धौलपुर में आये दिन लूट-मार, अपरण और डकैती होती रहती है....

श्री मूलचन्द डागा : अपरण क्या ? अपहरण है।

श्री बनवारीलाल : हालांकि यह समस्या नई नहीं है। पिछले कई सालों से यह समस्या चली आ रही है। पिछल वर्षों की अपेक्षा अपराधों की कमी हुई है क्योंकि पुलिस विभाग ने अपराधियों का

(श्री बनवारीलाल)

दमन करने का काफी प्रयास किया है इसके लिये मैं पुलिस विभाग को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। हमारे यहां के कशल एस० पी० और कुशल डीवाई० एस० पी० ने भाग दौड़कर इन अपराधों की कमी करने की कोशिश की है परन्तु यह सफलता बहुत कम है। सभापति महोदय, इस सस्या को दूर करने का प्रयास तो किया है लेकिन इस तरफ और गौर नहीं किया तो यह समस्या आगे सुलझने वाली नहीं है। इसका भी निदान करना चाहिये कि आखिर यह समस्या क्यों है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, धौलपुर भौगोलिक स्थिति से राजस्थान, मध्य प्रदेश और यू० पी० से लगा हुआ है। कभी डकैत राजस्थान से भागकर मध्य प्रदेश में चला जाता है और कभी मध्य प्रदेश से डकैती करके राजस्थान में आ जाता है। हमारे यहा चम्बल में खारी नदी है उसमें इन डकैतों को छिपने में मदद मिल जाती है। इस खारी नदी में छिपने की स्थिति को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

एक, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं बेरोजगारी आदमी को भूखा मारती है और भूखा मरता क्या नहीं करता। इसलिये वहां कोई रोजगारी का साधन भी ढूंढना चाहिये।

तीसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां की समस्या को हल करने में लाखों रुपया खर्च करती है सरकार, वह बेकार जाता है। वहां पर सड़कों की पूरी तरह से मरम्मत करनी चाहिये क्योंकि पुलिस को जैसे ही अपराधों की सूचना मिलती है तो उसको अच्छी सड़क नहीं होने से जाने में काफी समय लग जाता है और इतने में अपराधी कहां का कहीं भाग जाता है। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था, आपके पास फन्ड नहीं है तो भारत सरकार को लिखें जिस तरह बोर्डर सीमाओं पर इन्तजाम किया गया है उसी तरह डकैती एरिया के लिये भी पैसे मांगे जाय। इसलिये मेरा निवेदन है सड़कों को फैलाकर समस्या को दूर किया जाय।

मेरा निवेदन एक और है कि पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जाय। यू० पी० को देखते हुये हमारे यहां पुलिस फोर्स कम है।

चौथा मेरा निवेदन है थानों को बदला जाय क्योंकि ये थाने स्टेट के टाइम से चले आ रहे है। कई थाने प्रशासनिक दृष्टि से ठीक नहीं ह जैसे कोलारी थाना, धनपुरा और मणिया थाना। यह राज्य सरकार को देखना चाहिये। बशनोदा थाना बसीना थाना से लगा हुआ है। यह प्रशासनिक दृष्टि से और जनता की सुविधा की दृष्टि से उसके पास होना चाहिये।

एक मेरा निवेदन यह भी है कि थानेदारों को जाने आने की सुविधा नहीं है इसलिये मेरा कहना है उनको कोई मोटर साईकल वगैरह जैसी चीज दिला दी जाय ताकि वह अपने इलाके में अच्छी तरह भ्रमण कर सकें। इसके अलावा जो सेक्रेटेरियट फन्ड दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है। किसी भी समस्या को दूर करने के लिये खर्च करना पड़ता है। डकैत लोग अपने मुखबिर को बहुत देते है इसलिये आप भी इस तरफ ध्यान दें।

Page No 182

(श्री बनवारीलाल)

मेरा यह भी मानना है कि पुलिस कहां तक प्रवन्ध करेगी इसलिये धौलपुर की जनता को खुद की हिफाजत करने के लिये बन्दूक के लाइसेन्स दिये जायं और एक बन्दूक की नई दुकान भी खोली जाय।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं चूंकि पुलिस का काम डकैती एरिया होने के नाते ज्यादा है इसलिये जो खास मवेशी की चोरी की समस्या है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। काम ज्यादा है और इसके लिये इम्पार्टेन्स नहीं देते है तो यह चोरियां ज्यादा होंगी इसलिय मवेशियों की चोरी रोकने के लिये अलग से आफिसर तैनात किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह आर० ए० सी० के बारे में है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक पी० डब्ल्यू० डी० की डिमान्ड के बारे में निवेदन करना है। प्रायः भरतपुर जिले की पूरी सड़कों की हालत खराब है। आप चाहे जिस सड़क को देख लीजिये सब में गड्डे पड़े हुये हैं। मैं पी० डब्ल्यू० डी० मंत्रीजी से निवेदन करूंगा इस ओर भी ध्यान दें। भरतपुर में डकैती एरिया होने के नाते ज्यादा पैसा सड़कों पर खर्च करना चाहिये लेकिन उसको पैसा न देकर वंचित रखा जाता है और अन्य जगह पैसा दे दिया जाता है।

दूसरा मेरा निवेदन है अकाल पीड़ित जिलों के लिये जो पैसे दिये जाते हैं वे अब उन डिस्ट्रिक्टस में दिये जायं जिनमें अब तक अकाल राहत कार्य नहीं हुआ है। इसलिये मंत्री महोदय को सोचना चाहिये और उन जिलों पर ध्यान रखा जाय।

तीसरे भरतपुर में सेत से सेंसनी सड़क है जिसके लिए आश्वासन दिया हुआ है और इसके ऊपर पिछले 12 साल से बस चल रही है। वहां हाई स्कूल है लेकिन सड़क नहीं बनी है। इसी तरह से जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करने वाली रोड्स हैं धौलपुर से भरतपुर वाया सेपू इस सड़क के लिए पिछली बार मुख्य मंत्रीजी भरतपुर आये थे तो उन्होंने कहा था कि यह सड़क इसी साल में ही हो जायेगी लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से बंद बैराठ से बसेड़ी की सड़क है उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। इसलिये मैं कहूंगा कि भरतपुर और धौलपुर जिले की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये और वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा दें।

श्री सभापति : श्री जगन्नाथ पटेल।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : सभापतिजी, आज भवन निर्माण और सड़क निर्माण के बारे में यहां सदन में चर्चा हो रही है। इसके बारे में मैं अपने क्षेत्र की जानकारी देना चाहता हूं, सभापतिजी, आपके माध्यम से। गृह मंत्रीजी को और सबको मैं जानता हूं। सभापतिजी, मैं सबसे पहले पुलिस विभाग के बारे में निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि यह इंडियन पीनल कोड सन् 1857 में बना था और अंग्रेजों ने जनता के ऊपर इण्डियन पीनल कोड लगाया। पुलिस विभाग में जो प्रगति हुई है, सभापतिजी, वह मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं इस साल में अच्छी प्रगति हुई है। उसके विषय में कहूंगा कि 1968

(श्री जगन्नाथ)

में 132 डकैतियां हुई और सन् 69 में 130 डकैती हुई। तो 2 डकैतियां कम पड़ी हैं। सभापति महोदय, लूट में भी कमी हुई है क्योंकि पुलिस ने हिफ़ाजत की है और 34 की कमी लूट में हुई है लेकिन यह जो तीसरा कॉलम है इस विषय में तो मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 48 ही ज्यादा हुई हैं। इसको या तो मैं समझ गया या फिर मिनिस्टर साहब समझ गये। इस तरह से पुलिस विभाग में प्रगति हुई है और मेरे क्षेत्र के अंदर पुलिस विभाग के बारे में मिनिस्टर साहब से वहीं कह दूंगा यहां कहने की जरूरत नहीं है ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)
(5.53 म० प०)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग के बारे में.........

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी बोल रहे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं यह समझा था कि आप वहीं कह देंगे तो यहां कुछ ही नहीं कहेंगे।

श्री जगन्नाथ : निर्माण की प्रगति भी बढ़ी। वह हरएक की जिलेवार है हमारे निर्माण मंत्रीजी तो बड़े मेहरबान हैं। टोडारायसिंह में 182 किलोमीटर की प्रगति बताई है लेकिन एक मील भी नहीं हुई है। आपका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करता हूं टोडारायसिंह की सबसे बड़ी सड़क है उस पर डामर बिलकुल नहीं है और उस पर डामर कराई जाये। इसके अलावा एक सोदिया नदी है बड़ी जोरदार और नानेर और नया गांव सड़क जाती है उसके ऊपर पुल बनाया जाये क्योंकि बरसात के दिनों में आवागमन रुक जाता है। दूसरे मालपुरा से टोडारायसिह सड़क बनी हुई है और इस सड़क पर टोडारायसिह से मालपुरा तक डामर के ढोल पड़े हुए हैं लेकिन उस पर डामर नहीं है। मैं निर्माण मंत्रीजी से कहूंगा कि उसके ऊपर डामर करवाई जाये ।

श्री मदनसिंह : (अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ : मैं कैप्टिन को जानता हूं। कईयों को सिखाया है ।

श्री मदनसिंह : मैं सूबेदार मेजरों को भी जानता हूं बड़े खुशामदी होते हैं। डामर लीप देते हैं मंत्रियों के ।

श्री जगन्नाथ : बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

श्री मदनसिंह : मैं तो आपकी मदद कर रहा हूं ।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्षजी, एक सड़क टोडा से वाया मालाना होती हुई नसीराबाद-देवली में मिलती है। उसमें कई सालों से अकाल सहायता के अंदर काम हुआ है और कंकर भी पड़े हुए हैं, उसके ऊपर कंकर पटकवाये जायें और कुटवाई करवाई जाये तो एक काम तो पूरा हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण मंत्रीजी से गयी साल भी निवेदन किया था कि एक सड़क ऐसी है कि जिसको मैं 1909 से देखता आ रहा हूं और आज 1970 हो गया है। वह सड़क अंग्रेजों के समय में बनी थी अम्बापुरा से राजमहल–यहां एक दर्शनीय स्थान भी है और इसके लिए मैंने कई दफा निवेदन कर दिया।

(श्री जगन्नाथ)

वहां के लिए सुनते हैं कि जयपुर में पानी भी आयेगा। एक अर्ज और है कि मालपुरा से केकड़ी सड़क गयी है उसके ऊपर भी डामर बिल्कुल नहीं है। डामर तैयार है। लेकिन बड़ी पूनिया के पास नदी आती है और उनियारा के पास नाला आता है और सड़क टूटी हुई है। इससे हमारे क्षेत्र के दो गांवों में सुवारिया और जलपोद में पानी आ जाता है। तो वहां पुल बना दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रगति को पढ़ा। किसी जगह क्या हो रहा है और किसी जगह क्या हो रहा है। लेकिन टोडारायसिंह तहसील में बिल्डिंगों की हालत बड़ी खराब है। वहां की हॉस्पिटल की बिल्डिंग बहुत ज्यादा खराब है। उसको तोड़कर नयी बिल्डिंग बना दी जाये क्योंकि मालपुरा वहां से 20 मील रह जाता है। तो टोडारायसिंह का अस्पताल है उसको ठीक करा दिया जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा टोडारायसिंह तहसील के अंदर दो पुलिस थाने हैं और पांच चौकियां हैं। टोडारायसिंह के थाने की बिल्डिंग ऐसी निकम्मी है कि वहां पर हवालात में कैदियों को लाते हैं तो बेचारे सर्दी में मर जाते हैं जो पुलिस की चौकी है टोडा थाने के नीचे वह पुलिस चौकी एक ऐसी बिल्डिंग में है जो जागीरदार साहब की बिल्डिंग है। वह चौकी किराये की बिल्डिंग में रहती है इसलिये वहां पर एक ऐसा स्थान बना दिया जाय कि उसमें थोड़ा विश्राम कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय सदन की अनुमति से 1 घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

(6 म० प०)

श्री महेन्द्र कुमार।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्षजी।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का पूरा समय दिया जा चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : दल का समय कहां से खत्म हुआ। केदारजी बोले और पसीना आ गया तो बेचारे बैठ गये एक बात तो मुझे खास कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इच्छा जाहिर कर देते तो उस वक्त अवसर दिया जा सकता था।

श्री ओमदत्त भाटी : पाइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा-सु०) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कठिन परिश्रम करके...

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर आ गया माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य (श्री महेन्द्रकुमार के खड़े रहने पर): कांग्रेस के एम० एल० ए० समझते नहीं है।

श्री ओमदत्त भाटी : मैंने 18 तारीख को एक स्थगन प्रस्ताव रखा था जोधपुर इन्जीनियरिंग कालेज की गड़बड़ के बारे में......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न अभी नहीं उठा सकते हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि टाइम

(श्री ओमदत्त भाटी)

ही नहीं दिया गया तो कैसे बोलूं। उस बारे में अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी थी कि पुलिस की जब मांग हो तो उस पर बोलूं। उसका आपको ध्यान रखना चाहिए था। मैंने लिखकर भी दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: यह कैसे कह रहे हैं कि आपकी बात मेरे ध्यान में नहीं है?

श्री ओमदत्त भाटी: मैंने 18 तारीख को स्थगन प्रस्ताव दिया और उसके 10 दिन बाद कुआ खोदें तो इसका क्या मतलब है। आपको मुझे टाइम देना चाहिए था पुलिस की मांग पर बोलने का।

श्री उपाध्यक्ष: आप सबसे बाद में कहेंगे तो होम मिनिस्टर साहब के दिमाग में ताजा रहेगा।

श्री ओमदत्त भाटी: होम मिनिस्टर साहब तो ताजे रहेंगे पर मैं तो ताजा नहीं रहूंगा।

श्री महेन्द्र कुमार: पिछले पांच वर्षों में...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मुझे पहले समय दिया जाय....

श्री उपाध्यक्ष: सम्भव नहीं होता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा है कि सदन का जो टाइम था पांच बजे तक वह टाइम बढ़ गया है दो घन्टे के लिए। जो समय को बांटा था वह पांच बजे तक के समय के अनुसार था और उसके अनुसार आपने टाइम बांधा था। अब सदन की कार्यवाही बढ़ गई है दो घन्टों के लिए तो इन दो घन्टों के समय में से हमारी पार्टी के बंट में जितना समय आये उससे डेढ़ मिनिट कम दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि समय बढ़ा है तो जो अलग अलग दलों के सचेतकों ने सूची दी थी उसको देखते हुए समय कुछ बढ़ना जरूरी है, और जो बढ़ा हुआ समय है उसको भी देखा जाय और दल के कितने माननीय सदस्य हैं यह देखा जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: दो घन्टों में कुछ तो आजायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह हिसाब-किताब दो चार मिनिट का नहीं कर सकते हैं। आप अगर 5 मिनिट बोलना चाहें तो विचार कर सकते हैं, लेकिन जब आप बोलेंगे...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: 5 मिनिट तो बहुत ज्यादा हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

तो पौन घन्टे का टाइम लेंगे, लेकिन आपने पहले इच्छा प्रकट नहीं की बोलने की। आप लम्बे भाषण से सदन में विचार रखना चाहते हैं तो संभव नहीं है। और 5 मिनिट की मांग करते हैं तो समय दिया जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण: अभी अपने क्षेत्र का दौरा करके आये हैं और कागज भी लाये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: कहकर आये हैं अखबार वालों को भी।

श्री महेन्द्रकुमार (पाडवा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय पिछले 5 वर्षों में....

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस दल वालों के लिए 5-5 मिनिट बांधे थे । आप थोड़े में कह दें ।

श्री महेन्द्रकुमार : हमारे वहां जो डकैतियां हुई हैं उनका वहां के अधिकारियों ने पता लगाया है और उन तमाम डकैतों को गिरफ्तार किया है । उसके लिए मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ जो डकैतों के मुखिया थे उन मुखियाओं को नहीं पकड़ा है । इसके लिए मुझे बड़ा दुःख है । आप जानते हैं कि आदिवासी लोग गरीब होते हैं और उनके पास किसी प्रकार के हथियार नहीं होते हैं । इस तरह के बड़े डाके आदिवासी नहीं डाल सकते हैं । उन डाकों के अन्दर अच्छे-अच्छे जागीरदारों का बड़ा हाथ था और बड़े व्यवस्थित ढंग से यह डकैतियाँ डाली गई थीं, लेकिन डकैतियों के मुखिया हैं उनको नहीं पकड़ा है । इसका मुझे बड़ा अफसोस है ।

इसके साथ-साथ हमारे वहां पर पुलिस विभाग की तरफ से आसपुर में स्पेशल कोर्ट खोला है । उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन इसके अन्दर और व्यवस्था की आवश्यकता है कि जो आदिवासी लोग हैं जोकि वहां पर पकड़े गये हैं वे अनपढ़ हैं और उनकी भाषा में दिये गये बयानों को वकील और मजिस्ट्रेट समझ नहीं सकते । इसलिए उस जगह पर बागड़ी समझने वाले आदमी की व्यवस्था की जाय ताकि वे अपना बयान अपनी भाषा में दे सकें और उससे सही व्यवस्था हो सके ।

इसके साथ-साथ वहां पर थाने और चौकियां कायम करने की आवश्यकता है । सगवाड़ा बड़ा शहर है । उसके अन्दर पहले थाना था, लेकिन अब थाना है वह सगवाड़े के बाहर है इसलिए शहर के अन्दर जहां पहले थाना था वहां चौकी कायम की जाय ।

इसके साथ-साथ सगवाड़े और सायला के बीच में 30 मील का एरिया है और उसमें बड़े बड़े कस्बे हैं -- करियाणा, बोडीगामा और पादेड़ी-ये तीन कस्बे हैं जिनके अन्दर पुलिस चौकियां कायम करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई डकैत लोग इधर उधर घूमते हैं और बड़ी अव्यवस्था रहती है ।

इसके साथ-साथ डूंगरपुर जिले में कत्ल के केसेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं । उसकी पुलिस विभाग को हर तरह से व्यवस्था करना चाहिए ताकि ये कत्ल न हों ।

इसके साथ-साथ हमारे वहां कई पुलिस के अधिकारी हैं वे मनमानी कर रहे हैं आजकल । उसके लिए भी मैं आपसे यह निवेदन करूं कि उसकी भी व्यवस्था की जाय । जब एक आदिवासी लकड़ी की मोली लेकर आ जाता है तो जंगलात वाले तो नहीं पकड़ते हैं लेकिन पुलिस वाले उस आदमी को पकड़कर ले जाते हैं और घर ले जाकर उसकी लकड़ी घर में डलवा देते हैं और वह गरीब बेचारा वैसा का वैसा ही वापस आ जाता है ।

इसके साथ-साथ हमारे वहां कनबा का थाना है वहां पर जो थानेदार है उन्होंने एक छगनलाल दुकानदार है उसके छोटा सा लडका है उसके लड़के की राज्य की दूसरे लड़के के साथ दोस्ती है तो उससे वह 50 रुपये उधार मांगकर ले गया और उसकी शराब पी

(श्री महेन्द्र कुमार)

और दूसरे-तीसरे रोज उस लड़के के पिता को पता लगा कि 50 रुपये कहां गये तो उसको उसके लड़के ने कहा कि अमुक लड़का उधार ले गया है तो छगनलाल ने लड़के को बुलाकर कहा कि भाई 50 रुपये दे दो और तुम मेरे लड़के को समझा-बुझाकर क्यों ले गये । पता नहीं उस लड़के को किसी ने सिखाया कि वह थाने में चला गया और उस थानेदार ने सुबह ही उस छगनलाल दुकानदार को बुरी तरह मारा कि तुम उस लड़के से रिश्वत मांग रहे थे । तो पुलिस की हरकतें अब धीरे-धीरे कुछ बढ़ रही हैं । मेरा गृह मंत्रीजी से यही निवेदन है कि वहां पर हर तरह से पुलिस को इस तरह की हिदायत दी जाय कि गरीबों को कम से कम नहीं सताया जाय ।

इसके साथ-साथ मैं 2-4 बातें कह दूं निमार्ण के सम्बन्ध में । जिला डूंगरपुर में 2-3 वर्षों में फैमिन के अन्दर कई सड़कें बनी हैं और प्लान वर्क में जो सड़कें बनी हैं वे सड़कें 20 वर्ष हो गये लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई हैं । पता नहीं कि पी० डब्ल्यू० डी० में क्या अव्यवस्था है ? मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि हमारे वहां जितनी सड़कें प्लान वर्क के अन्दर चल रही हैं उसके आस-पास पहाड़ों में इतनी मिट्टी पड़ी है या इतना मेटेरियल पड़ा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है । मैंने यह देखा है कि इस विभाग के अन्दर काफी भ्रष्टाचार चल रहा है । ओवरसियर आता है और महीना, दो महीना, 3 महीना और 6 महीना रहता है और छः सात महीने में कोई मोटर साइकिल ले लेते है और कोई स्कूटर ले लेते हैं । आखिर में इतना पैसा कहां से आया इतनी जल्दी ? मेरे ख्याल में तनख्वाह में से इतनी जल्दी कोई मोटर साइकल या स्कूटर नहीं खरीद सकता । इसलिए कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी होती है । मेरा जहां तक ख्याल है, पुराना मेटिरियल उन सड़कों के आस पास होता है, उस मेटिरियल को नया मेटिरियल बता देते है कि हमने इतनी गिट्टी तुड़वाई है, इतना काम किया है और उसका बिल बना कर पैसा खुद ले लेते हैं और इस तरह से पैसा हर तरह से लूटने की कोशिश करते हैं । हमारे वहां इस तरह की सड़कें हैं जो आज भी अधूरी हैं । इसलिए मैं नवाब साहब से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर से माही वाया सावला रोड है, यह रोड बीस साल से चली आ रही है लेकिन अधूरी है । इसी प्रकार सागवाड़ा से आसपुर की रोड है यह रोड भी चार साल से चली आ रही है, इसका सी० डी० वर्क है वह भी पूरा नहीं हुआ है । पादेड़ी से सागवाडा रोड है यह रोड अधूरी की अधूरी चल रही है । इसी प्रकार डूंगरपुर से सागवाड़ा वाया ठाकेड़ा रोड है यह रोड अधूरी है । थाना से मेवाड़ा, जो रोड गुजरात से मिलाती है और जिस पर गुजरात की बसें आती हैं और डूंगरपुर जिले की बसें भी गुजरात जाती हैं । इसलिए उस रोड को पी० डब्ल्यू० डी० को जल्दी से जल्दी हुक्म देकर बना देना चाहिए । इसके साथ साथ इन सड़कों को पक्का बनाने के लिए निवेदन करता हूं । इंजीनियर ओवरसियर यह कहते हैं कि हमारे सामने एक समस्या रहती है कि हमारे पास में रोलर नहीं है

(श्री महेन्द्र कुमार)

यह नहीं है या ट्रक नहीं है तो हम किस तरह से पूरा करें । तो मैं मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० की जो सड़के अधूरी हैं इन सड़कों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय । ओतरी से ओवरी की जो रोड़ अधूरी है, वहां आदिवासी बसते हैं और उस इलाके में अकाल पड़ जाता है तो रोड के साधन के बिना जल्दी से जल्दी अनाज नहीं पहुंचा सकते है, इसके अलावा और दूसरी व्यवस्था भी वहां नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन रोड्स को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अभी वैसे हमारे यहां अकाल चल रहा है, इसलिए जो सड़कें अधूरी हैं उनको फैमिन कार्य के द्वारा पूरा कराया जाय ताकि यह सड़कें पूरी हो सकें । मैं इतना ही कहकर बैठता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल । संक्षेप में, माननीय सदस्य ।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन): चितौड़ जिले के लिए, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें ।

श्री शंकरलाल जाट : मैं सार्वजनिक निर्माण-मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे तो भवानी शंकरजी के देहावसान के बाद में चित्तौड़ जिले की उपेक्षा की जा रही है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : विधवा हो गया जिला ।

श्री शंकरलाल जाट : वहां पर सड़कों का नाम निशान नहीं है । वहां जो थोड़ी बहुत सड़क बनी हुई हैं, उन पर पहले जो डामर बिछाया हुआ था उसके बाद में उनकी मरम्मत नहीं हुई और अब उन पर खड्डे बने हुए हैं । गत वर्ष जो अकाल राहत कार्य चले थे उनमें उन पर मिट्टी डलवाई गई थी । उसके बाद हमने इस बात का प्रयत्न किया कि इनको कम से कम इस साल की योजना में ले लें ताकि जो सरकार का इन पर पैसा खर्च हुआ है उसका दुरुपयोग नहीं हो । मेरा निवेदन है कि बदकिस्मती से साल, दो साल और यही स्थिति रही तो उनकी मिट्टी बहकर चली जायगी और जो पैसा इन पर खर्च हुआ है वह किसी काम का नहीं रहेगा । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रगति रिपोर्ट आपने दी है उसमें आपने बताया है कि हमने सब जिलों के अन्दर तहसीलों को जिला हैड-क्वार्टर से सम्बन्धित कर दिया है, लेकिन चित्तौड़ जिले में प्रतापगढ़ तहसील और बड़ी सादड़ी की स्कीम बनाई हुई है, वह प्रतापगढ, मंदसौर और बड़ी सादड़ी की सड़क नीमच होकर आई है । इसकी इतनी सड़क बन गई है, तो दस मील का टुकड़ा और बनवा दिया जाय ताकि तहसील को आप जिला हेडक्वार्टर से जोड़ सकें। इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि बड़ी सादड़ी को दो हिस्सों में बांट रखा है—छोटी सादड़ी डूंगला होकर जाती है । यदि वर्षा के टाइम में कभी मीटिंग होती है तो हम मीटिंग में नहीं जा पाते हैं । इस सड़क की ऐसी दुर्दशा है । इस सड़क पर अर्थ वर्क हो चुका है । हम डामर रोड

(श्री शंकरलाल जाट)

नहीं चाहते हैं लेकिन आप हमको चालू रास्ता दें दें तो हम उसको डामर रोड मान लेंगे। बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी की सड़क की स्कीम है वह बन रही है लेकिन अब तक उस पर पुलिया नहीं बना पाई है। इस वर्ष ओसवालों के पूज्य महाराज चतुर्मास वहां करेंगे उस पर करीब तीन लाख रुपया खर्च होगा। मैं समझता हूं, लाखों आदमी उस समय बाहर से आयेंगे। वह क्या कहेंगे राजस्थान सरकार को ? इसलिये आप महरबानी करके जो पुलिया बनानी बाकी हैं वह बना दें और छोटे छोटे जो टुकड़े पड़े हैं मील, दो मील के टुकड़े उनको पूरा करदें तो आपको धन्यवाद तुरन्त देंगे। आप कहेंगे कि हमने इतना पैसा उस क्षेत्र में खर्च किया है लेकिन मेरा निवेदन है कि प्रतापगढ़ से दहरियावास की सड़क ले ली ह वह भी पूरी नहीं हो पायी है। प्रतापगढ़-बांसवाड़ा, प्रतापगढ़-निम्बाहेड़ा वाया छोटी सादड़ी सड़क है, वह यों कि यों पड़ी है। उस पर क्या प्रगति हुई है। जो मिट्टी बिखेर दी जाती हैं क्या आप उसको प्रगति मानते हैं ? अगर ऐसा है, तो ठीक है, हम कहेंगे कि बड़ी प्रगति की है। मेरा निवेदन है कि तहसील और जिलों को जोड़ने वाली स्कीम एकदम आप हाथ में ले लें तो हमें उसमें काफी फायदा मिल सकता है।

पुलिस के लिये मेरा निवेदन है कि पुलिस सुरक्षा के लिए अच्छा काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं होम मिनिस्टर को निवेदन करना चाहता हूं, जहां कहीं मौत होने वहां के लिए आदेश दे दिया जाय कि पुलिस वाले तंग न करें और उन लोगों को अगर कोई क्रियाकर्म करना है तो उन्हें क्रियाकर्म करने दें। पुलिस वालों को कह दें कि हमें उससे क्या लेना-देना है। आज यह होता है कि पुलिस वाले जाते हैं बैठने के लिए लेकिन वहां जाकर धूमधाम करते और हैं इसके लिए उनको देना पड़ता है। इससे तो हम शर्म आती है। भीमगढ़ की बात बताऊं। वैसे मैं मानता हूं कि क्रियाकर्म किया वह ठीक है कि अपराध है लेकिन वहां पर पुलिस गई और बाद में पुलिस गवाही पेश कर रही है कि हमारे साथ में मारपीट की। इससे तो हमें शर्म आती है यह कहते हुए कि पुलिस हमारी रक्षा कैसे करेगी जब उसके खुद के ही जूते पड़े। अगर ऐसा होता है तो कहें तो नहीं क्योंकि इससे पुलिस की बदनामी होती है। इसलिये यह आदेश कर दीजिये कि वहां पुलिस वाले नहीं पहुंचे। सरपंच या पटवारी को कह दें कि वह ऐसा न होने दें। लेकिन पुलिस वाले वहां जाकर हैरेसमेंट न करें। इतना ही मैं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाये गये हैं—मैं उनसे सहमत हूं। मैं तो यह भी कहता हूं कि कुछ वर्ष पहले, चालीस वर्ष पहले भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट में पुलिस और राजस्व डिपार्टमेंट गिन जाते थे, पी० डब्ल्यू० डी० गिना जाता था लेकिन आज कल देखा जाय तो सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। हम भी भ्रष्टाचारी हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा, हम मेम्बर भी उससे अलग नहीं हो सकते हैं। अब इसका कारण क्या हुआ ? हमें इसके रूट काज में जाना चाहिये। रूट काज यह है कि नैतिकता गिराई है और राष्ट्रीय भावना अपने में उत्पन्न नहीं की है। मुझे ताज्जुब

(श्री ओमदत्त भारती)

होता है कि राष्ट्रीय भावना जो रूट है किसी राष्ट्र का और सब उस रूट से ही परे हों तो भारतवर्ष के अन्दर हम जो जनता का कल्याण करने जा रहे हैं वह कैसे होगा ? मैं निवेदन करता हूं कि नेता लोग सब में राष्ट्रीय भावना पैदा करें, नैतिकता पैदा करें तब डिपार्टमेंट्स तरक्की कर सकते हैं । आज एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो, सब डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है और पुलिस डिपार्टमेंट में तो भ्रष्टाचार इस सीमा तक पहुंच गया है कि पैसे बगैर कोई काम नहीं होता । मैंने एक डी० ओ० लैटर लिखा था गृह मंत्रीजी को कि इस डिपार्टमेंट को खत्म क्यों नहीं किया जाता है ? इस डिपार्टमेंट को खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि जब काम ही नहीं करे और बाढ़ खेत को खाये तो उस बाढ़ को रखने से क्या फायदा ? हमारे मेडिकल पाइन्ट ऑफ व्यू से यह है कि टांसिल जो अपने गले में हैं, हम कहते हैं कि यह हमारे शरीर के चौकीदार हैं । लेकिन जब चौकीदार ही बीमारी से ग्रसित हो जायं और बीमारी के कीड़े अन्दर जाने दें और खाने में ऑब्सट्रक्शन (रुकावट) करें तो टौन्सिल को निकाल देते हैं । इसी तरह से पुलिस काम नहीं करे, पुलिस झगड़े की जड़ हो, लूट मार हो, गुण्डागर्दी हो और पुलिस खड़ी देखती रहे तो इस पुलिस डिपार्टमेंट को ही खत्म करना चाहिए । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है एडमिनिस्ट्रेशन में डे टू डे इन्टरफियरेन्स । हर एक डिपार्टमेंट में मंत्रियों का, एम० एल० एज० का इन्टरफियरेन्स होता है । तरक्की करनी हो, अपॉइन्टमेंट करना हो तो बिना सिफारिश के या पैसे के काम नहीं होता है । इसलिए अपने को सोचना है कि अगर देश को सुधारना है, तो मैं तो कहता हूं कि इस कांग्रेस सरकार के राज्य में तो सभी भ्रष्ट हो गये हैं, इस कारण कोई आदमी इससे बचा नहीं है । आदमी वह भी है जो इधर बैठे हैं और आदमी वह भी हैं जो उधर बैठे हैं । इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है । Power corrupts a man, and absolute power corrupts one absolutely. तो इनके बीस वर्ष के राज्य काल में यह एब्सोल्यूट करप्ट हो गये हैं, इनमें अहंकार आ गया है, यह कोई भली बात नहीं कर सकते हैं इस वास्ते विरोधी दल के नेताओं को कहता हूं कि एक क्यों नहीं हो जाते ? पर ये भी स्वार्थ के वश नेता होना चाहते हैं, इसलिये एक नहीं होते । शर्म की बात है । अगर देश की तरक्की करनी है तो सबको एक ही सिद्धान्त मानना होगा कि देश का हमें उद्धार करना है दूसरी बातें सब सैकेण्ड्री हैं ।

जोधपुर का हाल कहूं गुण्डागिरी का । उपाध्यक्ष महोदय, आप वहां आते जाते हैं । जोधपुर में जैसे लड्डू रखा है, हर मंत्री वहां जाता है आता है । वहां हमारे वित्त मंत्रीजी के लड़के और भानजे को मारे, यह शर्म की बात है । मैं तो कहता हूं वह दिन आ रहा है जब मन्त्रियों को और हमको भी मारेंगे । गेहूं के साथ घन भी पिस जाता है । हम ईमानदार हैं तो भी मारे जायेंगे । एक एडजोर्नमेंट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) रखा था विद्यार्थियों में अनुशासन के बारे में, पर इसम विद्यार्थियों का क्या कसूर, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसे नेता वैसे हम.......

श्री मूलचन्द डागा: जैसी प्रजा वैसा राजा। यह जमाना है आज कल तो।

श्री ओमदत्त भाटी: पर नेता को बनाया किसने? मंत्री को बनाया किसने? हम नहीं होते तो मंत्री कहां से होते? नेता कहां से होते? इसलिये हम जरूरी हैं, प्रजा इम्पॉर्टेन्ट है, न कि ये लोग। इसको समझना चाहिये। अब समय आ गया है कि हम इस चीज को समझें। मैंने अध्यक्ष महोदय को भी लिखा है कि हमारे कटौती प्रस्ताव हैं, वे हमारे क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में हैं, हम ही उन समस्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं और बोल सकते हैं, हमारे नेता उन समस्याओं को कैसे जान सकते हैं और उनके बारे में कैसे बोल सकते हैं? आप बहस एक दिन के बजाय दो दिन ज्यादा चलाओ, पर हमारे कटौती प्रस्तावों पर तो हम ही बोलेंगे, उन पर नेता नहीं बोल सकते। हां नीतियों पर हमारी पार्टी के सिद्धान्तों के ऊपर वे बोल सकते ह, पर हमारे कटौती प्रस्तावों के बारे में तो हम ही बोलेंगे यह मेरी धारणा है।

अब मैं एडजॉर्नमेंट मोशन की बात कहता हूं। यह अनुशासनहीनता लड़कों में कैसे आई? सबके सब लड़के खराब नहीं हैं। उनमें से एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट खराब होंगे। उनको मंत्रियों का, पद का, एम० एल० एज की शह मिलती है। क्योंकि बच्चों का दिमागी स्तर डेवलप नहीं होता इसलिये झगड़े होते हैं। एक रामधन चौधरी नामक लड़का है, उसने श्री एन० एम० अरोड़ा (Eng. College) के लेक्चरार हैं, उनको कहा कि मेरा हाजरी पर्सेन्टेज कम पड़ता है इसलिये मेरा पर्सेन्टेज बढ़ाओ। लेक्चरार ने कहा कि यह कसे हो सकता है? पर्सेन्टेज कम है, उसको मैं नहीं बढ़ा सकता। इस पर उस लड़के ने लेक्चरार के हाथ से रजिस्टर खींच कर पटक दिया। इसी तरह श्री सेठी इंगलिश के लेक्चरार थे उनको उसने कहा कि मेरे नम्बर बढ़ाओ। इस पर सेठी लेक्चरार ने कहा कि मैं नम्बर नहीं बढ़ा सकता। इस पर उस लड़के ने उनको धमकियां दीं और श्री अरोड़ा के घर में, तलवार ले कर गया और मारने की धमकी दी तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे केस को वाइस चान्स्लर को रिकमण्ड कर दूंगा। इस तरह की नरमाई कर उस लेक्चरार ने अपना पिण्ड छुड़ाया। तो लोगों में आज अनुशासनहीनता फैल रही है। वह लड़कों का कसूर नहीं है, वे बेरोजगारी को देखते हैं। समय की पुकार को हम नहीं देखते। पुलिस खड़ी देखती रहती है। पुलिस तो यह देखती है कि हमारी तरक्की हो जायगी। एक वर्ग ने हमको शह दी है। जो लड़के लेक्चरार के घर में घुसे चार पांच लड़के साथ थे, उनमें से एक को सस्पेन्ड कर दिया और श्री अरोड़ा को पुलिस का संरक्षण मिल गया। तीन चार और लड़के थे उनके नाम मैं बता देता हूं राजकुमार, नाहरसिंह, तेजाराम इत्यादि। इनके खिलाफ केस ट्रेसपास का दर्ज किया। जब तलवार ले कर गये थे तो यह ट्रेसपास कैसा? यह तो कॉन्स्प्रेसी फॉर मर्डर या अटेम्प्ट फॉर मर्डर का केस है। पर इसमें पुलिस की साजिश है। अगर अटेन्डेन्स इस तरह से कराई जाने लगी तो सारे का सारा मामला गड़बड़ हो जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि गृह मंत्रीजी को इसमें पूरी मुस्तैदी से एक्शन लेना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य: यह तो राज ही मारने से बना है और मारने वालों को इस राज में तरक्की मिलती है।

श्री मूलचन्द डागा: यह गलत बात है।

Page No 192

श्री ओमदत्त भाटी : मंत्रीजी देवपुराजी से मिला। मेरे को मंत्रियों से मिलने का शौक नहीं है। मैंने लेक्चरार की रिपोर्ट उनको दी तो उन्होंने कहा कि मैं आई० जी० पी० को कहूंगा। दूसरे दिन फिर गया तो कहा कि मैं तो भूल गया, आज कह दूंगा। आज फिर देखा, शायद उनको टाइम नहीं मिला। मैंने देखा कि देखें, देवपुराजी से ही काम हो जाय उनको फिर कहा तो कहा कि होम मिनिस्टर साहब यहीं हैं, उनको कह दें, तो कहना पड़ता है कि हमारे सेवक हैं वे हमारा काम नहीं करते हैं। मिनिस्टर प्रजा के सेवक हैं तो हमारे सेवक हैं। राइट बात उनको करनी चाहिये। मैं सब डिपार्टमेंट को हिदायत करता हूं मंत्रियों के नीचे जितने डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में मंत्रियों को इन्टरफियरेंस नहीं करना चाहिये। जिलाधीश इनके कहने के माफिक काम करते हैं और उनको कहते हुए हम सुनते हैं कि यह पेट पापी है, दूसरी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वे हिज मास्टर्स वॉइस हो गये हैं। पर यह सब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। सबको सतर्क होना चाहिये कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं?

मैं निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में सड़कें तो ऐसी ज्यादा नहीं हैं पर एप्रोच रोड्स हैं, डिगाड़ी से बिलाड़ा रोड, शोभावतों की ढाणी से पाल रोड, रूपावतों की ढाणी से तिंवरी, एक लाल सागर होती हुई नागौर सड़क जाती है, उनको ठीक करने की कोशिश करें।

श्री मूलचन्द डागा : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में जयपुर जिले की सड़कों के बारे में मेरे..

श्री मूलचन्द डागा : ये तो हमेशा ही बोलते हैं।

श्री किशनलाल वर्मा : आप डिस्टर्ब न करें। डागा साहब, आपकी आदत दिन-दिन खराब होती जा रही है, यह तरीका आपने अख्त्यार कर रखा है, यह बुरा तरीका है। आपको ऐसा कौनसा ज्यादा मिला हुआ है कि आप इस तरह से हर एक को डिस्टर्ब करते हैं। आपको इस प्रकार का कोई हक नहीं है कि हर एक के काम में गड़बड़ी पैदा कर, हर एक को बीच में डिस्टर्ब करें...

एक माननीय सदस्य : शाबाश।

श्री किशनलाल वर्मा : सब माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार है, आपने ही अपने आपको ऐसा ज्यादा क्यों समझ रखा है कि हर एक माननीय सदस्य के भाषण में गड़बड़ी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : यह भाषण का अंश है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सारे सदन के लिये यह उपयोगी है।

श्री किशनलाल वर्मा : इस प्रकार की चमचागिरी करते हैं, यह बन्द होनी चाहिये····

श्री उपाध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहें।

श्री मूलचन्द डागा : यह बिलकुल गलत है कहना।

श्री दौलतराम सारण : यह चमचागिरी···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह वही किशनलालजी वर्मा हैं, जिनको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बना रहे थे लेकिन इन्होंने उसको ठोकर मार दी। इनका करेक्टर आप जैसा नहीं है। इनका केरेक्टर ऊंचा निकला है।

श्री किशनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क-निर्माण के सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं। जयपुर जिले में जितने सड़क निर्माण कार्य हो रहे हैं उनमें बराबर मैं देखता हूं कि जयपुर जिले की उपेक्षा हो रही है। जयपुर जिला जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा जिला है। आमदनी के हिसाब से पूरी आमदनी का 24 प्रतिशत खाली जयपुर जिला देता है। जयपुर जिले के अलावा जयपुर डिविजन की आमदनी को देखा जो तो पूरे राजस्थान की आमदनी का 44 प्रतिशत है। तो चाहे जनसंख्या को देखें, चाहे आमदनी के हिसाब से देखें उस अनुपात से यदि पैसा खर्च किया जावे तो मैं समझता हूं कि उस जिले के साथ उस डिविजन के साथ न्याय होता है, इन्साफ होता है, लेकिन यह देखन में आता है कि वहां की जितनी आमदनी होती है उतना पैसा नहीं खर्च किया जाता है इसलिए इस क्षेत्रीय असंतुलन से काफी असंतोष है। गत वर्ष देखा जाय तो सड़कों के लिए केवल 30 हजार रुपए रखे इतने बड़े जिले के लिए। इस वर्ष कोई रुपया नहीं रखा है, यह बहुत ही अफसोस की बात है। चौथी योजना में हम देखते हैं तो 9 करोड़ रुपए की धनराशि म से केवल जयपुर जिले के लिए 6 लाख 20 हजार रुपये की धनराशि रखी राहत कार्यों के तहत। क्या जोधपुर में, क्या उदयपुर में करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं अकाल के बहाने समझें या बोर्डर रोड्स के कार्य हेतु समझें, लेकिन यह सड़क-निर्माण कार्य नहीं होता है। अकाल के समय भी और वैसे भी। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी इन्च सड़क निर्माण कार्य नहीं कराया गया और आज तक छोटे मोटे कोई मरम्मत के काम कराये हैं तो वे भी अधूरे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का कर्जा बढ़ता जा रहा है, उसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हमारे जिले की आमदनी बहुत होती है उसके बावजूद कर्जा और ब्याज का भार हम पर बढ़ता जा रहा है और वह भी हमें देना पड़ता है। यह हमें बर्दाश्त नहीं है। इस प्रकार हम लोगों के साथ हमारी जनता के साथ जो एक प्रकार का अन्याय किया जाता है, यह बात देखने को बराबर हमें मिलती है। जब भी सड़क-निर्माण की बात मंत्री महोदय से कहते हैं कि जयपुर जिले में फलां सड़क बनानी है तो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उनके यहां सड़कें लाखों रुपए खर्च करके बनाई जाती हैं, मंत्रियों के यहां काम हो जाते हैं और जोधपुर व उदयपुर डिविजन में, जैसा मैंने बताया, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं किसी भी बहाने लेकिन हमारे यहां अगर छोटा काम भी होगा तो बताया जाता है कि बजट में पैसा नहीं है। जब हम देखते है कि लाखों रुपए इस तरह खर्च किए जाते हैं और हमें सही बात नहीं बताई जाती है तो दुख होता है। आखिर हमारे आधार से आज आप मंत्रिमंडल में बैठे हैं। यदि हमारा सहयोग आपको नहीं मिले और हमारा हिस्सा नहीं हो तो आपकी सर-

(श्री किशनलाल वर्मा)

सरकार चल नहीं सकती । हमारा बराबर का हिस्सा है, जो अधिकार हमें मिलना चाहिए, वह अवश्य मिलना चाहिए । उनके अधिकार और हमारे अधिकार में गैरइन्साफी नहीं होनी चाहिए । पूर्वी राजस्थान की जनता के साथ बराबर इस प्रकार का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है; अन्याय किया जाता है और जितना हक होता है, जितना हिस्सा होता है, वह नहीं मिलता है । इसका अंजाम किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि बिना पूर्वी राजस्थान के निर्माण किए कोई रास्ता नहीं निकलेगा, और राजस्थान का पुनः निर्माण आवश्यक होगा । न इसको जोधपुर और न उदयपुर इसे रोक सकता है । आप चाहें जोधपुर और उदयपुर की एकता के बल पर पूरे राजस्थान पर राज्य करें और हमारे साथ अन्याय करें और उचित प्रकार से इन्साफ न करें तो यह बात चलने वाली नहीं है । इसलिए सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए । समय आ गया है कि कम से कम आप आंख खोलें और जो इन्साफ की बात है, उसको पूरा करें ।

जयपुर जिले में हम देखते हैं कि सड़कों की हालत बहुत खराब है । बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए हैं, उनकी रोड़ी निकल रही है । कई बार मरम्मत के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मंत्री महोदय से कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । मेरे यहां तहसील दौसा से भंडारी जो सड़क जाती है, उसकी हालत खराब है । जगह जगह रोड़ी निकल रही है ट्रक और बसें पास नहीं हो सकती । कई बार लिख दिया कि सड़क की मरम्मत करवाई जाये लेकिन आज तक कुछ नहीं करवाई

तहसील सिकराय पिछड़ी हुई तहसील है जिसके बीच में होकर कोई सड़क नहीं है । जो सड़क सिकंदरा और गीजगढ़ गई है, उसमें से गांव गोलस, छोकरवड़ा, मंडारी होती हुई गांव गागदवाड़ा, गडरावा व टोरडा होती हुई गांव लाका, बैरावड़ा होती हुई ऊकाली की घाटी में जाती है । उसको बनाने के लिए जनता की तरफ से मांग की गई । पंचायतों और पंचायत समिति की तरफ से मांग रखी गई लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है, उसके लिये मुझे अफसोस है । इसके अलावा सिकराय से लेकर कली की कोटी दो-तीन मील का टुकड़ा है उसको यदि जोड़ दिया जाय तो गीजगढ़ जाने के लिए जो 17 मील का टुकड़ा है, वह केवल 5 मील ग पूरा हो सकता है, और 12 मील का चक्कर मिट सकता है । इसी प्रकार गांव ठीकरिया से करोड़ी दो मील का टुकड़ा है जो पंचायत समिति ने बनाया है, उस पर डामर नहीं हुई है अतः सड़क खराब होती जा रही है, रोड़ी निकलती जा रही है और हर प्रकार हालत खराब होती जा रही है । यदि उस सड़क पर डामर बिछाई जाये तो सड़क ठीक हो सकती है ।

इसके अलावा सिकराय-मानपुर, मानपुर थाने से जो सड़क सिकराय गई है, कम चौड़ी है व हालत खराब है । दो-तीन जगह पुलें बनाने की आवश्यकता है । बरसात के दिनों जब पानी आता है तो सारे रास्ते रुक जाते हैं और आवागमन बंद हो जाता है । पुलों के साथ सड़क भी चौड़ी करदें, और ऊंचाई बढ़ा दी जावे तो तहसील हैडक्वार्टर पर जाने वालों लिए रास्ता अच्छा हो सकता है ।

(श्री किशनलाल वर्मा)

तहसील दौसा में दौसा से लेकर लालसोट जो सड़क जाती है उसमें से जो सड़क बनियाना होती हुई तुंगा जाती है, कई जगह टूटी पड़ी है, कई जगह टुकड़े अधूरे पड़े हैं, उस पर अकाल राहत कार्य के तहत जो कार्य किए गए उसमें काम जरूर किया गया पर सड़क पूरी नहीं बनी इस बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया जाता है, पर कोई सुनाई नहीं होती। एक तरफ ही करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। बोसरवा से लवान तक जो कच्चा रास्ता है, उसको पक्का किया जाय। बालूदा से जो रास्ता पापड़दा होकर जाता है उस पर डेली बस सर्विस जाती है, उसको पक्का किया जाय। इसी प्रकार सिकंदरा से बांदीकुई जाने वाली सड़क पर दो पुलें बनना आवश्यक है बाणगंगा नदी पर व साबा नदी पर इससे सारा आवागमन रुक जाता है। कई बार आश्वासन मिला है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। इसलिये उस काम को शुरू किया जाकर पूरा किया जाय।

पुलिस विभाग ने इस समय काफी सराहनीय काम किया है। डकैतों का सफाया किया है और इस कारण जो लोगों का आना जाना रुक गया था और आवागमन नहीं होता था वह ठीक होकर शुरू हो गया है, और उन जिलों में, क्षेत्रों में आने जाने में आसानी हो रही है। अभी जो स्थान और ऐसे हैं जहां पर डाकुओं का काफी डर है उसकी तरफ़ भी कार्यवाही की जा रही है। यह खुशी की बात है कि जनता को इससे राहत मिल रही है और जनता में संतोष हो रहा है। साथ ही और जो पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है उसके लिये भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस समय में अपराध भी कम हुए हैं। चोरी का माल भी बरामद हुआ है और डाकुओं का सफ़ाया करने में कामयाबी भी हासिल की है। लूट में भी गिरावट आयी है। पुलिस ने चौरियां बरामद की हैं, मोटर कारें बरामद की हैं और बड़ी बड़ी संगीन चोरियां थीं उनका पता लगाने में राजस्थान पुलिस ने जो कार्य किया है वह काबिले तारीफ है। लेकिन मौजूदा समय में तेजी से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसका असर पुलिस में भी है। कई जगह भ्रष्टाचार ज्यादा है और कई जगह कम है। कई स्थानों पर देखने में आता है कि पुलिस बिना लिये कुछ काम भी नहीं करती है। रिपोर्ट दर्ज कराने वालों से भी वह पैसा ले लेती है। रि वत लेने की गरज से मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है और फिर रिश्वत लेकर उसको छोड़ किया जाता है। जनता आज पुलिस से ज्यादा परेशान है। ट्रक वाले परेशान हैं। जगह जगह हमारे सामने यह चीज़ें आती हैं। पुलिस के अधिकारी और हैड कान्स्टेबल के दिमाग में यदि यह आ जाय कि पैसा लेना है तो, लगाई वर्दी और चौराहे पर पहुंच जाते हैं और ट्रक को रोककर उनसे पैसा ले लिया जाता है। कोई चालान वगैरह की कार्यवाही नहीं की जाती है। ट्रक वाले इससे परेशान हैं। धारा 109 जाब्ता फौजदारी के झूठे केसेज बनाये जाते हैं। उनको परेशान किया जाता है और खाना पूर्ति के लिये यह काम किया जाता है। कई जगह बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं, पुलिस की ढिलाई के कारण बरामद नहीं होती हैं जिससे असंतोष बढ़ता है।

ये Ex-criminal Tribe के लोग जो जरायम पेशा कौम के लोग हैं उनको चौरियां तलाश करने के लिये दबाया जाता

(श्री किशनलाल वर्मा)

हैं और पुलिस वाले उनको इस काम में लेते हैं। इससे चोरियां बढ़ती हैं। उनमें से जो लोग खेती करने लग गये हैं, अन्य अच्छा धन्धा करते हैं उनकी इज्जत खराब की जाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा बड़े-बड़े कत्ल के केस हो जाते हैं उनमें कई जगह पैसा खाकर पुलिस उनको दबा देती है। गांव रायपुर, तहसील महुआ, जिला सवाई माधोपुर में नानगा मीणा की औरत को 30-9-69 को खेत में मार दिया। उसमें कन्हैया आदि को गिरफ्तार जरूर किया था उसकी कोई कार्यवाही नहीं की और इस कत्ल के केस में उनको छोड़ दिया गया। तहसील लालसोट के गांव मिर्जापुर में तारीख 12 जनवरी को झगड़ा हुआ उसमें एक औरत मारी गयी। डॉक्टर और थानेदार मिल गये। रिश्वत के आधार पर केस दबा दिया गया। ऐसे मामलों में यदि ऊपर तक कार्यवाही की जाय तो जरूर सुनवाई होती है। बड़े बड़े अफसरों तक सुनवाई जरूर ठीक हो जाती है, लेकिन नीचे का जो हिसाब है उसको ठीक किया जाना जरूरी है। तहसील दौसा में जहां पहिले लवाणा की पुलिस चौकी थी वह बन्द होने पर चोरियों की ज्यादा वारदातें बढ़ गयी हैं। वहां पुनः चौकी खोला जाना आवश्यक है अतः वहां पर चौकी पुनः खोली जाय तो चोरी की वारदातें कम हो सकती हैं। तहसील दौसा में खवा है। वहां पर सांसी बसा रखे हैं। उनके द्वारा चोरियां की वारदातें से जनता भयभीत है तो इस संबंध में पुलिस अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया गया : उसमें कार्यवाही नहीं हुई। सांसी कंजर हैं वे जनता को परेशान करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! समय काफी हो गया है।

श्री किशनलाल वर्मा : इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। काफी समय हो चुका है। एक दो माननीय सदस्यों को अवसर देकर भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल। समय सीमा पांच मिनिट।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो अच्छी तरह से जम कर बोलना चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष और किसी दिन अवसर दे देंगे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आपने जो मुझे समय दिया उसके लिये मैं अपना आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा।

उपाध्यक्षजी, भरतपुर जिले में डाकू उन्मूलन के सिलसिले में कामयाबी हासिल हुई निःसंदेह उसके लिये राजस्थान की पुलिस गौरवशाली है और मैं राजस्थान की पुलिस को उस कामयाबी के लिये जरूर बधाई देता हूं।

Page No 197

श्री रघुनाथ विश्नोई: आज तो आपने पहली बार धन्यवाद दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धन्यवाद बड़ा चरपरा निकलेगा।

श्री मदनसिंह: हाथी पर चढ़ कर आप तो गधे पर चढ़ जाते हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: जहां हम अच्छे कार्य की प्रशंसा करते हैं, वीरता और शौर्यता की प्रशंसा करते हैं वहां हम भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना चाहते। सदन में गृह मंत्रीजी मौजूद हैं। गृह मंत्रीजी पहले सदन में राजाखड़ा से चुनकर आये थे और आपका उस इलाके के लोगों से निकट सम्पर्क है ऐसा मैं मानकर चलता हूं। धौलपुर के इलाके में क्या क्या काण्ड, क्या क्या सौदे बाजी हो जाती है उस संबंध में मुझे अभी कुछ नहीं कहना है क्योंकि समय का अभाव है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में जो राज रोग है उसका मुख्य कारण है कि जिस विभाग के आप मालिक है उसमें नीचे से लेकर आपके ऊपर तक ऊंची से ऊंची कड़ी जुड़ी हुई है। प्रत्येक थाने में नियुक्ति पैसा लेकर होती है और वह नियुक्तियां स्थानीय अधिकारी करते हों, आप स्वयम् खास खास कारण से डाइरेक्ट अपॉइन्टमेन्ट थाने पर करते हैं। बार बार ट्रांसफर्स होते हैं, फैसल हो जाते हैं। इसके पीछे क्या राज है। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन

(6.48 म०प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

करना चाहता हूं कि उन तमाम बातों की जमकर जांच होनी चाहिये। थाने पर नियुक्ति करते हुए इस थानेदार से इतना, इस चौकी से इतना रुपया, इस नाके से इतना रुपया, उन्होंने भी इस रंडी से इतना रुपया, इस अड्डे से इतना रुपया, इस डकैत से इतना रुपया, इस तरह का हिसाब कर रखा है। मैं निवेदन करूं कि भरतपुर जिले में आज भी डाकू दल सक्रिय है जंगाल. फूला और माखन और दूसरे कंवरजी वगैरह हैं। आखिर राजस्थान की पुलिस और उन डकैत दलों के क्या संबंध हो सकते हैं? कब तक यह चलेगा? आंख मिचौनी कब तक चलेगी? इन लोगों का रिश्ता है। अच्छे संबंध हैं। भाई भंवरजी ने अभी कहा कि यह डाकू लोग यू० पी०, मध्य प्रदेश में भाग जाते हैं। राजस्थान में आ जाते हैं। यह हकीकत है। लेकिन इन आंख मिचौनियों के लिये वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ जिम्मेदार है या नहीं? खास तौर से गृह मंत्रीजी आपकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? यह प्रश्न मूर्त रूप में खड़ा होता है? इस प्रश्न की उस भूमिका में मैं जाना चाहूंगा। इसमें यादव काण्ड की बात नहीं करूंगा जिस कांड में 8 लड़के उड़ा लिये गये, टोंक के इलाके के आपके भानजे को उड़ा लिया गया था और वह किस प्रकार से वापिस आया-यह एक अलग प्रश्न है जिसका आज तक आपने कोई जवाब नहीं दिया है।

मेरे पास यह अखबार है और फोटो कॉपी भी है (सदन में बताते हुए) असल दस्तावेज की और इस दस्तावेज में लिखा है, एक थानेदार अपने इलाके के एस० पी० के नाम एक चिट्ठी लिखता है और वह चिट्ठी डाकू दल के बीच में और पुलिस के बड़े अधिकारियों के बीच में जो कड़ी है उसकी लिंक को जोड़ने में अपने आपमें सक्षम है। वैसे छोटे मोटे सी० आई० हैं, थानेदार और केशियेरों के बारे में ऐसे कितने ही डाक्यूमेण्ट्स मेरे पास में हैं। मैं चुनौती के साथ ईमानदारी

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

के साथ कहना चाहता हूं, मैं इस बात की क्षमता रखता हूं मैं पूरे सबूत देने के लिये तैयार हूं। मैं आपका ध्यान जिस डाक्यूमेण्ट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इसकी फोटो कापी अभियाचिका में छपी है। मेरे पास असल कापी मौजूद है, आप यदि चाहेंगे तो मैं उसको आपके सामने पेश कर दूंगा और मैं उसको टेबल पर रख दूंगा। यह चिट्ठी लिखी गई है 8-1-68 को भरतपुर में उस समय जो एस० पी० साहब थे उनके नाम पर चिट्ठी लिखी है राजाखेड़ा के उस जमाने के थानेदार महोदय ने। उसकी चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं :-

"श्रीमान एस० पी० साहब भरतपुर"

एक माननीय सदस्य : यह आप किस आधार पर बोल रहे हैं ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं अपनी जानकारी के आधार पर बोल रहा हूं। उसमें लिखा है, सभापति महोदय, "श्रीमान एस० पी० साहब, भरतपुर, आपकी सूचना मिली आपके आदेशानुसार मैंने जंगा वल्द से बातचीत की उन्होंने बताया आपके उस कार्य को मार्च के महीने में कर दूंगा"।

जंगा डकैत है, चम्बल घाटी का डकैत है जिसने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को आतंकित कर रखा है। इसने सैकड़ों वारदाते कीं, अपहरण और कत्ल किये।

उस डकैत के रिंग लीडर से राजाखेड़ा का थानेदार मिलता है उससे सौदेबाजी करता है। वह कहता है कि "मैं आपके उस कार्य को मार्च तक कर दूंगा जैसा जवाब हो लौटती डाक से दें। शिवरामसिंह 8-1-68"।

अब सवाल यह है कि यह बात अलग से लिखी गई है "आपके इस कार्य को मार्च तक कर दूंगा"। मेरा नम्रता से निवेदन है कि डकैत से क्या काम करवाना है ? एस० पी० साहब डकैत दल के माध्यम से थानेदार को बीच में लेकर के क्या डाका डलवाने का कार्य करवाते हैं, या और किसी को उड़ान की योजना बनाते हैं ? आखिर यह कौनसा कार्य है जिसको उसने मार्च में करने के लिये कहा है ? यही एक समस्या है जो भेदपूर्ण है। या तो यह होगा कि जो हजारों रुपया महीना देने की बातें होती हैं या तो उनका कोई पिछला बकाया होगा वह लेना होगा, या फिर कोई आदमी को मरवाना चाहते होंगे या डकैती डलवाना चाहते होंगे। आखिर डकैत दल से उनके सुमधुर और मृदुता का ऐसा कौनसा तन्तु था जिसके आधार पर उनको यह चिट्ठी लिखी गई ? यह बताकर मैं इस बात को हिन्ट करना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री महोदय की बड़ी इज्जत करता हूं। मेरा उनसे यही विनम्र निवेदन है कि आप इस गृह विभाग को छोड़ दीजिये। और कोई सा विभाग धर्मादा विभाग ले लें तो ज्यादा अच्छा है। या रेवेन्यू ले लें या और कोई विभाग ले लें, आपको गृह विभाग नहीं रखना चाहिये। ट्रांसपोर्ट विभाग भी मिल जाय तो ऐतराज नहीं होगा। आप इस गृह विभाग को छोड़ दें। इसका कारण यह है, और मेरी निश्चित धारणा बन गई है इसीलिये मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा इस विभाग को छोड़े बिना इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वह समाप्त होने वाला नहीं है। थाने के महीने बन्धे हुए हैं, तीन हजार रुपये, किसी के पांच हजार रु

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)
देने होते हैं तो वे उससे कितना ही ज्यादा उस थाने पर रहते हुए वसूल कर चाहे वह किसी तरह से वसूल करें—लाड़ी से कवाड़ीपन से यह बात अलग है।

इसके अलावा मुझे एक बात और निवेदन करनी है। मेरे पास ऐसे पुर्जे हैं कि किस तरह से सी० आई० ने रुपया मांगा थानेदार से, ए० एस० आई० थानेदार को किस प्रकार पत्र लिखते हैं, इतना शेयर का रुपया दे दो। इस प्रकार के हाथ के लिखे हुए पुर्जे चिट्ठियां मेरे पास हैं वह मैं आपको बता दूंगा। आखिर वे आदमी कौन हैं? वह सर्कल इन्सपेक्टर कौन है जो आपका पुजारी या सेवक है। जो सेवा क ता है, आपकी उस पर कृपा है। आप सर्वप्रथम राजाखेड़ा से चुनाव लड़कर विधान सभा में आये, आपको उस जिले के प्रति टीस है यह समझ में आने वाली बात है। आपको यह भी पता है कि जिन 8 लड़कों का अपहरण हुआ था उनमें आपका भी एक रिश्तेदार था। आखिर वह कैसे आया? यह आपसे छिपी हुई बात नहीं है। उस ट्रैक्टर को भी आप जानते हैं जिसके ट्रेक्टर में बिठाकर उस डकैत ने आठ लड़कों का अपहरण किया। वह ट्रैक्टर उन लड़कों को उठाकर ले गया और वापस वह आ गया। वनवारीजी मैं किसी आदमी का नाम लेकर नहीं चलूंगा।

एक माननीय सदस्य: यह क्यों?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: इसलिये कि उनके इलाके का मामला है। यह जांच का सवाल है। आखिर इनको किन लोगों का संरक्षण मिलता है? आखिर उनको फाइनेन्स कौन करता है? किस तरह से इनके महीने बन्धे हुए हैं एक थानेदार से लेकर ऊपर होम मिनिस्टर तक किस तरह से लिंक बन्धा हुआ है यह इससे स्पष्ट प्रतीत होता है।

श्री सभापति: आप अपने घर को टटोलो।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं, बन्धा हुआ महीना मेरे पास भी आता है। बार बार माननीय सदस्य कह चुके है गृह मंत्री से लेकर नीचे तक पैसा बन्धा हुआ है। अगर उनका यही कहना है तो मैं इस पर प्रिविलेज मोशन दूंगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): सभापति महोदय, इस सदन के अंदर अनेक माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं। थाने नीलाम होते है, बोली बोली जाती है और जो बढ़ता है वह पाता है। आखिर इस प्रकार की बोली बोलने वाले कौन है? आखिर वह पैसा कौन लेता है? यह एक खुला रहस्य है। आम जनता भी यह जानती है कि थाने की नीलामी होती है। आप प्रिविलेज मोशन लाइये और इसकी जांच कराइये। आप इस तरह से प्रिविलेज मोशन की धोंस बताकर माननीय सदस्य पर दबाव डालना चाहते हैं कि वे सही बात नहीं कहें। आप जांच कीजिये, पता लगाइये आखिर ये बातें आती क्यों है?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: मामला गम्भीर है और एक चुनौती दी है कि गृह मंत्री मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन देंगे। इस तरह से किसी सदस्य को दबाने के लिये यह कहना कि मैं आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दूंगा यह अपने आप में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में शर्मनाक चीज है। प्रिविलेज मोशन तो आप पर लाया जाना चाहिये कि मुझे

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

आप सही बात कहने के लिये यह डराते हैं कि प्रिविलेज मोशन दूंगा। यह आपका असंसदीय शिष्टाचार है जो अपने आपमें प्रिविलेज मोशन लाने लायक है। मैं भी चाहता हूं आप मोशन दें, तब आप भी कठघरे में खड़े होइये और मैं भी आपको जवाब दूंगा। मैं निहायत नम्रता के साथ कहता हूं आप बुजुर्ग हैं, मेरी आपमें श्रद्धा है, इन तमाम बातों के लिये मैं आपको चुनौती देता हूं। आप प्रिविलेज मोशन लाइये ताकि आपको भी पता चल जाय।

(7 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इसका स्वागत करूंगा। मैं सदन के मेम्बरों से, उपाध्यक्ष महोदय, निहायत नम्रता के साथ दुबारा कहूंगा कि जब सदन के सदस्य कठघरे में खड़े होंगे तब वे भेद खुलेंगे कि सदन के सदस्य सुनकर आश्चर्य में रह जावेंगे।

मैं यह भी बताऊंगा कि किस तरह से ये सब चीजें चलती हैं। किस तरह से थाने बिका करते हैं और इसकी जड़ में कौन कौन हैं। यह बुराई की जड़ कौन है, कहां पर यह बुराई पनपती है? इस विभाग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अध्यक्ष कौन है! आप समझते हैं कि इस तरह धमकाने से और प्रिविलेज मोशन की धमकी देने से मैं चुप हो जाऊंगा, डर जाऊंगा? जो सच्चाई है उसको प्रकट करके रहूंगा। कलई खोलकर रहूंगा। मैं वह कलई खोलूंगा कि आप सन्न रह जावेंगे। फिर इस तरह से आप एक सदस्य को जिस तरह से धमकी दे रहे है यह आपका कथन एक प्रिविलेज मोशन का आधार बनेगा। प्रिविलेज मोशन तो आप क्या लावेंगे आपसे पहले तो मैं आपके इस कथन पर लाना पसन्द करूंगा?

मैं फिर से अपनी चुनौती दोहराता हूं आप इस सदन के मेम्बरों का एक आयोग निश्चित करें जो इन सारी बातों को देखें, उस इलाके को देखें जाकर फिर एन्क्वायरी कर और एन्क्वायरी करने के बाद अगर उनको इस बात की सच्चाई मिले तो वे बुजुर्ग हैं, सफेदी आ गई है उनकी तो उनको तो एक जो हमारा एक्ट है उसके अन्तर्गत बेनिफिट मिल जावेगा। बुजुर्गी के लिहाज से उनको तो आप माफी दे देंगे और अगर मेरे कहने में कोई गलती मिले तो मैं उसके लिये जवाबदार हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा: यह कहने से काम नहीं चलेगा। आपको स्पेसिफिकली चार्ज बताने होंगे और उनको साबित करना होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई: किसी के खिलाफ इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते। पहले लिख कर देना चाहिये ताकि उनकी जांच और खोजबीन हो सके।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: आपको नये थानेदार लगाने होंगे।

माननीय सदस्य अभी उधर बैठे थे, दुर्भाग्य से आसन पर से आकर इधर बैठ गये।

श्री रामनारायण चौधरी: आप इस तरह से चार्ज नहीं लगा सकते।

(शोरगुल। अश्रव्य)

Page No 201

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : माननीय सदस्य आप अभी उधर बैठे थे। दुर्भाग्य से आसन छोड़कर इधर आकर बैठ गये हैं। वहां बैठकर आप कुछ कहते तो मैं मान लेता। परन्तु मैं जानता था कि आप वहां नहीं बैठते हैं अधिक देर तक। तो आसन से आप इधर आ गये। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां बैठकर इस तरह से अनुशासित करने का आपको अधिकार नहीं है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : इस तरह से डाइरेक्ट चार्ज लगाते हैं माननीय मंत्री के लिये तो साफ तौर से ये चार्ज आने चाहियें। इस तरह से रिश्वतें ली हैं कहकर इन-डाइरेक्ट रूप से होम मिनिस्टर पर आप चार्ज नहीं लगा सकते।

श्री दौलतराम सारण : आप जांच कराओ न।

(शोरगुल : अश्रव्य)

आपको नाराजगी है तो जांच आयोग बिठाओ। आपको पता चल जावेगा। जांच आयोग बिठाइये। आरोप लगाते हैं तो तिलमिलाते हो। सारे राजस्थान को तो खाकर खोखला कर दिया रिश्वतें खा खाकर और यहां ईमानदार बनने का ढोंग रच रहे हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : आप सीधा आरोप लगाइये।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : चूंकि गृह मंत्री पर आरोप लग गया। सच्चाई की कोई बात कह दी गई इसलिये जमीन हिल गई इस सरकार की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आपस में बातें न करें।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका निराकरण, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही तरह से हो सकता है। हाउस की एक कमेटी बना दी जावे जो इसकी सारी जांच कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री रोशनलाल शर्मा : इस तरह की परम्परा को माननीय सदस्य अगर प्रोत्साहन देते हैं तो इसका कहीं अन्त नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका अब कोई निराकरण तो होना चाहिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : यह तरीका गलत है।

श्री रामनारायण चौधरी : सदन की परम्परा के विरुद्ध बातें हो रही हैं। इस प्रकार का भाषण करने का माननीय सदस्य को कोई अधिकार नहीं है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आप इस तरह से किसी को धौंस बता कर रोक नहीं सकते। अगर आप तिलमिलाते हैं तो पहले ये रिश्वतें रोकिये। थाने बिकते हैं। नीचे से ऊपर तक पैसा चलता है। फिर यह सब कौन करता है? किसकी हिम्मत है इतनी? अगर गृह मंत्री इतने ही ईमानदार हैं तो थानों की बिक्री को रोकने की हिम्मत क्यों नहीं करते? जवाब दीजिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : एक सदन में चार्ज लगे.....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह स्थिति हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कोई तरीका है? इस तरह से यह सरकार धौंस से किसी को कहने से रोक देना चाहती है। यह रिश्वतखोर मिनिस्टर, यह रिश्वतखोरों की सरकार सही बात से तिलमिलाती है और धौंस देती है। हम यह धौंस नहीं बर्दाश्त करेंगे।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर।

(शोरगुल : अश्रव्य)

ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्षजी,

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये इस तरह से करते हैं, आप इनको रोकिये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : ये कह नहीं सकते। कोई अधिकार नहीं है इनको।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। गृह मंत्रीजी।

बोलने दो।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। श्री गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो अपने भाषण में इस सदन में मुझ पर यह डाइरेक्ट चार्ज लगाया है...

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट और ऊपर से ओर नीचे से। सब तरफ से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनडाइरेक्टली इन्होंने होम मिनिस्टर पर चार्ज लगाया है। और यह लगाया है कि थाने बिकते हैं और उसका पैसा बाकायदा नीचे से ऊपर तक पहुंचता है। इस आरोप का निराकरण ऐसे नहीं हो सकता कि एक डिप्टी मिनिस्टर माइक को हाथ में लेकर खड़े हो जावें और सदन के सदस्यों को धमकी दें। यह रवैया इस सरकार का और इसके मिनिस्टरों का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : आप ताकत से दबाना चाहते हैं? ताकत से नहीं दब सकते। यह धौंस पटटी यहां नहीं चलेगी।

(शोरगल : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माइक उधर से बताया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ध्यान रखना था आपको।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कर एक मिनिट के लिये। आपस में बात न करें। गृह मंत्रीजी।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन म जो कुछ अभी कहा और उसका

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें, माननीय सदस्य।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : स्पेसिफिक चार्जेज बताये जायं। यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको सोच समझकर चार्जेज लगाने चाहिये। अभी बतायें जस्ट नाऊ सदन के फ्लोर के ऊपर।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस के सामने फैसला कैसे हो?

श्री मूलचन्द डागा : स्पेसिफिक चार्जेज होने चाहिये...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं मंत्रियों के भ्रष्टाचार की जांच के लिये क्यों नहीं लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं?.........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागा। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर चल रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर इस बात का है कि क्या कोई सदन का सदस्य किसी पर आरोप लगा सकता है कि नहीं?

कई माननीय सदस्य : लगा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका फैसला आसन करेगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं हर एक माननीय सदस्य, जो सदन का मेम्बर है, को हक है और हक के संबंध में नियम है। पहले मोदीजी ने मंत्री पर आरोप लगाये तो मुख्य मंत्रीजी ने पूछा कोई स्पेसिफिक चीज है तो वह रख दीजिये। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं। जैसा अभी एक पर्ची का मामला है, कागज या चिट्ठी का......

(शोरगुल : अश्रव्य)

......अगर आसन कोई होम मिनिस्टर के खिलाफ......आपके पास इस समय मौजूदा है कागज वह लिखा हुआ, सब-इन्सपैक्टर, एस० पी० या कोई आई० जी० की चिट्ठी होम मिनिस्टर के खिलाफ है तो वह रखिये तो ठीक है, नहीं तो हजारों आरोप लगायें, इसी आशय पर ड्राप हो जायेंगे। कोई खास चीज हो तो रख दीजिये। प्रिविलेजेज है इन मंत्रियों के और इस तरह से आरोप लगें यानि इसका कोई एन्ड नहीं होगा। जहां तक बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कागज आज नहीं, 30 तारीख को, 2 तारीख को सदन की मेज पर.......

(शोरगुल : अश्रव्य)

(श्री दामोदर लाल व्यास)

इन्टरप्रिटेशन इस बहस में भाग लेने वालों ने किया उस पर में अर्ज करना चाहता हूं इसके लिये कि सन् 52 से में विधान सभा का सदस्य हूं। इस दरमियान यह पहला मौका है कि मेरे पर इस प्रकार से करप्शन के चार्जेज यहां लगाये गये हैं इतने असें में। और मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं इस मौके पर कि वे कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतावें कि मैंने किस मामले में कहां क्या लिया है। और इसके साथ साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि अगर ऐसे कोई चार्ज आते हैं तो विरोधी दल के माननीय नेता इसकी स्वयं जांच करें और जांच करके अगर कोई चार्ज मेरे खिलाफ वन पर्सेन्ट भी साबित हो जावे तो मैं हर तरह की सजा भुगतने के लिये तैयार हूं और मुकुटजी को आप केवल रिग्रेट पर ही छोड़ देना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आखिर इस सदन में जो माननीय सदस्य बोलते हैं काफी जिम्मेदारी से बोलते हैं और उनको अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतन्त्रता है। अब अगर एक सदस्य एक मिनिस्टर के विरुद्ध चार्ज लगाते हैं तो यह बड़ा गम्भीर मसला है। वे भी अपने विचार सदन में रखते हैं। तो अब प्रश्न यह पैदा होता है कि इसका निर्णय कैसे किया जाय कि कौन सही है और कौन गलत है?

श्री रामनारायण चौधरी : कोई माननीय सदस्य इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह उनमें भी आदत पड़ गई है। चाटुकारिता के नाम से जोर जोर से बोल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : डाइरेक्ट चार्ज लगाते हैं। सच्चा समझकर लगाते हैं और अगर वह गलत साबित होने की सम्भावना है तो उसका परिणाम भुगतने की तैयारी के साथ लगाते हैं। फिर क्या बात है? आप जांच करवाइये। आप जांच से क्यों कतराते हैं? तिलमिलाते क्यों हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, मैं तो एक सेन्टेन्स भी पूरा नहीं कर पाया। मेरा निवेदन करना आखिर यह है कि यह एक अहम मसला है। उन्होंने मिनिस्टर को चुनौती दी थी और उसको स्वीकार करते हुए मंत्री महोदय ने भी कह दिया कि इसकी जांच करवाई जावे और अगर उनका कसूर साबित हो तो उनको सजा दी जाय और मुकुटजी अगर गलत साबित हों तो उनको रिग्रेट पर छोड़ दिया जाय। बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ देना। अब इस सदन को यह फैसला करना है कि इन मामलों के बारे में हमारा माइण्ड किस तरह से साफ हो। जनता के एक मेम्बर हैं, एक ने एक पर आरोप लगाया कि उनको पैसा दिया गया है। आप डिनाई करते हैं। इस पर हाउस को एक निश्चित नतीजे पर पहुंचने के लिये सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। आप हाउस की कमेटी बनाइये। इन चार्जों के खिलाफ जांच करवाइये। उनके आरोप झूठे होंगे तो उनको कठघरे में खड़ा किया जावेगा। और नहीं तो दूसरों को किया जावेगा। आप हाउस की कमेटी तो बनाइये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री रोशनलाल शर्मा : आरोप पहले सदन में स्पष्ट आ जावें कि इसमें दामोदरलालजी का हाथ है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

(श्री मदनसिंह)

......बात सही कह रहा हूं अगर नहीं हो तो आप को अपना आरोप खतम कर देना चाहिये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें। माननीय सदस्य। उप मंत्री महोदय (श्री प्रद्युम्नसिंह)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया है।

एक माननीय सदस्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पहले पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर आ गया है—श्री शंकरलाल।

श्री दौलतराम : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न चल रहा है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के किसी माननीय सदस्य या माननीय मंत्री पर कोई आरोप लगाया जाय उसके बारे में...

(शोरगुल : अश्रव्य)

......प्रक्रिया का नियम जो 273 है...... नियम 273 है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा—

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make any investigation into the matter.

Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

इसका तात्पर्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पूर्व सूचना देनी पड़ेगी, चाहे अध्यक्ष महोदय को दें, चाहे मिनिस्टर को दें ताकि जो ऐलीगेशन लगाना चाहें उसकी अनुमति वह दें या न दें, और मंत्री महोदय भी जांच कर लें। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उसकी पूर्व सूचना माननीय उपाध्यक्ष को दी या नहीं दी? मैं समझता हूं डाइरेक्ट आरोप नहीं लगाये जायं......... (अश्रव्य)

....लगाने की मंशा है या नहीं। इन नियमों के तहत ही लगा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें। माननीय सतीशजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने 273 का हवाला दिया और उसके संबंध

Page No 206

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में जो इन्टरप्रिटेशन हाउस में रखा है उससे मैं सहमत नहीं हूं–

"No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

मंत्री महोदय या किसी व्यक्ति के बारे में आरोप लगाये जायं तो यहां सदन में जवाब दें–

That person does not refer to any third person.

यह एक अलग चीज है। रूल्स के इन्टरप्रिटेशन की बात कह रहा हूं। आप कुछ भी कहें। मैं समझता हूं इन्टरप्रिटेशन का सवाल है आप एग्री करेंगे। मिनिस्टर महोदय को सूचना देने का प्रश्न है वह भी इसलिये कि वे उन आरोपों का उत्तर दे सकें। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था का सवाल 273 के अंदर उठाया उसको उठाने का नहीं आता है। इस तरह आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। आप दूसरी तरह से करें तो हो सकता है। रूल 273 है वह इसमें एप्लीकेबिल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह। पॉइन्ट आफ आँर्डर चल रहा है।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य यह भूल गये हैं। इसके पहले एक प्रोविजन है। 272 है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 273 है, उसमें नहीं होता है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : 272 सब क्लॉज दो–

"A member while speaking shall not....

(2) make a personal charge against a member."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : "A member shall not make a personal charge against a member."

मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं बहुत बड़े चार्जेज लगाये गये और माननीय मुकटबिहारीलालजी जो भरतपुर से आये हैं वे स्वयं वकील हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : सीनियर एडवोकेट।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उसके बाद सुप्रिम कोर्ट के एडवोकेट हो सकते हैं लेकिन जब हम यहां सदन में बैठे हैं तो रूल्स का पालन करना पड़ेगा। कुछ परम्पराएं हैं जिन पर हमें चलना पड़ेगा। चलते चलते हवाला दिया जाय, चिट्ठी में कुछ लिखा है। आप कहते हैं मेरे पास है, मेरी पर्सनल नोलेज है। रिश्वत का कोई आरोप हो सकता है-दूसरे प्रकार के भी आरोप हो सकते हैं। जनरल चार्जेज थे, एक पुलिस लाइन के खिलाफ–माननीय गृह मंत्रीजी को छोड़

Page No 207

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दीजिये क्योंकि वे लोग आपके पुजारी हैं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सदन की कमेटी क्यों नहीं बने, कोई स्पेसिफिक चार्ज लगायें। यों तो आप चाहे जितना बोल सकते हैं लेकिन सीमाओं में बोलें......

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो फिर इनको [XXX].

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड। एक्सपंज्ड।

एक्सपन्ज्ड।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं सिर्फ यह निवेदन कर रहा हूं कि सेक्शन 273 का जो प्रोविजो है उसके पहले 272 का सब-क्लॉज (2) है, जिसको मैंने पढ़ा है और उसके बाद में 273 का प्रोविजो है :

"Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एप्लाई करता है 272 पर भी और अगर आपके पास चार्जेज हैं उनको डेफीनेटली आप पुट-अप कीजिए उसके लिए रास्ता है क्रिमिनल कोर्ट्स बनी हुई हैं और सदन उसके अन्दर इन्क्वायर कर सकता है। लेकिन किस पर इन्क्वायर करें? इस पर

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

कि यह जो जनरल एलीगेशन्स हैं कि पुलिस चोर, मिनिस्टर साहब चोर और दुनिया भर चोर, जब माननीय सदस्य को यह मौका मिलेगा कि आप चार्जेज को कैसे प्रूव करेंगे ...

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : यह स्पीच दे रहे हैं या समझा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन के माध्यम से आपको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : क्या हमारी सच्चाई की आवाज को ये रोक लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रोशनलाल शर्मा : आपकी सच्चाई सामने लाओ। हम भी देखना चाहते हैं आपकी सच्चाई को।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कह दिया कि चार्जेज लाओ। अब तक आपका जो ट्रेण्ड ऑफ डिस्कशन है वह इस आधार पर है कि उसमें न तो कोई फैक्ट हैं और एक तरह से जनरल डिस्कशन सा है। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा नहीं, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : मेरे पास जो प्रूफ है वह देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उनको दुबारा अवसर नहीं दिया जायेगा ।

श्री शंकरलाल : मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता केवल यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री शंकरलाल : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 273 लागू नहीं होता "Any person" पर लागू होता है । इसका मतलब यह है कि "any person includes "every body" है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने 273 के प्रोविजो की तरफ ध्यान दिलाया और इसके अन्दर यह व्यक्त किया कि यह लागू नहीं होता । जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है 'एनी परसन' के खिलाफ डिफेमेटरी चार्ज लगाया जाये तो उसका प्रीवियस नोटिस स्पीकर को होना चाहिए । इसमें प्रोविजो 273 भी लागू होता है और 272 भी लागू होता है । उसमें मेम्बर इन्क्लूड होता है और गृह मंत्रीजी इस सदन के मेम्बर हैं और 273 का प्रोविजो इसलिए लागू होता है 'एनी परसन' जैसे किसी अधिकारी का नाम लिया गया हो या पुलिस अधिकारी का नाम लिया गया हो वह 'एनी परसन' है । पहले भी ऐसे एलीगेशन्स लगाये गये हैं और थाने बिकते हैं यह कहा गया है । 'एनी परसन' भी डिसाइड हुआ है । इसलिए 273 प्रोविजो है आदमी कलेक्ट करते हैं रिश्वत उसके लिए स्पीकर को नोटिस होना जरूरी था और क्योंकि कहा है कि थाने बिकते हैं इसलिए 273 म आपके पास नोटिस है या नहीं—इसको देखना जरूरी है, उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा 272 में भी है कि ऐसे सीरियस एलीगेशन्स और जो उनकी मन्शा थी लगाने की मेम्बर के खिलाफ और जो माननीय सदस्य के वाक्य हैं मैंने बहुत ही ध्यान से सुने हैं—मंत्रीजी के खिलाफ डाइरेक्ट कोई ऐसा एलीगेशन नहीं है । उन्होंने इनडाइरेक्टली एलीगेशन लगाने की कोशिश की है इस बारे में गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराया कि वह इससे सहमति प्रकट करते हैं या नहीं ? आज इस पर प्रिविलेज मोशन किस तरह से आ सकता है इसलिए गृह मंत्रीजी का जो ध्यान आकर्षित किया है वह बहुत जरूरी है और गम्भीर आरोप लगाने के पूर्व फैक्ट्स बिलकुल लिखित में आने चाहिएं । जब फैक्ट्स सामने नहीं आये हैं इसलिए हम रूलिंग चाहते हैं कि नियम 273 और 272 का उल्लंघन किया गया है इसलिए क्लियर डाइरेक्शन्स दिये जायें कि आइन्दा इस बारे में कोई भी माननीय सदस्य जो चार्ज लगायें उनको प्रौहीबिट किया जाना चाहिए और उसी के अनुसार डिस्कशन चालू करना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह !

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो पॉइन्ट उठाया गया है वह रूल 273 के अण्डर है इसके जो वर्डिंग हैं उसके मुताबिक इन्टरप्रेट किया जाय तो बिलकुल साफ है । इस मामले को उठाने के लिए यदि स्पेसिफिक एलीगेशन लगाया जाये तो उस पर लिखकर स्पीकर को देना बहुत जरूरी हो जाता है और उस समय में स्पीकर को राइट हो जाता है कि उसको

(राजवी श्री रूपसिंह)

रिजैक्ट करे या एक्सैप्ट करे । इस सदन की यह परम्परा रही है यानि पहले भी मिनिस्टरों के खिलाफ एलीगेशन्न लगा है और इसी रूल के तहत पेश किया और सदन में आया और डिस्कशन हुआ । पहले यहां हैल्थ मिनिस्टर के खिलाफ एलीगेशन्स लगाये गये और एक दूसरे मिनिस्टर्स के खिलाफ भी लगाये गये थे उसके बाद में उन पर डिस्कशन हुआ और मिनिस्टरों से पूछने के बाद उनका जवाब दिया गया था । तो हमारे यहां के रूल्स भी साफ हैं और परम्परा भी यही रही है कि किसी के खिलाफ स्पेसिफिक एलीगेशन्स लगाते हैं तो हमारा फर्ज हो जाता है कि इन राईटिंग स्पीकर को दें । और स्पीकर उसको मन्जूर करे या नहीं यह उनके ऊपर निर्भर है। अब सवाल रहता है भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एलीगेशन्स लगाये हैं वह स्पेसिफिक थे या नहीं और वह इस रूल से कवर होते हैं या नहीं ? माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि होम मिनिस्टर रिश्वत लेते हैं । उनका होम मिनिस्टर साहब के ऊपर यह एलीगेशन है कि वह हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं और यह उनका फर्ज हो जाता है रिश्वत को वन्द करें । इसलिए मेरा अर्ज करना यही है कि इन्होंने स्पेसिफिक एलीगेशन नहीं लगाया है । महज पुलिस के महकमें में नीचे से ऊपर तक रिश्वत चलती है यह बात कही है और ऐसा कहने का उनका हक है ।

श्री मदनसिंह : एलीगेशन का कहा है और कड़ी से लिंक है ।

श्री रोशनलाल शर्मा : माननीय सदस्य कह दें कि मैंने होम मिनिस्टर के खिलाफ आरोप नहीं लगाये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें ।

राजवी श्री रूपसिंह : मेरी मान्यता है कि यदि स्पेसिफिक एलीगेशन्स होंगे तो लिखकर देना पड़ेगा । इस तरह से किसी पर आरोप लगाने का राइट नहीं है । मेरे ख्याल से इन्होंने एलीगेशन लगाया है वह चलते हुए स्पीच में रुटीन कोर्स में लगाया है। इसलिए ऐसा एलीगेशन लगाने का इनको हक था । होम मिनिस्टर की इतनी रेस्पान्सीबिलिटी जरूर है कि अपने डिपार्टमेन्ट को रिश्वत लेने से रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं अपना निवेदन कर दूं....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 272 के सब-रूल (5) का कहा था ....

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने देख लिया है....

श्री मूलचन्द डागा : वह मैं पढ़ देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : वह मैंने पढ़ लिया है । मैं अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूं । वह मैंने पढ़ लिया है.....

श्री मूलचन्द डागा : वह मैं पढ़ देता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सदन में निर्णय दे सकता हूं । ऑर्डर प्लीज ।

अभी जो चर्चा चल रही थी उस वक्त माननीय मुकटबिहारीजी ने गृह मंत्रीजी पर आक्षेप लगाया । उसको लेकर सदन के अन्दर गरमागरमी हो गई तो उसमें कई

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न सामने आये हैं। कई माननीय सदस्यों का कहना है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह एक्सपन्ज होना चाहिए। दूसरों का यह ऐतराज था कि नियम 273 के अन्तर्गत बिना पूर्व सूचना के इस तरह के मसले सदन के अन्दर नहीं उठाये जा सकते थे।

सदन में विचारों की पूर्ण स्वतन्त्रता है। केवल वे ही मामले नहीं उठाये जा सकते हैं जो कि असंसदीय हों, भद्दे हों, अशिष्ट हों या मानहानिकारक हों जिनका कि डिबेट से कोई संबंध न हो इस तरह के मानहानिकारक मामले हों......

श्री रामनारायण : गालियां बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

अब सवाल यह आता है कि नियम 273 म यह व्यवस्था है कि डिफेमेट्री यानि मानहानिकारक या इस तरह के मामले हों जिनसे उस व्यक्ति पर मुकद्दमा चल सकता है, इस तरह के मामले बिना पूर्व सूचना के—सूचना का मतलब यह है कि अध्यक्षजी को और जो संबंधित मंत्री महोदय हों उनको सूचना कि इस तरह का विषय सदन में आयेगा, यह दी जानी चाहिए, तभी यह मामला उठाया जा सकता है। मैंने इसको ध्यान से पढ़ा है और जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वह भी सुना। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं और जो उपस्थित हैं या मंत्री महोदय हैं उन पर इस तरह का आक्षेप लगाया जाय तो कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं है। (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) क्यों नहीं? अब सवाल यह उठता है कि उनके लिए क्यों आवश्यकता नहीं है? उनके लिए इसलिए नहीं है कि जो विचारों की स्वतन्त्रता सदन में दी गई है और सदन के माननीय सदस्यों को दी गई है उसमें किसी तरह का बन्धन नहीं रखा गया है। बन्धन केवल यह रखा गया है.....

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें गाली देने का नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर मैं आ रहा था कि या तो असंसदीय हो या गालीगलौच हो, इस तरह का अंश हो तो उसको एक्सपन्ज किया जा सकता है, एक। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि मानहानिकारक तो हैं लेकिन एक्सपन्ज नहीं हो सकते हैं। तो उनके लिए है नियम 273। 273 उन केसेज में लागू होता है जहां कि वह व्यक्ति सदन के अन्दर उपस्थित नहीं है इसलिए यह रहता है कि उसके पास किस्सा सामने आया ही नहीं या उसी वक्त उस का प्रतिकार नहीं हो सकता है। इसलिए 273 की व्यवस्था की गई है, और इस संबंध म समझता हूं कि अभी तक कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन असेम्बली के, अपनी संसद के और जो इंग्लैण्ड की पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कामन्स हैं, उन सबका यह है कि जो मंत्री सदन में उपस्थित है उसके बारे में कहा जाय तो मिनिस्टर जवाब देने की स्थिति में हो सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है इसलिए नोटिस या पूर्व सूचना वाला प्रश्न उस लागू नहीं होता है। (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) क्योंकि अगर.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Excellent interpretation.

श्री उपाध्यक्ष : यह होगा तो डिबेट बड़ी भारी संकुचित हो जायेगी। रिश्वत की बात कहना यह अगर अपने आप में डिफेमेट्री है तो डिबेट नहीं हो सकती है...

श्री रामनारायण चौधरी : डिबेट का मतलब गाली निकालना नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर । गालियों का मैंने, माननीय सदस्य, निवेदन कर दिया गालियों के मामले में कि जो इस तरह के शब्द हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है । उनको हटाया जा सकता है (माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज ।

अब सवाल यह ह कि 273 के अन्दर मानहानिकारक या डिफेमेट्री है वह उस मायने में है कि जिनका डिबेट या चर्चा से संबंध नहीं हो । अब तक जो बात कह दी मानहानिकारक तो जो विचारणीय विषय है उससे कोई संबंध नहीं है और इस तरह से मानहानिकारक कोई शब्द कह दिया तो उस वक्त में आता है.....

श्री रामनारायण चौधरी : तो....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । आप यहां आकर व्यवस्था दे सकते हैं ।

इस तरह से 273 डिफेमेट्री का है वह इस तरह की बात कहते हैं सदस्य तो वह उनके स्कोप के बाहर की बात है, वरना बात सच है यह तो मानना होगा, मैं भी यह मानकर चलता हूं कि शायद सच नहीं होगा लेकिन मान लें कि आरोप सच है तो उसको क्या एक्सपन्ज कर दिया जायेगा 272 के अन्दर ? (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) उनको एक्सपन्ज नहीं किया जा सकता है । मानहानिकारक उन्होंने कहा लेकिन एक्सपन्ज नहीं किया जा सकता है । (विपक्ष की ओर से हियर, हियर) ऑर्डर प्लीज ।

जो कुछ कहा गया है वह वेग है । मैं समझता हूं कि इस बात के अन्दर वजन है । क्यों ? क्योंकि यह माना जाता है कि जो कुछ सदन म कहा जाता है माननीय सदस्यों के द्वारा तो वह पूरी जानकारी के आधार पर, सोच-समझकर और जिम्मेदारी के साथ कहा जाता है, क्योंकि जो कुछ यहां कहते हैं वह बाहर होता तो अपराध होता, लेकिन यहां वह अपराध नहीं है । आपको संरक्षण मिला हुआ है । जिस व्यक्ति के हाथ में सत्ता या जो सुरक्षित रखा हुआ है उसकी जिम्मेदारी अधिक हो जाती है । मिनिस्टर के ऊपर बिना गवर्नर महोदय की आज्ञा के मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता है, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है इसलिए कि वे बड़े जिम्मेदार लोग हैं और उनकी जिम्मेदारी और भी अधिक हो जाती है इस कारण । वेग प्रश्न वह मैं समझता हूं वेग है । उनको चाहिए था कि जब दूसरे पक्ष ने यह मांग की है कि जो चार्जेज लगाये हैं उनके बारे में तथ्यों को सदन में प्रस्तुत करें तो उनके लिए और भी यह जरूरी हो जाता है कि तथ्य बतायें और वह सब बात कहते । नहीं कहने का परिणाम क्या होता है—प्रश्न यह है ? कोई जाकर थाने में यह कहे कि फलां आदमी का कत्ल हो गया है और वह यह कहे कि मेरी जानकारी में है और उस वक्त भूल से मुल्जिम का नाम नहीं बताये और पूछ लिया गया कि मुल्जिम का नाम क्या है फिर भी नाम नहीं बताये, तो क्या परिणाम हो सकते हैं ? इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि उसमें नियम एडवर्स इन्फरेन्स निकालने का है ? जैसे ही आपको चैलेन्ज या चुनौती दी गई और आपने उत्तर नहीं दिया तो कानून यह मानकर चलता ह कि उस वक्त आपने तथ्य नहीं दिये, बातें नहीं बताईं लेकिन इसका निर्णय यहां नहीं हो सकता है ।

(श्री उपाध्यक्ष)

आखरी प्रश्न यह आता है कि इसका इलाज क्या हो ? इसका इलाज यह है कि किसी भी माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ हो तो कोई भी प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस समय यह मामला सामने आयेगा कि उस वक्त चुनौती दी गई तो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत नहीं किये तो उनकी बातों में कितना वजन है वह कमेटी तय करेगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : अगर....,

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । एक माननीय सदस्य ।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कानून की व्यवस्था दी है.....

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लें । (श्री रामनारायण और श्री मूलचन्द डागा के एक साथ बोलने पर) दो जनें एक साथ नहीं ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे अधिकारों की रक्षा करने का काम चेयर का है । कोई डिफेमेट्री भाषण नहीं करेगा....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । डिफेमेट्री भाषण करेगा तो उस माननीय सदस्य का ध्यान उस ओर आकर्षित करने का ही आसन का कर्त्तव्य है । उसके बाद भी जिम्मेदारी उठाकर करते हैं तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है ।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

श्री रामनारायण चौधरी : इस तरह से भाषण नहीं कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । नियमों के अन्दर ऐसी स्थिति नहीं है । सिर्फ एक्सपन्ज कर सकते हैं । अगर नियम 272 का कह रहे हैं तो उप-नियम (1) या (2) को न मानने में । पैनाल्टी का कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : It says 'a member while speaking shall not'....

श्री उपाध्यक्ष : 'Shall' not does not mean anything. It is 'may'. It amounts to 'may'.

श्री मूलचन्द डागा : A member while speaking shall not utter treasonable, seditious or defamatory words.

श्री मंकटबिहारीलाल गोयल : आपकी व्यवस्था के बाद......

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरीफिकेशन है ।

श्री मदनसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन सर ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय डागाजी ।

श्री मूलचन्द डागा : 272 में जो अंग्रेजी का शब्द है "shall not" और "shall not" का मतलब है कि यूज नहीं कर सकते हैं । जब इन्होंने डिफेमेट्री वर्ड्स यूज किये हैं तो......

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया आपकी बात ।

श्री मूलचन्द डागा : उनको बोलने का हक था तो हमारा भी अधिकार है ।

Page No 213

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कानून के अन्दर दो शब्द काम में आते हैं "may" और "shall" "shall may" में डिस्क्रीशनरी है, माने या न मानें। "shall" है, वह बाइंडिंग होता है, लेकिन कभी "(shall)" बाइंडिंग होते हुए भी "may" हो सकता है और "may" कभी, "shall" हो सकता है। यह परिणामों के साथ जोड़ा जाता है। अगर "shall" के पीछे कोई पैनल्टी प्रोवाइडेड नहीं हो तो उसका असर "may" है। इसमें पैनल्टी नहीं है, इसम पैनल्टी रोकने की नहीं है, एक्सपन्ज करने की जरूर है, एक्सपन्ज ही कर सकते हैं यदि कोई बात तथ्यहीन है। ऐसी स्थिति के अन्दर विशेषाधिकार का प्रश्न ही इस बात का हल है और कोई हल नहीं है नियमों के अन्तर्गत।

श्री मूलचन्द डागा : But the rules are to be observed like this.

श्री मदनसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर। मैं समझता हूं, यह बहस दो मिनिट में खत्म हो जानी चाहिए थी। एक चैलेंज दिया और एक चैलेंज को स्वीकार कर लिया गया। तो सवाल कहां उठता है फिर कोई। हो जायेगी इन्क्वायरी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इन्क्वायरी हो जायेगी? क्या बेमतलब की बात कह रहे हैं?

श्री मदनसिंह : राइट ऑफ मेम्बर माना गया। एक चीज.....

श्री मूलचन्द डागा : कौनसा माना गया है राइट?

श्री मदनसिंह : आपने चैलेंज दिया, गलत होगा तो यह भुगतेंगे और आयन्दा बोलने की आपको शक्ति नहीं रहेगी होम मिनिस्टर ने खुद अपने मुंह से तय कर दिया है कि विरोधी दल की एक कमेटी बन जाय। मैं समझता हूं जैसे.....

श्री मूलचन्द डागा : बन जाय!

श्री मदनसिंह : कभी कभी मुख्य मंत्रीजी खुद खड़े होकर कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं यह चैलेंज, वैसे ही होम मिनिस्टर न चैलेंज स्वीकार कर लिया तो ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह होम मिनिस्टर के लिये बहुत अच्छी चीज होगी। मैं विश्वास दिला कर कहता हूं कि मुझे आज के दिन तक आपके जीवन के बारे में जो कुछ मालूम है, उस दृष्टि से आप चैलेन्ज स्वीकार करके इन्क्वायरी करायें। मैं समझता हूं कि यह आपके लिए अच्छी चीज होगी कि हमारे माननीय सदस्य गलत निकलें I pray to God.

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई माननीय सदस्य!

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपने निर्णय में फर्माया था कि इस प्रकार की रूलिंग है। तो मैं भी इसी असेम्बली के अन्दर दी गई रूलिंग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : रूलिंग दोनों तरफ हो सकती हैं, माननीय सदस्य।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उसको दृष्टि में रखकर इस प्रश्न को तय कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि 270 में उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय था कि कोई पर्सन जो प्रेजेन्ट नहीं है उसके

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

संबंध में निर्णय आलरेडी हो चुका है। मैं उसके संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता और न मैंने कहा है। 272 में जो है उसके संबंध में इसी पेज पर निर्णय दिया हुआ है और मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह जो फरवरी 62 से लेकर 66 के तक निर्णय हैं उनको हीं मैं कोट करूंगा, उसके आगे के कोट नहीं करूंगा। इसमें है कि ऐसे आरोप सदन में न लगाये जायं जो साबित नहीं किये जा सकें। ऐसे आरोपों को रोका गया है। दूसरे इसी सदन में दी गई रूलिंग के सैकिंड पोर्शन में दिया गया है "सदन में आधारहीन बात न कही जाय"...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: आधार है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज !

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं यह जानता हूं, यह दोनों बातें एक ही केस में इस सदन में दी गई रूलिंग में आई हैं। माननीय अध्यक्ष द्वारा दिया गया निर्णय है, जो 273 के बारे में निर्णय दिया गया है. person not present in the सदन-उसके संबंध में 272 के संबंध में यह कहा। इसलिये मैंने निवेदन किया था कि फैक्टस आ जाते तो कोई बात नहीं थी, सदन को अधिकार था कि उस पर विचार करता.........

श्री मदनसिंह: पाइन्ट ऑफ आर्डर !

श्री उपाध्यक्ष: पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ही चल रहा है। इनको पूरा कर लेने दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फर्माया उस सारे निर्णय को स्वीकार करते हुए मैं एक बात निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मेम्बर्स के ऐसे आरोपों के बारे में अगर श्रीमान का यह निर्णय है कि ऐसे आरोप हों जो प्रूव किये जा सकते हों तो मेरा नम्र निवेदन है कि ऐसे आरोप जो हों जो वेग हों उनको रोका जाना चाहिए। इस पर निर्णय इस सदन के अंदर हो चुका है, इस पर ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मुकुटबिहारी !

श्री मदनसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। काफी देर हो गई है।

श्री मदनसिंह: क्या यह मानकर चलें कि आपस में दोनों ने बात कह दी। ऐसा है तो फिर सदन में क्या रह गया ? जब कि आपने चैलेंज वापिस कर दिया कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं That is quite enough.

श्री उपाध्यक्ष: मुकुटबिहारी। दो मिनिट में समाप्त करें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भरतपुर जिले के भूतपूर्व एस० पी० और राजाखेड़ा के भूतपूर्व एस० एच० ओ० का डकैतों से जो नापाक गठबन्धन है, उसके संबंध में दस्तावेज रखे, उसके बारे में कुछ चीजें यहां पर रखीं, और पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार, जो ऊपर से लेकर नीचे तक है, के बारे में कोई बात कहनी चाही। मैं जानता हूं कि इन लोगों के दिल के हालात को। उपाध्यक्षजी, यह दर्द इनके दिल में उठता है मैं उसकी तुरूम जानता हूं

(श्री मुकटबिहारीलाल गोयल)

मैं उसकी तासीर जानता हूं। मैं जानता हूं यह दर्द उठता क्यों है। माननीय गृह मंत्रीजी ने कृपापूर्वक मेरे कथन को चुनौती दी है, साथ में मुझे पुलिस वाली धमकी दी है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जायगा, प्रिविलेज मोशन लाऊंगा....

श्री मूलचन्द डागा: कब कहा?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मुझे धमकी जो कृपापूर्वक दी है उसको मैंने स्वीकार कर लिया है..

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बीच बीच में काहे को बोलते हो?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : जो बात मैंने कही है, उस पर मैं कायम हूं, हिमालय की तरह कायम हूं भले ही सदन के अंदर मुझे धमकी दिखाई जाय। मैं चाहता हूं कि जो तथ्य हैं वह सदन के सामने और राजस्थान की विशाल जनता के सामने आने चाहिये कि इस विभाग के अंदर किस तरह के भ्रष्टाचार हैं, किस तरह के घोटालें हैं, किस तरह के गठबन्धन हैं और कौन कौन आदमी, जो दूध के धुले हुए बनते हैं, क्या हैं..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! स्थान ग्रहण कर। भाषण समाप्त हुआ। माननीय सदस्य। भाषण समाप्त हुआ

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आधा मिनिट।

यह अभियाचिका की तारीख 26 अगस्त, 1967 है,....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उसकी कापी मौजूद है, वह सभी जगह भेजी गई है......

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह आथेंटिक नहीं है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : आपकी आज्ञा से इन दोनों चीजों को मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

इसके अलावा मेरे से यह बात कही गई कि मैं स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज बताऊं। उपाध्यक्षजी, यदि समय होता मेरे लिए और आप मझे समय की इजाजत दे दें तो मैं लम्बे चौड़े पैमाने पर....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : कई तथ्य खोलकर एक के बाद एक एक घण्टे सवा घण्टे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : के अंदर उनको तथ्यों से सब्सटेंसियेट कर सकता हूं कि राजस्थान के अन्दर क्या सच्चाई है, और क्या चीज चलती हे। परन्तु इन तमाम चीजों के संबंध में, मैं समझता हूं, अगर इस रूल का मतलब यह लिया जाता है, तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं, इसका मतलब यह लिया जाय कि यहां पर कोई भी एलीगेशन नहीं लगाया जाय तो इसका मतलब यह नहीं है कि सच्चाई की बात नहीं कह सकते। क्योंकि आपकी रूलिंग हो चुकी है, इसलिये मैं समझता हूं इस सदन के मार्गदर्शन के लिए वह अपने आपमें जनतांत्रिक प्रणाली का मार्ग अवलम्बन करने के लिये सक्षम सिद्ध होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़। माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : स्पेसिफिक इन्सटान्स रख रहे हैं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : पांच मिनिट पूरे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट नहीं, आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काफी समय हो गया है।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : मैं आपकी आज्ञा का पालन करके यह बात समाप्त करता हूं और निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यहां बैठे हुए चाहेंगे तो पूर्व सूचना देकर तथ्यों के साथ सदन के अन्दर एक रोज बहस हो, चाहे तीन रोज बहस हो म इन तमाम चीजों को रखने के लिये तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल। समय सीमा बीस मिनिट।

श्री रामनारायण चौधरी : Too much, Sir,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पुलिस विभाग की मांगों.....

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय निकल गया है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय इन मांगों के पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग की मांगों के संबंध में संदन में अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए बहुत सूक्ष्म में कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ही अपने विचार रखना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी सदन में गृह मंत्री महोदय के संबंध में कही गई कुछ बातों को लेकर कांग्रेस के अनेक माननीय सदस्यों में बड़ी उग्रता आई। मुझे खेद इस बात पर हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य अपना अपना इतना संयम खो बैठे कि सदन की कार्यवाही में असाधारण बाधा उपस्थित की.....

श्री मूलचन्द डागा : दोनों ने की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्षजी, सदन के पुराने माननीय सदस्य, सम्भवतः श्री मूलचन्द डागा 1957 में सदन में सदस्य निर्वाचित हुए थे, 1962 में शायद वह अवकाश पर चले गये, अब 1967 में वापिस सदन में आये हैं, तो पुराने सदस्यों को स्मरण होगा.......

श्री मूलचन्द डागा : समय कम है, आप अपनी बात कहें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने अजमेर के घण्टाघर पुलिस स्टेशन के संबंध में इसी सदन में नोट बुक पेश की थी। पुराने माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि अजमेर के घण्टाघर पुलिस स्टेशन पर किस प्रकार लोगों द्वारा नियमित रूप से निश्चित राशि रिश्वत के रूप में ली जाती थी उसका एक हिसाब रखा जाता था और उसकी अकाउन्ट बुक थी, वह ओरिजिनल अकाउन्ट बुक इस सदन में प्रस्तुत की थी और उस अकाउन्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बुक के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय, जो पुलिस अधिकारी या कर्मचारी ने रिश्वत ली वह उस नोट बुक में रिश्वत का पैसा जमा होता था और जो डिस्बर्समेंट, डिस्ट्रिब्यूशन होता था वह भी उसमें था और जो खर्चा होता था वह भी उसमें था और जो मेहमानदारी और एन्टरटेनमेंट के ऊपर खर्चा होता था वह भी उसमें था—इन सबका हिसाब उसम लिखा हुआ था और सदन में उस अकाउन्ट बुक को मैंने पेश किया था। राज्य सरकार ने उस समय भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के आई० जी० पी० श्री हनुमान शर्मा को उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया था। उन्होंने मेरे भी बयान लिये और मुझसे पूछा कि यह कापी कहां से आयी, तो मैंने इन्कार किया यह बताने से कि यह कापी कहां से आई लेकिन सारे तथ्य साबित होते हुए, जिन जिन पुलिस अधिकारियों के द्वारा या पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा नियमित रूप से रिश्वत लेने की बात साबित होते हुए भी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की? मैं पूछना चाहता हूं कि इससे ज्यादा क्या डाकुमेंट पेश किया जा सकता है, लेकिन उसमें क्या हुआ? इतना जबर्दस्त डाकुमेंट, पुलिस कर्मचारियों के हाथ का लिखा हुआ, जिसको पुलिस के कर्मचारियों ने अपने हाथ से लिखा हुआ स्वीकार किया और उसकी सारी एन्ट्री साबित हुई—मैं पूछना चाहूंगा राज्य सरकार और कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कि इससे ज्यादा क्या सबूत हो सकता था?

ओरिजिनल अकाउन्टबुक इस हाउस में पेश की गई, उसकी जांच हुई और जांच में क्या हुआ? 8 पुलिस के कान्स्टेबल मारे गये, बाकी के अधिकारियों का क्या [illegible]आ? जिनके घर चीनी जाती थी, जो राशनकार्ड में दर्ज है, जिनके घर पर शराब की बोतलें जाती थीं, जो उस अकाउन्ट बुक में दर्ज हैं-उन अधिकारियों का क्या हुआ? एच० एम० के नाम से जो धनराशि पहुंची, जिसका इन्द्राज उस अकाउन्ट बुक में है, उसका क्या हुआ? एच० एम० का मतलब मैं तो कहता हूं कि होम मिनिस्टर है और आप कहते हैं कि एच० एम० का मतलब होम मिनिस्टर नहीं हैड मोहर्रिर है। मैंने हाउस में वह रिश्वत के अमाउन्ट के बंटवारे की अकाउन्ट बुक पेश की। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उस अकाउन्ट बुक में एच० एम० के नाम से एन्ट्रीज हैं लेकिन क्या आपने उसकी जांच की है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कब की है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस हाउस में की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन स साल की है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उस समय होम मिनिस्टर नहीं थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कौन से साल में पेश की थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 57 में चुनावों के बाद। अब कोई दूसरे व्यास बन्धु होंगे। कोई व्यास बन्धु ही होंगे, लेकिन थे कांग्रेस के यह निश्चित है। वह अकाउन्ट बुक आपके पुलिस विभाग के पास है।

श्री रामनारायण चौधरी : किसी आर० एस० एस० वाले की तैयार की हुई होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कह सकते हैं। अगर तथ्यों के साथ भी अकाउन्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बुक इस सदन में पेश की जाय, जिसको जांच में थाने के अधिकारियों ने और कर्मचारियों न स्वीकार किया कि रिश्वत के मनी का डिस्ट्रिब्यूशन होता था, यह हमारे हाथ की लिखी हुई है, इसमें सारे नाम लिखे हुए हैं उसमें भी रामनारायणजी कहें कि किसी आर० एस० एस० वाले की लिखी होगी तो मुझे आपकी अक्ल पर तरस आता है। इतने तथ्यपूर्ण तरीके से हाउस में रखा जाय........

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसी आर० एस० एस० वाले की लिखी हुई नहीं थी बल्कि आर० एन० सी० की लिखी हुई थी, श्री रामनारायण चौधरी की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पुलिस विभाग के संबंध में आगे कुछ कहने से पहले एक मिनिट म माननीय सदस्यों का ध्यान कटौती प्रस्ताव संख्या 21, 36 और 48 की ओर दिलाना चाहता हूं। 21 नं० का कटौती प्रस्ताव है "पुलिस में फैले भ्रष्टाचार व पुलिस के कार्यों में अनावश्यक दखलंदाजी के संबंध में चर्चा के लिए"। 36 नं० के कटौती प्रस्ताव में लिखा है "पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन यानि डिसएप्रूवल"। और 48 नं० के कटौती प्रस्ताव में लिखा है "पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए"। तो पुलिस विभाग में करप्शन रेम्पेन्ट हैं और यह विरोधी दल के सदस्यों के नहीं, यह कांग्रेस के माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं कि राजस्थान की पुलिस में करप्शन रेम्पेन्ट है। आदमी में राम होता है तो वह शरीर के किसी एक भाग में नहीं होता, एडी से चोटी तक होता है, शरीर का कोई हिस्सा बचता नहीं है। अगर पुलिस के हैड के नाते होम मिनिस्टर आते हैं तो म क्या कहूं? वे चाहें तो सिर बनें, चाहें तो मुंह बनें, चाहें तो चुटिया बनें। एड़ी से चोटी तक राम व्याप्त है। ये आपके कांग्रेस के सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं।

एक माननीय सदस्य : किन किन के हैं, नाम बता दीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाम बता देता हूं। 21 नं० का कटौती प्रस्ताव है वह मूलचन्दजी कटेवा का है, 36 नं० का कटौती प्रस्ताव रतनलालजी रौत का है और 48 नं० का कटौती प्रस्ताव है वह जिन्हें हम बहुत ही जिम्मेदार सदस्य मान कर चलते हैं, श्री शिवनाथसिंहजी का है।

एक माननीय सदस्य : इस तरह के दल बदलू कुछ भी कह सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि गृह मंत्रीजी आपके ध्यान में वह बात नहीं आई। पर उसमें बड़े बड़े अधिकारी, अफसरान की एन्ट्रीज हैं, एच० एम० की एन्ट्रीज हैं। उनके बारे में राजस्थान सरकार ने जांच क्यों नहीं की? ओरिजिनल अकाउन्ट बुक आज भी आपके पास है। हिन्दुस्तान की और किसी विधान सभा में ऐसी अकाउन्ट बक पेश नहीं हुई। आखिर मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच के लिये कहां जायें? लोक आयुक्त को नहीं मानते, विजिलेस कमिशन को अधिकार देते नहीं, सदन में कह नहीं सकते। तो इस भ्रष्टाचार के लिए सी० आर० पी० सी० में एक प्रोविजन जोड़ दीजिए कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

करप्शन का चार्ज मिनिस्टर्स पर एप्लाई नहीं करेगा । आज दिन दहाड़े हाउस में.....

श्री रामनारायण चौधरी : आप जैसा चाहें यहां फर्मायें, कौन रोकता है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये मैं कहता हूं कि इसके लिए हमें कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा । अच्छा होता अगर अमृतलालजी यादव पर 15 हजार का चार्ज यहां सदन में लगाया गया, उस वक्त कहना चाहिए था ।

श्री मदनसिंह : उस वक्त तो आप चार्ज की वकालत कर रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष : मदनसिंहजी का स्टेंड है वह बिलकुल कान्स्टेन्ट स्टेण्ड है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शिवचरणजी पर चार्ज लगा हाउस में, जांच हुई नहीं, उससे पहले कह दिया कि जांच में बाधा नहीं पहुंचे इसके लिये मैं मन्त्री पद से इस्तीफा देता हूं । चाहिये तो यह था । इनके कारण से उनकी शान बढ़ी, कांग्रेस की शान बढ़ी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो चाहिए तो यह था कि इस्तीफा देते और जांच करवाते, पर और दबाने लगे । तो इससे न कांग्रेस पार्टी की शान बढ़ती है और न व्यक्ति की की शान बढ़ती है । इसलिए गृह मंत्रीजी को चाहिए कि वे इस्तीफा दें और हाउस की कमेटी बैठायें 3 आदमियों की...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप भी इस्तीफा दें ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब मन्त्री जायेंगे इस तरह से तो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मंत्रीजी ने घोषणा की है, ब्राह्मण हैं, दायमा हैं, कि 3 सदस्य इस हाउस के मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर लें । इस पर वे स्टिक करते हैं या नहीं । उन्होंने कहा है, उनकी शान के लिए, सदन की शान के लिए और लोकतन्त्र के प्रति लोगों मे आस्था बढ़े, इसके लिए मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाय तो वे जांच के लिए स्वीकार करें । उन्होंने स्वीकार किया है जांच कमेटी बैठाने के लिए, मैं कुछ नहीं कहता, वे स्पष्टीकरण करना चाहे तो कर, चाहे तो कमिटमेंट को विथड्रा कर सकते हैं ।

सदन की कमेटियां बैठती हैं, हाउस मे कांग्रेस का बहुमत है पर कमेटियों में पार्टी का नजरिया नहीं रहता है, वहां सदन की मर्यादा के अनुरूप ही बातें करते हैं । इसलिए इस कमेटी में कांग्रेस के सदस्य रहें, इसमें मुझे एतराज नहीं है, क्योंकि कमेटी के मेम्बर बनने के बाद पार्टी का नजरिया उनमें नहीं रहेगा । इसमें मुझे आपत्ति नहीं है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रामनारायणजी अमृतलालजी जैसे आदमी को दबा लें पर गृह मंत्रीजी की गर्दन दबावें तब पता चले ।

(8 म० प०)

यह सही है, यह कोई आरोप नया नहीं है । ऐसे आरोप लगते रहते हैं । राजस्थान का दुर्भाग्य है कि राजस्थान की पिछले तीन सालों में आम चुनावों के बाद लॉ एण्ड आडर सिचुएशन में डिटेरियोरेशन हुआ है । पिछले तीन साल में राजस्थान में अपराध बढ़े हैं । राज्य सरकार की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उनके आधार पर केवल इतना कहना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

चाहूंगा कि 1965 में डकैतियां 82 हुई, 1969 में 130, हत्याय 1965 में 520 हुई, 1969 म 669, 1965 में कुल अपराघ 30 हजार हुए जब कि 1969 में 35 हजार। ये आपके आंकड़े हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में अपराध बढ़े हैं, डकैतियां बढ़ रही ह, लूट व हत्यायें बढ़ रही हैं, डाकाजनी बढ़ रही है । आपने आंकड़े दिए हैं कि इतने डाकुओं का सफाया किया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने डाकुओं का सफाया किया, फिर भी डाकू दल क्यों बढ़ते जा रहे हैं ? (X X X) लेकिन बाकी डाकुओं का सफाया करने की जिम्मेदारी सरकार पर है। (X X X) इस सिलसिले में, आज राजस्थान में हालत बिगड़ गई, विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट है । करप्शन के केसेज में झूठे मुकद्दमे....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रियों के संबंध में जो (X X X) बात कही गई, वह एक्सपंज की जाती है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान में जो (X X X) इसके तो आंकड़े दिए हुए हैं । मैंने...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मदनसिंह : उस ओर से तो कोई आपत्ति नहीं हुई थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । मैंने (XXX) कहा था, आपने एक्सपंज करा दिया लेकिन (XXX)

श्री रामचन्द्र आर्य : (X X X)

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सबसे अधिक भ्रष्टाचार व इर्रेगुलेरिटीज की शिकायतें अगर हैं तो पुलिस विभाग के खिलाफ हैं । जब चर्चा होगी तब तथ्य रखूंगा लेकिन विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि राजस्थान में पुलिस विभाग की की जितनी बुरी हालत है, झूठे केसेज में फंसाना, सच्चे केसेज रजिस्टर न करना, लोगों से रिश्वत के पैसे लेना, यह आपका मोड्स आपरेंडी हो गया है । विजीलेन्स कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है । राज्य में शांति व व्यवस्था के सवाल को लेकर, यह प्रश्न खड़ा होता है । मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सदन में पिछले साल घोषणा की थी, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान मार्च, 1969 बजट अधिवेशन की ओर ले जाना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जयपुर में सिरे ड्योढी बाजार की फायरिंग के सिलसिले में बैरी आयोग ने अपनी फाईंडिंग्स न देते हुए कहा था कि राज्य सरकार जांच कराएगी । मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने एडीशनल आई० जी० पी० को मुकर्रर किया, क्या हुआ ? सिरे ड्योढ़ी बाजार के सिग्नल इन्सीडेंट के बारे में आज तक राज्य सरकार जांच पूरी नहीं कर पाई है और जांच करती है तो सदन को जानकारी नहीं देती । खेद का विषय है कि आप चीजों को दबाना चाहते हैं । उस ऑफिसर्स कमेटी का क्या हुआ ? सदन को आश्वासन दिया था । बैरी आयोग की रिपोर्ट के सिलसिले में दुनिया में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जिसके संबंध में सब विरोधी दलों ने बहिष्कार किया और 15 दिन तक धरने पर बैठ । जयपुर महाराजा,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उदयपुर महाराणा, श्री चव्हाण और अनेक प्रतिष्ठित लोगों ने इस बात के लिए समर्थन किया कि बैरी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, दोषी अधिकारियों को दंड देना चाहिए । आपने कमीशन बिठाया, लेकिन रिपोर्ट स्वीकार नहीं की । श्री चव्हाण ने कहा कि राजस्थान के गृह मंत्री ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकते कि हम पर वह रिपोर्ट बाइंडिंग नहीं है । उसके बावजूद उनकी सलाह को नहीं माना, बाकी लोगों की सलाह नहीं मानी । श्री आर० डी० माथुर को भत्ता देने के लिए 6 महीने के लिए रखना था ?

यू० पी० से क्या कमेंट्स आई ? क्या रीएक्शन आया ? मैं समझता हूं, आज राजनीति में परिवर्तन आ रहे हैं । यह लोकतंत्र है, सदन सबका है । देश म लोकतंत्र जिंदा रहे । जिस प्रकार 7 मार्च, 1967 जयपुर के जौहरी बाजार में जिन लोगों ने नाजायज तरीके से गोलियां चलाईं, उनकी फायरिंग को अन्जस्टीफाइड माना गया, लेकिन किनके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज किए गए ? आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई । अफसोस है, सारे अधिकारियों को प्रमोशन दिए गए । कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो 7 मार्च, 1967 को जौहरी बाजार में तैनात था ड्यूटी पर, उनको प्रमोशन न मिला हो । सबको प्रमोशन दिया गया नीचे से लेकर ऊपर तक प्रमोशन्स दिए गए । आखिर जांच का क्या मतलब है ? आपने मुआवजा कमेटी बनाई, उसका क्या हुआ ? आज तक मुआवजा नहीं मिला । आपने सदन में घोषणा की थी, एडीशनल आई० जी० पी० के द्वारा जांच कराने की सदन में घोषणा की थी । सदन में जिन कमेटियों की घोषणा की जाती है, उनकी रिपोर्ट सदन की मेज पर आनी चाहिए । आज तक वह रिपोर्ट नहीं आई । खा गए सारी रिपोर्टों को । बैरी आयोग की रिपोर्ट को खा जायं गृह मंत्री, आपने राज्य बनाया । राजा महाराजाओं के अत्याचारों की बातें करते हैं । मैं छोटा था जिस घर में रहता था, उनके खिलाफ नारे लगाता था । लेकिन राजा महाराजाओं ने तो क्या, उनके बाप दादों ने भी राज्य करने के लिए जनता पर गोलियां नहीं चलाईं । आपने राज्य को बुलेट्स से हथियाया है, राज्य बैलट से किए जाते हैं, आपने बैलट से हारी हुई बाजी बुलेट से जीती ।

श्री रामनारायण चौधरी : बहुमत का राज्य है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत संक्षेप में बोलूंगा । बैरी आयोग का मामला ऐसा है कि दिन भर चले तो भी खत्म नहीं हो । मेरे पास 10 फाइलें हैं । मैं राज्य सरकार की बैरी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार न किए जाने पर घोर भर्त्सना करता हूं । लोकतन्त्र के इतिहास में 7 मार्च, 1967 के दिन को गोलियां चलाकर राज्य हथियाना, काले अक्षरों में लिखा जायगा । इस तरह से बैरी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद स्वीकार न करना, कार्यवाही न करना, दोषियों को दंड न देना और उल्टे उनको प्रमोशन देना, इस पाप का कलंक आपको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लगेगा और जिन माताओं की गोद सूनी हो गई, जिन स्त्रियों का सुहाग लुट गया, जिन बहनों के भाई चले गए, उनका दुर-आशीर्वाद आपको लेकर बैठेगा ।

जयपुर की याद भूले ही न थे तो 1967 के बाद गोलीकांडों का तांता लग गया । भादरा, चूरू, सांगरिया, हिण्डौन व बीकानेर में गोलीकांड हुए और राज्य में 20-22 जगह पर गोलीकाण्ड हुए, जिनके उदाहरण पिछली बार जनवरी के अधिवेशन में दिये, 1968 से लेकर आज तक, ज्यों ही कांग्रेस की हुकुमत हुई, गोलीकांड हुए हैं । राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत अगर टिकी हुई है तो लाठी पर, अश्रुगैस पर और बंदूक के निशानों पर टिकी हुई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : 111 के आधार पर टिकी हुई है ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ये [XX] हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड ।

श्री मदनसिंह : 303 पर टिके हुए हैं ।

श्री नत्थीसिंह : [XXX] कहा है, यह कोई असंसदीय नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य आ रहे हैं, वहां उसका दूसरा मतलब है ।

श्री नत्थीसिंह : जो [XXX] हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं समझते इस बात को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गंगानगर जिले में सेना तैनात कर दी गई । मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सेनायें सीमा रक्षा के लिए हैं आप उनको सड़कों पर मत बुलाइये आप उनको सड़कों पर आने का निमन्त्रण न दें । कहीं सड़कों पर आती आती ये सचिवालय तक न पहुंच जायं । जन आन्दोलनों को दबाने के लिए सेनाओं का सहारा लेना तानाशाही को बुलाना है । आप इस तरह से तानाशाही का रास्ता खोल रहे हैं । सीमाओं की रक्षा के लिए सेना है अतः उसको वहीं तक रखिये । नहीं तो आज आपके यहां क्या है ? छात्र असन्तोष । झालावाड़, जोबनेर, जयपुर और जोधपुर में क्या हुआ ? संरकार ने सोच रखा है कि जन भावनाओं को रोकने का, जन आन्दोलनों को रोकने का एकमात्र तरीका लाठीचार्ज, अश्रुगस और गोलियां हैं । आज राजस्थान की हुकूमत को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह इन रास्तों से जन भावना और जन आन्दोलन को नहीं दबा सकती । आपने गंगानगर के आन्दोलन को दबाने की भरपूर चेष्टा की आखिर वह दबा नहीं । वह तीन चार महीने चला और आखिरकार आपको इस शान्तिपूर्ण आन्दोलन के सामने घुटने टेकने पड़े । वार्ता के बाद उनकी मांगें मन्जूर करनी पड़ीं । आज सरकार की हालत क्या है ? चाहे कमीशन बिठाये लेकिन आज भी सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं कि जो भी कमीशन की रिपोर्ट होगी उसको ज्यों का त्यों लागू किया जायगा । आखिर यह पंच फैसला है । कमीशन ऑफ इन्क्वायरीज एक्ट के अन्तर्गत पब्लिक कम्पनीज की जांच होती थी । उसके बाद ज्यों ज्यों फायरिंग होने लगा उसके लिए जुडिशियल कमीशन बिठाने लगे । इसके

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बारे में चीफ जस्टिस कांफ्रेन्स में यह तय किया गया जुडिशियल कमीशन्स की सैंक्टिटी तभी होगी जब कि उसकी रिपोर्ट को माना जायगा । आज कांग्रेस बहुमत में है यह किसी के पक्ष की बात नहीं । एक हुक्म से सफाई हो तो सबकी हो । आपका कोई पट्टा नहीं है.....

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा पट्टा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पट्टे तो बड़े बड़ों के खत्म हो गये ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वाभिमान के साथ विरोधी दल में बैठना ज्यादा पसन्द करते हैं बजाय मिनिस्टरों की पगचम्पी करके हुकूमत में आये । हम हुकूमत में आयें या न आयें मैं समझता हूं जो रास्ता कांग्रेस अपना रही है वह लोकतन्त्र के लिए घातक है । आज की हालतों को देखते हुए भी आप भ्रम में बैठे हैं तो बैठे रहें । उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत यह हो रही है कि छात्र पिटते हैं, महिलायें पिटती हैं, लेबर पिट रहे हैं, किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों, वकीलों पर लाठी चार्ज हो रहा है । पोकरण का काण्ड हुआ, क्या उसकी रिपोर्ट आई ? 14 तारीख को आनी चाहिए । आज तक आपने रिपोर्ट नहीं बताई । आखिर यह क्या है ? रतनगढ़ थाने में क्या हुआ ? आश्वासन दिया था थानेदार को निलम्बित कर दिया गया है । गिरफ्तारी के आदेश दिये लेकिन मुख्य मंत्री के आगे आपकी चली नहीं । 14 तारीख को बयान दिया आज 26 तारीख हो गई, आपने सस्पेन्शन को सेट असाइड क्यों किया ? उपाध्यक्ष महोदय दिसम्बर, 67 के अन्दर थाने में हत्यायें होती हैं एक हरिजन की, नौजवान की.....

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला पहले आ चुका है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले तो आ चुका है लेकिन सरेन्डर नहीं किया । मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता लेकिन इसमें उसको क्यों बचाया जा रहा है ? जगदेवसिंह इन्चार्ज था, आपने हाउस में इतनी लम्बी डिबेट उसकी की लेकिन जो इन्चार्ज था उसका नाम तक रेफर नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया या क्यों—यह तो आप ही बता सकते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : वही मुल्जिम है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दुश्मनी वकील से नहीं । हमदर्दी उस व्यक्ति के प्रति है । जांच रिपोर्ट जो आयी है उसमें लिखा है, यह सारा मुकदमा 67 से 69 तक चला है, यह तीन साल तक लटका रहा । उस व्यक्ति ने इस सारे मामले को दबाने के लिए विधान सभा में सवाल नहीं उठे इसके लिए एक लाख रुपया खर्च किया । आखिर वह रुपया किसको दिया ? मैं नहीं कह सकता । अभी भी वह मामला अधर में झूल रहा है । वह शायद आपके पास आये या नहीं लेकिन आप उनको बुलाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जिला परिषद् की गंगानगर की मीटिंग में गये । वहां के कर्मचारियों में और जनता में भ्रम है, वहां गलत धारणायें हैं, वे लोग सरे आम यह कहते हैं कि थाने बिकते हैं । आपको पता नहीं चलता कि ये जो बात होती है वे आखिर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

किसी न किसी आधार पर होती ही हैं? आखिर कौन थाने बेचता है, आखिर जो लेता है वही ट्रान्सफर कराता है। जिनकी कलम चलती है, जिनकी कलम से ट्रान्सफर होते हैं वे कौन हो सकते हैं? आपके आदेश से होते हैं या नीचे के आदेश से होते हैं—यह मुझे पता नहीं। लेकिन ट्रान्सफर वही करा सकता है जिसके दस्तखतों से ट्रान्सफर होता है। आखिर कलम से हुक्म देने वाले कौन हैं, ट्रान्सफर करने की पावर्स किनको है? उन्हीं पर यह आरोप लगते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में मैं कहना चाहता हूं एण्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट है वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है। इसके बारे में पहली मांग तो यह है कि जितने भी जन प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जैसे मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स, जिला प्रमुख, एम० एल० एज०, म्युनिसिपलिटी के चेयरमैन, जिला प्रधान आदि जो जनता से चुनकर आते है उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हों उसको भी यह कमीशन अपने परव्यू में ले। लेकिन यह है नहीं। इस कमीशन की परव्यू से इनको निकाल दिया गया है। ऐसी हालत में इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनकी जांच के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप कमीशन की नियुक्ति नहीं कर सकते तो हाउस के सदस्यों की कमेटी बनाइये। आप उसका अध्यक्ष कांग्रेस के किसी मेम्बर को बना दीजिये, वह अपोजीशन को एसोसियट करें। वे मंत्रियों और अन्य जन प्रतिनिधियों के खिलाफ आये हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करें। सतर्कता आयोग के पास मिनिस्टर्स के खिलाफ 32 कम्पलेण्ट्स आयी थीं वे सब चीफ मिनिस्टर के पास भेज दी गई। उन 32 कम्पलेण्ट्स में करप्शन के चार्जेज हैं जो अपोइण्टमेण्ट डिपार्टमेण्ट के पास पड़े हुए हैं। उसके बारे में जो कुछ आपका निर्णय है वह दीजिये। वे दें कैसे? वे तो बस्ता-ए-खामोशी में पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज एम० एल० एज० को एक कमरे में दो दो को रखा जाता है, इनके लिये बंगले नहीं फ्लैट्स नहीं। सरकारी अधिकारी और कई डिप्टी मिनिस्टर्स भी प्राइवेट मकान में रहते हैं लेकिन जो व्यक्ति किसी सरकारी पद पर नहीं, चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं आज उसको बंगला एलॉट किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : यह तो बात बहुत छोटी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो मतपत्रों की हेरफेर करे उसके लिए आपके यहां बंगले दिये जाते हैं।

इसी प्रकार से ओंकारनाथ जोशी उदयपुर वाले को 40 हजार रुपये का जुर्माना हुआ और करप्शन में डेढ़ साल की सजा हुई। उसका मेनूपुलेशन हुआ। उसमें उदयपुर का सरकारी वकील लगा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें आपका प्रोसीक्यूशन का डिफैक्ट है।

आज आप 11 करोड़ रुपया पुलिस पर खर्च कर रहे हैं उतना ही ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जब पुलिस स्टेशन में घुसते हैं वहां लिखा होता है "मेरे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

योग्य सेवा" लेकिन जब कोई अन्दर जाता है पहले उसको जंगले में बिठाते हैं। आज इस विभाग पर दो आदमियों की मोनोपोली है रामकिशोरजी व्यास और दामोदरजी व्यास । व्यास बन्धुओं ने इस विभाग का डेटिरियोरेशन किया है । टौंक के उपचुनाव के लिए गाड़ियां मांगते हैं, पैसा लेते हैं उसमें आप सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं । यह इस बात से भी आपको इनफरेन्स मिलेगा कि जिस समय मार्च, 67 में जौहरी बाजार में गोली चली उस समय यहां के थानेदार थाने का इन्चार्ज था पं० देवेन्द्रकुमार शर्मा, भगतराम शर्मा, डीवाई० एस० पी०, लक्ष्मीकान्त शर्मा डी०आई० जी०, ए० पी० त्रिपाठी, आई० जी० हनुमान शर्मा, जिलाधीश विष्णुदत शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट गोपेश भट्ट, एस० डी० एम० ताराप्रकाश जोशी और होम मिनिस्टर दामोदरलाल व्यास, होम सेक्रेटरी शिवशंकर । आप बता दीजिए गलत कह रहा होऊं तो । थाने का इन्चार्ज पंडित, सिटी का इन्चार्ज पंडित, डी० एस० पी० पंडित, एस० पी० पंडित, आई० जी० पंडित, डी० आई० जी० पंडित, होम सेक्रेटरी पंडित, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पंडित, सिटी मजिस्ट्रेट पंडित, एस० डी० एम० पंडित और होम मिनिस्टर पंडित....

श्री मदनसिंह : यह कड़ी अब जुड़ी है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो ब्राह्मण कान्सप्रेसी है । यह कम्युनेलिज्म आप अपनी सर्विसेज में लाये हैं । मैं आपके ऊपर कम्युनेलिज्म का चार्ज लगाता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! बहुत समय हो गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे ही आगे जो तीन-चार मंत्री बैठे हैं वह पंडित दामोदरलालजी व्यास, हरिदेवजी, राम किशोरजी, मोहनलालजी शर्मा, सुखाडिया उनकी जात बिरादरी का ही पता नही है— यह सब पंडित मिल कर राज्य कर रहे हैं....

श्री मदनसिंह : इन्दिराजी को भूल गए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डिबेट को लम्बा कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सर्विसेज में आपका नजरिया बहुत कम्युनल है । ब्राह्मण कान्सप्रेसी सर्विसेज पर हावी रहना चाहती है और मैं समझता हूं कि यह बड़ा जघन्य है । इसलिए आप इन सर्विसेज में कम्युनल एप्रोच को छोड़िये और मैरिट्स के आधार पर लोगों के प्रमोशन्स कीजिए । इसकी तो मुझे खुशी है कि राजस्थान की पुलिस सर्विस में एडीशनल आई० जी०, आई० जी० और डी० आई० जी० इन सबको मात देकर राजस्थान का एस० पी० इतना एफीशियेन्ट है और यह सब इतने इनएफीशियेन्ट हैं कि एस० पी० को पद्मश्री मिला । आपने उनकी सिफारिश की और एस० पी० की सर्विसेज की प्रशंसा की गयी और उनको पद्मश्री मिल गया । वैसे मैं पद्मश्री की उपाधि को कोई महत्व नहीं देता क्योंकि पद्मश्री की उपाधि तो नरगिस को भी मिली है......

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो इन कटौती के प्रस्तावों पर सदन में काफी बहस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुई है और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इसलिए इस पुलिस के सिलसिले में एक ही बात कहता हूं कि जैसे अमेरिका में प्रेसीडेन्ट निक्सन ने एक नेशनल कमीशन अपॉइन्ट किया है उसी तरह से राजस्थान में भी इसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बैठाया जाय......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय बहुत हो गया है। (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो इसकी जांच करे और वह इसकी रिपोर्ट यहां हाउस में रखे और यही कहता हुआ और आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर आना चाहिए।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में रेफरेन्स किया गया, मैं उसके लिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह ऐसी बात नहीं थी जिसमें आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना पड़े।

श्री शिवनाथसिंह : जिस रेफरेन्स में मेरा नाम लिया है....

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो कई दफा लेते हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि पर्सनल एक्सप्लेनेशन दिया जाये।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव को लेकर माननीय सदस्य ने जैसा कहा है मेरी कतई मन्शा नहीं है। मेरा कटौती प्रस्ताव पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस में सब भ्रष्टाचारी हैं। गृह मंत्रीजी का रेफरेन्स हो रहा था उससे कोई लेना देना नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शिवनाथसिंह : माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने कहा कि हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं। हमारी पार्टी कतई प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। लेकिन यह कैसे होता है। इसके लिए माननीय सदस्य अपनी पार्टी को टटोलें। यह कहते हैं माइनोरिटी में बैठे हैं और किस तरह से गवर्नमेंट बनाई, आप अपनी पार्टी को टटोलें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अलग बात है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट बोलूंगा।

एक माननीय सदस्य : पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में कुछ नहीं बोला गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं समझता हूं कि नाथूरामजी को प्लॉट का अलॉटमेन्ट किया है वह पी० डब्ल्यू० डी० ने किया है and I highly object to it.

श्री प्रद्युम्नसिंह : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, उप-मंत्री महोदय।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल 5 मिनट लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो उदयपुरवाटी से आये हैं श्री शिवनाथसिंहजी और उन्होंने अभी सरकार बनाने के रेफरेन्स में कहा है कि "अपनी पार्टी को टटोलें। किस प्रकार से सरकार बनी है" मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जानकारी हो तो बता दें।

श्री शिवनाथसिंह : माननीय उपाध्यक्ष-जी, उस समय आपका हाथ ज्यादा था मेरे से।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा का विषय नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसको स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यह किसी व्यक्ति के लिए या किसी माननीय सदस्य के लिए नहीं कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पार्टी के लिए कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : पार्टी के लिए पचास बातें कही जाती हैं। यह कोई गम्भीर बात नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह पार्टी के लिये कह रहे हैं। इन कांग्रेस वालों ने पापों को छिपाने के लिए हत्या करके सरकार बनाई है, उसको और यहां पर दूसरों के ऊपर अनर्गल और झूठे आरोप लगाते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर! माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आरोप उन्होंने लगाया है वह तथ्य बिल्कुल साफ होना चाहिए कि क्या मामला है? उसकी सफाई होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह किसी मेम्बर पर नहीं है। पार्टी पर आरोप रात दिन चलते रहते हैं उसमें बहुत मानहानिकारक बात नहीं है। 'दिल टटोलें', 'अपने हिसाब से देख' यह रात दिन बातें कही जाती रही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा, नाहर साहब बोलें उसके पहले मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने स्पष्ट और कर दिया जिससे आपको भी अन्दाजा होगा। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी आपको ज्यादा है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है सिवाय इस जानकारी के कि कांग्रेस पार्टी ने विरोधी दल के कुछ विधायक तोड़े हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई जानकारी हो तो मैं निवेदन करूंगा कि आप स्पष्ट रूप से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, माननीय सदस्य । बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह: बड़ा सीरियस चार्ज है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इसको स्पष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। सदन या आसन किसी को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि किसी माननीय सदस्य ने बात कही है तो उसका उत्तर दिलाया जाय। अगर कोई भी बात कह देते हैं जो नियमों के विरुद्ध है, यहां की परम्पराओं के खिलाफ

(श्री उपाध्यक्ष)

है तो उनके खिलाफ किसी प्रकार से प्रस्ताव लाया जा सकता है लेकिन यहां चर्चा नहीं होगी कि किस पार्टी के लिए क्या कह दिया गया और क्या नहीं।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर)

ऑर्डर प्लीज!

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्षजी, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति की है श्री शिवनाथसिंह जी के कथन पर वह अपने स्पष्टीकरण को उस संदर्भ में देना चाहते हैं तो आसन को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो आरोप लगाये गये हैं वह बहुत ही सन्देह पैदा करने वाले हैं और बड़ा गम्भीर आरोप है। इसलिए माननीय सदस्य उसको स्पष्ट करें तो अधिक अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : जानकारी आपके पास ही है।

श्री दौलतराम सारण: माननीय सदस्य बार बार बोलते हैं। उन्होंने फिर कहा है कि मुझे जानकारी है। लेकिन मुझे तो यह जानकारी नहीं है..

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी: आपके नेता को ज्यादा जानकारी है।

श्री दौलतराम सारण: मेरे नेता को जानकारी नहीं है। मेरे नेता को कोई जानकारी है तो यह है कि गैर कानूनी, गैर संवैधानिक आधार पर इधर के सदस्यों को उधर ले जाया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: खरीदा है लाखों रुपयों में। गोलियां चलाकर और जेलों में लोगों को ठूसकर सरकार बनी है....

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ? मैं आपको अब नाम से पुकारता हूं।

श्री मदनसिंह: बात यह हुई। आज आरोप लगते हैं तो [XXX] इधर भी और उधर भी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय, सदस्य अब और आगे कोई बहस नहीं होगी। किसी दल के बारे में दल के तरीकों के बारे में पचासों दफा बातें कही जाती हैं।

तो मानहानिकारक, इस तरह की अपमानजनक कि जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता हो, इस तरह की बात के लिये कहा जाता है। यहां पर समाजवाद और दलों के बारे में पचासों बातें कही जाती हैं उन पर चर्चा करने की मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह: वे (श्री शिवनाथसिंह) बोल रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्पष्ट कहा है.....

XXX अध्यक्ष महोदय के आदेश से शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिसके बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत हो ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, वे कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो आपत्ति क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपत्ति यह है कि सदन का समय बड़ा कीमती है। इस तरह की कार्यवाही के लिए समय नहीं है और न इस तरह की कार्यवाही सदन पर थोपी जा सकती है, माननीय सदस्य। श्री नाहर।

श्री भैरोंसिंह : उन्हें स्पष्टीकरण करना होगा ।

एक माननीय सदस्य : 5 बजे के बाद का समय जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : समय जा रहा है तो इसमें आपका सहयोग चाहिए। आसन कुछ नहीं कर सकता है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह... (शोरगुल : अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : नहीं, माननीय उपाध्यक्ष, जब तक स्पष्ट नहीं होगा....हमने स्पष्टरूप से . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण नहीं दिया जायगा, माननीय सदस्य । ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा तो यह मानकर चलेंगे कि श्री शिवनाथसिंहजी डरपोक हैं और वे डर गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय नाहर। अगर माननीय सदस्य शान्ति धारण नहीं करेंगे तो मुझे विवश होकर सदन एडजोर्न करना पड़ेगा डेढ़ घन्टे के लिए । ऑर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : दलबदलू साहब बोलें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पुलिस की मांग के संबंध में चर्चा हुई और हमने...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उनको दबा रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है। आपको यह मालूम है कि माननीय सदस्य श्री शिवनाथसिंहजी बहुत जिम्मेदार है और बड़े समझदार आदमी हैं और दूसरे माननीय सदस्य उनको दबा रहे है। मैं यह मानता हूं कि माननीय सदस्य दबने वाले नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाधा उपस्थित कर रहे हैं सदन की कार्यवाही में। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके द्वारा गालियां और क्यों खिला रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात न करें, माननीय सदस्य।

श्री रामसिंह कुड़ी : इसका एक ही इलाज हो सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। बिना नियमों के हवाला दिये व्यवस्था का प्रश्न उठाकर बाधा न डाल। श्री नाहर।

श्री रामसिंह कुड़ी : एक इलाज........

श्री उपाध्यक्ष : पहले इनको समाप्त करने दें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे पहले कहने दें। मुझे दिया है समय।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : शिवनाथ सिंहजी को बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हमने सदन का समयवाद– प्रतिवादों में समाप्त किया है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके ऊपर इस सदन का ध्यान तक नहीं गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1868 में पुलिस एक्ट बना। सन् 1857 में गदर हुआ और उसी वक्त में क्रिमिनल प्रोसिजर कोड बना जिसके तहत पुलिस को अधिकार दिये गये हैं। जनतन्त्र हमने बनाया है और 22 वर्षों के जनतन्त्र के बाद भी आज तक वाद प्रतिवादों से अलग जाकर क्या कभी हमने सोचा है पुलिस को जनता का हित चिन्तक बनाना है। नहीं, आज तक हमने नहीं सोचा है। यह पोजीशन सन् 1970 तक की है।

अपराधों के संबंध में जो सूची दी गई है उसकी अगर हम अच्छी तरह से स्टडी करते तो हम महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच पाते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें जो 65 से लगाकर 69 तक के अपराधों का विवेचन दिया गया है तो उसमें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ ऐसे अपराध हैं कि जो आदमी छिपकर नहीं बल्कि सामने आकर करता है। वह अपराध है; जैसे मर्डर है वह अपराध है, डकैती है वह अपराध है और कत्ल है वह अपराध है क्यों कि वे सामने आकर के किये जाते हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह अपराध है हमारे भारतवर्ष की क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजी के आधार पर यह निर्णय हुआ था कि ये अपराध इन्नोसेंट क्रिमिनल्स नहीं कर सकते है, ओकेजनल क्रिमिनल्स नहीं कर सकते हैं। यह करते हैं डाईहार्ड क्रिमिनल्स जो होते हैं वे। हम देखते हैं कि वे बढ़ते गये हैं। पुलिस का रेकार्ड अगर देखें तो 52 से लगाकर 69 तक फाइव टाइम्स पुलिस का बजट बढ़ा है...

श्री उपाध्यक्ष : संसार के किस देश में घटा है यह बता दें?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आदमी चुपके से चोरी कर लेता है लेकिन मर्डर तो सामने आकर करेगा, डकैती सामने आकर करेगा, लूट सामने आकर करेगा। हमारे यहां की क्रिमिनोलोजी का इन्वेस्टीगेशन किया गया है तो उसके आधार पर यह निर्णय हुआ है कि केवल डाईहार्ड क्रिमिनल्स मर्डर कर सकते हैं। एक्सीडेन्टल मर्डर की संख्या 0-01 से ऊपर कभी नहीं पहुंची है। जहां पर ये मर्डर बढ़ते जाते हैं या डकैतियां बढ़ती जाती हैं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सदन में बैठकर यह निर्णय करना है इसके संबंध में ऐसे वाद-प्रतिवादों से ऊपर उठकर कि पुलिस विभाग का किस तरह से काम हो कि उससे डेमोक्रेसी मजबत हो और उसके लिए क्या रास्ता अपनाया जाय? पुलिस एक्ट में हम क्या अमेंडमेंट्स चाहते हैं इसके बारे में भी कभी आपने सोचा है? मैं हाउस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में बैठकर इस पर निर्णय करें कि 1857 के बाद भारतवर्ष की पब्लिक को दबाने के लिए 1868 में पुलिस एक्ट बना था और जनतन्त्र

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

होने के बाद भी आज दिन तक वही पुलिस एक्ट ज्यों का त्यों कायम है। उसमें हम क्या अमेंडमेंट चाहते हैं ?

मैं इसमें यह निवेदन और कर देना चाहता हूं कि जयपुर में 7 मार्च, 67 को जो कुछ हुआ है उसके बारे में गंगानगर गोलीकाण्ड हुआ है उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी के बाद क्या हम रेशनल बने हैं ? हमारे सत्याग्रह हमारे मूवमेंट इस सीमा तक आगे बढ़ गये हैं कि हमारी तरफ से हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में पुलिस की बात क्या करें ? कुछ नार्म्स हमें बनाने पड़ेंगे, कुछ मापदण्ड बनाने पड़ेंगे, नहीं तो इसका कुछ पार नहीं है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि जनतन्त्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है। आज हम इधर हैं और कल उधर जा सकते हैं और उधर वाले इधर आ सकते हैं। तो कुछ नार्म्स तय करने पड़ेंगे और कुछ बातें तय करनी पड़ेंगी। इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री अमीनद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण के विषय में 262 कट मोशन्स दिये गये हैं और 27 माननीय सदस्य इस विषय में बोले हैं। जो 262 का ब्रेक-अप है उसके अन्दर 7 जगहों के बारे में है और शेष कई रोड्स के मसलों पर हैं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोर से।

श्री मदनसिंह: जैसा हम कहते हैं और आप सुनते हैं वैसे आपसे आप कहें।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बीच बीच में बाधा उपस्थित न करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : 15......

एक माननीय सदस्य: उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रोड्स के लिए 40, और करप्शन के 31, ब्रिचेज के 12, बाकी और मुख्तलिफ कट मोशन्स हैं। जब मैं उनके सब के डिटेल्स में पड़ूंगा तब उनका तशकिरा करूंगा।

नई रोड्स के बारे में मेरा यह कहना है कि चौथा प्लान शुरू होने वाला है, और अगर इसका अन्दाजा पहले तीन प्लान्स से लेकर चलते हैं तो हमारा यह प्लान उस हिसाब से थोड़ा होता है 9.2 पर्सेन्ट से 3.8 पर्सेन्ट पर आ जाता है। लेकिन फिर जब हम यह अन्दाज लगाते हैं पिछले दो एन्युअल प्लान से इसका मुकाबला करते हैं तो क्या हालत है ? तो हम समझते हैं कि इस साल बहुत अच्छा प्रोवीजन मिला है और हमारा फोर्थ प्लान अच्छी रकम के साथ में शुरू हो सकेगा। इसमें यह जरूरी बात है कि इससे हम सब को बहुत लाभ पहुंचेगा। हमको शुक्रगुजार होना चाहिये। अगले साल सम्भवतः हमें 50 लाख रुपया और ज्यादा मिलेगा।

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अब इसके लिये जो पॉलिसी हमारी है वह यह है कि हम पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो नामुकम्मिल काम हैं

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

उनको पूरा करेंगे। और उसके साथ ऊपर नये काम भी हाथ में ले सकेंगे।

जो यहां चिन्ता जाहिर की गयी उसे हम भी समझते हैं कि हमारा मेन्टीनेन्स का प्रोविजन उतना नहीं है जितना होना चाहिये। लेकिन जब हालात को देखते हैं और मजबूरियों को देखते हैं तो सिवाय ज्यादा रुपया प्राप्त करने की कोशिश के और कोई चारा नजर नहीं आता। 4.34 करोड़ का प्रोवीजन मेन्टीनेन्स पर है। ऑल इन्डिया बेसिस पर चल तो 4.11 करोड़ का होना चाहिये। लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि उन जरूरतों को देखते हुए हम अपने मेन्टीनेन्स को सही तरीके से जारी रख सके तो अगले साल कोई इम्प्रूवमेन्ट कर सकेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको तो आप पूरा कर।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं अभी कह चुका हूं कि करेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने दिनों में करेंगे? नोहर में तीन मील की सड़क पड़ी हुई है। तीन साल हो गये आश्वासन देते हुए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बजट सत्र पूरा होगा और सवाल पूरा हो जावेगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: करप्शन की बात आती है तो मैं वह कहते हुए गुरेज नहीं करना चाहता कि करप्शन के मामले पर तो शर्मिन्दगी जाहिर करनी चाहिये। हमारे इन्तजाम में क्या कमी है उसको हमें देखना है। उसको सही करने का यही तरीका है कि आपका सहयोग मेरे साथ हो।

श्री नत्थीसिंह : करप्शन में हमारा सहयोग हो?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : दबाना हो करप्शन को तो उसके लिये सहयोग।

श्री मदनसिंह: करप्शन में हमारा सहयोग नहीं होगा।

श्री अमीनुद्दीन अहमद: मैं यह कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी शिकायत आये और वह प्रिसाइज तरीके से मेरे पास आ जाय, आपकी मर्जी के माफिक डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चाहें तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी, एन्टी-करप्शन से इन्क्वायरी चाहें तो उससे इन्क्वायरी करा दूं और चाहें तो कलेक्टर के पास भेज दूं, जिसके पास चाहें उसके पास भेज दूं। आपको पूरा सहयोग दूं।

आप चाहे तो होम मिनिस्टर से आपके साथ बात कर लूं।

(व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह: जिन परिस्थितियों में मंहगाई बढ़ रही है कमीशन कितना वसूल होता है?

(व्यवधान)

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं इसको उचित समझता तो राय नहीं देता। मैं इसको बूरा समझता हूं।

श्री मदनसिंह: हमारे एरिया में आ जाओ हम सब ठीक कर देंगे।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री नरसीसिंह : आपको कोई जानकारी है या नहीं?

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने क्या फैसला किया है? कहां तक सफल हुए हैं।

कई माननीय सदस्य : बैठ जाओ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने आपसे प्रश्न किया उसकी जानकारी नहीं दी। गंगानगर की डिफेन्स रोड बनी हुई है। आपने उसकी इन्क्वायरी नहीं करायी।

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने शिकायत की जांच नहीं करायी फिर किस आधार पर कहते हैं कि सहयोग करो?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप नहीं सुनते हैं......

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : गम्भीर आरोप लगाये हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी का भाषण हो जाने के बाद प्रश्न कर लें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपका पहला सहयोग यह होगा कि आप मुझे कहें। फिर मैं इन्क्वायरी नहीं कराऊं तो मैं जिम्मेवार होऊंगा।

श्री दौलतराम सारण : जो सदन में आरोप लगाये जाते हैं मुद्दे उठाये जाते हैं उन पर तो जवाब देना नहीं...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आप.....

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : सभापतिजी, यह बड़ी आपत्तिजनक बात है कि माननीय सदस्य हर सदस्य के बीच में बोलते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है। बार बार माननीय सदस्य बीच में बोलते हैं। बैठे बैठे बोलते हैं। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि हम कहेंगे। हम घर जाकर कभी नहीं कहेंगे। सदन में कहते हैं, आरोप लगाये हैं, प्रश्न उठाये हैं, घोटाले बताये हैं। किसी एक पर भी बारह महीने में कोई कार्यवाही की है तो बतायें?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं नहीं चाहता कि आप आकर कहें। चिट्ठी के जरिये लिख सकते हैं। कोई चिट्ठी आई हो और जवाब नहीं दिया हो एसी बात नहीं हुई है इसलिये यह आरोप महरबानी करके न लगाइये।

श्री जुझारसिंह : जो ग्रान्ट दी क्या उसका पोर्शनेटली डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है? चिट्ठी लिखी लेकिन जवाब नहीं आया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप बताइये प्रिसाइज कि कौनसी चिट्ठी का जवाब नहीं आया?

श्री जुझारसिंह : मेन्टीनेन्स ग्रान्ट का अनइक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है। कई चिट्ठियां लिखीं लेकिन जवाब नहीं आता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जो स्पेसिफिक चार्जेज लगायें हैं उनके बारे में तो जांच करवा सकते हैं।

(व्यवधान : शोरगुल)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : इस आसन का यह आदेश है और यह निर्णय है कि जो कटौती प्रस्ताव यहां रखे गये हैं जिनका जवाब में उत्तर नहीं दिया गया हो उनका लिखित में जवाब सम्बन्धित माननीय सदस्य को भेज दें लेकिन कोई मंत्री आज तक लिखित में जवाब नहीं भेजता है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सारे जवाब आपको चले जावेंगे। प्रिसाइज कोई भी आरोप लगाये हैं और जो भी कट मोशन्स हैं उनकी कतई इन्क्वायरी करवा ली जावेगी। डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी चाहें तो डिपार्टमेन्टल और दूसरी तरह से चाहते है तो वैसी।

श्री नत्थीसिंह : जितनी बड़ी बीमारी है उतना ही लचर जवाब है। ढीले पड़ते जा रहे है। हिन्दुस्तान में सब जानते है कि पी० डब्ल्यू० डी० में खुला कमीशन है। आपका विभाग भ्रष्टाचार से भरा पड़ा हुआ है। कमीशन की खुली लूट है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह लिख कर दीजिये मैं मंगाऊंगा।

श्री रोशनलाल शर्मा : बाड़मेर से आये माननीय सदस्य ने सीरियस चार्ज लगाये है उनका तो जवाब दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। आपस में चर्चा न करें।

आॅडर : प्लीज। आॅर्डर।

श्री रामकिशन : माननीय नवाब साहब। अभी आपने यह कहा कि आरोप लगाते है उनकी जांच कराते है। हम सदन में डाक्युमेंट रखते हैं, ज्यादा पेमेन्ट हुआ है नगर और पहाड़ी में। हम सहयोग देते हैं हर प्रकार से उसके बावजूद भी और क्या सहयोग का तरीका हो सकता है वह बता दें ?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। आप पहले पूरी बहस का जवाब दे दें। उसके बाद में माननीय सदस्य प्रश्न रखें तो उनका स्पष्टीकरण भी कर दें।

श्री लादूराम सुलानिया : क्यों पचड़े में पड़े हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो मेरा जवाब होगा आपके लिय कतई लचर होगा। जो मैं कहूंगा उसमें आपका सहयोग इसीलिये दरकार है। आपकी मर्जी चाहे वैसी में कार्यवाही करने के लिये तैयार हूं। यह भी लचर जवाब है तो उसके लिये मेरे पास कोई जवाब नहीं है।

श्री रामकिशन : उसका क्या हुआ ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसकी इन्क्वायरी हुई। वह मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस पर क्या कार्यवाही की, क्या एक्शन लिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं जिक्र कर रहा था लैन्ड एक्वीजीशन का सवाल आया, हम समझते हैं यह बहुत अहम मसला है जमीन की आराजी का मुआवजा जल्दी न दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : न दिया जाय ? दिया जाय या न दिया जाय ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरा मतलब है यह बुरी बात है कि न दिया जाय। वाकई हम लोगों पर जिम्मेदारी है। जो केसेज हैं

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

वह हम कर रहे हैं, 66 तक जमीन के मुआवजे का कार्य रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था और 66 जनवरी एक से उसका काम पी० डब्ल्यू० डी० के पास आया है । रेवेन्यू के जितने केसेज आये हैं वह एक जनवरी, 66 से आये हैं उसमें 6,566 केसेज हैं ।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : भूमि अवाप्ति का कार्य जब विभाग ने हाथ में लिया उस समय कुल 5,323 मुकदमे विचाराधीन थे और उसके बाद 3,995 केसेज और आये । इस प्रकार हमारे केसेज 9,318 हुए, इनमें से 4,328 मामलों का भुगतान हो चुका है और 4,990 मुकदमों में कार्यवाही चालू है ।

श्री दौलतराम सारण : यह बात तो यहां नहीं कहनी है, केबिनेट में कहिये ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं यह कह रहा हूं ।

श्री नत्थीसिंह : हमदर्दी है केबिनेट के दूसरे साथी नहीं मान रहे हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कभी तो माननीय सदस्य कहते हैं लचर जवाब होता है और कभी हमदर्दी शो करते हैं । तब बड़ी मुश्किल आ जाती है । मुआवजा के बारे में काल अटेंशन मोशन भी आया ह उसकी मैंने फिगर दे दी है, उसकी वजाहत कर दी है । प्रोजेक्ट्स रोड्स के मुताल्लिक कुछ सवाल हाई प्रायोरिटी रोड्स के आये हैं वे पूरी हो गई हैं, मुकम्मिल हो गई हैं । हाई-प्रायोरिटी ब्रिजेज थे वे मुकम्मिल हो गये हैं । 1,103 मील की सड़क पूरी की गई ह जो ब्रिज अभी अभी पूरा हुआ हैं उस पर 80 लाख की कीमत आई हे । इसका उद्घाटन जल्दी ही होने वाला है । इसके अलावा पांच लो प्रायोरिटी रोड्स का काम रहता है इसके साथ तीन ब्रिज और रहते हैं जिनकी मंजूरी अभी आई है । लो प्रायोरिटी की रोड्स के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं कहां बनायें और कहां न बनायें । हमारे पास डिफेन्स से मन्जूरी नहीं आयेगी तब तक यह मार्ग नहीं बन पायेंगे । उनकी हिदायत के मुताबिक हम बनाते हैं । अगर हम अपनी कोशिश से सड़क बनाना चाहें तो उसकी भी मंजूरी लेनी पड़ती है । डिफेन्स का जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से हमारी भी जिम्मेदारी है । डिफेन्स में हाथ बटा सकें तो हम अपनी तरफ से हाथ बटायें यह अच्छी बात हे । डिफेन्स यह कहता है जरूरत के मुताबिक कुछ कमी है तो हम अपनी तरफ से कुछ लगायेंगे और उसको जरूर अहमियत दी जायगी । ऐसी 2-3 सड़कें हैं । मुख्य मंत्रीजी डिफेन्स मंत्रालय से बातचीत कर रहे हैं । अगर आप चाहते हैं तो मैं डिटेल के अन्दर......

(शोरगुल : अश्रव्य)

कई माननीय सदस्य : हम चाहते हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : हरएक प्रश्न का पूरा जवाब दिया जायगा ।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रोड्स के बारे में कहा तो मैं इस समय उनसे अर्ज करूंगा जो इन-कम्पलीट वर्क हैं वह पूरे हो रहे है । उनके अलावा 10 सड़कें हैं वह भी प्लान के अन्दर मौजूद हैं । सब

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

पूरी हो जायेगी । इन्टर-स्टेट रोड्स हैं दो दो मील की उनके बारे में मुख्य मंत्रीजी भी कह आये हैं, प्रोग्राम में मौजूद हैं उनको भी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं । इन्टर-स्टेट रोड से लाभ होगा, उसको हम लेने के लिए तैयार हैं । केन्द्रीय सरकार हमको मदद देगी उसके लिए हम बैठ हैं । उधर से मंजूरी आते ही हम काम को हाथ में लेंगे । उधर से रुपया नहीं आता है और हम लगा देते हैं तो आगे वे देने वाले नहीं हैं इसलिए हम अभी उनकी इन्तजार में हैं । अभी हमने नई नई इन्टर-स्टेट रोड्स इस रिस्क पर ले ली हैं कि हमें आगे रुपये मिल जायगे लेकिन इसमें सम्भावना कम हो जाती है ।

श्री किशनलाल वर्मा : आपकी कॉन्स्ट-ट्यूएन्सी में कितना खर्च किया है ? आपके यहां कितना काम होता है ? दूसरी जगह नहीं हुआ है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपका जवाब भी बड़ी खुशी से देऊंगा । मेरे यहां कितना खर्च किया यह मैं आपको बता दूं मेरे यहां तिजारा तहसील में 300 गांव हैं, यह बड़ी आबाद तहसील है उसमें एक भी नई सड़क नहीं बनी है । आप यह ध्यान निकाल दीजिये । एक नई सड़क नहीं बनी है । गृह मंत्रीजी को जब मैं तिजारा ले गया तो वह कहने लगे कि आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं मैं समझा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खूब सड़कें बनाई होंगी । मगर आपने तो मेरी हड्डी पसली एक करके रख दी है ।

श्री मदनसिंह : बार बार क्यों कहते हो ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अब जो बन रही हैं वह कोटकासिम में चार मील का काम चल रहा है वह इन्टर-स्टेट रोड है । वहां 80 गांव हैं और यहां 300 गांव हैं । तिजारा में एक नई सड़क नहीं बनी है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इलाके के लोग कहते होंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : क्या मैं अपने लोगों को मुंह दिखाऊंगा ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री किशनलाल वर्मा : हमारे यहां नहीं होगा तो हम क्या दिखायेंगे ? हमारा हक नहीं है क्या सड़क बनवाने का ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : दूसरों की बात नहीं बता रहा हूं । हमारे यहां एक नई सड़क नहीं बनी है ।

एक माननीय सदस्य : रुपया कितना खर्च हुआ है ?

(१ म० प०)

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आप लोग अपना हिस्सा लीजिये लेकिन दूसरों का ले जायें तो क्या करना चाहते हैं ? आप मुन्सिफ बन जायें ।

श्री सभापति : इसमें बहस नहीं है ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : कितना रुपया खर्च हुआ है मरम्मत पर, यह बता दीजिए ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मरम्मत भी नहीं करने देंगे ।

Page No 237

श्री मोहनलाल मोदी : यहां सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है, हमारी मरम्मत हो रही है।

श्री सभापति : अलग से प्रश्न। मंत्री महोदय जवाब दें, बहस का जवाब दें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : खानपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने फर्माया था कि उनके यहां की कोटे की सड़कों की हालत खराब ह। उन्होंने खानपुर की सड़कों का जिक्र किया और यह भी जिक्र किया कि नहर का पानी है वह सड़कों को खराव करता है। यह सही बात है, यह इतनी सही बात है कि कोटे की सड़कों की दशा बहुत बुरी है। इसको जरूर तस्लीम करना पड़ेगा। अगर मैं जाता हूं बाहर तो इस लिहाज से नहीं जाता कि मैं जाकर सड़कों को ठीक करवा कर चला आऊंगा.....

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : इस महकमे की दशा बुरी है, एक नवाब हैं, एक ठाकुर हैं। बिल्कुल सामन्तवादी महकमा है।

श्री मदनसिंह : सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहने वाले भी जागीरदार हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कहने वाले जागीरदार हैं।

एक माननीय सदस्य : समाजवाद नहीं आया।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम कोटे की तरफ भी उसी तरह तवज्जह देंगे कि वहां की सड़कों की हालत ठीक हो और सिंचाई विभाग से भी हम बराबर ताकीद कर रहे हैं कि सिंचाई विभाग की वजह से हानि पहुंच रही है सड़कों को, तो वह भी ऐसी व्यवस्था बिठायें जिससे हानि नहीं पहुंचने पाये......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप अपनी बात उन पर टाल देंगे तो आप क्या करगे ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा कि हम कर रहे हैं, जो प्रोविजन है उसके अनुसार कर रहे हैं हम।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : प्रेम पत्र से कुछ नहीं होगा, आप कुछ करें।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य, पी० के० चौधरी साहब ने बहुत अच्छा एक प्लान के मुताल्लिक सवाल किया और तरीका बताया, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके से हल्दी क्रिटिसिज्म हो या हैल्दी सपोर्ट और आये, और कोई दे तो मैं तो वेल्कम करूंगा। जितना सपोर्ट होगा, जितना सार्वजनिक निर्माण में रुपया प्राप्त हो सकेगा उतना काम हो सकेगा। काम होगा जितना प्रोविजन होगा, उसके अलावा नहीं होगा। इसलिए आपकी राय है कि इस तरीके पर मांग ज्यादा होनी चाहिए, प्रेसर ज्यादा होना चाहिए......

श्री किशनलाल वर्मा : यहां के लिए नहीं होगा और सब के लिए होगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा जिले में विशष समस्या यह है......

श्री सभापति : मंत्री महोदय को बोलने

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप सुन लीजिए। काहे को बकबक करते हैं। लोहारू साहब, एक स्पेशल बात है, कोटा जिले की बात है....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : बीच बीच में इन्ट्रप्शन क्यों करते हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सड़कों पर आबादी के मकान बढ़ते आ रहे हैं। आप मेहरबानी करके देखें कि सड़कें दवें नहीं। आज सड़कों पर आबादी के मकान आते जा रहे हैं।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपसे माननीय सदस्य से राय लूंगा जब वहां जाऊंगा कि किस तरह प्लान बनायें।

अब हमारे दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, उन्होंने वही कहा, जो उन्होंने मुनासिब समझा, लेकिन जिस तरीके से जो चीज कही, उससे मेरे दिल को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, क्योंकि मैं यह समझता हूं कि वह मेरे सही मायने में दोस्त हैं, अब भी समझता हूं और आगे भी समझता रहूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने मन्दिर के ऊपर कोई बंगला बनवाया, यह किया तो उसके मुताल्लिक मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा, वह इसलिए कि वह काल अटेंशन के मोशन के तरीके पर चीज आई हुई है हमारे माननीय अध्यक्षजी के पास.....

श्री मदनसिंह : वह बात छोड़िये, आपका है मन्दिर के पास, आपका बंगला है मंदिर के ऊपर....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसके लिए....

श्री सभापति : सुनिए। सुनिए।

श्री मदनसिंह : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आप पहले सुन लीजिए।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उसके लिए, माननीय अध्यक्षजी ने तीस तारीख दे रखी है, अगर उससे आपको संतोष होगा तो वह चीज यहां आ जायगी नहीं तो नहीं आयेगी....

श्री मदनसिंह : मैं एक चीज निश्चित रूप से कहूंगा और कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि कहने का तरीका नहीं, मित्र हैं। मैं राजस्थानी की एक बात कहता हूं : सफल मित्र जब जानिये मित्र अनादर होय। अगर जाहिर में एसी बात है तो सफलता की निशानी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने कहा कि दोस्त समझूंगा।

श्री मदनसिंह : नहीं तो आगे जाकर न जाने क्या आग पकड़ ले।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : दोस्त से शिकवा न करूं तो किससे करूं।

माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि सड़कों पर तवज्जह नहीं दी....

एक माननीय सदस्य : काबिले दाद है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं, अभी दो तीन दिन हुए माननीय सदस्य ने यह हुक्म दिया कि दर्ख्वास्त भेजता हूं उस पर दस्तखत कर दो। मैंने फौरन कर दिय।

श्री माधोसिंह : इससे ज्यादा क्या चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह : किस पर दस्तखत कर दिए ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने हुक्म दे दिया कि रोलर दे दिया जाय ।

श्री मदनसिंह : आयन्दा तीन साल से दस्तखत करते आये हैं लेकिन नीचे वाले नहीं मानते । इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उधर पधारो....

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने तो दस्तखत कर दिये ।

श्री मदनसिंह : आप पधारो रोलर के साथ में ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आपके कहन के माफिक कि ठाकुर साहब ने हुक्म दिया है इस पर दस्तखत कर दो, मैंने कर दिये ।

श्री रामकिशन : आपने काम बहुत बढ़िया कर दिया ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो काम मेरे लायक था वह मैंने कर दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गलत कह रहे हैं । दख्वास्त पर यह लिखा है कि डिप्टी मिनिस्टर को दे दिया जाय ।

श्री माधोसिंह : क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिप्टी मिनिस्टर को दिया जाय ।

श्री माधोसिंह : मैं तो सब पर रोलर फ़र दूंगा ।

श्री मदनसिंह : मैं डिप्टी मिनिस्टर का आभारी हूं कि उन्होंने रोलर भेजा । वरना वहां सड़क बन रही थीं और नवाब साहब, आपने नहीं भेजा ।

श्री सभापति : एक ही बात है दोनों, दोनों में फर्क मत करो ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैतारण से आन वाले माननीय सदस्य ने शिकायत की कि काम इनके मंजूर हो जाते हैं लेकिन देरी से शुरू होते हैं और जो पेमेन्ट चाहें वह पेमेन्ट होता है, लैण्ड अवार्ड्स के मुतल्लिक भी उन्होंने कहा और यह कहा कि करप्शन इतना बढ़ा हुआ है कि दो पर्सेन्ट मेडिकल असिस्टन्स का बर-ब्यावर रोड़ पर मिलता है उसका अता-पता नहीं हैं । मैं उनको यकीन दिलाता हूं, यह करप्शन की दो पर्सेन्ट वाली बात कही है इसकी पूरी तहकीकात की जायगी और यह दो पर्सेन्ट मिला या नहीं मिला तो कहां गया, किस तरीके से गया—इस तरीके पर यह मालूमात की जायगी। साथ ही ऐसे कौनसे काम थे जो मंजूर हो गये और दो तीन महीने तक शुरू नहीं हुए । यह भी कोशिश की जायगी कि जो पेमेन्ट नहीं हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है । इन तीनों बातों की जांच कर ली जायगी । यह भी देख लिया जायगा, जैसा आप फर्मा रहे थे, जैतारण में डाक बंगला नहीं है, जो जितना हो सकता है, वहां की जरूरियात को देखते हुए जितना हो सकेगा उसका भी प्रबन्ध कर दिया जायगा ।

माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने वर्क्स और ब्रिजेज के लिए शिकायतन कहा, कुछ तजवीज के नाते कहा, उसके मुतल्लिक मैं कहता हूं वर्क्स ऑफ इम्प्रूवमेन्ट जितना आप कह रहे थे, हो जाता है, प्लान में भी रखे हुए हैं और हो भी रहे हैं....

श्री मनोहरसिंह मेहता : धन्यवाद । ब्रिज का ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ब्रिज के मुतल्लिक फोर्थ प्लॉन में रखा हुआ है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आगे चलिए ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : आगे चलें, शुक्रिया ।

परबतसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वहां के जो वक्स हैं वहां काम नहीं हो रहे हैं....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हो गया डिटेल में जवाब ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसलिए वह भी फोर्थ फाइव ईअर प्लॉन में काम हैं ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो माननीय सदस्य नहीं है उनका काहे को जवाब देते हैं ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने करप्शन के मुतल्लिक कहा । यह भी कहा कि जालौर में रोड्स के काम हैं और फेमिन के काम हैं वह जल्दी से जल्दी हो जाने चाहिए । और जालौर के बारे में और बाकासर के बारे में कहा । इनमें से करप्शन के लिए तो पहले अर्ज कर चुका हूं और आपका सहयोग रहते हुए मेरी हिम्मत बढ़ेगी और मैं पूरे तरीके पर जिस चीज से आपको तसल्ली जिस तरह से होगी वह करूंगा....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह प्रजातन्त्र की देन है, यह आपसे मिट नहीं सकेगी ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसी तरीके से जालोर की रोड्स के मुतल्लिक कहा, जो फेमिन के काम चालू हुए हैं । मैं भी समझता हूं, मैं दिल से यह चाहता हूं कि कोई काम इनकम्प्लीट न छोड़ें जायं क्योंकि अगर आगे पैसा नहीं होगा तो वह अधूरे काम रह जायेंगे । इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, मेरा अन्दाज है कि ज्यादा से ज्यादा रोड्स का काम कर रहे हैं वह जालोर डिवीजन म कर रहे हैं और यह मेरा अन्दाज है कि जल्दी ही डिप्टी मिनिस्टर को, आपको, सबको मैं इसकी लिस्ट भेज दूंगा ।

लेकिन ताहम ज्यादा है । जालोर का काम 71-72 में चालू होने वाला ह । बाकासर रोड 70-71 में हो रही ह । आप कहें तो और पढ़कर सुना दूं । यह सदन को यकीन दिला देना चाहता हूं कि करप्शन के मामले में जो मुझ से हो सकेगा, करूंगा ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि आपके सार्वजनिक निर्माण विभाग में बाकायदा पर्सेन्टेज लिया जाता है ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरी नॉलेज में यह नहीं है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह जानकारी नहीं है कि निश्चित् पर्सेन्टेज वसूल होता है ? यह मामूली सी जानकारी नहीं है आपको तो फिर आप क्या करप्शन रोकेंगे ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह सेन्ट पर्सेन्ट सही है ।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह आपको मालूम है कि सड़क और मकान सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाता है तो वे बनने के पहिले ही टूटने लग जाते हैं । यह मालूम है आपको ? जाकर कभी बनी हुई सड़कें देखी हैं ? जयपुर

(श्री दौलतराम सारण)

की सड़कें देखी हैं ? पिछले चौमासे में बनी और वर्षा के आने से पहले ही टूट गई हैं वे। ये क्यों टूट गईं ? क्या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वे नहीं बनीं ? उसके मुताबिक इन सड़कों में मसाला भी लगता है कि नहीं ? यह पता लगाया आपने कभी ? फिर भ्रष्टाचार क्या रुकेगा आपसे ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इस राज्य में लूट ही लूट है, भ्रष्टाचार तो है ही।

श्री लाभचन्द वैद : रतनगढ़ की सड़क के विषय में पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : रतनगढ़ की सड़क के वास्ते एग्रीमेन्ट किया गया है और वहां पर पानी के छिड़काव का एग्रीमेन्ट है।

श्री लाभचन्द वैद : एग्रीमेन्ट है तो उस पर कब अमल होगा ? आपको पता ही नहीं कि एग्रीमेन्ट है कि नहीं ? मैंने कई बार निवेदन किया है आपको इसके बारें में।

श्री जुझारसिंह : फ्लड से सड़कें टूट गई हैं उनकी मरम्मत के लिए रकम मन्जूर हुई है उसे 31 मार्च, 70 तक काम में ले लेना है, इसके बाद नहीं चलने वाला है, क्या यह सही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसके लिये रिक्वेस्ट की हैं कि यह अनुदान आगे बढाया जावे ताकि सड़क पूरी हों। इनको पूरा कराया जावेगा।

श्री लाभचन्द वैद : आप रतनगढ़ पधारे थे, आपको मौका दिखाया था। सब कुछ दिखाया था। दो साल हो गये।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया : नागपुर प्लॉन के बारे में क्या किया ? दूसरा यह कि यह पैसेन्जर टैक्स, रोड टैक्स, वैहिकल्स टैक्स जितने भी देते हैं उनको सरकार ने सड़क निर्माण के लिये मांगा था नहीं मांगा, तो कितना मांगा और कितना दिया गया ? तीसरा यह कि यह तो आपने कह दिया कि चम्बल नहर के कारण सड़कें खराब हो गईं जैसे अन्ता-सीसगढ़ वाली, मांगरोल-खातौली आदि और 62 से ये आज तक नहीं हुई।

इस तरह उस इलाके की जितनी सड़कें हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : जयपुर जिले में कितनी नई सड़कें आपने बनाईं, कितनी की मरम्मत की, और इस साल कितनी नई बनाने का आपका विचार है और कितनी की मरम्मत करने का विचार है ?

श्री सभापति : इसके लिए आपके कटौती के प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : देवीलालजी ने कटौती प्रस्ताव रक्खे इसका क्या जवाब दिया ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : प्लॉन से पीछे हैं। यह मानना पड़ेगा पर जैसा कहा कि प्रोवीजन पूरा नहीं है इसलिए हम प्लॉन के मुताबिक नहीं कर सकते। जो प्रोग्रेस है अपने बजट प्रोवीजन के मुताबिक चल रहे हैं और चलते रहेंगे।

दूसरा यह किया है कि सड़क अन्ता-सिसवाली रोड के लिए प्रोवीजन है। वह

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

हम करेंगे। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है सदस्यों के लिए।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह भी तो बताइये कि जो पैसेंजर टैक्स है, रोड टैक्स है, वेहिकल टैक्स है इसमें से आपको कितना दिया गया और आपने कितना मांगा ?

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने 1 करोड़ रुपया लो प्रायोरिटी रोड के लिए दिया था ?

श्री शिवनाथसिंह : अधिक से अधिक समय एक, दो, पांच, दस साल में कितनी सड़कों का नम्बर आ जावेगा, यह बता सकते है आप ? मुआवजा देने के मामले में ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैं तो गारन्टी एक दिन की भी नहीं दे सकता। जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। यह अहम सवाल है। देने की जल्दी से जल्दी कोशिश की जावेगी।

श्री शिवनाथसिंह : मुआवजा देने की बात तो अलग है, लगान ऊपर से अभी तक और लिया जा रहा है। यह लेना कब तक बन्द कर देंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह रुक जावेगा। जिनका ले लिया है उनका वापिस मिल जावेगा।

श्री किशनलाल वर्मा : बाण गंगा नदी जो सिकन्दरा से बान्दीकुई के बीच पड़ती है उस पर पुल बनाने का काम कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

श्री विजयसिंह : राजस्थान भर में सड़कों का लेवलिंग अच्छी तरह से क्यों नहीं किया जाता है इसका क्या कारण है ? इसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया है ? कितने इन्च थिक होनी चाहिए और कितनी रहती है ? निर्धारित थिकनैस से कम थिकनैस का माल क्यों लगाया जाता है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह टैक्निकल मामला है। इसका जवाब लिखकर भिजवा सकूंगा।

श्री सभापति : गृह मंत्रीजी।

श्री लादूराम सुलानियां : हमारे कट मोशन्स का जवाब नहीं। ठीक है। आप कहते हैं तो मान लेते हैं। वरना या तो यह जवाब दे दें कि कुछ नहीं है जवाब इसका सरकार के पास। बड़े हिसाब किताब से पूछते हैं। यह अर्ज करता हूं कि आन्धी से चाकसू वाया फागी रोड पर दस साल से डामर नहीं किया। अब क्या विचार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, आज दिन भर से पुलिस की डिमाण्ड के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्तावों के जरिये से अपने विचार यहां सदन में पेश किये हैं। जहां तक कटौती प्रस्तावों का सवाल है, उनका नम्बर देखते हुए पहले भी हर बजट सेशन के अन्दर बराबर इन कटौती प्रस्तावों के ऊपर मैं यह कहता रहा हूं कि स्पेसिफिक कटौती प्रस्ताव हैं उनके लिए मैं आपके पास जवाब भेज दूंगा, और मैंने बराबर आपके पास कटौती प्रस्तावों के जवाब भेजे हैं। माननीय दौलतरामजी ने कहा कि नहीं आये, उनके रह गये हों तो मैं नहीं कह सकता। पुलिस विभाग की डिमाण्ड के संबंध में करीब डेढ़ सौ, पौने दो सौ कटौती प्रस्ताव हैं, उनके लिये अलग अलग जवाब देना सम्भव नहीं होगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जहां तक पुलिस डिपार्टमेन्ट का संबंध है, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। पुलिस के महकमें में खराबी नहीं है, इसके लिये मैं नहीं कहता कि खराबी नहीं है। पर पुलिस डिपार्टमेन्ट को राइट डाउन कन्डेम करना उचित नहीं है। अगर इस पुलिस महकमें के कुछ पुलिस आॅफिसर्स अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ करनी चाहिए।

श्री मदनसिंह : हमने तारीफ की है, सबके लिए आप यह नहीं कह सकते हमने अच्छे आॅफिसर्स की तारीफ की है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर कुछ बुराई है तो उस बुराई को कहें और उस बुराई को मिटाने की हम पूरी कोशिश करें।

(9.22 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह नहीं कि पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छाई है ही नहीं, सब बुराई ही बुराई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि यह वतीरा अच्छा नहीं है, सरकार के लिए अच्छा नहीं है, जनता के लिए अच्छा नहीं है, न यह माननीय सदस्यों के लिए अच्छा है चाहे वे इधर बैठने वाले हों या उधर बठने वाले हों। क्योंकि डेमोक्रेसी में जनतन्त्र को कायम रखने के लिए पुलिस की आवश्यकता है और आवश्यकता रहेगी, पुलिस के बगैर काम चल नहीं सकता। हां बुरे कामों की भर्त्सना कर, सुधार लाने की कोशिश करें, यह हमारा कर्त्तव्य है। जहां तक पुलिस डिपार्टमेन्ट का संबंध है, इस डिपार्टमेंट में बहुत से आॅफिसर्स और जवान ऐसे हैं जो काबिल हैं, योग्य हैं एफिसियेन्ट हैं, ईमानदार भी हैं और इसमें बेईमान भी हैं, इसमें दो राय नहीं हैं।

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है बराबर इस विभाग में कार्यवाही की गई है। हर साल कार्यवाही की जाती है, सजा दी जाती है, चालान किये जाते हैं और कोर्ट में कन्विक्शन कराये जाते हैं। इस साल की जो किताब पेश की है, उसमें आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने लोगों को सस्पेन्ड किया है, कितनों को सजा दी है, कितनों के चालान पेश किये जा कर अदालत में सजा हुई है। इससे मालूम होगा कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए बराबर प्रयास किया जा रहा है।

पुलिस डिपार्टमेन्ट का परफार्मेन्स पिछले साल कैसा रहा, उसका पता तभी चलेगा जब आप इसको पिछले सालों के परफोर्मेन्स से कम्पेयर करेंगे। यह वही राजस्थान है जिसके अन्दर जान और माल की हिफाजत कतई नहीं थी, बल्कि दुश्वार थी। खास कर अरावली हिल्स में जहां आदमी और मंत्री तक रात पड़ने पर मोटर गाड़ी से भी जाने में डरते थे उन्हें एस्कोर्ट में जाना पड़ता था। आज वही अरावली है जहां रात को 12 बजे भी जब चाहें जाइये।....

श्री मदनसिंह : जयपुर में रात को 12 बजे नहीं निकल सकते....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : यहां हत्याएं होती हैं, छात्रों की जान ले ली जाती है, औरतों की इज्जत लूटी जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर प्लीज।

Page No 244

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको यह अर्ज कर रहा था कि डाकू उन्मूलन के लिए पुलिस ने राजस्थान में जो काम किया है, अगर शुरू से जब से राजस्थान बना है, उसके इतिहास को देखें तो इस बात को कहे बगैर नहीं रह सकते कि डाकू उन्मूलन में राजस्थान की पुलिस ने सराहनीय और बहादुरी का काम किया है, पुलिस जवानों ने और अफसरों तक ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, इस राज्य में शान्ति कायम करने के लिए। आज भी जिन दिक्कतों और दुश्वारियों में पुलिस काम करती है, उसका आपको पता है। रोइट कन्ट्रोल, लेबर एजिटेशन, स्टूडेन्ट्स एजीटेशन और अन्य एजीटेशन्स हों तो जिस तरह पुलिस को कर्त्तव्य पालन करना पड़ता है, उसको देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि....

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कर्त्तव्य है पुलिस का कि लोगों के पीछे भाग–भाग कर गोली मारे ? यह पुलिस का कर्त्तव्य है कि बच्चों के पीछे भाग–भाग कर उनको गोली मारे ?....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ! माननीय सदस्य ।

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले वर्ष का पुलिस का परफोर्मेन्स कैसा रहा, यह तो आपको इस पुस्तिका से मालूम हो गया होगा। 1969 के अन्दर क्राइम की पोजिशन पिछले साल से कम हुई है, रिकवरी ज्यादा हुई है। डकैती व लूट में कमी हुई हैं, मर्डर में तरक्की हुई है तो झूठे केसेज ज्यादा हैं, इस लिहाज से मर्डर्स की कमी हुई है। पुलिस के परफोर्मेन्स में सबसे इम्पोर्टेन्ट फिगर यह रहता है कि क्राइम्स को रोकने के लिये इन्सदादी कार्यवाही क्या की गई, इसके लिये हमें यह मानना पड़ेगा कि इन्सदादी कार्यवाही में पुलिस का परफोर्मेन्स बड़ा अच्छा रहा है। 107 की कार्यवाही के 9,528 केसेज 1969 में पेश किये गये जबकि पहले 2993 केसेज पेश किये गये थे। 109 में 607 केसेज और 110 में 1,416 केसेज पेश किये गये।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : गंगा नगर की संख्या है उसमें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप माननीय सदस्यों को कह दें कि मैं बोल रहा हूं, बीच में दखल न दें। वे बाद में जो कुछ पूछना चाहें पूछ लें, मैं सबको जवाब दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : जवाब देने के बाद आप ठहरोगे भी नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चिन्ता मत करिये, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं, आपको ओब्लाइज भी नहीं करने वाला हूं।

मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि प्रिवेन्टिव एक्शन इसलिये ले रहे हैं कि समाज विरोधी तत्व हैं, उनको पहले से ही पाबन्द कर दें ताकि वे जरायम नहीं कर सकें।

डिटेक्शन ऑफ क्राइम में देखेंगे तो इस किताब से आपको मालूम होगा कि डिटेक्शन ऑफ क्राइम में चालान, कन्विक्शन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और रिकवरी के अन्दर यह साल पिछले सालों से अच्छा रहा है। हर तरह 69 में पुलिस का परफोर्मेन्स अच्छा रहा बमुकाबले पिछले सालों के।

इसी तरह से चोरियों की बरामदगी में भी पुलिस का परफोर्मेन्स सराहनीय और बहुत अच्छा रहा है। मवेशियों की चोरी, मूर्तियों की चोरी और दूसरी चोरियों को देखे, पिछले विधान सभा के अधिवशन में, जब राजस्थान से कुछ मोटरें चोरी चली गई थीं उनके बारे में सवाल उठा, राजस्थान की पुलिस ने बड़ी तत्परता से मोटरों की चोरियों को पकड़ा। बम्बई, अहमदाबाद में चोरी गई मोटरों को हमारी पुलिस ने बरामद किया। यहां के एस० पी०, एडीशनल एस० पी० मद्रास से मोटरों को बरामद कर के लाये। इसी तरह से मूर्तियों की चोरियां को बरामद करने में भी हमारे यहां की पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम किया। आहोर की मूर्तियों की चोरी हुई उससे जैन समाज में सनसनी और नाराजगी थी, उन मूर्तियों को राजस्थान की पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी और तत्परता के साथ बरामद किया। अलवर की दो लाख की मूर्तियां बरामद कीं। तो मेरी अर्ज यह है कि जहां कहीं चोरी की वारदातें हुई तो उनमें कमी और बरामदी ज्यादा है, गिरफ्तारी ज्यादा और चालान ज्यादा। यह आपके देखने की बात है। दूसरी तरफ दूसरे जुर्म मर्डर, डकैतियों के लिये म खास तौर से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझें ....

श्री रामचन्द्र आर्य : 37 मूर्तियां तो ये हैं।

श्री नत्थीसिंह: ये दूसरी मूर्तियों की बात कर रहे हैं। आज 37 मंत्री हैं.....

श्री दामोदरलाल व्यास: आप चिंता न करें। मेरा जवाब आप दे देते हो।

डकैती के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान के कई जिले कोटा सवाई माधोपुर और धोलपुर जिलों के लिये आप जानते हैं कि चंबल रैविन्स में डकैती की समस्या आज से नहीं सदियों से चल रही ह जब से चंबल रैविन्स हैं तब से समस्या है। हर समय सदन में इस समस्या पर काफी चर्चा होती है और चिंता व्यक्त की जाती है। मुझे बहुत खुशी व गर्व के साथ कहना पड़ता है कि इस समस्या को राजस्थान के अधिकारियों व पुलिस ने बहुत बहादुरी के साथ में और योग्यता के साथ में ठीक किया है। आप देखेंगे कि इस साल 139 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं और 19 डकैतों को मारा गया है और आज चंबल क्षेत्र में खास तौर से धोलपुर क्षेत्र में आप देखेंगे कि भरतपुर एरिया में 19 मुठभेड़ें हुई जिनमें 92 गिरफ्तार हुए और 15 डकैत मारे गए और दो जगह आत्मसमर्पण किया। इस तरह से 94 गिरफ्तार हुए हैं। भरतपुर पुलिस ने केवल अपनी डकैती समस्या ही हल नहीं की है बल्कि उत्तर प्रदेश में जो बहुत खतरनाक डकैत था, बाबू और महाराज सिंह उनका भी सफाया किया जिसकी तारीफ उत्तरप्रदेश सरकार ने और वहां के मुख्य मंत्री ने की और आई० जी० पी० ने एस०पी० को आगरा बुलाकर सार्वजनिक अभिनन्दन किया है। केवल पुलिस की बराइयां ही बुराइयां बताना वाजिब नहीं है। मैं बुराइयां सुनने में नाराज नहीं होता परन्तु जो काम अच्छे करते हैं उनकी तारीफ की जांय तांकि उनका

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हौसला अफजाई हो । एन्टी डकैटी मेजर्स के लिए कोई काम बाकी नहीं रखा है । एक डी० आई० जी० अलग रखा है जिसका काम है चंबल रेविन्स फ्रम कोटा, सवाई माधोपुर एण्ड भरतपुर को सुपरवाइज करे और आप जानते हैं कि श्री गुमानसिंह ने एन्टी डकैती के अन्दर राजस्थान में अच्छा काम किया है और उनको इस बात का एक्सपर्ट माना जाता है, उनको इस बात के लिये मुकर्रर कर रखा है ।

यहां एक नई गैंग के लिये माननीय सदस्य ने कहा कि जैसलमेर में नई गैंग पैदा हुई है । मैं इतनी जानकारी दे सकता हूं कि पुलिस इस बात पर मुस्तैदी के साथ सतर्क है और बराबर उस नई गैंग का सफाया करने में सफल होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है ?

कुछ माननीय सदस्य पुलिस में नियुक्तियों व प्रमोशन्स की बात करते हैं । पुलिस विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसके अंदर कान्स्टेबल से लेकर हाइएस्ट आफिसर तक के लिये बराबर डिपार्टमेंटल परीक्षायें होती हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गलत बात है । एक आर० ए० सी० के हैड कान्स्टेबल को प्लाटून कमांन्डर बनाया है, पक्षपात किया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर मेरे सुनने की जरूरत नहीं है तो मैं जा सकता हूं । इतनी कर्टसी नहीं दिखाते, सुनना नहीं चाहते तो यह आपकी मर्जी ।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में न बोलें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कान्स्टेबुल की सीधी भर्ती होती है । कांस्टेबुल से हैड कान्स्टेबल बनता है तो डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है । इसी तरह से हैड कान्सटेबल से सब-इन्सपेक्टर बनेगा तो भी डिपार्टमेंटल परीक्षा और सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर बनने के लिए भी डिपार्टमेंटल परीक्षा और इन्सपेक्टर से आर० पी० एस० में जायगा तो भी पी० एस० सी० की परीक्षा होती है । इसलिये केवल कान्स्टेबल की नियुक्ति का अधिकार एस० पी० को है, फर्स्ट स्टेज पर भर्ती करते हैं उसके बाद जितने प्रमोशन्स हैं उसमें डिपाटमेंटल कमेटी हैं और खास तौर से उनमें एक डी० आई० जी० और दो तीन एस० पीज० हैं और सब इन्सपेक्टर के लिये तो दो से ज्यादा डी० आई० जी० होते हैं, वह परीक्षा लेकर प्रमोशन्स करते हैं । तो इसमें पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। इतने सीनियर अधिकारी हैं और वह नियमों के तहत परीक्षा लेते हैं । आर्टीकल 309 के तहत इस विभाग के अंदर हर सर्विस के नियम बने हुए हैं, उनके तहत ही प्रमोशन्स होते हैं । इसलिये माननीय सदस्यों को कहीं ख्याल हो कि प्रमोशन्स के अंदर पक्षपात होता है, तो यह सही नहीं है । किसी इन्सपेक्टर का प्रमोशन आर० पी० एस० में करना होता है तो उसके लिये सलेक्शन कमेटी बनी हुई है जिसका चेयरमैन पी० एस० सी० का चेयरमैन है । अपाइंटमेंट सेक्रेटी होमसेकेटरी और एक दो अधिकारी हैं । इसी तरह से आर० पी० एस० से आई० पी० एस० में प्रमोशन के लिये डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है तो नियुक्ति में चाहे प्रमोशन में पक्षपात की गुंजाइश नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आर० ए० सी० में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसकी भी यही पोजीशन है । आप 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं ।

Page No 247

श्री देवीदत्त गाड़िया : 1967 की बात है।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल गलत है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बिल्कुल सही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हम सिफारिश और भेंट-पूजा की बात बाद में पूछेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आर० ए० सी० के लिये भी वही नियम हैं जो सिविल पुलिस के हैं, उसमें भी नियुक्तियां व प्रमोशन बाकायदा परीक्षाओं से होते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने लिस्ट बदल दीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिडियूल्ड ट्राइब्स का रिप्रजन्टेशन इसके अंदर पुलिस में कम है, इसके कटौती प्रस्ताव है। मगर पुलिस के सब-रिक्रूटिंग ऑथोरिटीज को इस बात के आदेश हैं और वह इसका पालन कर रहे हैं और बराबर इस बात को मैंने इस साल भी देखा है कि इस साल जो रिक्रूटमेंट हुआ 1969 में उसमें 40 सब-इन्सपेक्टर्स में से 8 शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए गये। उस दृष्टि से आप अंदाज लगायें कि कितना प्रतिशत हो गया।

श्री लादूराम सुलानियां : 28 प्रतिशत होता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बीच में प्रश्न न पूछें।

श्री दामोदरलाल व्यास : 28 प्रतिशत अब बनाया है। रिक्रूटमेंट के समय 12½ प्रतिशत था। यह 20 प्रतिशत हो गया। पुलिस के कर्मचारियों ने, जिस तरह से मैंने अर्ज किया, पिछले वर्षों के अंदर, अपनी कर्त्तव्यपरायणता से, जो अपनी काबलियत बताई है और खास तौर से जैसा मैंने कहा, कुछ डकैतों का सफाया करने में, समाज विरोधी तत्वों का मुकाबला करने में, बहुतों ने अपनी जानें दी हैं, जहां उनके लिए बराबर हमारे पुलिस के नियमों में इस बात का प्रावधान है कि जो डकैतों से मुकाबला करने में या देश पर हमला हो, उनसे मुकाबला करने में मारे जायं या इनवलिड हो जांय, उनके लिए वही नियम बना रखे हैं कि जिस तारीख को उनकी मौत हो जाती है या नाकाबिल हो जाते हैं तो उस तारीख के बाद बराबर उनकी फैमिली को पूरे इमोल्यूमेंट्स, जो उनको मिलते हैं उनके रिटायरमेंट तक, वह उनको मिलेंगे। और ग्रेचुएटी और फेमिली पेन्शन जो मिलनी चाहिये वह बराबर उनकी विडो और बच्चों को मिलती रहेगी। पुलिस के जवानों और अधिकारियों के पे स्केल्स का जहां तक सवाल है आप देखेंगे कि राणावत वेतन कमीशन के रिपोर्ट के बाद जो इनकी तनख्वाहें हुई हैं एक दो राज्यों को छोड़ कर, अपने यहां कहीं अच्छी हैं। सब-इन्स्पेक्टर को ले लीजिये। इन्स्पेक्टर, हैड कान्स्टेबल और कान्स्टेबल का वेतन अच्छा हो—भ्रष्टाचार कम करने का यह भी एक तरीका है। उनके वेतन स्केल में तबदिली की गयी और उनकी तनख्वाह बढ़ायीं गयीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बाहर संतरी खड़े हैं वे तो भूखों मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवधान डाल कर और देरी कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उनको रोटी नहीं मिलती है। रहने का स्थान नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस के कर्मचारी ओवर ड्यूटी देते हैं तो उनका बराबर ध्यान रखते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाहर से उनको बुला लेते हैं। रहने के लिये उनके लिये स्थान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रहने के लिये जगह नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस एम० एल० एज० को तो खाने के डिब्बे मिल जाते हैं। उनको भी भेज दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले आप मुझे सुन लें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पुलिस वालों के लिये कह रहे हैं। उनके लिये क्या कहते हैं आप ?

श्री उपाध्यक्ष : यहां का जो स्टाफ है वह अध्यक्ष के अधीन है और यहां पर कोई माननीय सदस्य उनकी चर्चा न उठायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो भूखों मर रहे हैं। कांग्रेस वाले सब खा पीकर बैठे हैं।

(शोरगुल : व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस डिपार्टमेन्ट के अंदर पुलिस वैलफेयर फंड है केन्टीन फन्ड है, और पुलिस बेनीवोलेंट फन्ड है जो पुलिस लाइ स में रहते हैं उनको 12 रु० माहवार मेस की सब्सिडी दी जाती है सरकार की ओर से अलावा तनख्वाह, हाउस अलाउन्स और जो भी अलाउन्स उनको मिलते हैं उसके अलावा 12) रु० माहवार सब्सिडाइज किया जाता है ताकि वे अच्छी डाइट खा सकें और तन्दुरुस्ती अच्छी रख सकें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनको 12) रु० नहीं दिया जाता है और 7) रु० ही दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर माननीय सदस्य।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस के महकमे के अन्दर पुलिस के खिलाफ भ्रष्टाचार और किसी प्रकार की शिकायतें हों, उनके खिलाफ बाकायदा कार्यवाही होती है। रियायत कोई नहीं दी जाती। आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो सन् 1969 में 238 आफिशियल सस्पेन्ड किये गये। 3612 को डिपार्टमेंटली पनिश किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह विना सिफारिश के होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्षजी, इन सजाओं के अंदर सेवा से बर्खास्त किये गये हैं निरीक्षक और उप-निरीक्षक आरक्षी 57, सेवा से डिस्चार्ज किय गये 37 आदमी, पदावनत किये गये 22, वेतन वृद्धि अवरूद्ध की गई 294, सस्पेन्ड किये गये 73, सर्विस रूल्स 16 के अन्तर्गत वार्निंग दी गई 13, जिन्हे सजा दी गयी 509। रूल 17 के अन्तर्गत 503 को सजा दी गई। वेतन वृद्धि रोकना, सेन्स्योर्ड और वार्निंग यह इसमें है।

(श्री दामोदर लाल व्यास)

आप देखगे तो बरावर करप्शन के केसेज में उनका चालान भी किया गया है और सजायें भी हुई हैं। 34 आदमियों का कन्विक्शन हुआ है क्रिमिनल कोर्ट्स से जहां करप्शन की या और कोई शिकायतें हों तो उसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होती है। बरावर कार्यवाही होती है सस्पेन्शन और सजाओं के आंकड़ों से पता लगा सकते हैं कि एक साल में कितनों को सजा दी गयी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सिपाही कितने हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्स्पेक्टर से लेकर सिपाही तक के आंकड़ें दे दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ मामले, कुछ स्पेसिफिक केसेज, जिनके लिये आपने आदेश दे रखा है, का अपने जबाब में हवाला दूं, बयाना से आये माननीय सदस्य ने जिस भाषा का यहां प्रयोग किया है, मैं माननीय उपाध्यक्षजी, ईमानदारी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका मुझे बड़ा दुख है। दुख इस बात का नहीं है कि उन्होन यहां यह कहा मगर मेरी 61 साल की उम्र हो रही है और आज तक मेरे ऊपर ऐसे चार्ज किसी ने नहीं लगाये जैसा उन्होने लगाया और उन चार्ज को उन्होंने वेग छोड़ दिया। मैंने उस समय यह कहा था कि यदि वे स्पेसिफिक इन्स्टान्सेज देकर यहां पेश करेंगे तो मैं अपने आपको इन्क्वायरी के लिये सबमिट करूंगा। अब तक उन्होंने स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं दिय। अब तक नहीं दिये। जात खास का सवाल दे नहीं सकते।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जब चाहे तब दूंगा। 2 बजे तक यहां बैठ कर लगातार दूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाद में विभाग के भ्रष्टाचार की बात कह दी।

विभाग के भ्रष्टाचार की बात कही उसके लिये मुझे एतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : That is your department. You are responsible.

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरा डिपार्टमेंट है और मैं उसमें एक्शन लेता हूं और आप एक भी केस नहीं बतला सकते हैं कि एक्शन न लिया हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रमाण देते हैं। क्या एक्शन लिया ? उत्तर देते नहीं ? । यहां कह देते है देंगे। लेकिन उत्तर मिलते नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद गंगानगर से आये माननीय सदस्य ने गंगानगर एजीटेशन पर बहुत कुछ कहा। दो तीन बातें कहीं। लाठी चार्ज अश्रुगैस और मिलिट्री को एलर्ट करन की बात खास तौर से कही मिलीट्री को एलर्ट करने की एक बात है। नक्सेलाइट टाइप के पेम्फलेट छपे हैं, तकसीम किय गय। भाषा पढेंगे तब यकीन कर लेंगे। वास्तव में जिन्होंने हरकत की.......

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री दौलतराम सारण : जयपुर में भी चिपके थे।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

Page No 250

श्री दामोदर लाल व्यास : जो नक्सेलाइट टाइप कम्युनिस्ट मार्किस्ट लोग हैं जिन्होंने प्रेस कान्फ्रेन्स की जो बातें कहीं उनको भी आप अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने मिलिट्री को तैनात किया और आपकी अन्तरात्मा जानती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा गंगानगर के कुछ लोग अपने भाषण में हिंसा का प्रचार करते थे। यह आशंका इस बात से सत्य जाहिर होती है पचास जवान जख्मी हुए, जनता के पत्थरों और लाठियों से उनके चोट लगी हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई मरा भी है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : आपके डिप्टी मजिस्ट्रेट ने कहा है हर जगह जो आदमी सत्याग्रहियों के रूप में आये वे शान्तिपूर्ण रहे, इस प्रकार का स्टेटमेन्ट है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि दो दो कान्सटेबल की निगरानी में 100-100 सत्याग्रहियों का जत्था गया है, कहीं पर कोई दुर्घटना नहीं हुई ?

श्री मदनसिंह : आर्मी के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! माननीय सदस्य ! बाद में पूछ लीजिये।

श्री मदनसिंह : बाद में नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में अवसर दिया जायेगा।

श्री मदनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो तरीका आप अपना रहे है ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ उस वक्त किया वह हालत को देखते हुए जो कुछ किया वह वाजिब किया।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक भी आदमी को पकड़ा क्या ? अशान्ति के लिए पकड़ा क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक मिलिट्री का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनको एलर्ट किया गया जरूरत पड़े तो आ जाय।

श्री मदनसिंह : आप यहां ही क्या पूरे प्रान्त में बुलाये।

श्री भैरोंसिंह : मिलिट्री को एलर्ट ही किया गया या मूवमेन्ट्स भी हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मिलिट्री गंगानगर में स्टेशन्ड नहीं है। एलर्ट का मतलब है जरूरत पड़ने पर आ जाय। उनके हैड क्वार्टर गंगानगर एरिया में शिफ्ट कर लिया गया इसके अलावा कोई मूवमेन्ट नहीं हुआ।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : पाकिस्तान से कितने हथियार आये उसकी लिस्ट दे दीजिए ?

श्री मदनसिंह : ऐसे मिलिट्री का जहां जहां मूवमेन्ट होता है काश्तकारों को भय होता है। इसका सबूत मैं देता हूं दांता रामगढ़ जब लोगों ने सुना कि मिलिट्री का एक्शन हो रहा है तो लोग गांव छोड़ छोड़ कर भाग गए। आर्मी को बुलाओ तो तथ्यों के आधार पर बुलाओ।

श्री शीशराम ओला (पिलानी) : मिलिट्री के बारे में यहां कुछ नहीं कहा जाना चाहिए ।

श्री मदनसिंह : आपको पता नहीं रात को मैंने जा जाकर उनको घर पर बुलाया है मिलिट्री का मूवमेण्ट नहीं हो रहा है घर को लौट चलिए । तब जाकर वे आये हैं ।

श्री शीशराम ओला : जैसे कानून के तहत अधिकार है उसी तरह से चर्चा करनी चाहिए । आर्मी को सदन में चर्चा का विषय बनाया जाय यह किसी को अधिकार नहीं है ।

श्री मदनसिंह : आर्मी के जनरल मानिकशा ने जो कुछ कहा है उसको पढ़िये । उन्होंने कहा कि मिलिट्री को इस तरह से जन आन्दोलनों को दबाने के लिए न बुलाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों में सबने पढ़ लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : आर्मी को एलर्ट रहने के लिए आपने नक्सलवादी पर्चे के छपने से पूर्व कहा था या बाद में लिखा था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पर्चा छप गया, प्रेस कान्फरेन्स की रिपोर्ट छप गई उसके बाद में एलर्ट के लिये लिखा गया ।

प्रेस कान्फरेन्स में जो मेरे लिए कहा गया कि मैंने यह कहा था कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में हथियार आये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात को नहीं कहा है । एक अखबार में "हिन्दू" ने यह लिखा है कि एक गृह विभाग के प्रवक्ता द्वारा उसके लिए हमने उनके कोरसपोंडेण्ट से बात भी की है । जर्नलिज्म के एटीकेट के कारण वे नाम बताना नहीं चाहते । मैंने उसी रोज प्रेस नोट निकाल कर कहा था कि इस तरह की एवीडेन्स नहीं तो बात को वहीं का वहीं समाप्त कर देना चाहिए ।

लाठी चार्ज, अश्रुगैस की बातें कही जाती हैं । मैं इस बारे में गंगानगर आन्दोलन के डिटेल्स में जाना नहीं चाहता । जहां तक गोलीकाण्ड का सवाल है अदालत द्वारा जांच पैण्डिग है । जहां तक आन्दोलन का सवाल है जनता को आन्दोलन करने का अधिकार है, उनको डिमान्स्ट्रेशन का अधिकार है । लेकिन आपने यह देखा नहीं होगा कि आप किसी दफ्तर में जायं और वहां के कर्मचारियों को काम नहीं करने दें, दफ्तर में घुसकर पटवारी की कलम तोड़ दें, तहसीलदार को दफ्तर म काम नहीं करने दें । ऐसा कहीं नहीं होता है । इस हद तक जब एजीटेशन आ जाता है तो सरकार को कोई न कोई कदम उठाना पड़ता है . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : वे इसलिए रोक थे कि उनको गिरफ्तार करो नहीं तो काम नहीं करने देंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई न कोई तरीका तो अख्तियार करना होगा जिससे दफ्तरों का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे । यह कानूनी अपराध है इस प्रकार के आन्दोलन जो होते हैं, इस प्रकार के गैर कानूनी काम करने से उनको रोकना सरकार का काम होता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कलम लोग इसलिए पकड़ते थे वह भी एक आदमी पकड़ता था कि उनको गिरफ्तार करो ।

Page No 252

श्री दामोदरलाल व्यास : मजिस्ट्रेट को अधिकार है 144 धारा लगाने का, गर कानूनी मजमें को हटाने के लिए वह उसका उपयोग कर सकता है। मजमे डिस्पर्स करने के लिए, फोर्स यूज कर सकता है। इसमें लाठी चार्ज, अश्रुगैस सब आ जाते हैं। कहीं भी लाठी चार्ज हुआ अश्रुगैस छोड़ी गई—सब मजिस्ट्रेट के आर्डर्स से हुआ। वैसे पुलिस आत्म रक्षा के लिए भी चला सकती थी लेकिन गंगानगर डिवीजन में जहां कहीं भी यह हुआ मजिस्ट्रेट के आदेश से हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जसोणा में फायरिंग किसके आदेश से हुआ ? लाठी चार्ज और अश्रुगैस किसके आदेश से हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : जसोणा में फायरिंग किसके आदेश से हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके अलावा माननीय सदस्य खुद जानते हैं एक यह भी कोल दी गई कि तहसीलदार को गिरफ्तार करके कमेटी के सामने पेश किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी नहीं करते, उनको गिरफ्तार किया जाय यह था।

(10 म० प०)

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके साथ साथ यह भी एलान किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्याग्रहियों को नहीं गिरफ्तार करने से उनको गिरफ्तार किया जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : कि तुम उनको पकड़ लो, उनको गिरफ्तार कर लो। तो इस आन्दोलन की डिटेल में नहीं जाते हुए मैंने इसके सबंधित मुख्य मुख्य बात बताई हैं। इससे जाहिर होगा कि सरकार के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि ऐसी गैर कानूनी कार्यवाही करने वालों के साथ में कानूनी सलूक किया जाय।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने कहा था कि कानूनी अख्तियार काम में लिए गये, इसके अलावा कोई अधिकारी गैर काननी तरीके से पेश आया और उसने गैर कानूनी तरीके से ज्यादतियां कीं या सख्ती बरती—इसका कोई भी इन्स्टान्स वे देंगे तो मैं उसकी अलग से जांच करवा लूंगा और उस बात पर अभी भी कायम हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : पदमपुर में लाठी चार्ज से मारे गए, उस लाठी चार्ज का क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर के जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य एक अर्से से इस बात से काफी परेशान हैं, उनकी भावनाओं का सवाल है, उन्होंने कहा बरी कमीशन के मामले को लेकर कि बेरी कमीशन की बात यह सरकार मानती ही नहीं। उसकी सिफारिशों को इस सरकार ने नामन्जूर कर दिया। आज तक इस सदन में जितनी बहस हुई है सरकार की तरफ से जब जब मुख्य मंत्रीजी म कोई स्टेटमेन्ट दिया है उन्होंने कभी यह नहीं कहा है कि रिकमण्डेशन्स को नहीं मानते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : रिकिमण्डेशन्स नहीं, फाइण्डिग्स को ?

श्री दामोदर लाल व्यास : फाइण्डिग्स को नहीं मानते, यह कभी नहीं कहा। उस पर

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अफसरों की कमेटी मुकर्रर हुई थी। उसके पीछे सिर्फ एक ही सरकार की मंशी थी कि जो उस समय के कलेक्टर थे, डाइरेक्ट संबंध उनसे था। वे होम कमिश्नर हो गये थे, तो तीन सीनियर आफिसरों ने उन रिकमण्डेशन्स को स्क्रूटिनाइज किया और सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और उसके ऊपर हमने बेरी कमीशन पर कार्यवाही करने का निश्चय कर लिया और यह गवर्नमेन्ट का आदेश भी जारी किया। उसकी कापी सदन की मेज पर रखता हूं। काफी लम्बी चौड़ी हैं। पढ़ने म समय लगेगा। 8 पेज हैं अंग्रेजी के। आप उसे पढ़ लेना। मैंने रख दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सारांश ही कह दो।

श्री दामोदरलाल व्यास : गोलीकाण्ड में मारे गये थे उनके आश्रितों को, जो इन्जर्ड हो गये थे उनको और उनके आश्रितों को आप जानते हैं कि कितना कितना मुआवजा दिया जा चुका है। उसकी कापी भी मैं सदन की मेज पर रखता हूं। यह मेरे ख्याल से गजट भी हो चुका है। आप देख लीजिए।

गणेशसिंहजी कमेटी का जिक्र है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी नहीं है। परन्तु शायद दो चार दिनों में रिपोर्ट दे देंगे तो अवगत करा दूंगा। इसलिए अर्ज करता चाहता हूं कि बेरी कमीशन की रिकमण्डेशन्स-फाइण्डिग्स से हमने कोई डिसएग्रीमेंट नहीं किया है। इतना हम भी जानते हैं कि जुडिशियल अफसर की रिकमण्डेशन्स, चाहे वे कितनी ही अनपेलेटेबल हों, को हमने ड्यू रेस्पेक्ट दी है।

श्री मदनसिंह : इसलिए कि अपने आप न मानते। मरतों को बचाया आपने।

श्री भैरोंसिंह : दो दो लैटर रक्खे हैं? क्या वे रिपोर्ट्स हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : आफिसर्स कमेटी की रिपोर्ट और कम्पेन्सेशन कमेटी की रिपोर्ट —वे तो जुडिशियल रिपोर्ट हैं। इनकी कापी आप चाहेंगे तो रख दूंगा। बाकी अफसर की रिपोर्ट की कापी नहीं रख सकूंगा। It is only a substitute for the Home Secretary and the Chief Secretary. Therefore, this report is a confidential document and it cannot be shown to anybody and it cannot be laid on the Table of the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैसे मालूम पड़ेगा फिर?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is just like the note portion of the file of Secrertariat.

वह नहीं रखा जा सकता इसलिए इसको भी मैं रखने से मजबूर हूं।

श्री भैरोंसिंह : आपने जिस अधिकारी की नियुक्ति की है फोलो अप एक्शन करने के लिये उसको....

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसको पढ़ लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : पढा है। आपने जिस अधिकारी की नियुक्ति की है वह अधिकारी एक्शन लेगा बेरी कमीशन की फाइण्डिग्स

(श्री भैरोंसिंह)

के अनुसार लेगा या सरकारी अफसरों की रिपोर्ट के अनुसार लेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें सब है वह । आप इसे पढ़ लीजिये । भैरोंसिंहजी, आपने इसको पढ़ा नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पढ़ा है । इसमें क्लीयर नहीं है यह ।

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल क्लीयर है ।

Government order is order. गवर्नमेन्ट का आर्डर ऐसा है जिसको मैं तब्दील नहीं कर सकता इनको प्रिन्सिपल बता दिया कि वेरी कमीशन की फाइन्डिंग्स जो थीं उनको मन्जूर करते हुए सरकार ने जो एक्शन लिया है वह आपको बताया है मैंने ।

उत्तर प्रदेश सरकार को भी हमने लिखा है । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया ? उनका जवाब अर्ज करना चाहता हूं । उन्होंने ब्लन्ट नो कहा है । हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं और हम इसे इम्प्लीमेन्ट करने को तैयार नहीं हैं । अब हमने उनको वापिस लिखा है कि आपके हमारे पर्सनल्स हैं इसमें पढ़ लीजिये रिपोर्ट को, गवर्नमेन्ट आर्डर है इससे आपको मालूम होगा । बाकी यू०पी० सरकार ने इन्कार कर दिया है । इस रिपोर्ट में फाइंडिंग्स हैं we do not agree with it. यह लिख दिया है । हमें कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है । यह उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो लास्ट ईयर ही कह दिया था ।

श्री विजयसिंह : डंडा लगवाकर बुलवा लीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप चले जाइये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य श्री रावतरामजी ने एक पातुश्री पंचायत के सरपंच के मामले को लेकर कुछ कहा है कि उस फाइल को हमने विभाग से मांग कर अपने पास में रख रखी है । यह सही नहीं है । पातुश्री सरपंच के खिलाफ गबन का मामला था । वह लोकल पुलिस में दर्ज हुआ । इन्वेस्टीगेशन चल रहा था । इसके बाद मुलजिम ने एक दख्वास्त पेश की । माननीय सदस्य भी जानते हैं जिसमें लिखा कि लोकल पुलिस ने ठीक जांच नहीं की । तो उस पर सी० आई० डी० ने वह केस मांगा था । क्राइम ब्रान्च सी० आई० डी० की ऐसी है कि जो कहीं शिकायत होती है तो मुकद्दमें को मंगवा कर एग्जामिन करके उसे देख लेती है कि तफतीश ठीक हो रही है या नहीं, गलत होती है तो स्पेशल अफसर डेपूट करके तफतीश उसके हाथ में भी दे देती है । उस केस को यहां मंगाने के बाद मुलजिम, वह उप-सरपंच था पंचायत का जिसने कि एफ० आई० आर० दर्ज कराई थी, एफीडेविट पेश किया कि यह गलत एफ० आई० आर० लिखा दी थी । जानकारी मुझे नहीं थी । 200) रुपये जितने रुपये थे सेक्रेटरी को मिल गये थे । ऐसा एफीडेविड दिया । उस पर दुबारा तफतीश का आर्डर हुआ है । एडीशनल एस० पी० की हैसियत को यह काम सौंपा गया है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इसके खिलाफ और दूसरे भी गम्भीर आरोप हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो न मैंने फाइल देखी है न अपने पास मंगवाकर रखी है।

कुछ माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन इस बात का दिया है कि जोधपुर में कल हरिजनों और विद्यार्थियों के बीच में झगड़ा हो गया था। उस बारे में सदन को जानकारी देने के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि हरिजन विद्यार्थियों का झगड़ा हुआ। विद्यार्थियों की तरफ से मारपीट की गई। हरिजन अपने किसी सगे संबंधी की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए मरघंट गये हुए थे। वहां पास ही विद्यार्थियों का होस्टल पड़ता है, वहीं पानी पीने के मामले पर आपस में मारपीट हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में छः व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं। उधर इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि 6 व्यक्ति ये नहीं दूसरे हैं। उसकी तफतीश कर रहे हैं। बहरहाल विश्वास दिलाता हूं कि मामले में कार्यवाही की जा रही है। किसी तरफ से लिहाज नहीं किया जा रहा है।

जोधपुर से आय हुए माननीय सदस्य ने इंजीनियरिंग कालेज का कुछ जिक्र करते हुए कहा कि हमारे यहां प्रोफेसर और लेक्चरर्स के साथ ज्यादती की और वहां से प्रो० अरोड़ा यहां आये तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की। मैं जानकारी के लिए अर्ज करना चाहता हूं वे स्टूडेन्ट्स उसी रोज गिरफ्तार हुए हैं। मैं उस दिन जोधपुर में था। मुझे सारे बयानात एस० पी० ने बता दिये हैं। वाइस-चान्सलर मिस्टर जोन मुझे मिले थे। सारे मामले की मुझे जानकारी हो गई है। इस मामले को सख्त से सख्त डील किया जायगा और जो मुलजिमान हैं उनका चालान किया जायगा। एक मुल्जिम तो हाथ आ गया है बाकी फरार हो गये हैं। जो लोग रात को लाठी, छुरा, भाला लेकर प्रोफेसर साहब के घर गये थे उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया है और उनको गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर ली है। जैसा माननीय सदस्य कहते हैं प्रो० साहब यहां आये तो कोई सुनवाई नहीं हुई, यह गलत बात है बल्कि उनको पूरी सूचना से अवगत करा दिया है। प्रो० अरोड़ा परसों मुझ से मिले थे। मैंने उनको बता दिया है कि हम बराबर एक्शन ले रहे हैं और वे सन्तुष्ट भी हो गये थे।

एक, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके दफतर का आदेश था, श्री रामनारायण चौधरी माननीय सदस्य, मण्डावा का एक स्थगन प्रस्ताव था उसके ऊपर आपका आग्रह था कि मैं उसका जवाब दूं। बी० डी० ओ० झुन्झुनूं के सिलसिले में उन्होंने इस स्थगन प्रस्ताव में जो शिकायत की है उसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, पुलिस की तरफ से कोई रियायत नहीं की जा रही हैं। जांच करने में देर अवश्य हुई है, उसके कारण हैं, गवाह नहीं मिल पाये थे। गैर तरीके से गेहूं बेचकर खजाने में जमा न करके विकास अधिकारी द्वारा गबन कर लिया, 2-3 आरोप हैं, उनकी जांच हो रही है। विकास अधिकारी जांच में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, हमने एन्टीकरप्शन को लि दिया है कि उसको वहां से हटा दें ताकि जांच में बाधा उपस्थित न करें। माननीय सदस्य को मालूम है करीब करीब जांच हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है वह पूरी कर दी जायगी। अन्त में अधिक समय न लेते हुए....

श्री बालसिंह सोढा : पोकरण वाला..

श्री दामोदरलाल व्यास : पोकरण काण्ड की रिपोर्ट मेरे पास आ गई है और मैं उससे सदन के माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा, उपयुक्त समय पर। वह रिपोर्ट अभी तक एग्जामिन होकर नहीं आई है, वैसे देख मैंने जरूर ली है। सदन में जानकारी केलिए कहा है, मैं सदन को अवश्य जानकारी करा दूंगा। अन्त में मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं उन्होंने शान्ति से सुना....

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा एक प्रश्न था उसका जवाब नहीं दिया है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ? गृह मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। इसका कोई कटौती प्रस्ताव था क्या ?

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने डिबेट में इसको रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : सूर्यास्त के बाद में कोई डिबेट में प्रश्न रख दें, कत्ल हुआ, यह हुआ उसकी विस्तृत जानकारी एक-दो घंटे में नहीं दी जा सकती हैं।

श्री मदनसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर आ गया है।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं समझता हूं कटौती का प्रस्ताव है, मैं मानता हूं इसका जवाब दिया जाना चाहिए लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कटौती के प्रस्ताव के अलावा उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी है उसका रिप्लाई न हो। यह सदन की इन्सल्ट है। यह कहा गया था कि जवाब वापिस दिया जायगा। मैंने अपनी कुछ चीजें रखी थीं। अब मैं देखता हूं, पुलिस और होम मिनिस्टर को दांता में फायरिंग करने दीजिये इसका जवाब दांता की कान्सीट्यू ऐंसी देगी। अब आप भेजिए वहां पुलिस को और वहां गोली कान्ड करवाइये, मेरे लोगों को डराइये, धमकाइये, गोली से मारिये—इसका जवाब दांता कान्स्टी ट्यूएन्सी देगी। मैं यह कहकर यहां सदन से जाता हूं। यह सदन के लिए शर्म की बात है, लज्जा से सिर झुक जाना चाहिए जहां गोलियां चलवाते हैं। अब मैं देखूंगा आप कैसे गोलियां चलवाते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री मदनसिंह : मैं राजपूत से पैदा नहीं हुआ अगर इसका जवाब नहीं मिल जाय तो...

(शोर-गुल, अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मदनसिंह : आप अब जरूर सरपंचों को भिजवाना और मेरे आदमियों को मरवाना। मैं फालतू कानून वानून की बात नहीं कहता हूं। रात को जा जा कर गोली चलवाते हैं। उसकी जांच नहीं है।

(माननीय श्री मदनसिंह का सदन से बहिर्गमन)

श्री नत्थीसिंह : आपने व्यवस्था दी है बाद में सवाल पूछ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है। मेरी बात सुन लीजिये। लम्बी चर्चा नहीं होगी, 1-2 सवाल माननीय सदस्य पूछना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहतो वह पूछ सकते हैं, वह भी आसन के माध्यम से पूछें। पहले मुझे सन्तुष्ट कीजिये, उसके बाद में गृह मंत्री जी को आग्रह करूंगा कि वे जवाब दें।

श्री नत्थीसिंह : गंगानगर के आन्दोलन के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : पहली बात नक्सलवादी प्रवत्ति के बारे में पूछना चाहता हूं वे नक्सलवादी कौन कौन थे ? उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की ? दूसरा आपने 8 तारीख को जो पदमपुरा में लाठी चार्ज हुआ। अमरसिंह की बहिन पर लाठी चार्ज की गई—चार दिन हो गये वह मर गई उसके लिये आपने क्या कार्यवाही की ? उसका जवाब नहीं आया। तीसरी बात यह जानना चाहता हूं हमारी ओर से सी० बी० आई० द्वारा जांच की मांग की गई थी, यह जो लाठी चार्ज हुआ है, सत्याग्रहियों को मारा गया है—इस सबकी जांच सी० बी० आई० से करवायें और उस जांच को मानें। इस विषय में क्या कहना चाहते हैं ? एक क़लम पकड़ो आन्दोलन है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक बात....

श्री दामोदरलाल व्यास : नक्सलवादी की जो बात....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय के भाषण की दुबारा चर्चा नहीं होगी। एक आध प्रश्न स्पष्टीकरण के तौर पर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री केदारनाथ : लाठी चार्ज के दौरान जितने भी वहां आफिसर थे उनकी जांच किससे करवाना चाहते हैं ? क्या यह सही है कि मिलिट्री को एलर्ट केवल नक्सलवादी पेम्फ्लेट बांटने से ही किया गया या वास्तव में वहां कोई वायलेन्स की घटना हुई है ? क्या कोई नक्सलवादियों की हरकतें आपके नोटिस में आई हैं ? तीसरा वहां के किसी आफिसर से किसी आथोरिटी का कान्फ्रन्टेशन हुआ है क्या ? और क्या कोई वायलेंन्स की कोई बात सामने आई ? ये तीन बातें मैं पूछना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे रहा हूं कोई नयी बात नहीं पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में बता दें।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह कहा कि हिंसा भड़काने वाले भाषण दिये गये तो एक तो मैं जानना चाहता हूं कि वह भाषण किसने दिए ? दूसरे आपने कहा कि आपत्तिजनक भाषा वाले पर्चे बांटे गये तो यह किस तारीख को आपके नोटिस में आया ? जब पर्चे बांटने का और प्रेस कान्फरेन्स में नक्सलाइटस का विवरण गृह मंत्री ने किया था उस समय मैंने भी प्रेस कान्फरेन्स बुलाई थी और कहा था गृह मंत्री के आरोप आधारहीन हैं। मुझे गवर्नमेन्ट होस्टल के बाहर पेड़ पर चिपका हुआ नक्सलाइट्स का पर्चा मिला। प्रेस कान्फरेन्स में मैंने यह भी बताया था। जयपुर म सब जगह पर्चे, जिसका आपने विवरण दिया था, चिपकाये गये थे और एक बुकलेट भी बांटी गई थी....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण : भाषन नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा कर रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या कार्यवाही की ? इसके आग में यह जनना चाहता हूं कि आपने जो प्रेस विज्ञप्ति पाकिस्तान के हथियारों के संबंध में निकाली थी उसमें लिखा था कि कुछ ऐसे उदाहरण आये है जिनमें इस तरह के हथियार हैं। यह, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह पाकिस्तान के किसी कारखाने में बने हैं या प्रइवेट जगह के। वह बरामद किये गये हैं। प्राइवेट हथियार है जो पाकिस्तान से आये हुए हो सकते हैं। मैं भूलता नहीं हूं तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इसमें तो ऐसा है कि फिर रामायण शुरू हो जायेगी। एक दो प्रश्न कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते है। इतनी रात चली गयी है।

श्री दौलतराम सारण : बीच में पूछें तो डिस्टरबेन्स हो जाता है और बाद में पूछें तो रामायण हो जाती है और नहीं पूछें तो गरुड पुराण हो जायेगा। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम डिबेट में किस तरह से भाग लें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। डिबेट का डेमोक्रेटिक पद्धति का कायदा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख दें। अगर इनके उत्तर में कोई खामी है तो यह माना जायेगा कि सारा हाउस कनविन्स नहीं हुआ और ऐसी हालत में उनके फेवर में मत नहीं आयेंगे।

श्री दौलतराम सारण : डेमोक्रेसी की पद्धति तो हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस हद तक नहीं जानते, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : डेमोक्रेसी की पद्धति हम जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डमोक्रेसी में तो अध्यक्ष खड़े हो तो नहीं उठना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : आप ट्रेनिंग दे रहे है हमें डेमोक्रेसी की। हम आपसे ज्यादा जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं जानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : डेमोक्रेसी में होता है कि जो कट मोशन रखे हैं उनको मूव कर, उस पर बहस कर और उसका रिप्लाई दिया जाय और यहां न तो कट मोशन्स रखने दिये जाते हैं, न बहस करने दी जाती है, न उसका रिप्लाई दिया जाता है और न रिटन रिप्लाई भेजा जाता है। यह डेमोक्रेसी है ? और आप यहां डेमोक्रेसी का उपदेश देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा शॉर्ट सर्किट करते हैं

श्री दौलत राम सारण : तो फिर क्यों दस दिन के अंदर बजट पास कराना चाहते हैं ? यह डेमोक्रेसी है ? लेना चाहते हैं एक एक दिन में चार चार डिमाण्ड।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी डेमोक्रेसी नहीं है जिस तरह से आप यहां कह रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि कलम पकड़ो आन्दोलन के बारे में आपने कहा कि गैर कानूनी है तो किस कानून के तहत गैर कानूनी है और

(श्री दौलतराम सारण)

जब सत्याग्रही अपने को गिरफ्तार कराने के लिये पेश करते थे ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आपके आदेशों का उल्लंघन है ।

श्री दौलतराम सारण : जब आपने गिरफ्तारी नहीं की तो वह कलम पकड़ कर काम बंद करते थे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह यह आपके आदेशों की अवहेलना है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं इस डेमोक्रेसी को नहीं समझ सका....

श्री उपाध्यक्ष : आप 15 साल में नहीं समझ पाये तो अब क्या समझेंगे ।

श्री दौलतराम सारण : प्रस्ताव भेजा नोटिस दिया । नोटिस पर सरकार ने कन्सीड नहीं की मांग का आन्दोलन चला और फिर गिरफ्तार नहीं किये । ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य ।

श्री दौलतराम सारण तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार से गर कानूनी है और उनमें कौन सा सेक्शन लगाकर आपने उनको पकड़ा है ?

श्री उपाध्यक्ष : इतने लम्बे चौड़े प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है । (कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होने पर) माननीय सदस्य ! आसन आपके साथ सहयोग करने को तैयार है अगर आप एक दो प्रश्न स्पष्टीकरण के तौर पर पूछें ।

श्री राम चन्द्र आर्य : आपने कहा था कि भाषण समाप्त हो जाये फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : कायदे में होंगे तो उत्तर जरूर आयेगा ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पहला मेरा प्रश्न यह है कि जो ग्राम दासूवाली में हरिजन की फसल को वहां के एक्स एम० एल० ए० के रिश्तेदार ने कब्जे में कर लिया और उसके संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव भी दिया था उसका उत्तर गृह मंत्री जी दें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह कायदे में है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : दूसरे एक हरिजन था उसका ऊंट खोस कर थानेदार ने एक जाट को दिलवा दिया । इस दो प्रश्नों के उत्तर दिलवा दें । इसके बाद मैं फिर में दो प्रश्न और पूछूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं एक साथ ही पूछ लें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पहले इनका ही उत्तर दिलवा दें फिर आप कहेंगे कि लम्बा हो गया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं । मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था और कटौती का प्रस्ताव भी रखा था लेकिन गृह मंत्रीजी ने उनका उत्तर नहीं दिया । एक तो यह है कि शाहबाद क्षेत्र में खड़का गांव में हत्या की गयी । मूल हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ पुलिस मामले को छिपा रही है । दूसरा अटरू का अरनिया गांव है वहां पर एक मीने की हत्या हुई और हत्यारे को नहीं पकड़ा और वहां थानेदार ने उसकी औरत को परेशान किया और अमानवीय व्यवहार किया ।

Page No 260

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

उसके बारे में राज्य सरकार ने क्या कार्य-वाही की ? तीसरा प्रश्न है कि झालावाड़ के बारे में। गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को कहूंगा कि किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को डेप्यूट कर दें..

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने डिबेट में नहीं उठाया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किस अधिकारी को नियुक्त किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । डिबेट में नहीं था । कट मोशन्स का ही सिर्फ उत्तर आयेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आर० एस० सी० के बारे में आपने कहा कि नियमानुसार किया जाता है.....

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके उसमें नहीं था ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हे साहब। भाषण में है । कटमोशन है । आप देख लें । मैं यह पूछना चाहता हूं कि सन् 67 के अन्दर बटालियन 1,2,3,4, और 5 पहले इनका टेस्ट हुआ फिर कोर्स में भेजा ...

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा भाषण नहीं होगा। उनका ध्यान आकर्षित कर दिया कि इस पर्याप्त प्रश्न का उत्तर नहीं आया होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जून 67 में।

श्री उपाध्यक्ष : समझ गये माननीय सदस्य, गृह मंत्री जी ।

आर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सलेक्शन करने में डी० एस० पी० छत्रानन्द, टिक्कू और बी० एन० माथुर ने 25 व्यक्तियों का सलेक्शन किया था। उन व्यक्तियों को प्लाटून कमाण्डर नहीं लगाया और नीचे आई० जी० ने दूसरे व्यक्तियों को, जिसका टेस्ट नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ, ले लिया....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न से क्या निकालना चाहते है ? अब प्रश्न यह है कि सारा वोटिंग पर जायेगा। आपने डिबेट में हिस्सा नहीं लिया।

श्री बालसिंह सोढा : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। आपने डिबेट में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद में डिबेट को काम्प्लीकेटेड और क्यों बनाना चाहते हैं ?

श्री बालसिंह सोढा : नहीं मैं डिबेट नहीं करना चाहता हूं। एक क्लेरीफिकेशन करना चाहता हूं। आपने जो सी० आई० डी० एलाउन्स की घोषणा की है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सी० आई० डी० को राज्य सरकार जो स्पेशल एलाउन्स देती है और उसकी जो घोषणा की है तो कहां पर और कितना दिया जा रहा है ?

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्षजी, केवल एक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : तीन आदमियों के कत्ल के बारे में...

Page No 261

श्री लादूराम सुलानिया: वह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री किशनलाल वर्मा: एक प्रश्न मेरा लवाण के बारे में था...

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आपने डिबेट में नहीं कहा।

श्री किशनलाल वर्मा: उठाया था।

श्री दामोदरलाल व्यास: जहां तक लवाण की पुलिस चौकी का संबंध है वह टेम्परेरी पुलिस चौकी थी...

एक माननीय सदस्य: (श्री किशनलाल वर्मा के बात चीत करते पर) आप बात कर रहे हैं और सुनते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बात न करें।

श्री दामोदरलाल व्यास: वह टेम्परेरी थी और आपने ध्यान आकर्षित किया है तो वह सरकार के विचाराधीन है और कोशिश करेंगे इस बात की कि वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए और चौकियों का हेरफेर करते हुए हो सका तो करेंगे।

दूसरी बात, माननीय सदस्य जो वहां के हैं नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने दौसा वालों की बात उठाई थी और जिसके बारे में उनका स्थगन प्रस्ताव भी था उसके बारे में मैंने अर्ज किया था। अब मैं फेक्चुअल चीज पढ़कर सुना देता हूं ताकि उनकी जानकारी हो जाय कि क्या चीज है:

"2" चक नम्बर 22 तथा 10 कुल रकबा 1221। बीघा सरकार की ओर से 5 सिन्धियों को एलाट हुआ था। इन पांच व्यक्तियों में से बालचन्द मुख्त्यार आम बना। ओलासिंह, बाबूसिंह, भोलासिंह बाजीगर के बंट में काश्त कर ली और सन् 64 तक ओलासिंह ने काश्त की। फिर बालचन्द ने उगरसिंह से काश्त करवा दी और उगरसिंह का 10-10-64 को बाजीगर पार्टी ने कत्ल कर दिया। उपरोक्त काण्ड में जेल होकर ओलासिंह और उसके साथियों को 20 साल की सजा दी गई। 20-2-को यह रकबा बालचन्द ने सरदार कपूरसिंह और प्रीतमसिंह को काश्त के लिए बंट में दिया। कपूरसिंह और प्रीतमसिंह यह भूतपूर्व एम० एल० ए० श्री जावन्दसिंह के रिश्तेदार हैं। इनका बालसिंह पार्टी से झगड़ा हुआ तो पुलिस अध्यक्ष ने स्पेशल पुलिस गार्ड इन दोनों चकों पर तैनात कर दी। थोड़े दिनों के बाद ओलासिंह के पिता झण्डासिंह तथा 5 अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा झगड़ा करने के लिए और कपूरसिंह और प्रीतमसिंह के साथ मारपीट करने की चेष्टा की। इस सिलसिले में उन पर मकद्दमा दर्ज करके जनवरी 70 को झण्डासिंह को गिरफतार किया। उसके पास में से थ्री नोट थ्री की बन्दूक, राइफल बरामद की और और हथियार भी उसके यहां से बरामद किया। अध्यक्ष पुलिस का कहना है कि झण्डासिंह आदि काफी बदमाश किस्म के आदमी हैं और झगड़ा फसाद करते रहते हैं। स्थिति अभी वहां सामान्य है।

श्री रामचन्द्र आर्य: इसके ऊपर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास: आगे सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष: आप पूरी बात सुनिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं पूछूंगा कि जो रिपोर्ट आई है मैं उसको समझ गया हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनका कब्जा पुराना था और आप इन सिन्धियों को जमीन देना चाहते हैं। आज भी उनका कब्जा है। यह आपकी रिपोर्ट गलत आई हैं। उसकी एन्क्वायरी होनी चाहिए और यहां से करवाई जानी चाहिए और उन हरिजनों को न्याय मिलना चाहिए। आप जबरदस्ती उनकी फसल उनको दिलाना चाहते हैं क्योंकि जवन्दसिंह के रिश्तेदार हैं तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यही चाहता हूं कि आपके यहां से एन्क्वायरी हो और उन हरिजनों को न्याय मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे प्रश्न का जवाब दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके प्रश्न का जवाब मैं अभी नहीं दे सकता। जो डिटेल्स आपने पूछे हैं उनकी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया उपाध्यक्ष महोदय, बड़े खेद की बात है कि मेरे प्रश्न के बारे में आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल असन्तोषजनक उत्तर है माननीय गृह मंत्रीजी का...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्य दूसरों को सुनें।

(शोरगुल)

अब वोटिंग होगा।

श्री दौलतराम सारण : माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि उत्तर की जरूरत नहीं। वोटिंग से पहले उत्तर होना चाहिए.... (व्यवधान) जो आरोप हमने लगाये हैं भ्रष्टाचार और पक्षपात के, और गंगानगर के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही वे करने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार का इरादा साफ है कि वह सब अपनी बेईमानियों पर पर्दा डालना चाहती है। इसके विरोध स्वरुप मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भाक्रांद के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

कई माननीय सदस्य : पधारो पधारो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ऐसी बात न कहें।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह चोरों की सभा है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डागाजी, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती है कि इस प्रकार की खराबियों को छिपाने के लिए और चोरियों

(श्री रामचन्द्र आर्य)

को छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शर्म की बात है..

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य: सही प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर नहीं देते हैं और इस तरह से मेज थपथपा कर होहल्ला करते हैं तो इस होहल्ले के बूते पर कोई प्रजातन्त्र कायम नहीं रह सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि आप मांगों पर मतदान करायें, मतदान में सब लोग फ्रीली वोट कर सकें उसके लिय जरूरी है कि जो वोट करने वाले वोटर्स हैं उन पर कोई प्रेसर नहीं हो....

कई माननीय सदस्य : कोई प्रेशर नहीं ह।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आज पुलिस की डिमान्ड पर जो करप्शन के चार्जेज लगाये हैं और कटौती के प्रस्ताव आये हैं लेकिन करप्शन की एन्क्वायरी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम डिवीजन कराने को तैयार होते मगर कांग्रेस के मेम्बर्स को डिब्बों में रोटियां खिलाई गई हैं,

कई माननीय सदस्य : गलत है, गलत।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए मुझे..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया शान्त रहें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पैसे देकर खाई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उपमंत्री महोदय, आर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी आपसे मांग है कि जिन कांग्रेस के मेम्बरर्स को डिब्बों में रोटियां मिली हैं...

श्री प्रद्युम्नसिंह : गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनकी मांग लेने का अधिकार न हो ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : आपकी तरफ से नमक खिलाया गया है तो नमकहराम...

श्री प्रद्युम्नसिंह : नमकहराम आप हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर नहीं दिया गया है और आसन की तरफ से यह आश्वासन दिया गया, कि आप बीच बीच में डिस्टर्ब न करें, बाद में उत्तर दिलवायेंगे, लेकिन गृहमंत्री जी जान बूझ कर उत्तर नहीं दे रहे हैं ... (व्यवधान) इस बात को, उपाध्यक्ष महोदय, पसन्द नहीं करते हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिवीजन क्लेम हो लेकिन राजस्थान के मिनिस्टर ने यहां खुले दहाड़े रोटी खिलाई... (व्यवधान) सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की और हाउस में जबाब नहीं दिया। उसके लिए मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिनको रोटी डिब्बों में मिली वे बाहर चले जायं और जिनको नहीं मिली वे वोट करेंगे....

श्री रोशन लाल शर्मा : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बैसिक क्वेश्चन है। यदि सरकार मानती है तो यह धोखा है....

Page No 264

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती है। अब तक मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछे है :

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको आपने जवाब नहीं दिया है। आपकी इस नीति के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के साथ साथ हमने जो राजस्थान सरकार के सामने भ्रष्टाचार के मामलात रखे हैं और मंत्रियों के खिलाफ मामलात रखे हैं उनका उत्तर नहीं दिया गया है और उनका कोई उत्तर उनके पास है भी नहीं इसलिए उनकी इस नीति के विरोध में हम इस सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज दिन भर कार्यवाही चली है......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27, मुख्य शीर्षक 50– सार्वजनिक निर्माण कार्य-भवन और सड़कें (संयुक्त) स्थापना तथा औजार और स्थिर संयन्त्र पर व्यय...

श्री रामचन्द्र आर्य : और जिस तरह से मांग पास कराना चाहते है, हम इस तरह से मांग पास नहीं होने देंगे। मैं सरकार के इस रवय्ये का विरोध करता हूं..

श्री उपाध्यक्ष : 52–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने..... .

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार मांगें पास नहीं की जा सकती हैं। लानत है इस सरकार पर। मैं विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री राम चन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष :......वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 11,49,53,000 व्यय तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 103–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,27,29,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 32, मुख्य शीर्षक 68–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,19,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

Page No 265

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23,–पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,80,98,000 रुपये तक राशि की प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग सर्व सम्मति से स्वीकार की गई ।

(विराम)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10 बज कर 42 मिनिट पर शुक्रवार, दिनांक 27 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

Page No 266

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 290 की सूची)

APPENDIX 'A'

1. Shri Noor Mohd. Hali.
2. Shri Gopiram Hali.
3. Shri Devaram Hali.
4. Shri Ismail Hali.
5. Shri Nasir Khan Mate.
6. Shri Manoharlal Mate.
7. Shri Mohmmed Ramjan Mate.
8. Shri Mau Khan Chaudhary.
9. Shri Bhanwarlal Hali.
10. Shri Sukharam Hali.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 294 की सूची)

जालोर के जिलास्तर के विभागों की सूची जिनका सम्बन्ध दूसरे जिलों से है :—

विभाग का नाम	मुख्यालय
1. कृषि विभाग	जालोर
2. पशु पालन विभाग	जालोर
3. समाज कल्याण विभाग	सिरोही
4. वन विभाग	जोधपुर
5. उद्योग विभाग	जोधपुर
6. जन सम्पर्क विभाग	सिरोही
7. खनिज विभाग	सिरोही
8. श्रम विभाग	जालोर
9. भेड़ ऊन विभाग	जालोर
10. आयुर्वेदिक विभाग	सिरोही
11. सांख्यकीय विभाग	जालोर
12. नियोजन विभाग	सिरोही
13. अधिशासी अधिकारी, उपभोक्ता भण्डार	सिरोही
14. सार्वजनिक निर्माण विभाग	सिरोही
15. आबकारी विभाग	जोधपुर
16. वाणिज्य कर विभाग	सिरोही
17. यातायात विभाग	जोधपुर
18 सिंचाई विभाग	सुमेरपुर
19. जल प्रदाय विभाग	पाली
20. विद्युत् विभाग	फालना
21. ट्यूब वैल विभाग	जोधपुर
22. उप-निरीक्षिका, शिक्षा कन्या शालायें	जोधपुर

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 299 की सूची)

गांव	जनसंख्या	प्रति सप्ताह टंकी सप्लाई		क्रय	
		2025 सम्वत्	2026	2025 सम्वत्	2026
1. शहर	1033	1	2	35·75	36·30
2. खींवसर	1024	3	2	104·00	56·10
3. कानोड	1800	3	3	32·50	33·00
4. पनावड़ा	1216	3	2	45·50	46·20
5. कोलू	2166	..	2	..	66·00

Page No 269

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 302 की सूची)

पशु मेले मेड़ता, परबतसर एवं नागौर के वर्ष 1966-67 एवं 1967-68 के व्यय की सूची

क्र० सं०	वर्ष	मद	पशु मेला परबतसर	पशु मेला नागौर एवं प्रदर्शनी	पशु मेला मेड़ता सिटी
1	1966-67	पानी	3,500.00	7501.72	1,500.00
2.	"	पारितोषिक	1,700.00	5,000.00	2,236.00
3	"	रोशनी	5.011.00	4,125.25	3,759.45
4	"	फराशखाना	1,711.00	2,400.28	2,063.50
5	"	खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम	1,000.00	1,300.00	200.00
6	"	अस्थायी मजदूर	1,818.75	2,200.00	1,075.00
7	"	वाहन संधारण	3,929.00	4,239.00	1,241.00
8	"	ध्वनि	3,400.00	3,723.00	897.78
9	1967-68	पानी	2,830.00	12,721.89	2,000.00
10	"	पारितोषिक	770.00	4,123.00	2,420.00
11	"	रोशनी	8,200.00	1,608.26	8,610.85
12	"	फराशखाना	1,650.00	1,914.45	1,159.20
13	"	खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम	1,000.00	1,030.70	385.00
14	"	अस्थाई मजदूर व मैदान की सफाई	3,000.00	1,468.00	900.00
15	"	वाहन संधारण एवं पेट्रोल	2,048.00	1,600.00	1,250.00
16	"	ध्वनि विस्तारक यंत्र	522.50	191.20	180.00
17	"	विविध	5,699.00	3,637.56	2,373.35

पशु मेला परबतसर (तेजाजी के प्रसाद के ठेके) से आय

पशु मेला परबतसर तेजाजी के प्रसाद के ठेके से राज्य सरकार को वर्ष 1963-64 से 1967-68 तक निम्न प्रकार आय हुई है :—

क्र०सं०	वर्ष	आय
1	1963-64	1000·00
2	1964-65	3625·00
3	1965-66	4500·00
4	1966-67	5801·00
5	1967-68	5901·00

राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित मेलों का आयोजन किया जाता है, परन्तु परबतसर को छोड़कर किसी भी मेले में पुजापा नीलाम नहीं किया जाता है :—

(1) परबतसर (2) गोगामेडी
(3) भरतपुर (जसवन्त प्रदर्शनी एवं मेला) (4) झालरापाटन
(5) पुष्कर (6) नागौर
(7) करौली (8) तिलवाड़ा
(9) मेड़ता ।

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 304 की सूची)

श्री मनोहर प्रभाकर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सूची

(1) उक्त अधिकारी ने सन् 1956 से 58 में "संयुक्त राजस्थान" पत्रिका के संपादन का कार्य किया व उसमें प्रकाशित लेखों के संबंध में फर्जी रसीदें बनाकर रुपया प्राप्त किया।

(2) उक्त अवधि की केश रसीदात को इधर उधर करने या भिजाए जाने की गलत सूचना देन व रेकार्ड में काट-छांट करना आदि।

(3) रेकार्ड में रद्दोबदल करना।

(4) उक्त अधिकारी द्वारा सन् 1958 में पूना यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एम० ए० की परीक्षा में पूना के निवासी होने का गलत सर्टिफिकेट देकर बैठने आदि के आरोप।

(5) राज्य सरकार से तथ्यों को छुपाने जो सांगानेर टाउन के पास कृषि-भूमि खरीदने व उसे भारी रकम में वापिस बेचने के आरोप।

(6) बालबाड़ी शिक्षा निकेतन में श्री प्रभाकर की पुत्री के पढ़ने व उसकी फीस काफी तादाद में चढ़ जाने व मांगने पर उक्त संस्था के विरुद्ध लेख प्रकाशित करने व धमकी देना।

(7) इनके द्वारा एम० ए० की उपाधि रेग्यूलर छात्र के रूप में प्राप्त की गई जबकि ये जन सम्पर्क विभाग में पी० आर० ओ० का कार्य कर रहे थे।

(8) राज्य सरकार से बहुत कम ऋण लेकर तीन मंजिली इमारत बनाना।

(9) विभाग से टी० ए० की अग्रिम राशि लेकर बहुत दिन तक उपयोग में लाना।

(10) विभाग की सहकारी समिति से जबर्दस्ती ऋण प्राप्त करने व छोटे कर्मचारियों को वंछित रखना।

(11) सरकारी टाइप राइटर को घर में रख कर दो वर्ष तक निजी कार्य में लेते रहना।

(12) फ्रैण्ड्स बुक कम्पनी से साझेदारी करना।

(13) सरकारी प्रकाशनों को प्राईवेट तौर पर बेचकर लाभान्वित होना।

(14) श्री आत्माराम शर्मा, जिला भाषाधिकारी द्वारा चलाई गई संस्था प्राच्य विद्या समिति के वार्षिक संगठन में साझीदार होकर धन कमाना।

(15) सन् 1963 में अनियमितताएं करवाकर राज्य सरकार को 7,200) रु० का नुकसान पहुंचाना।

परिशिष्ट 6

(समयाभाव के कारण न पूछे जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगरपालिका केकड़ी की जीप

305. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी नगरपालिका द्वारा एक जीप खरीदी गई थी? अगर हां, तो कब और कितने रुपयों में खरीदी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि एक जीप को खरीदने के लिये चार सदस्य जयपुर आए थे ? अगर हां, तो वे किस प्रस्ताव के तहत जयपुर गए और कितना कितना टी०ए०, डी०ए० उठाया ? नामवार सूची व प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें।

(3) जीप खरीदी गई उसी रोज जयपुर में जीप के क्या क्या पार्ट्स नये खरीदे गए ? क्या पार्ट्स खरीदने का भी प्रस्ताव था ? अगर हां, तो प्रस्ताव की नकल सदन के पटल पर रखें।

(4) दिनांक 20-6-69 तक जीप कितने माइल चल चुकी थी ?

(5) क्या जीप को किसी व्यक्तिगत कार्य में देने के लिये किसी तरह के नियम बने हुए हैं? अगर हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(6) नगरपालिका को जीप की ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि जीप खरीदनी पड़ी और उसके ऊपर इतनी रकम खर्च करनी पड़ी ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त जीप से कॉलेज के लिए चन्दा करने हेतु ग्रामों में दौरा किया गया? अगर हां, तो कितने माइल का कॉलेज कमेटी से कितना रुपया लिया गया ?

(8) अब तक जीप पर पेट्रोल एवं पार्ट्स टूट-फूट, मरम्मत आदि पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(वापस लिया गया)

व्यवहार न्यायालय, जयपुर में भवन का निर्माण कार्य

306. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि जयपुर नगर में व्यवहार न्यायालयों के नवीन भवन के निर्माण का आश्वासन राज्य सरकार द्वारा दिया जाकर कार्य शीघ्र चालू करने का निश्चय किया गया था? यदि हां, तो इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

उत्तर

जी हां, कार्य प्रगति पर है. फरवरी, 1970 तक 82,000 रु० का कार्य हो चुका है।

नाव डूबने से मृत्यु

307. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कार्तिक पूर्णिमा के मेले पर ग्राम रंगपुर में जो कोटा जिले की तहसील लाडपुरा में स्थित है,

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

चम्बल नदी म नाव डूब जाने के कारण दुर्घटना हुई थी ? अगर हां, तो इसमें कितनी मौतें हुई ?

(2) पुलिस ने समय पर क्या तात्कालिक सहायता की ?

(3) क्या इस संबंध में किसी पर उत्तरदायित्व डाला गया है ?

उत्तर

(1) जी हां, इस दुर्घटना में 1 आदमी, 2 औरतें और 2 बच्चों की पानी में डूब जाने से मृत्यु हुई है।

(2) नाव डूबने के समय थाना भीमगंजमण्डी के सहायक उप-निरीक्षक मय चार आरक्षक ने जो वहां ड्यूटी पर तनात थे, फौरन जनता की सहायता से पानी में कूद कर डूबते हुए व्यक्तियों की जान बचाई तथा घटना की सूचना थाना भीमगंज मण्डी को दी। बचाये गये 3 व्यक्तियों की हालत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल भिजवाया, लेकिन उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। अधीक्षक, आरक्षी घटना की सूचना मिलने पर, मय जिलाधीश व अन्य अधिकारीगण व पुलिस फोर्स के सहित घटना स्थल पर पहुंचे और डूबन वालों के शवों की तलाश करवाई, जिस पर दो बच्चों के शव और मिले।

(3) इस घटना के संबंध म मु० नं० 235, दिनांक 23-11-69 धारा 304 आई० पी० सी०, पुलिस थाना भीमगंज-मण्डी में दर्ज किया जाकर तफतीश की गई। तफतीश से नाव के मालिक सेवा पुत्र रुघा निवासी केशोरायपाटन की असावधानी व लापरवाही पाई गई क्योंकि उसने 30 मुसाफिरों की पास सुदा नाव में 70-80 आदमी बैठा लिये जिससे यह दुर्घटना हुई। इस मामले में दिनांक 29-11-69 को चालान अदालत में पेश किया जा चुका है।

सहायक शल्य पशु चिकित्सक की वेतन श्रृंखला

308. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सहायक शल्य पशु चिकित्सक, जो 275-650 की वेतन श्रंखला में है, को शहरी चिकित्सालयों व अन्य विशिष्ट जगहों पर किस आधार पर लगाया गया है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार कुछ सहायक चिकित्सकों को विशेष योग्यता प्राप्त करने सरकारी खर्चे पर प्रति वर्ष भेजती है ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति क्या खर्चा आता है और क्या सरकार उनकी योग्यता के अनुरूप पदों पर ही नियुक्ति करती है ?

उत्तर

(1) सहायक पशु शल्य चिकित्सकों को शहरी एवं विशिष्ट स्थानों पर नियुक्ति हेतु पशुपालन विभाग द्वारा कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) जी नहीं।

कृषि उपज विपणि अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम

309. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज विपणि अधिनियम

(श्री दौलतराम सारण)

कब बना, कब से लागू हुआ और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले नियम कब बने, कब लागू हुए और इसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(3) यह अधिनियम किन किन मंडियों में कब से लागू किया गया है ? अब कौन कौनसी मंडियों में यह लागू नहीं है और क्यों ?

(4) इस अधिनियम व नियमों की किस किस धारा के विरुद्ध कहां से कितनी रिट याचिकायें हुई और उनका क्या परिणाम निकला ?

(5) क्या इस अधिनियम की कमियों को दूर करने हेतु कोई संशोधन सुझाने के लिए कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उस कमेटी ने रिपोर्ट कब दी ? कृपया, रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) कृषि उपज विपणि अधिनियम राजस्थान में वर्ष 1961 में पारित किया गया । इसके अन्तर्गत नियम प्रकाशित होने पर वर्ष 1964 में इसे लागू किया गया । नियमों के निर्माण तथा राजस्थान राज-पत्र म प्रकाशित होने में सामान्य तौर पर कुछ समय लगता ही है। अस्तु कोई विशेष विलम्ब नहीं कहा जा सकता ।

(2) राजस्थान कृषि उपज विपणि नियम, 1963 राज्य सरकार की घोषणा दिनांक 22-10-63 के द्वारा राज-पत्र दिनांक 6-2-64 द्वारा प्रकाशित किया गया, लागू किए गए । इसके विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है ।

(3) जिस तिथि से मण्डी समितियों की स्थापना के बाद कार्य प्रारम्भ किया गया वह संलग्न सूची में अंकित है । इस समय 89 अधिघोषित मण्डी समितियों में से डूंगरपुर तथा सरदारशहर की मण्डी समितियों में उनके गठन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है । शेष सभी में कायवाही प्रारम्भ हो चुकी है । प्रशिक्षित सचिवों का अभाव, जहां कार्यवाही प्रारम्भ न किए जाने का प्रमुख कारण है ।

(4) अधिनियम व नियमों के वष 1964 में लागू होने के बाद प्रति वर्ष कितनी ही रिट याचिकायें विभिन्न धाराओं के विरुद्ध की गयी । इसकी विस्तृत जानकारी संकलित की जा रही है तथा तैयार होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी । उच्च न्यायालय के निर्णय का तथा उसका क्या परिणाम रहा इसकी सूचना भी संकलित होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी ।

(5) जी हां । अधिनियम तथा नियमों को सुचारू रूप से लागू करने हेतु श्री यशवन्त सिंह नाहर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी । इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । जो अभी मंत्रिमंडल के विचाराधीन है एवं मई–जून तक इस पर अंतिम निणय लिये जाने की आशा है । अतः रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय

310. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर० ए० एस० श्री गुमानसिंह द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की थी उसे माननीय न्यायाधीश ने स्वीकार किया है ?

(2) क्या यह सत्य है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अतिरिक्त अन्य सेवाओं में किये गये चयन को भी अवैध घोषित किया गया है ? यदि हां, तो कितनी संख्या में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये थे और उनमें से कितने कितने प्रार्थी विजयी हुए ? यदि हां, तो राज्य को कितनी धनराशि की हानि हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि आर० ए० एस० नियम की धारा 32(2) को संविधान के विरुद्ध घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या न्यायालय के निर्णय के अनुसार यह नियम संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करता है ? राजस्थान के 35 विभागों में किये गये चयन के कारण अधिकारी जो प्रभावित हुए हैं उनकी सूची सदन में रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । उच्च न्यायालय में मैरिट फार्मूला के विरुद्ध 17 प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए थे । इनमें गुमानसिंह की रिट का उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने आंशिक-रूप में स्वीकार कर, मैरिट पदोन्नति संबंधित नियमों के एक भाग को अवैध घोषित किया। इस फैसले के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा डी० बी० में अपील दायर की गई और अब तक तीन अपीलें स्वीकृत हो गई हैं और तीनों में पूर्ण रूप से मैरिट फार्मूला को वैध घोषित किया गया है । डी० बी० के उपरोक्त निर्णय के आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय की जो शेष याचिकाएं सिंगल पीठ में विचाराधीन हैं उन पर भी इसी आधार पर निर्णय प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है । ऐसी सूरत में राज्य की धनराशि की हानि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । राजस्थान उच्च न्यायालय की डी० बी० द्वारा निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप आर० ए० एस० के नियम 32 (2) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लघन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । अत: विभिन्न विभागों के अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

रबी की फसल के लिये बीज का वितरण

311. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान के हर जिले में सन् 66-67 व 67-68 में रबी की फसलों के लिए कितना कितना बीज किसानों को उधार व नकद दिया गया ? हर प्रकार के बीजों के भावों की तालिका सदन की मेज पर कृपया रक्खें ।

(2) क्या यह सच है कि पहले यह बीज किसानों को उधार दिया जाता था और अब नकद दिया जाता है और वह भी बाजार भाव से ज्यादा भाव पर जिससे किसान बाजार में जैसा भी उधार बीज मिलता है वही लेकर बोते हैं और फसलों पर बुरा

(श्री जयनारायण सालोदिया)

प्रभाव पड़ता है ? क्या सरकार फिर किसानों को अच्छा बीज उधार देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1966-67 व 1967-68 में किये गये बीजों की तालिका संलग्न है।

(2) यह सत्य है कि पहिले बीज उधार पर दिया जाता था किन्तु यह सत्य नहीं है कि बीजों का भाव बाजार के भावों से अधिक लिया गया हो। सरकार द्वारा समय समय पर अकाल या बाढ़ग्रस्त या अन्य प्रकृति प्रकोप हो जाने के कारण बीज वितरण की व्यवस्था उधार पर करदी जाती है। हमेशा बीज उधार पर वितरण करने का कोई विचार नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

जामसर तहसील में सड़कों का निर्माण

312. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करगे : —

क्या सरकार को विदित है कि जामसर तहसील, बीकानेर से अकाल राहत कार्य द्वारा बनाई गई सड़क जो नापासर व रामसर, बेरासर,सणोवाला, ऊंडसर केम्प, झाडेली, थाबारियां, मेतसर होती हुई ग्राम लालगढ़, तहसील सुजानगढ, जिला चूरू तक जातीहै वह नागौर जिला हैडक्वाटर से जुड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला गंगानगर से जिला नागौर तक के ट्रान्सपोर्ट व यातायात की सुविधाओं को देखते हुए इस सड़क को पूरी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

जी हां। गंगानगर जिला से नागौर तक डाम्बर की सड़क बनी हुई है, इसलिये अभी इस अकाल राहत कार्य में अधूरी बनी हुई नापासर से मेतसर वाली सड़क को पूरा कराने की कोई योजना नहीं है।

सेवा नियम

313. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) किन किन विभागों के सर्विस रूल्स बनाये गये और कब कब से लागू हुए हैं ?

(2) क्या सत्य है कि किसी विभाग के अब तक भी सर्विस रूल्स नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस किस विभाग के और क्यों ?

(3) सब विभागों के सर्विस रूल्स कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

उत्तर

(1) जिन जिन विभागों के सर्विस रूल्स बना दिये गये हैं वे जिन जिन तारीखों से वे प्रभाव में आये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जिन विभागों के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं उनकी सूची भी सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जिन सेवाओं के सर्विस रूल्स नहीं बने हैं उनके रूल्स बनाने की कार्यवाही संबंधित विभागों के परामर्श से चालू है,

(मुख्य मंत्री) :

नियम शीघ्र ही बनाकर प्रसारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी है)

चूरू जिले में खाद, बीज व अन्य सुविधाएं

314. श्री रावतराम (छापर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में कितने ऐसे कुए हैं जिन पर पंपिंग सेट लग गये हैं और उन्ह बिजली का कनेक्शन दे दिया गया है ?

(2) क्या जिला कृषि अधिकारी चूरू, ने इन कुओं का निरीक्षण किया है और उन्हें खाद, बीज एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने की कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) उक्त कुओं को गहरा करवाने के लिए जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को क्या सुविधा उपलब्ध की है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कुओं के कास्तकारों को सरकार की ओर से उचित सलाह व बीज, खाद समय पर नहीं मिलने से कुओं से सिंचाई के कार्य असफल होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस बारे म क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) 99 कुओं पर बिजली कनेक्शन दे दिया गया है ।

(2) जी हां, इन कुओं के कृषकों को खाद, बीज एवं पौध संरक्षण दवाईयों के प्रयोग के बारे में समय समय पर तकनीकी मार्ग-दर्शन किया गया है ।

(3) भू-जल मण्डल द्वारा कुओं को गहरा करवाने में जिला कृषि अधिकारी ने आवश्यक कार्यवाही की ।

(4) जी नहीं ।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची)

List of books on which Cash Awards have been sanctioned to Government Servants

1. Shri P. S. Choudhary, Steno, Govt. Secretariat, Jaipur.	Rs. 500/- May, 1963.	Book on Public Administration.
2. Shri K. S. Shankhada, Soil Conservation Officer, Forest Deptt., Jaipur.	Rs. 1800/- Dec., 1968	1. Wild Life of Rajasthan. 2. Wild Life Conservation. 3. Wild Life Sanctuaries. 4. Immigration Game and Birds from Rajasthan.
3. Shri P. N. Vyas, UDC, Development Deptt., Jaipur.	Rs. 1,000/- Dec., 1968	1. Vichar aur Kartavya. 2. Ratan Parkhi. 3. Satya ki Vijaya. 4. Teen Lakh ki teen Bat. 5. Articles published in various papers.
4. Shri Suraj Raj Bhansali, A. O., Industries Deptt., Jaipur.	Rs. 500/- May, 1968	Panchayat Raj ka Vit Vidhan.

List of books on which no award was recommended

1. Shri R. P. Vashtha, Steno, Govt. Secretariat, Jaipur.	May, 1963.	1. Navrang. 2. Pratidhawani. 3. Nari Nath.
2. Shri B. L. Dashora, Director, Training, Dev. Deptt., Jaipur.	April, 1963	Rajasthan ki Tritiya Yojna.
3. Shri P. M. Bhandari, Distt. Industries Officer, Bhilwara.	July, 1963	A guide to Small Scale Industries.
4. Shri Ram Kishan Vyas, Steno, Govt. Sectt., Jaipur.	1965	Tankan Shiksha.
5. Shri N. C. Dutta, DIG, Jodhpur.	Oct., 1966	Snakes, Camels, Sand and our border.

Page No 279

6.	Shri T. P. Joshi, SDO, Jaipur.	Dec., 1966	1. Samadhi ke Prashna. 2. Shankhon ke Tukre.
7.	Shri P. K. Dutta, Vikas Adhikari, Kuchaman.	1966	Adarsh Panchayat.
8.	Shri Prahlad Sharma, LDC, Sectt., Jaipur.	April, 1969	Balu ki Parten.
9.	Shri Nanag Ram, Peon, Govt. Sectt., Jaipur.	July, 1969	Do Nayan.

The applications of Shri Sukhvir Singh Gehlot, Tehsildar Sojat and Shri C. S. Goswami received here in 1969-70 are under consideration.

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 359 की सूची)

सन् 1966-67 से सन् 1970 तक थाना लाडनूं, मण्डल नागौर पर पदस्थापित रहे उप-निरीक्षकों सूची विवरण सहित

असेम्बली प्रश्न संख्या 199, दिनांक 1-1-70 श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा:—

क्र० सं०	थानेदार का नाम	थाना लाडनूं पर लगने की तिथी	थाना लाडनूं से हटाने की तिथी	अधिकारी जिस द्वारा स्थानान्तरण गया	थाने से हटाने के कारण
1	श्री श्रीधर	21-3-66	11-6-67 आदेश संख्या 1655 दि० 28-5-67	अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, नागौर	प्रशासनिक आधार पर ।
2	श्री कल्याणसिंह	10-6-67 आदेश संख्या 1655 दि० 28-5-67	30-12-67 आदेश संख्या 5673 दि० 22-12-67		
3	श्री रूपसिंह	8-1-68 आदेश संख्या 5673 दि० 22-12-67	16-12-68 आदेश संख्या 2128 दि० 14-11-68	उप-महानिरीक्षक, आरक्षी खण्ड, जोधपुर द्वारा मण्डल नागौर से मण्डल सिरोही स्थानान्तरण किया गया।	
4	श्री रामसिंह	1-12-68 आदेश संख्या 462 दि० 16-11-68	13-7-69 आदेश सं० 2837 दि० 8-7-69	अधीक्षक, आरक्षी मण्डल, नागौर	
5	श्री जोगेन्द्रसिंह	13-7-69 आदेश संख्या 1837 दि० 8-7-69	27-8-69 आदेश संख्या 2224 दि० 22-8-69		
6	श्री नरपतसिंह	28-8-69 आदेश संख्या 2224 दि० 22-8-69	अभी तक लगे हुए हैं।		

आर० पी० फार्म 63

परिशिष्ट 9

(अं० प्र० सं० 360 की सूची)

राजस्थान पुलिस

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा० पु० रे०)

नाम थाना— रड़वा | जिला—नागौर

जुर्म संख्या—418-1-70 | तारीख और वक्त वकुआ 15-10-68

तारीख और वकुआ जब इत्तिला हुई मय रोज० रपट नं०	जाय वकुआ और फासला और किस थाने से मय नाम हल्का	तारीख व वक्त रवानगी थाने से	नाम अदम सकूनत इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीस मय लि० स्थान
1	2	3	4
8-1-70 वक्त 8 पी० एम० रपट नं० 122	गांव ललासरी बदिशा पश्चिम उत्तर 6 मील	8-1-70	श्रीमान सौभाग्यमल जैन, सहायक रजिस्ट्रार, स०स०, नागौर

नाम और सकूनत मुलजिमान	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो	कार्यवाही तफ० जो अमल में लाई गई और वजह देरी	नतीजा मुकदमा
5	6	7	8
..	मध्यकालीन ऋण की राशि रु० 2000) रुपये देकर खयानत की जुर्म 408 ता० हि०	मुकदमा दर्ज होकर तफ० की अव्वल जमा कराने के कारण देरी हुई	

दस्तखत : एस डी— सुजानसिंह

ओहदा एस०एच०ओ० बरडवा

गोपनीय : कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार स० स०, नागौर क्रमांक 320, दि० 5-1-70

श्री अधीक्षकजी, आरक्षी, नागौर।

विषय : ललासरी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, ललासरी के मंत्री श्री मांगूराम द्वारा गबन।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन निम्न प्रकार है :— नागौर जिले के डीडवाना तहसील में स्थित ग्राम ललासरी सेवा सहकारी समिति लि० की नागौर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० द्वारा

दिनांक 10-10-68 को 25,000 का मध्यकालीन ऋण दिया गया। यह ऋण समिति के अध्यक्ष श्री चहूराराम एवं मंत्री श्री मांगूराम द्वारा उठाया गया।

(3) उपरोक्त ऋण में से रु० 24,000) का वितरण 19-10-68 को किया गया और शेष एक हजार रु० की राशि पुनः बैंक में जमा करा दी गई।

(4) उपरोक्त ऋण के वितरण में अंतिम मिला कि शिकायत प्राप्त होने पर तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा राज० सहकारी संस्था अधीन पत्र 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री बाबूलाल, निरीक्षक कार्यकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट इस कार्यालय में दिनांक 17 जुलाई, 69 को प्राप्त हुई।

(5) उक्त जांच रिपोर्ट से जांच अधिकारी द्वारा यह प्रकट किया गया कि श्री जानकी लाल पुत्र श्री जगन्नाथ, जाति ब्राह्मण, सा० ललासरी तथा श्री चिमना पुत्र श्री रुघराम, जाति जाट, सा० ललासरी में से किसी को भी एक एक हजार रुपया की राशि नहीं दी गयी और इन लोगों के अंगूठे दस्तखत चिमनाराम को तो किसी दूसरे को जमीन बताना बताकर तथा जानकीलाल को अन्य गरीबों को कर्जे की रकम देने तथा समिति को ट्रेक्टर खरीदने के नाम पर धोखा देकर करवा लिये जबकि वास्तव में इन दोनों को कोई रकम श्री मांगूराम द्वारा नहीं दी गई। इस प्रकार यह राशि श्री मांगूराम मंत्री, ललासरी, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा जानबूझकर बदनियती से उक्त दोनों सदस्यों को धोका देकर फर्जी कार्यवाही के द्वारा हड़प करली गई। अतः निवेदन है कि इस फर्जी कार्यवाही के संबंध में कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करें। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ सलंग्न है।

एसडी—सौभाग्यमल जैन,
सहायक रजिस्ट्रार, स० स०, नागौर।

ये पत्रवाली मय आदेश श्रीमान् एस०पी० सा०, जिला नागौर नं० नागौरासी० बी०। 352 तारीख 7-1-70 के प्राप्त हुई रिपोर्ट जेर जुर्म 408 ता० हि० दकू में आना पाया जाता है। अतः मु० नं० 4 दर्ज कर तफतीश शुरू हुई। इति। 8-1-70

एसडी—सुजानसिंह एस० आई०,
एस० एच० ओ०, बरड़वा।

परिशिष्ट 10

(अ० ता० प्र० सं० 361 की सूची)

सूची (अ)

मील	नाम ठेकेदार
116 से 610	भंवरलाल पूरणराम
610 से 810	प्रभात जनपथ भवन निर्माण ठेका समिति, बीकानेर
810 से 1010	एजन
10 से 12	एजन
12 से 18	मेसर्स प्रतापसिंह चन्द्रसिंह
18 से 23	एजन
23 से 28	श्री बंशीलाल जालन
28 से 33	एजन
33 से 38	स्टेण्डर्ड कान्सट्रकशन को०, जोधपुर
38 से 48	एजन
48 से 53	श्री पूनमचन्द
53 से 54	श्री पूनमचन्द

बीकानेर-अनूपगढ़

0 से 4	श्री चतनदास किशनदास
4 से 8	श्री रामेश्वरलाल गुप्ता
8 से 13	श्री मुकनसिंह
13 से 17	म० चेतनदास किशनदास
17 से 21	श्री रामेश्वरलाल गुप्ता
21 से 30	मै० सद्दीराम रामचन्द्र
30 से 402	भूपेन्द्र कान्सट्रक्शन ।

सूची (ब)

BIKANER-ANOOPGARH ROAD

Bikaner-Chattargarh Section.

Section	Contractor	Reasons for which extension granted
Mile 1/0 to 4/0.	M/s. Chetan Dass Kishan Dass.	(i) Dispute regarding Junction point of road (ii) Delay in acquisition of land (iii) Shortage of water (iv) Shortage of Railway wagons (v) Heavy rains and (vi) Mechanical defects in Roller, 3% compensation imposed.
Mile 4/0 to 8/0.	Shri Rameshwar Lal Gupta.	Work in progress. Contractor failed to complete the work and 10% compensation levied which will be reviewed on completion of work.
Mile 8/0 to 13/0.	Shri Makhan Singh	(i) Nali floods, (ii) Indo-Pak conflict, shortage of coal and Railway wagon and execution of extra work.
Mile 13/0 to 17/0.	M/s. Chetan Dass Kishan Dass.	(i) Delay in acquisition of land (ii) Nali floods (iii) Indo-Pak conflict (iv) Shortage of coal and Railway wagons and execution of extra work.
Mile 17/0 to 21/0.	Shri Ramashwar Lal Gupta.	Work in progress. Contractor failed to complete the work and interim 10% compensation levied which will be reviewed on completion of work.
Mile 21/0 to 30/0.	Shri Rati Ram Ramchander.	Work in progress.
Mile 30/0 to 42/0.	M/s. Bhupendra Const. Company.	(i) Change of specifications (ii) Non-availability of Road Roller, (iii) Paucity of funds and (iv) Extra work executed by the Contractor.

Page No 285

Anoopgarh-Chattargarh Section.

Mile 1/6 to 6/0.	M/s. Bhanwar Lal Puran Mal.	No delay.
Mile 6/0 to 12/0.	M/s. Prabhat Jalpath Bhawan Nirman Sahkari Theka Samiti Ltd., Bikaner.	..
Mile 12/0 to 23/0.	M/s. Pratap Singh Chander Singh.	(i) Delay in supply of Road Roller and (ii) Shortage of water.
Mile 23/0 to 28/0.	Shri Bansi Lal Jalan	Delay in supply of Road Roller, Non-availability of Crusher, Unprecedent early rains in 1966, scarcity of water, requisition or Trucks for General Elections, 1967.
Mile 28/0 to 33/0.	Shri Bansi Lal Jalan	
Mile 33/0 to 38/0.	M/s. Standard Const. Co.	Dhandla quarries having been filled with water excavation work hindered, delay in supply of Roller, difficulty in transportation of metal and grit from Chandi quarries and scarcity of water and requisition of Contractor's Trucks during General Elections.
M. 38/0. to 48/0.	—do—	
Mile 48/0 to 53/0.	Shri Punam Chand.	Shortage of water, shortage of 4 wheel driven trucks, Crushers and granulators and mechanical defects in Road Rollers.
Mile 53/0 to 53/5(54)	—do—	

Page No 286

परिशिष्ट 11

(अ० ता० प्र० सं० 365 की सूची)

सूची प्रशासकगण नगरपालिकायें जो दिनांक 24-1-67 से नियुक्त किये गये :—

क्रम सं०	नाम नगरपालिका	क्रम सं०	नाम नगरपालिका
1	अजमेर	33	छापर
2	जयपुर	34	श्री गंगानगर
3	सांभर	35	हनमानगढ़
4	फुलेरा	36	गर्जसिंहपुर
5	जोबनेर	37	नोहर
6	बांदीकुई	38	भादरा
7	चाकसू	39	जोधपुर
8	फतेहपुर	40	पीपाड़
9	खण्डला	41	नागोर
10	पिलानी	42	लाडनूं
11	मुकन्दगढ़	43	मेड़ता
12	बगड़	44	डीडवाना
13	बिसाऊ	45	मकराना
14	सवाई माधोपुर	46	परबतसर
15	करोली	47	कुचामन सिटी
16	गंगापुर	48	सादड़ी
17	हिण्डौन	49	बाड़मेर
18	निवाई	50	पोकरण
19	टोडारायसिंह	52	उदयपुर
20	भरतपुर	51	राजसमन्द
21	धौलपुर	53	भिण्डर
22	डीग	54	डूंगरपुर
23	नदबई	55	चित्तौड़गढ़
24	बीकानेर	56	कपासन
25	गंगाशहर	57	भीलवाड़ा
26	भीनासर	58	गंगापुर (भीलवाड़ा)
27	चूरू	59	बारां
28	रतनगढ़	60	रामगंजमंडी
29	सरदारशहर	61	छबड़ा
30	डूंगरगढ़	62	इन्द्रगढ़
31	राजलदेसर	63	बूंदी
32	तारानगर	64	भवानीमण्डी

क्र० सं०	नाम नगरपालिका		क्र० सं०	नाम नगरपालिका	
विभिन्न तिथियों से नियुक्त :—					
65	मालपुरा	22-2-67	70	माउन्ट आबू	1-10-67
66	रायसिंहनगर	23-4-66	71	ब्यावर	1-7-68
67	नावां	1-7-66	72	करणपुर	1-9-68
68	राजगढ़ (अलवर)	20-3-67	73	केशोरायपाटन	1-11-69
69	कोटपुतली	20-3-67	74	फलोदी	19-8-69

सूची प्रशासकगण नगरपालिकायें जो दि० 21-6-69 से नियुक्त किये गये :—

1	किशनगढ़	34	राजगढ़ (चूरू)
2	केकड़ी	35	बिदासर
3	पुष्कर	36	सांगरियां
4	सरवाड़	37	सूरतगढ़
5	चोमूं	38	अनूपगढ़
6	दौसा	39	पाली
7	आमेर	40	बाली
8	सीकर	41	सोजत
9	रामगढ़	42	जालोर
10	लक्ष्मणगढ़	43	भीनमाल
11	नीम का थाना	44	बालोतरा
12	श्री माधापुर	45	जैसलमेर
13	झुन्झुनू	46	आबूरोड
14	चिडावा	47	सिरोही
15	नवलगढ़	48	पिन्डवाड़ा
16	सूरजगढ़	49	शिवगंज
17	मण्डावा	50	नाथद्वारा
18	खेतड़ी	51	देवगढ़
19	उदयपुरवाटी	52	सलूम्बर
20	टोडाभीम	53	सागवाड़ा
21	टोंक	54	प्रतापगढ़
22	उनियारा	55	निम्बाहेड़ा
23	देवली	56	छोटी सादड़ी
24	अलवर	57	बड़ी सादड़ी
25	खेरली	58	शाहपुरा
26	कामां	59	बांसवाड़ा
27	बयाना	60	कुशलगढ़
28	बाड़ी	61	कोटा
29	बैर	62	नैनवां
30	राजाखेड़ा	63	लाखेरी
31	नोखा	64	झालावाड़
32	देशनोक	65	झालरापाटन
33	सुजानगढ़	66	सुनेल

परिशिष्ट 12

(अ० ता० प्र० सं० 372 की सूची)

कृषि उपज मंडी समिति, बीकानेर के प्रथम मनोनीत सदस्यों के नाम:—

1. *कृषक निर्वाचन क्षेत्र*
   (1) श्री चौधरी मगनसिंह, गांव छोटी नाल।
   (2) श्री मेवाराम, गांव बरसिंहसर
   (3) श्री अर्जुनराम, सरपंच, ग्राम पंचायत, पलाना।
   (4) श्री अर्जुनसिंह, सरपंच, नाल ग्राम पंचायत।
   (5) श्री रामलाल जाट, गांव सालमदेसर।
   (6) श्री गनेशराम जाट, गांव बाराबास।
   (7) श्री हीराराम जाट, गांव गोनमयासर।

2. *व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र*
   (1) श्री मोहनलाल बहानी वूल मर्चेन्ट, जसुसर गेट बाहर, बीकानेर।
   (2) श्री बजरंगलाल ग्रेन मर्चेन्ट, फड़ बाजार, बीकानेर।

3. *सहकारी संस्था निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि*
   (1) अध्यक्ष, कोओपरेटिव मार्केटिंग सोसाईटी, बीकानेर।
   (2) अध्यक्ष, कोओपरेटिव सैन्ट्रल बैंक, बीकानेर।

4. *पंचायत समिति का प्रतिनिधि*
   (1) प्रधान, पंचायत समिति, बीकानेर।

5. *नगरपालिका के प्रतिनिधि*
   (1) अध्यक्ष, नगरपालिका, बीकानेर।

6. *राज्य सरकार द्वारा मनोनीत*
   (1) दी सब-डिविजनल ऑफिसर, बीकानेर (सिटी)।
   (2) जिला कृषि अधिकारी, चूरू (बीकानेर)।

कृषि उपज मण्डी समिति नोखा के प्रथम मनोनीत सदस्यों के नाम:—

(1) *कृषक निर्वाचन क्षेत्र*
   (1) श्री तुलसा राम जाट, ग्राम थावरिया।
   (2) श्री गंगाराम, सरपंच मुकाम।
   (3) श्री हीरालाल, सरपंच, ग्राम बरसंारा।
   (4) श्री शेरसिंह, सरपंच, घरनोक।

(5) श्री भेराराम, सरपंच, दीसेसर।
(6) श्री गुलाब सिंह, सरपंच, रायसर।
(7) श्री गुमान राम जाट, गांव सलोरिया।

2. *व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र*

(1) श्री भगवान दास तापड़िया, नोखा मंडी।
(2) श्री छगनलाल डागा, नोखा मंडी।

3. *सहकारी संस्था निर्वाचन क्षेत्र*

(1) श्री अध्यक्ष, क्रय-विक्रय संघ, नोखा।
(2) श्री अध्यक्ष, सेवा सहकारी समिति, कुदूस।

4. *नगरपालिका प्रतिनिधि*

(1) अध्यक्ष, नगरपालिका, नोखा मंडी।

5. *पंचाचत समिति का प्रतिनिधि*

(1) श्री प्रधान, पंचायत समिति, नोखा मंडी।

6. *राज्य सरकार द्वारा मनोनीत*

(1) सब-डिविजनल ऑफिसर, बीकानेर (साउथ)।
(2) श्री तहसीलदार, नोखा।

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 373 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

क्रमांक	नाम जिला	बकाया ऋण की रकम
1	अजमेर	57513
2	अलवर	4200
3	उदयपुर	36718
4	कोटा	75356
5	गंगानगर	26437
6	चित्तौड़गढ़	10698
7	चूरू	25178
8	जयपुर	221383
9	जालोर	5850
10	जैसलमेर	..
11	जोधपुर	92165
12	झालावाड़	900
13	झुंझुनूं	25797
14	टोंक	1850
15	डूंगरपुर	1945
16	नागौर	39500
17	पाली	189878
18	बाड़मेर	1313
19	बांसवाड़ा	5625
20	बीकानेर	6495
21	बूंदी	2678
22	भरतपुर	27078
23	भीलवाड़ा	32076
24	सवाई माधोपुर	28325
25	सिरोही	4553
26	सीकर	7500
		938211

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 376 की सूची)

राज्य में उत्तम नस्ल के विदेशी सांडों की तालिका

1	जर्सी सांड	12
2	रेडडेन सांड	2
3	फ्रजीयन सांड	2
		16

Page No 292

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की सूची)

क्र० सं० 1	अधिकारी का नाम 2	पद एवं स्थान 3	मुख्यालय में नियुक्ति 4	कार्य सौंपा गया 5
1.	श्री बी० एस० तँवर	जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जैसलमेर।	दिनांक 6-5-69 से दिनांक 14-8-69 तक।	अकाल के कारण राज्य के एवड़ सीमावर्ती राज्यों में प्रव्रजन कर रहे थे। इस कारण भेड़पालकों को मार्ग का दिग्दर्शन, समुचित चिकित्सा की व्यवस्था एवं ऊन क्रय करने के लिए भेड़पालकों से सम्पर्क स्थापित करना आदि, कार्य इन्ह सौंपे गये थे। इसके अतिरिक्त नागदा (मध्य प्रदेश) से भी प्रव्रजित भेड़ों की ऊन क्रय करने का कार्य भी इन्हें सौंपा गया था। इनके जयपुर प्रवास काल में इनसे डिपार्टमेन्टल मैन्युअल की सामग्री एकत्रित करने तथा मैन्युअल से ही संबंधित अन्य कार्यों में भी सहायता ली गई।
2.	श्री के० एल० चढ्ढा	जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, बाड़मेर।	दिनांक 1-3-69 से अब तक।	अकाल के कारण राज्य के एवड़ सीमावर्ती राज्यों में प्रव्रजन कर रहे थे। इस कारण भेड़पालकों को मार्ग का दिग्दर्शन, समुचित चिकित्सा की व्यवस्था एवं ऊन क्रय करने के लिए भेड़पालकों से सम्पर्क स्थापित करना आदि कार्य इन्हें सौंपे गये थे। इसके अतिरिक्त आचार्य, भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर तीन माह के लिए अवकाश पर प्रस्थान कर गए थे, अतः उक्त पद का कार्य भी श्री चढ्ढा ने किया तथा संयुक्त निदेशक भी तीन माह के लिए अवकाश पर प्रस्थान कर गये थे अतः उनकी

Page No 293

1	2	3	4	5
				अनुपस्थिति में प्रसार शाखा का समस्त कार्य भी श्री चढ्ढा ने किया । डिपार्टमेन्टल मैन्युअल तैयार करने का कार्य, विभाग के लिए औषधियां एवं तकनीकी यन्त्र आदि क्रय करने के लिए निविदाओं का आमन्त्रण करना, उनकी दरों को अनुमोदित करना एवं नमूनों की जांच करने के लिए एक तकनीकी अधिकारी की निदेशालय में आवश्यकता को अनुभव किया गया, इसलिए इनकी सेवाएं उपयोग में ली गई हैं। तथा सेवा-निवृत्ति के कारण विभाग के संयुक्त निदेशक का पद रिक्त हो गया है। इस पद का भी कार्य देख रहे हैं।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 74 की सूची)

सर्किल	किसानों की संख्या जिनसे भूमि अवाप्त की गई	किसानों की संख्या जिनको भुगतान अभी नहीं दिया गया
1. जयपुर सर्किल 2 (भरतपुर, अलवर, झुंझनूं, सीकर)	3211	2599
2. जयपुर सर्किल 1 व 3 (अजमेर, जयपुर)	580	465
3. कोटा सर्किल (सवाई माधोपुर, टौंक, कोटा, झालावाड़, बूंदी)	2918	1336
4. उदयपुर सर्किल (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा)	2578	1791
5. जोधपुर-बीकानेर सर्किल	जानकारी प्राप्त की जा रही है।	जानकारी की जा रही है।

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 151 की सूची)

श्री गोरधनसिंह को दिए गए वेतन की सूची

क्र.सं.	नाम मास	वेतन	मंहगाई	भत्ता प्रतिनियुक्ति	योग
1.	अगस्त' 67	50-32	29-33	18-36	89-73
2.	सितम्बर' 67	129-90	78-36	26-90	214-88
3.	अक्टूबर' 67	126-08	76-00	24-00	214-00
4.	नवम्बर' 67	128-00			
5.	दिसम्बर' 67	128-00	91-00	20-00	233-00
6.	जनवरी' 68	120-00	10-00	91-00	235-00
7.	फरवरी' 68				239-00
8.	मार्च' 68	120-00			235-00
9.	अप्रेल' 68				255-00
10.	मई' 68	120-00	91-00	20-00	230-00
11.	जून' 68				235-00
12.	जुलाई, 68	120-00	91-00	214-00	235-00
13.	अगस्त' 68	120-00	91-00	24-00	235-00
14.	सितम्बर' 68				
15.	अक्टूबर' 68	120-00	98-00	24-00	242-00
16.	नवम्बर' 68	130-00	94-00	24-00	253-00
17.	दिसम्बर' 68				253-00
18.	जनवरी' 69				254-00
19.	फरवरी' 69				254-00
20.	मार्च' 69				242-00
21.	अप्रेल' 69				242-00
22.	मई' 69	120-00	98-00	24-00	242-00
23.	जून' 69	120-00	90-00	24-00	240-00
		2730-32	2059-35	346-00	

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 152 की सूची)

सही नम्बर	माह का नाम	गाड़ी चली किलो मीटर में	माहवार पेट्रोल, तेल पर किया गया खर्चा	मरम्मत सामान पर माहवार खर्चा	ड्राईवर क माहवार खर्चा
आर०जे०एस०	जुलाई, 1968	31	32-00	86-25	..
753	अगस्त	2531	415-12	66-27	123-00
	सितम्बर	2320	345-49	11-88	131-60
	अक्टूबर	900	105-78	134-60	131-60
	नवम्बर	1044	249-45	28-38	85-70
	दिसम्बर	1710	149-25	27-35	130-40
	जनवरी, 1969	4407	855-10	271-22	158-40
	फरवरी	3040	454-10	308-60	140-00
	मार्च	1440	104-95	14-85	149-40
	अप्रेल	2577	485-75	369-07	149-00
	मई	2027	517-02	201-00	122-21
	जून	1706	351-10	547-25	172-76
	जुलाई	1573	205-71	30-35	172-76
	अगस्त	2640	521-10	1531-54	197-12
	सितम्बर	949	220-98	32-90	197-12
	अक्टूबर	1190	235-50	59-62	197-12
	नवम्बर	1620	504-59	509-45	294-24
	दिसम्बर	5777	1059-59	371-38	504-24

Page No 297

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 155 की सूची)

भेड़ व ऊन अधिकारियों जिनके वि रुद्ध विभागीय जांच चल रही है की सूची:—

क्रम० सं०	अधिकारी का नाम व पद	जांच चलने की तारीख	संक्षिप्त में आरोप
1	2	3	4
1	श्री आर० एम० सेठी, प्रसार अधिकारी, मेड़ता सिटी।	6-3-67	झूठे वाउचर प्रस्तुत कर राजकीय धन-राशि गबन करने के संबंध में।
2	श्री के० एल० चड्डा, भू० पू० प्रधानाचार्य, जोधपुर।	30-1-68	विदेश में प्रशिक्षण के समय बिना अनुमति प्रशिक्षण विषय बदलना।
3	श्री ए० सी० दवे, भू० पू० सहायक निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग।	30-1-68 1-5-68	(1) " (2) झूठे यात्रा बिल उठाना। (3) बुल पेक्स के क्रय में पार्टियों को भुगतान में अनियमितताएं करना।
4	श्री एम० बी० सप्रे, भू० पू० अधीक्षक, जोड़बार।	22-9-66	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
5	श्री रामेश्वरलाल बी० माथुर, प्रसार अधिकारी, ओसियां।	1-6-68	दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
6	श्री एस० पी० छाबड़ा, प्रसार अधिकारी, नोहर।	26-2-69	"
7	श्री स[illegible] नन्द शर्मा, प्रसार अधिकारी, अजीतगढ़।	30-11-68	कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोगुन्दा का कार्य करते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
8	श्री एस० के० शर्मा, भू० पू० अधीक्षक, कोडमदेसर।	7-3-68	जोधपुर में मुण्डी ऊन क्रय करने में अनियमिततायें करना।

Page No 298

1	2	3	4
9	श्री ए० सी० दूबे, भू० पू० ऊन वर्गीकरण अधिकारी, पाली ।	25-3-68	ऊन वर्गीकरण केन्द्र, पाली पर ऊन वर्गीकरण अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए वर्गीकरण कार्य लापरवाही से कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
		1-4-69	अभिलेखों का निरीक्षण करते समय अभिलेखों में गड़बड़ करना।
10	श्री सत्यदेव प्रसार अधिकारी, भोपालगढ़ ।	6-2-69	दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
11	श्री रमेशचन्द शर्मा, प्रसार अधिकारी, बाप ।	25-5-68	राज्य कार्य से अनुपस्थित रहना।
12	श्री देवकीनन्दन शर्मा, प्रसार अधिकारी, देवीकोट ।	30-6-69	आदेश अवहेलना कर झूठी डायरियां प्रस्तुत कर राज्य सरकार को धोखा देने के संबंध में।
13	श्री महेन्द्रसिंह, भू० पू० ऊन वर्गीकरण अधिकारी, नवलगढ़ ।	17-9-69	वास्तविक तथ्यों को छिपाकर राज्य सरकार को धोखा देने व अपने पद का दुरुपयोग कर राज्य सरकार को लांछित करने के संबंध में।
14	श्री जे० एस० गंगवार, प्रसार अधिकारी, इटावा भोपजी ।	17-1-70	दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना ।
15	श्री जगदीश चन्द्र गांधी, प्रसार अधिकारी, जैसलमेर ।	1-8-68	,,
16	श्री बी० एस० तंवर, जिला अधिकारी, जैसलमेर ।	29-8-69	मेढों का फर्जी क्रय एवं फर्जी वितरण बताकर राज्य सरकार को धोखा देना।
17	श्री सुरेश चन्द गुप्ता, भू० पू० प्रधानाचार्य, जोधपुर ।	10-12-69	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों का उल्लंघन कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
18	श्री ए० जी० शर्मा, ऊन वर्गीकरण अधिकारी, जयपुर	24-5-69	अनावश्यकरूप से दैनिक मजदूर रखकर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।

1	2	3	4
19	श्री डी० आर० बजाज, भू० पू० उप-निदेशक, भेड व ऊन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।	12-6-69	जोधपुर मण्डी में ऊन क्रय करने में अनियमिततायें करना।
20	श्री सोमनाथ थापर, भू० पू० जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जोधपुर।	12-6-69	,,
21	श्री गिरधा राम चौधरी, भू० पू० प्रसार अधिकारी, सिरोही ।	18-3-69	झूठी बुकिंग कर व झूंठे वाउचर्स प्रस्तुत कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
22	श्री धर्मपालसिंह, भू० पू० जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, भीलवाड़ा ।	27-1-69	दोषपूर्ण ऊन क्रय कर राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाना।
23	श्री सवाई सिंह, जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जयपुर ।	2-7-65	सादड़ी (पंचायत समिति, लाडनूं) के पंचायत चुनाव में पक्षपात करना।
24	श्री एन० एल० नारायण, उप-निदेशक, भेड़ व ऊन, जयपुर।	27-8-66	बीकानेर में वूल कार्डिंग एवं फिनिशिंग मशीनरी लगाने के लिये अनुपयुक्त भवन का चयन करना जिससे मशीनरी उखाड़कर फिर लगाने में व्यर्थ की हानि हुई।

1. क्रम संख्या 1 से 7 तक के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं।

2. क्रम संख्या 8 से 22 तक के अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा राज्य सरकार को जांच प्रस्तावित की गई है।

3. क्रम संख्या 8, 19 व 20 पर अंकित अधिकारियों से सम्बन्धित जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा भी की जा रही है।

4 क्रम संख्या 19 से 22 तक के अधिकारियों के विरुद्ध तो जांच भेड़ व ऊन विभा सम्बन्धित है किन्तु वह इस विभाग से स्थानान्तरण कर पशुपालन विभाग में जा चुके हैं

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार दिनांक 26 मार्च, 1970)

स्कम्भ सं० 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्ध 3	शुद्ध 4
2		7	म ाज	मरीज
,,		8	क	करें
,,	अन्तिम से	3	बंटे	बैठे
4	,,	2	ज्यादाती	ज्यादती
5		3	बिछने	बिछाने
,,	अन्तिम से	6	का वाही	कार्यवाही
6		8	ठकेदार	ठेकेदार
7	अन्तिम से	10	`	में
9		2	हैडक्वा र्स	हैडक्वार्टर्स
11		4	ी० डब्लूल्यू० डी,०	पी० डबल्यू० डी०
,,	अन्तिम से	10	क	एक
14		17	क्टर	ट्रैक्टर
26		2	टर्म	टर्म्स
27	अन्तिम से	4	सको	इसको
28		2	श्री वृद्धिचन्द यन	श्री वृद्धिचन्द जैन
		19	श्री सतीशचन्‍ अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
49		4	श्री दवीदत्त गाड़िया	श्री देवीदत्त गाड़िया
,,		5	तकों	तक
,,		6	वय	क्यों
63		7	`के	ठेंके
64		7	नराशि	धनराशि
,,		14	कि	किये
67		13	चुकरे	चुकारे
,,		18	चुकारा	चुचारे
74	अन्तिम से	12	लि	लिये
76	,,	4	क	करें
78	,,	3	विपीत	विपरीत

1	2	3	4
79	17	इसलि	इसलिये
82	7	का	कार्य
86	18	का	कार्य
89	अन्तिम से 7	वि द्ध	विरुद्ध
93	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
94	7		ने
95	19	दने	देने
99	शीर्षक	मांग सं० 27, 41, 32 व 12–26 मार्च, 1970–पर कटौती प्रस्ताव	अनुदानों की मांगों का उपस्थापन–26 मार्च, 1970--मांग सं० 27, 41, 32 व 12 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव
129	12	कमक रदिय	कम कर दिया
,,	13	एम० एल०	एम० एल० एज०
189	अन्तिम से 12	श्री विट्ल भाई	श्री विट्ठल भाई
194	,,	रोकथाम—मुझे	रोकथाम तो कर सकते है। मझे
198	15	काम तक नहीं	काम न ीं
,,	17	मंजूरी	मंजूरी
200	8	आघनिक	आधुनिक
,,	14	मननीय समपतिजी	माननीय सभापतिजी
213	शीर्ष	(श्री पी० के० चाधरी	(श्री पी० के० चौधरी)
216	अन्तिम से 15	कान्फ्रेंस	कान्फ्रेंस
229	,, 16	स ान	स्थान
,,	,, 2	स्कल	स्कूल
242	3	मापति	सभापति
248	13	रा ता	रास्ता
254	6	तनी	इतनी
260	अन्तिम से 4	जवन्तसिंह	जस्वन्तसिंह
265	12	मगतनी	भुगतनी
268	9	म	में
272	3	आरती	आती
278	अन्तिम से 4	गजरात	गुजरात
270	अन्तिम से 8	परमानट	परमानेन्ट

1	2	3	4
289	अन्तिम से 7	म	में
270	,, 4	म	में
280	9	प्रोसीक्यशन वान्च	प्रोसीक्यूशन ब्रान्च
286	अन्तिम से 9	लैंट लज	लटलोज
287	,, 14	भो	भी
292	,, 11	सट्रल	सेन्ट्रल
292	,,	चलग	चलें
307	13	रिमर्क	रिमार्क
310	अन्तिम से 4	मक़दमें	मुक़दमें
310	,, 2	ह	है
317	7	ऐ ।	एक
321	16	सक	सड़क
326	4	वती	करती
331	5	ज ह	जगह
333	5	खच्च में	खर्चे में
351	अन्तिम से 10	पा दसरी	पास दूसरी
360	,, 9	अपरग	अपहरण
370	7	बढ़ना	बढ़ाना
378	6	बलाकर	बुलाकर
373	अन्तिम से 9	श्री उपध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
377	,, 15	कि	की
378	5	और है	हैं और
378	6	हम	हमें
378	अन्तिम से 10	गिन	गिने
379	6	म	मैं
385	अन्तिम	अका	अकाल
393	6	गघ	गये
397	16	कता	करता
399	18	खुलेंगा	खोलेंगे
410	8	Speake	Speaker
414	8	साझाने	समझाने
420	अन्तिम से 10	स्पस्टीकरण	स्पष्टीकरण
433	,,	माषण	भाषण

1	2	3	4
424	16	श्री मकटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
425	3	"shall may"	"may"
428	4	आरो	आरोप
428	अन्तिम से 3	जानता हूं कि इन	जानता हूं इन
433	अन्तिम से 2	आ ?	हुआ ?
445	2	कांफ़्रेन्स	कांफ्रेन्स
462	5	श्री अमी ुदीन अहमद	श्री अमिनुदीन अहमद
472	अन्तिम से 10	श्री अमनुदीन अहमद	,,
496	2	पुलिस लाइस	पुलिस लाइन्स
498	अन्तिम से 10	करन	करने
498	अन्तिम से 7	किय गया	किया गया
502	अन्तिम से	टकि	कि
512	अन्तिम से 6	कान्सीट्यूऐंसी	कान्स्टिट्यूयेन्सी
514	अन्तिम से 2	भाषन	भाषण
526	1	को	को
527	11	समन	सामने
531	14	आयुव दक	आयुर्वेदिक
536	6	रसीदात	रसीदान
536	7	देन	देने
539	15	ड्यूटी पर तनात	ड्यूटी पर तैनात
542	11	कायवाही	कार्यवाही
546	14	क्या सत्य	क्या यह सत्य
548	5	म	मैं